राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या: 20

गुरुवार,

05 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

हनीट्रैप के दर्ज प्रकरण

316. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2020 तक हनीट्रैप के कितने मामले प्रकाश में आये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक जयपुर, जोधपुर, अजमेर सम्भाग में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा जांच के बाद कितनों की गिरफ्तारी की जाकर चालान पेश किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार प्रदेश में बढ़ रहे उक्त प्रकरणों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठा रही है?

(4) विगत दो वर्षों में जयपुर कमिश्नरेट के अधीन कितने मामले दर्ज हुए एवं कितनों की जांच की गयी व कितनों की गिरफ्तारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रदेश में 01 दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी, 2020 तक हनीट्रैप के कुल 30 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनकी जिलेवार संख्यात्मक सूची का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक जयपुर, जोधपुर, अजमेर सम्भाग में हनीट्रैप के कुल 17 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 01 प्रकरण में एफ.आर. व 09 प्रकरणों में चार्जशीट दी गयी तथा 7 प्रकरणों में अनुसंधान

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जारी है। जांच के बाद 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) हनीट्रैप जैसे अपराधों की रोकथाम हेतु उठाये जा रहे कदमों का बिन्दुवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जयपुर कमिश्नरेट के अधीन 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2020 तक कुल 9 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 7 प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर 01 प्रकरण में एफ.आर. व 6 प्रकरणों में 19 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर चालान न्यायालय में पेश किया गया व शेष 02 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। जिसकी सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिस प्रकार से हनीट्रैप के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं और निर्दोष लोग ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं, क्या इसको रोकने के लिए, अपराधियों को कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए सरकार सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनीट्रैप के प्रकरणों की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में बिन्दुवार मैं आपको बताता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह तो दे दिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल यह है कि एस.ओ.जी. के द्वारा 18 संगठित मतलब, आर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, जैसे अवैध शराब है, अवैध हथियार है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है और उसकी एस.ओ.पी. (स्टैंडर्ड आपरेटिव प्रोसीजर) बनाया गया है तो निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया से इन चीजों में कमी आएगी, हनीट्रैप के केसेज में कमी आएगी। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी बराबर चलाया जा रहा है। सी.एल.जी. की मीटिंग्स, बार-बार सी.एल.जी. की मीटिंग्स इसीलिए की जाती हैं कि उनके द्वारा भी अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि इस तरीके की हरकत न हो।

इसके साथ-साथ, पुलिस द्वारा नियमित निगरानी, आसूचना संकलन,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
संदिग्धों की नियमित एवं आकस्मिक चैकिंग द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले तकनीकी साधन, निगरानी तथा बीट इंचार्ज व बीट कांस्टेबल के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वह ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पर या ऐसी संदिग्ध महिलाओं पर निगाह रखें और उसकी फौरन इत्तला वहां पर करें। उससे यह नतीजा निकला है कि कुछ केसेज में कमी हुई है, जितने केसेज पहले हुआ करते थे, उसमें कुछ कमी आयी है।

दूसरी बात यह है कि जो केसेज आ गये हैं, उन पर जिस तरीके से कार्यवाही की गयी है, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि 01 दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी तक जो हनीट्रैप के मामले दर्ज हुए, उसमें 30 मामले कुल मिलाकर हुए। उनमें से 21 में चालान पेश कर दिया गया और 95 आदमी गिरफ्तार किये गये। एक में एफ.आर. दी गयी है और सिर्फ 8 पैंडिंग हैं, इतनी तीव्र गति से काम हुआ है।

इसके साथ-साथ आपने जो पूछा कि 01 जनवरी से 31 जनवरी तक का, उसका रिकार्ड भी यही है कि कुल मिलाकर 17 केसेज हुए हैं। 17 केसेज में से 7 ही पैंडिंग हैं। बाकी में, एक में तो एफ.आर. हो गयी, 9 में चालान हो गया और 43 आदमी गिरफ्तार हो गये। मैं यह समझकर चलता हूं कि जितनी तीव्र गति से यह चालान प्रस्तुत किया गया है और कई मामले ऐसे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्री महोदय, मैं आपकी कार्य प्रणाली पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, I will not allow. मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप बैठें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। मैंने केवल यह पूछा कि आप कोई कड़ा कानून इसके लिए बना रहे हैं क्या? वह कानून कब तक बनाएंगे?

श्री अध्यक्ष: नहीं सुनना है? अगला प्रश्न। खतम, अब अगला प्रश्न। I will not allow it. अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। यह गलत परम्परा है। सीनियर आदमी होकर मंत्री का जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं। श्रीमती संतोष। आप प्लीज, बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। आप प्लीज, बैठें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा डाल रहे हैं। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण की कार्ययोजना

317. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों में अब तक सड़क नहीं बनी है उनमें नवीन सड़कें बनाने एवं उनका सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय अनूपगढ़ से नाहरोवाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण कब किया गया व अब कब तक करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक क्षतिग्रस्त सड़कों में से किस-किस ग्राम पंचायत की सड़क का नवीनीकरण किया गया व कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा उक्त सड़कों पर व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीनीकरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 500 या 500 से अधिक आबादी के गांवों को आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सड़क से जोड़ा जायेगा।

500 से कम आबादी के गांवों को डामर स़ड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट “2” पर संलग्न है।

(3) मुख्यालय अनूपगढ़ से नाहरोवाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण एवं प्रस्तावित कार्य का विवरण परिशिष्ट “3” पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनवरी 2017 से दिसम्बर 2019

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तक क्षतिग्रस्त सड़कों पर किये गये कार्यों का तहसीलवार विवरण व्यय सहित परिशिष्ट “4” पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें कब तक ठीक करवा दिया जाएगा। सरकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का बहाना बनाकर कार्य नहीं करवा रही है। सरकार की मंशा 500 से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की है। मेरे क्षेत्र में 123 गांव सड़कों से जोड़े जाने से वंचित हैं। सरकार द्वारा 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से जोड़ने की बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): प्रथम चरण में कौन-कौनसी सड़कें ली हैं, इसका विवरण उपलब्ध कराएं और मेरे क्षेत्र में 132 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों की इसमें लिस्ट दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें। आपका क्या प्रश्न है?

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सर, प्रश्न ही है। सरकार इस 132 किलोमीटर में से कितनी क्षतिग्रस्त सड़कें ठीक करवाने की मंशा रखती है और रखती है तो कब तक?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा क्षेत्र में जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, लगभग 15 परसेंट सड़कों को हमने चिह्नित किया है जो क्षतिग्रस्त हैं और मैंने परिशिष्ट “4” में, कितना पैसा हम लोगों ने आबंटित किया है और कितना खर्च किया है, उसका विवरण दिया है। मेरी जानकारी उस क्षेत्र के बारे में यह है कि, मैंने कल जब मीटिंग ली थी, वहां पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण हो रहा है अनूपगढ़ के अन्दर और वह जो सड़क है, वह 20 किलोमीटर की है और यह नाहरोवाली तक है। उसमें ज्यादा हैवी व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन मैटीरियल के लिए जाते हैं, उसके कारण से यह जो खास सड़क है, इस पर 4 किलोमीटर पर ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है तो मैंने कल अधिकारियों से बोला है कि वह एन.एच.ए.आई. से बात करके और हमारे डिपार्टमेंट से बात करके सबसे पहले उस मेन सड़क को ठीक कराएंगे और आने वाले वित्तीय वर्ष में जितना ज्यादा होगा, उस क्षेत्र में सड़कों को ठीक कराएंगे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से नाहरोवाली क्षतिग्रस्त सड़क को कब तक ठीक कराया जाएगा? काफी समय से डबल लेन की मांग भी है, यह प्रस्तावित है, इसको कब तक कराएंगे? 2007-08 से यह स्वीकृत भी है, उसका अभी तक काम क्यों नहीं हो पाया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें, नहीं तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं। आप प्रश्न पूछिए कि आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): वर्ष 2007-08 से स्वीकृत है, अभी तक इसका काम नहीं हुआ है तो वह क्यों नहीं हुआ है?

श्री अध्यक्ष: बस, ठीक है।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि जिस सड़क का माननीय सदस्या मेंशन कर रही हैं, उस विशेष सड़क पर ही हम लोगों ने कल मीटिंग ली है और मैंने एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों को भी यह कहा है कि जो भी कम्पनी वहां पर काम कर रही है क्योंकि जब बड़े ट्रक-ट्रैलर जाते हैं तो सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस सड़क को बहुत जल्द हम लोग करवा देंगे। एनएच.ए.आई. भी करेगा और हम लोग मिलकर भी उसको ठीक करवा देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न पूछने का मंतव्य यह है कि यह परिशिष्ट "3" में जो आपने दिया है, इनकी कुछ सड़कें जो आप कह रहे हैं कि स्वीकृत इतने किलोमीटर है, स्वीकृत वर्ष आप बता रहे हो, 2007-08 की स्वीकृत है पहली सड़क, दूसरी 2013-14 से है, तीसरी 2007-08 से है, फिर 2013-14 तो ये जो चार सड़कें हैं, यह अनूपगढ़ से नाहरोवाली सड़क जो है नवीनीकरण के लिए स्वीकृत है, 2007-08 से लेकर अब तक तो इन पर काम अब तक क्यों नहीं हुआ?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का माननीय नेता, प्रतिपक्ष जिक्र कर रहे हैं वह 20 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर का काम हो चुका है और 10 का हमने पी.एम.जी.एस.वाई.-तृतीय में इसको सैंक्शन किया है तो इस साल बाकी 10 किलोमीटर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

रावतसर में मेगा हाईवे के मध्य पेयजल पाइप लाइन को अन्यत्र स्थापित करने की कार्ययोजना

318. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कपा करेंगे:-

(1) क्या कस्बा रावतसर में स्थित मेगा हाईवे के मध्य पेयजल पाइप लाइन विद्यमान है?

(2) क्या यह सही है कि मेगा हाईवे के नीचे स्थित पेयजल पाइप लाइन बार-बार क्षतिग्रस्त होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पाइप लाइन को अन्यत्र स्थापित कर समस्या से निजात दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) कस्बा रावतसर की पेयजल योजना के वित्तीय वर्ष 1997-98 में किये गये पुनर्गठन के अन्तर्गत बिछाई एवं जोड़ी गयी राईजिंग एवं वितरण पेयजल पाइप लाइनों में से लगभग 1500 मीटर ए.सी. राईजिंग तथा 700 मीटर ए.सी. वितरण पाइप लाइन मेगा हाईवे के वर्ष 2008-09 में निर्माण होने के कारण, इसके मध्य वर्तमान में विद्यमान है।

(2) मेगा हाईवे के मध्य उक्तानुसार विद्यमान पेयजल पाइप लाइन में वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में क्रमश: 5, 2 एवं 4, इस प्रकार कुल 11 स्थानों पर पाइप लाइनों में हुए लीकेज हाईवे निर्माण संस्था रिडकोर के समन्वय से दुरुस्त कराये गये।

उक्त पाइप लाइन के स्थान पर अन्यत्र नवीन पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य हेतु दिनांक 28.02.2020 को राशि रुपये 82.59 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यादेश उपरांत इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाकर कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसकी कोई समय सीमा है? कारण कि वहां पर पाइप टूटने से पूरा रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। वहां पर हाईवे है और इस कारण से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें समय सीमा दिला दें। वहां पर लोग काफी समय से परेशान हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 फरवरी को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। टेण्डर वगैरह की सारी फोर्मेलिटीज पूरा कराकर आगामी तीन महीनों में यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविंद राम।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, 26 फरवरी 2020)

इन्दिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा से सिल्ट निकालने की योजना

201. श्री गोविंद राम (खाजूवाला): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा से 0 आरडी से 61 आरडी तक सिल्ट नहीं निकालने से टैल के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में से सिल्ट निकलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केजेडी नहर पर जो पक्का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके मैटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार पी.बी., केएलडी, के.एच.एम. आदि नहर के टैल के किसानों तक फसल हेतु पर्याप्त पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार केएलडी, बीडी, पीबी, केवाईडी व केएलडी नहरों के लिए बजट आबंटन करके पुन: पक्की नहरें बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) इन्दिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा की आर.डी. 0 आर.डी. से 61 आर.डी. तक पावर रिच होने के कारण कोई सिल्ट जमा नहीं होती है। अनूपगढ़ शाखा से जल प्रवाह में कोई बाधा नहीं है तथा किसानों को सिंचाई हेतु निर्धारित पानी मिल रहा है।

(2) केजेडी नहर पर प्रगतिरत पक्के कार्य हेतु प्रयोग में लिए जा रहे मैटेरियल की क्वालिटी जांच विभागीय क्वालिटी कंट्रोल इकाई एवं थर्ड-पार्टी

जल संसाधन मंत्री)

क्वालिटी कंसल्टेंट द्वारा समय-समय पर की जाती है एवं मैटेरियल की गुणवत्ता मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने पर ही मैटेरियल निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है।

(3) पी.बी., के.एल.डी., के.एच.एम. आदि नहर के टैल के किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(4) के.एल.डी., बी.डी., पी.बी., नहरों के पुनरुद्धार के कार्य, स्वीकृत राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.डी.) की द्वितीय ट्रेंच में सम्मिलित है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, के.जे.डी. नहर के टैल के हालात बहुत खराब हैं प्रश्न एक। दूसरा, यह उत्तर में आया है कि पानी टैल के किसानों को मिल रहा है। हकीकत यह है कि किसानों की शिकायत है, तो क्या मंत्री महोदय किसी चीफ इंजीनियर को भेजकर जांच कराने की मंशा रखते हैं? तीसरा पाइंट, बी.एल.डी. और बी.पी. पर दोनों साइड में बड़े पेड़ हैं, उस वजह से आये दिन जब पानी आता है नहर में तो नहरें टूटती हैं। क्या वन विभाग से मिलकर उन पेड़ों को हटाने की मंशा सरकार रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। के.जे.डी. का जो टैल एण्ड है, इसमें निश्चित रूप से टैल एण्ड पर जो 153 से 180 आर.डी. तक सिल्ट वर्क का हाई रेट आने से अलाट नहीं हो सका था, लेकिन 176 आर.डी. तक पानी बराबर दो दिन तक चला है। इस सम्बन्ध में मैं सीनियर इंजीनियर को वहां भेजकर इस सिल्ट के काम के बारे में समीक्षा कराकर समस्या का निदान करूंगा और इनको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो द्वितीय ट्रेंच का 2020-21 द्वितीय वर्ष में संसाधन उपलब्ध होने पर के.जे.डी. को भी हम प्राथमिकता के आधार पर इसकी सिल्ट निकालने का और इसकी लाइनिंग पक्की कराने का काम हाथ में लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो इन्होंने किया, हालांकि प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इनके पेड़ों की समस्या है। मैं माननीय वन मंत्रीजी को लिखूंगा कि जो पक्के पेड़ हो गये हैं, जो उम्र पार कर गये हैं, उनको अपने विभाग की नीति के अनुसार हटाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. राजकुमार शर्मा।

नवलगढ़ में सीवरेज परियोजना का कार्य

319. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ कस्बे में सीवरेज परियोजना के कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना में क्या-क्या कार्य कराये जाने शेष हैं और अब कब तक उक्त कार्यों को पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परियोजना का कार्य तय समय पर पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं तथा अब कब तक उक्त परियोजना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगरपालिका नवलगढ़ में सीवरेज कार्य हेतु दिनांक 21.03.2016 को 91.80 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया, जिसके विरुद्ध अब तक 38.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के कार्यों की वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना में शेष रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। कार्य पूर्ण करने की सम्भावित दिनांक 31.12.2020 है।

(3) जी हां। उक्त परियोजना में कम्पनी द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। फर्म के स्तर पर कार्य में विलम्ब के कारण आज दिनांक तक रुपये 78 लाख की अंतरिम शास्ति लगाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 187.00 लाख रोके गये हैं, जिसका निर्धारण गुणावगुण के आधार पर अंतिम समयावधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात निस्तारित की जाएगी। उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु सम्भावित तिथि 31.12.2020 है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 को स्वीकृत हुई, 2016 में वर्कआर्डर जारी हुए और 5 बार अवधि बढ़ चुकी है। अब माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 31.12.2020, फिर एक साल बढ़ा दिया गया है। अधिकारी दीर्घा में एक भी यू.डी.एच. से सम्बन्धित अधिकारी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, 2013 में हमारी सरकार ने स्वीकृत की थी और आज 2020 में भी एक साल का समय और ले लिया। आप यह बताइए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं इतना कह सकता हूं कि आपने.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहते नहीं, प्रश्न पूछिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): प्रश्न मेरा सीधा-सीधा है कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है? आपने 87 लाख की कम्पनी के ऊपर पैनल्टी कर दी, क्या वह पैसा रिकवर हो गया या जो अधिकारी जिम्मेदार है, इतने सालों से, कौन दे रहा है? उनको पांच बार अवधि कौन बढ़ा रहा है? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे और इस कम्पनी को आप ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, ताकि कम-से-कम हमारे वहां के लोगों को रिलीफ मिल सके।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात सत्य है कि इसका कार्य 21.03.2016 से प्रारम्भ हुआ था, जबकि यह योजना 2012-13 में बन गयी थी। कार्य पूर्ण करने की जो तिथि थी, वह थी 29.09.2017, यानी 29.09.2017 तक कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया, जिसके कारण भी हैं, कि क्यों नहीं हो पाया। यह जो कुछ भी प्रगति आज दिख रही है, वह इसी एक साल के अन्दर-अन्दर दिख रही है। 2012-13 में स्वीकृत हुई योजना, वह चालू हुई 2016 में, खतम हो जाना चाहिए उसको 2017 में, लेकिन उन दिनों में काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर इसमें जो कांट्रेक्टर है, उस कांट्रेक्टर के खिलाफ, मैंने जैसा पहले बता दिया था कि 78 लाख रुपये, जो उसके जब्त कर लिए और एक करोड़ 80 लाख रुपये उसके रोक रखे हैं। अब सवाल यह रहता है कि कारण क्या थे जिसकी वजह से यह देरी हुई? देरी होने के कारण मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तीन एस.टी.पी. बनने थे। दो एस.टी.पी. तो एक-एक एम.एल.डी. के थे और एक एस.टी.पी. 3 एम.एल.डी. का था। जो एक एम.एल.डी. का एस.टी.पी. था, उसमें प्रस्तावित भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण और मोहल्लेवासियों के घोर विरोध के कारण वह प्रारम्भ ही नहीं हो सका। 21 माह के बाद में उसको

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वैकल्पिक जमीन मिली, तब जाकर 2017 में वह काम शुरू किया गया। इसी तरीके से मण्डी गेट पर जो पम्पिंग स्टेशन था, उसमें भी भूमि में पानी भरा हुआ था। जिला प्रशासन के द्वारा नगरपालिका को भूमि का डिमार्केशन देरी से किया गया। वह भी 2016 में जाकर उपलब्ध हुआ।

तीसरा जो एस.टी.पी. है 3 एम.एल.डी. का, वह प्रस्तावित जमीन जोहड़ भूमि होने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा आबंटित ही नहीं की गयी। वैकल्पिक भूमि बस-स्टैण्ड के पास में मिली, वह 2018 में मिली। अब फर्म के स्तर पर जो प्रगति धीमी हुई, इसमें निश्चित तौर पर इसकी जांच करवा ली जाएगी कि कोई आर.यू.आई.डी.पी. का या जो भी अधिकारी है, क्योंकि यह प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है नगरपालिका के द्वारा, नगरपालिका का कोई अधिकारी या और कोई अधिकारी डिले में अगर शामिल है या डिले का अपराधी है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक सवाल प्रगति का है, आपने प्रगति का भी पूछा है न। सीवरेज लाइन कुल मिलाकर 88.66 किलोमीटर बिछानी चाहिए थी, उस पर 82.64 किलोमीटर बिछा दी गयी। मैन होल इसमें 6,600 लगने थे, उसके बजाय 2,884 लग गये। एस.टी.पी. जो तीनों हैं, एस.टी.पी. एक का काम जो एक एम.एल.डी. का है, उसका 98 प्रतिशत पूरा हो गया है, 3 एम.एल.डी. का 95 प्रतिशत पूरा हो गया और एक एम.एल.डी. का सिर्फ 5 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है, क्योंकि उसमें जमीन का विवाद था। इसी तरीके से आप पम्पिंग स्टेशनों को ले लें तो एक 1.83 एम.एल.डी. का जो पम्पिंग स्टेशन था उसकी भी 90 परसेंट प्रगति हो चुकी है और एस.पी.एस. का कार्य 20 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

अब सवाल यह रहता है कि शेष काम, तो शेष काम के लिए हमने खूब, हर तरह से प्रयत्न कर लिए लेकिन नतीजा यह ही निकलता है कि, साहब, 31.12.2020 तक ये पूरी नहीं हो पाएंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, राजस्थान में जितने सीवरेज के प्रोजेक्ट हैं उन सीवरेज के प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन नहीं होने से सैंक्शन होने के बाद भी काम कमप्लीट नहीं होता है, ये सारे राजस्थान में स्थिति है। क्या सरकार यह निर्णय करेगी कि पहले लैंड एक्विजिशन करेंगे, उसके बाद सीवरेज की सैंक्शन करेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह सही है, साहब, जितने भी सीवरेज के कार्य

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा करवाये जाते हैं या रूडसिको के द्वारा करवाये जाते हैं या किसी एजेंसी के मार्फत करवाये जाते हैं, चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे यू.आई.टी. हो, चाहे नगर निगम हो या नगरपालिकाएं हों, नगर परिषदें हों, उनको हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि पहले जमीन की तलाश कर लो, सैंक्शन तब होगा।

अभी भी आर.यू.आई.डी.पी. के, जो फोर्थ फेज है, उसके 42 शहरों में सीवरेज का काम चालू किया गया है, उसमें से अभी तक जितने भी टेंडर हुए हैं 2019 से लेकर के 2020 तक, उनमें पहले ये शर्तें रख दी गयी हैं कि लैंड आइडेंटिफाई करो तब जाकर के 'ए' एण्ड 'एफ' निकलेगी।

आपने जो सवाल किया है उसका जवाब यह ही है कि इस मामले में हम पूरे सचेत हैं कि पहले जमीन होनी चाहिए वरना जमीन के डिसप्यूट में ही दो-दो, चार-चार साल लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर स्थित गुरू जसनाथ जी महाराज मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

320. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में गुरू जसनाथ जी महाराज व मां कालन्दे मंदिर कर्तारयासर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन बार पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुका हूं और चौथी बार फिर कर रहा हूं।

पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

मैं माननीय सदस्य से यह भी कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सुझाव हैं, जो आपने इन मंदिरों के बारे में दिये हैं और इन स्थलों के बारे में दिये हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि जिस स्थान का मैंने जिक्र किया है, कर्तारयासर गांव, जहां पर गुरू महाराज जसनाथजी व मां कालन्दे का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर शुभारम्भ कार्य, जब काम शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी आयीं और कार्य पूर्ण होने पर तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत आये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मेरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा कि ये न सिर्फ धार्मिक स्थल हैं बल्कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यहां पर ऊंट उत्सव का 1995 से 2007 तक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें आप।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): यह ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कहां है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 1995 से 2007 तक ऊंट उत्सव का आयोजन हो रहा था...

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल घोषित करने की नीति नहीं है, प्रश्न क्या है?

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): अन्तरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव के रूप में यह पर्यटक स्थल था जहां पर 2007 को ऊंट उत्सव बंद कर दिया गया, 12 साल ऊंट उत्सव जो कार्यक्रम दो दिन बीकानेर के इस कर्तारयासर गांव में होता था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। वह कह रहे हैं, सरकार कह रही है, प्लीज माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकार कह रही है पर्यटक स्थल की नीति है ही नहीं और आप उसमें बहस कर रहे हैं।

अगला प्रश्न। श्री रूपा राम।

नागौर में स्थित ग्रामदानी ग्राम

321. श्री रूपा राम (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रूपा राम)

(1) जिला नागौर में कुल कितने ग्रामदानी ग्राम हैं एवं उक्त में कितनी-कितनी कृषि भूमि निहित है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामदानी ग्रामों में प्रशासनिक नियंत्रण किसके क्षेत्राधिकार में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रामदानी ग्रामों में ग्रामदानी अध्यक्ष, तहसीलदार व सम्बन्धित पटवारी की क्या-क्या भूमिका होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) नागौर जिले में कुल 10 ग्रामदानी ग्राम हैं। ग्रामवार कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री रूपा राम (मकराना): जवाब को तो सही मानता हूं।

अध्यक्ष: उत्तर सही मानते हैं, सैटिस्फाइड हैं?

श्री रूपा राम (मकराना): मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं, जवाब को सही मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पहले खड़े हो रहे हैं। आप मंत्री को सुनना ही नहीं चाहते, तो अगला लें? मंत्री जवाब दे रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री):

क्र.सं.	**नाम ग्राम व तहसील**	**कृषि भूमि (है. में)**
1.	श्री कृष्णपुरा (लाडनूं)	311.7889
2.	भामास (लाडनूं)	1445.1052
3.	त्रिलोकपुरा (लाडनूं)	अलग से राजस्व ग्राम सृजित नहीं है। त्रिलोकपुरा राजस्व ग्राम तंवरा में स्थित है।
4.	श्री रघुनाथपुरा (डीडवाना)	217
5.	रायसिंहपुरा (डीडवाना)	750

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो सदन पटल पर रखना है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, परिशिष्ट को सदन पटल पर रख दिया गया है। डिटेल बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री):

(श्री हरीश चौधरी)

6.	सुखवासी (नागौर)	918
7.	पीथेलाव (मूण्डवा)	663.21
8.	कालवा छोटावास (मकराना)	928.8695
9.	चावण्डिया (मकराना)	553.7846
10.	बांसडा (मकराना)	188.7691

(2) उक्त ग्रामदानी ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण तहसीलदार/ग्रामदानी ग्राम के अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है। विधान सभा/क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	**ग्राम**	**विधान सभा क्षेत्र**	**प्रशासनिक नियंत्रण**
1.	श्रीकृष्णपुरा	लाडनूं	अध्यक्ष
2.	भामास	लाडनूं	तहसीलदार
3.	त्रिलाकपुरा	लाडनूं	अध्यक्ष
4.	श्री रघुनाथपुरा	डीडवाना	अध्यक्ष
5.	रायसिंहपुरा	डीडवाना	अध्यक्ष
6.	सुखवासी	नागौर	अध्यक्ष
7.	पीथोलाव	नागौर	अध्यक्ष
8.	कालवा छोटावास	मकराना	तहसीलदार
9.	चावण्डिया	मकराना	अध्यक्ष
10.	बांसडा	मकराना	अध्यक्ष

नियुक्ति आदेशों की प्रति परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

(3) ग्रामदानी ग्राम में ग्रामसभा अध्यक्षों को राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 के नियम 13 एवं 13(क) के अनुसार अधिकार प्राप्त है। नियम 13 एवं 13(क) का अविकल पाठ संलग्न है। तहसीलदार एवं पटवारी की क्या-क्या भूमिका है, उसका उल्लेख ग्रामदान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित नहीं है। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 47 के अनुसरण में राज्य सरकार तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करती है तो प्रशासक के नाते तहसीलदार को समस्त अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। नियम 13 एवं 13(क) एवं धारा 47 की प्रति परिशिष्ट “ब” पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रूपा राम (मकराना): ग्रामदानी चावण्डिया के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2015 से जनवरी, 2020 तक कितनी जमीन खसरों की रजिस्ट्री व नामांतरण किये गये तथा उक्त अवधि में कितनी जमीन किस-किस संस्था को आबंटित की गयी?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के अन्दर इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं मांगी गयी है। इसलिए अभी तो मेरे पास यह सूचना मौजूद नहीं है, मैं आपको यह सूचना भिजवा दूंगा।

श्री रूपा राम (मकराना): ग्रामदानी चावण्डिया में कितने मामले राजस्व न्यायालय में लम्बित हैं?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): इस संदर्भ में भी सूचना इस प्रश्न द्वारा नहीं मांगी गयी है और यह सूचना भी मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 30 सैकिण्ड या 45 सैकिण्ड आपसे चाहता हूं।

आपके नियम पालना के सख्त रवैये से हम विधायकों को फायदा हुआ है कि ज्यादातर विधायकों के क्वेश्चन लग जाते हैं। कुछ लोगों को बैठिये या प्रश्न पूछिये...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल में यह नहीं, बैठें आप।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल में अध्यक्ष की व्यवस्था में चर्चा नहीं होती।

माननीय मंत्री जी, इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका आप लिखित में उनको जवाब भिजवा दें।

अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

सांगोद में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

322. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत एक वर्ष में राशन डीलरों के विरुद्ध प्रदेश में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विगत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कुल कितने राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(3) क्या सरकार राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को रोकने व व्यवस्था में सुधार हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से राशन वितरण करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में गोदामों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का उपयोग राशन वितरण के कार्य में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विगत एक वर्ष में प्रदेश में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विगत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सांगोद में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उचित मूल्य दुकान आबंटन नीति दिनांक 17.03.2016 में ग्राम पंचायत को दुकान आबंटन में प्रथम वरीयता दी गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन करने पर प्राथमिकता से बिना साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाये दुकान आबंटन के निर्देश जारी किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्रम संख्या तीन में त्रुटिवश एक ही आवेदन प्राप्त होने की दशा में है।

(4) ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची एक के पैरा संख्या 4(1)IV के उप बिन्दु संख्या (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भण्डारण संरचनाओं का संनिर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों एवं उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित खाद्यान्न भण्डारण संरचनाओं को उनके द्वारा राशन वितरण हेतु आवेदन करने पर स्थान की उपयुक्तता के आधार पर उपयोग में लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा खण्ड एक में जो उत्तर प्रदान हुआ है कि प्रदेश में 2389 प्रकरण गत एक वर्ष में दर्ज हुए हैं। दूसरे खण्ड में इन्होंने

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जो उत्तर दिया है उसमें चार प्रकरण सांगोद में, जो मेरे ही द्वारा शिकायत की गयी थीं, उस पर कार्यवाही की गयी।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि कोटा जिले में 63 शिकायतें दर्ज हुई हैं कोटा में कितने पद स्वीकृत हैं? क्या यह सही है कि डीएसओ की दो पोस्ट स्वीकृत हैं, एक रूरल में और एक शहर में, जिसमें से एक पोस्ट वेकेंट है? एन्फोर्समेंट आफिसर की तीन पोस्ट स्वीकृत हैं, दो भरी हुई हैं और एक वेकेंट है और जो दो भरी हुई है उसमें 2015 से आपने एक अधिकारी को डैपुटेशन पर लगा रखा है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की 12 पोस्ट्स हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): सैंक्शंड पोस्ट्स 12 हैं, कार्यरत 4 हैं और 8 वेकेंट हैं पिछले पांच साल से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): प्रश्न यह है कि कब तक भर दिये जाएंगे और इनके खाली रहने तक क्या सम्भव है कि विभाग अपना काम सही प्रकार से संचालित कर सकता है? दूसरा प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है बिलकुल सही है, पद रिक्त हैं। हमने आर.पी.एस.सी. को भेज रखा है। हमने आरपीएससी को लिखा है और जैसे ही उपलब्धता होगी, लगाए जाएंगे। कुछ हमें अभी नए डीएसओ भी मिले थे, ईआईओ भी मिले थे, ईओ भी मिले थे। हमने जहां-जहां व्यवस्था हो सकती थी, वहां ज्यादा से ज्यादा पद भरे हैं। आगे जैसे ही हमें पद मिलेंगे तो भर देंगे। विभाग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को निवेदन करेंगे तो शीघ्र ही पदों को भरा जाएगा। संचालन की पूरी व्यवस्था, मोनिटरिंग हम कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये पद रिक्त हैं, उसी को देखते हुए मैंने दूसरा प्रश्न किया था। आबंटन नीति 17.03.2016, जिसको 4 साल पूरे होने को हैं, उसमें विभाग की जानकारी के अनुसार पहला अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने नीति तो बनायी, लेकिन क्या पंचायत समिति, जिला परिषद्, पंचायतों को इस नीति की जानकारी भी है? सरकार ने गोदाम बनाये हैं ताकि वहां पर खाद्य सामग्री का वितरण हो।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि 295 के तहत भी मैंने यह ध्यान दिलाया था। सरकार ने इतने गोदाम बनाये और व्यवस्था की। आपके पास इंस्पैक्टर नहीं, पूरी व्यवस्था नहीं। क्या व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आप इसमें सुधार करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है, खाद्य गोदामों का उपयोग करने के लिए अगर कोई डीलर तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अभी तक जो खाद्य गोदाम बने हैं, उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं हुए हैं। काफी जगह बन नहीं पाये हैं। इनके यहां भी करीब 11 ही खाद्य गोदामों का निर्माण हो पाया है। माननीय सदस्य जो पंचायतों वाली बात कर रहे हैं कि पंचायतों को आप दुकानें देंगे या नहीं देंगे? प्रथम वरीयता में अगर पंचायतें आवेदन करती हैं तो एक प्रक्रिया है जो 17.03.2016, दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया है, उसके तहत हम आवेदन करते हैं। यदि उसमें प्रथम वरीयता में कोई नहीं आता है, प्रथम वरीयता में पंचायत ही रहती है, जैसे महिला समूह है या जीएसएस है, तो हम प्रथम वरीयता में बिना साक्षात्कार के ग्राम पंचायतों को दे सकते हैं। यदि उसमे 2 या 3 अन्य आएंगे तो फिर जो पुराना पैटर्न है, उसी को लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, उनका प्रश्न यह है कि क्या पंचायत को इन्वाल्व करने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे? पंचायत को आप देना चाहते हैं। आपकी नीति है। भण्डारण बन रहे हैं तो क्या पंचायत को जानकारी है कि हमें यह काम करना है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन यह है कि उपयुक्तता, जैसे खाद्य गोदाम गांव से बाहर बने हैं। वहां पर फोर व्हीलर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? वहां पर डीलर उस दुकान को लेना चाहेगा? अगर ग्राम पंचायत लेना चाहेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां की पब्लिक क्या चाहती है? उसके इंट्रेस्ट में क्या है? वह उपयुक्तता हमें देखनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा के विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

323. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में संचालित कितने विद्यालयों में उर्दू विषय खोला गया है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उर्दू अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद अब कब तक भर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में विद्यार्थी होने के उपरान्त भी विद्यालय में उर्दू विषय न होने के कारण अध्यापकों द्वारा दूसरे विषयों का शिक्षण कार्य किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में उर्दू विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) माध्यमिक शिक्षा। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा, जिला टोंक में उर्दू विषय संचालित राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है:-

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनियारा
3. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़
4. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनियारा

प्रारम्भिक शिक्षा। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत उर्दू विषय का एक विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भानपुरा संचालित है।

(2) माध्यमिक शिक्षा। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा, टोंक, में संचालित प्रश्नोत्तर के खण्ड “1” में उल्लेखित उर्दू विषय वाले राजकीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

नाम विद्यालय	**व्याख्याता ग्रेड-1**		**वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-2**		**अध्यापक ग्रेड-3**	
	स्वीकृत	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**रिक्त**
राउमावि, अलीगढ़	1	0	0	0	0	0
राउमावि, उनियारा	1	0	0	0	0	0
राजकीय बालिका उमावि, अलीगढ	1	0	1	0	0	0
राजकीय बालिका उमावि, उनियारा	1	0	0	0	0	0

उक्त विवरणानुसार वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) में उर्दू विषय अध्यापक का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

प्रारम्भिक शिक्षा। देवली उनियारा में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भानपुरा में उर्दू अध्यापक का एक पद (अध्यापक, लेवल-2) स्वीकृत है, जिस पर मोहम्मद सईद, अध्यापक (लेवल-2) कार्यरत है। कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(3) माध्यमिक शिक्षा। जी नहीं, अपितु विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा, जिला टोक के समस्त राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत विषयों के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत हैं। बजट घोषणा, वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 96 के अनुसार 200 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय, आवश्यकतानुसार प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उक्त क्षेत्र के विद्यालयों से प्रास्ताव प्राप्त होने पर विभाग को प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ, उपलब्ध करवाये गये वित्तीय प्रावधानों, स्थानीय शैक्षिक आवश्यकता, एसडीएमसी की रिपोर्ट आदि के मद्देनजर रखते हुए समग्र स्थिति का आंकलन किया जाकर अतिरिक्त संकाय/विषय खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में (कक्षा-1 से 8 तक) मांग के अनुसार एवं मानदण्डानुसार अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम/तृतीय भाषा विषय प्रारम्भ करने के अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

दिये गये हैं, आदेश दिनांक 13.12.2014 की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खंड 3 में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम/तृतीय भाषा विषय प्रारम्भ करने के अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को दिये गये हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में जो आदेश निकले हैं, यह फार्मूला 10:40 या तो किसी कक्षा में 10 बच्चे हों या स्कूल में 40 हों तो विषय खोला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसकी सरासर अवहेलना हो रही है। मेरे यहां ऐसे 5 स्कूल हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, देवली जिसमें 63 बच्चियां हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोप, इसमें 84 बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना यह है कि क्या नियमानुसार इन स्कूलों में, जिनमें पात्रता है, यह विषय खोलने का इरादा रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि अल्पसंख्यक भाषा में, विशेषकर उर्दू में जो बच्चे तृतीय भाषा के रूप में पढ़ना चाहते हैं, उनको कम मौका मिल रहा है। यह जो शुरूआत हुई वह 2016 में एलिमेंट्री का स्टाफिंग पैटर्न हुआ, उसके बाद में यह तय किया गया कि अगर कक्षा 6 से 8 में बच्चे संस्कृत के ज्यादा होंगे तो संस्कृत का टीचर होगा। उर्दू के होंगे तो उर्दू का होगा। अगर दूसरी किसी तृतीय भाषा के बच्चे होंगे तो उसका होगा। उसकी वजह से उर्दू के साथ में यह एक तरीके से अन्याय हुआ। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी 2-3 मीटिंगें इस सम्बन्ध में ली हैं कि हम कैसे उर्दू भाषा के बच्चों को पढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दे सकें। इसके लिए इस स्टाफिंग पैटर्न की हम पुन: समीक्षा कराएंगे। हमारी सरकार यह चाहती है कि अगर कक्षा 6 से 8 में 10 बच्चे 3 साल से लगातार हैं, तो वहां पर हम स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करके उर्दू का विषय या तृतीय भाषा में दूसरा विषय देने का काम करेंगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा में 300 और 200 विषय और फैकल्टी, संकाय देने के बारे में हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का यही सोच है कि जहां उर्दू या किसी अन्य तृतीय भाषा को बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वैकल्पिक रूप से माध्यमिक शिक्षा में, उनको मौका मिलना चाहिए।

मैं सदन को और सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा की है इसका परीक्षण हम करवाएंगे। आपके जो प्रस्ताव आएंगे, वहां की एस.डी.एम.सी. से प्रस्ताव आएंगे, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ अनुरोध यह है कि जो स्कूल पात्र हैं, वहां मंत्री महोदय उर्दू विषय खोलेंगे या नहीं खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: कह दिया न, खोलेंगे।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): कह रहे हैं कि परीक्षण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, खोलेंगे। आप बैठें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): घोषणा ही इतने सालों बाद इसलिए की गयी है कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मौका मिल सके। दूसरे विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को मौका मिल सके। एस.डी.एम.सी. से प्रस्ताव आएगा, निश्चित रूप से खोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2020)

सरकारी नौकरियों की भर्ती में खिलाड़ियों को बोनस अंक

206. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुलिस व अन्य विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्राथमिकता व बोनस अंक का प्रावधान नहीं किया जा रहा है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जबकि ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ये लाभ दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में बोनस अंक दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन विभागों में किस स्तर के खिलाड़ियों को? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं एवं ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समान अवसर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुलिस विभाग में प्राथमिकता व बोनस अंक नहीं दिये जाते हैं। अपितु राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1989 के प्रावधानानुसार उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर पद पर भर्ती किये जानें हेतु कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तथा कांस्टेबल पद की कुल रिक्तियों के 2 प्रतिशत पदों पर खेल कोटा के अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान है। (परिशिष्ट "क")

राजस्थान संस्कृत शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षक ग्रेड ।।। एवं ।। की सीधी भर्ती के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिये जाने का प्रावधान है। (क्रमश: परिशिष्ट ''ख'' एवं परिशिष्ट ''ग'')

राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों (अर्थात् ग्रेड पे 3600 तक) की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (परिशिष्ट ''घ'')

(2) राजस्थान संस्कृत शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षक ग्रेड ।।। एवं ।। की सीधी भर्ती के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिये जाने का प्रावधान है। (परिशिष्ट ''क'' एव परिशिष्ट ''ख'')

(3) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या राज्य सरकार समस्त विभागों के अधीनस्थ सेवाओं में क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि सरकार द्वारा आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं हेतु दो परसेंट कोटा तो मिलेगा ही मिलेगा परन्तु उनको जैसा आपको तीसरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपने खण्ड दो में उत्तर दिया है कि बाहर वालों को अंक दिये जाने का प्रावधान है, तो अधीनस्थ के अन्दर आते हैं, उसके अधीन उनको देंगे या नहीं देंगे? दूसरा प्रश्न मैं करना चाहती हूं कि राज्य सरकार की अधीनस्थ सेवाओं में परिक्षेत्र के भीतर के पदों यानी ग्रेड पे 3600 के ऊपर के पदों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दो प्रतिशत कोटा देने का विचार रखते हैं तो इसी तरह से उनके अधीनस्थ, यानी जो अधीन आते हैं, उनको देने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 3600 ग्रेड पे तक दो प्रतिशत आरक्षण है। जहां तक आपने अधीनस्थ सेवाओं का और संस्कृत सेवाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि उनमें बोनस अंक दिये जाते हैं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को चालीस, राष्ट्रीय विजेता को इसमें चालीस अंक, राष्टीय प्रतियोगिताओं में जो सैकिण्ड आते हैं उनको छत्तीस और जो थर्ड आते हैं उनको बत्तीस; राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया, राज्य विजेता को अट्ठाइस, राज्य स्तर सैकिण्ड को चौबीस, राज्य स्तर थर्ड पर बीस, इस तरीके के प्रावधान किये गये हैं, 3600 ग्रेड पे तक सबको दो प्रतिशत आरक्षण है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपने संस्कृत विभाग का दिया है, अन्य विभागों में देने का विचार है या नहीं है? नहीं है तो 2019-20 में कितने-कितने खिलाड़ियों को इसका लाभ दिया गया?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक आदेश निकला है, 21 नवम्बर, 2019 को, इसमें स्केल 3600 तक की भर्ती में राजस्थान राज्य ओपन खेलकूद प्रतियोगिताएं, जो राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनमें विजेता रहकर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र माना गया है। अर्थात् उन्हें आरक्षण के माध्यम से प्राथमिकता दी जा रही है। यह संशोधित प्रावधान दिनांक 21.11.2019 को लागू किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षा में प्रोविजन है, क्या ऐसा प्रोविजन और सेवाओं में भी करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वह मैंने कहा कि अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह।

मासलपुर (करौली) में महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

324. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला करौली के तहसील मुख्यालय मासलपुर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लाखन सिंह (करौली): थैंक यू, सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसीराम।

गुड़-शक्कर-घी से मण्डी शुल्क हटाने की कार्ययोजना

325. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शक्कर, बूरा, गुड़, घी, तेल आदि पर मण्डी शुल्क लिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से किन दरों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य की सीमा से सटे अन्य राज्यों में शक्कर, बूरा, गुड़ व घी पर मण्डी शुल्क नहीं लिए जाने से प्रदेश के गुड़, घी, शक्कर का व्यापार प्रभावित हो रहा है?

(3) क्या सरकार प्रदेश में गुड़, घी, शक्कर के कारोबार को बढ़ावा देने तथा उक्त के व्यापारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए मण्डी शुल्क को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) (कृषि विपणन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। राज्य में चीनी

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(शक्कर), ब्रेकिट में 'शक्कर' लिखा है मैंने। बूरा, गुड़ एवं घी अधिसूचित कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल होने से इन जिन्सों पर मण्डी शुल्क लिया जाना प्रावधित है। तेल अधिसूचित कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल नहीं होने से तेल पर मण्डी शुल्क लिया जाना प्रावधित नहीं है। चीनी, गुड़ एवं घी पर मण्डी शुल्क राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 के लागू होने की दिनांक 24.11.1961 से लिया जाना प्रावधित है। बूरे पर मण्डी शुल्क दिनांक 24.09.1986 से लिया जाना प्रावधित किया गया है। चीनी, बूरा, गुड़ एवं घी पर मण्डी शुल्क की दर 1.60 रुपये प्रति सैकड़ा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। गुड़, घी एवं चीनी से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली आय राज्य में मण्डी शुल्क से प्राप्त होने वाली कुल आय का लगभग 13 प्रतिशत होती है। मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का उपयोग राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी समितियों के संचालन, मण्डी प्रांगणों के विकास व संचालन, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना विकसित करने एवं कृषकों, मजदूरों व हम्मालों आदि के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन करने में किया जाता है, उक्त कार्यों के लिए राज्य सरकार के बजट से मण्डी समितियों को कोई राशि प्राप्त नहीं होती है। अत: कृषकों, व्यापारियों, मजदूर, हम्मालों तथा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए गुड़, घी, चीनी के कारोबार से मण्डी शुल्क समाप्त किया जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि आपने खण्ड एक में बताया राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के लागू होने की दिनांक 24.11.1961, जो बताया है, शक्कर और गुड़ बाहर से आता है और इस पर आपने बताया कि 1.60 रुपये प्रति सैकड़ा, 50 से 60 रुपये इसमें प्रति क्विंटल लागत लगती है। गुड़ और शक्कर कोल्हापुर से आता है। खण्ड 2 में बताया है, जी नहीं। राजस्थान, राजस्थान राज्य की सीमा से सटे अन्य राज्यों में इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मामला तो है, लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र रेवदर, जो आबू एरिया है और गुजरात से लगता हुआ एरिया है। गुजरात में यह मण्डी टैक्स नहीं है। क्या मंत्री महोदय, राजस्थान में भी इस प्रकार से मण्डी टैक्स को हटाने का विचार रखते हैं, यदि हां तो कब तक?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुजरात की बात है, यहां जो मण्डी टैक्स लगता है, वह सारी मण्डियों के ऊपर लगता है। गुजरात में तो हर मण्डी का टैक्स अलग है। रेवदर के पास में कोई मण्डी होगी गुजरात में, वहां कम होगा। बाकी अदरवाइज देखा जाये तो गुजरात में ज्यादा टैक्स है बनिस्पत राजस्थान के। रहा सवाल इस बात का, मैंने यह भी दरियाफ्त करवाया कि आया हरियाणा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) सुनना नहीं है मंत्रीजी को तो मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आया हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, सब जगह का मैंने मालूम करवाया है। नतीजा यह निकला कि राजस्थान का टैक्स करीब-करीब या तो उनके बराबर है, बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में तो हमसे भी ज्यादा है। सवाल इस बात का आता है कि टैक्स ज्यादा ...(व्यवधान) आप विराजिये, पहले मेरा जवाब सुन लीजिये।

आपका कुल मिलाकर कहना यह है कि टैक्स यहां पर ज्यादा है, इसलिए आमदनी कम होती है और जिस क्विंटल में आवक कम होती है, मैं आपको फिगर देना चाहता हूं। देखिये मंदी का समय है, गिरावट सब जगह है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह गिरावट है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि दूसरे स्टेट में गिरावट है, उतनी राजस्थान में नहीं है। जिस क्विंटल से यह आता है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 से लगाकर कुल मिलाकर अगर बढ़त हुई है आवक की तो 18.10 परसेंट की वृद्धि हुई है। 2017-18 में वृद्धि हुई है वह 26.34 परसेंट की वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद में कमी है, कमी हुई तो 1.22 की कमी हो गयी सारे में कुल मिलाकर, क्योंकि हर बिजनेस इफेक्ट हुआ है मंदी से, इससे यह भी इफेक्ट हुआ है। जहां तक आमदनी का सवाल है, आप कहते हैं आमदनी क्या है, विकास शुल्क का मैं बता रहा हूं। मैं दूसरे स्टेट का बता रहा हूं, राजस्थान में तो 1.60 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2.50 है, मध्य प्रदेश में 2.0 है, हरियाणा में 4.0, पंजाब में 4.0 है और गुजरात में तो मैंने आपको बता दिया कि हर मण्डी का अलग-अलग है। (व्यवधान) सूखा चारा, हरा चारा, फल-सब्जी, काजू, चावल, कपास वगैरह सब पर टैक्स है, लेकिन राजस्थान में उन पर किसी पर टैक्स

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं लिया जाता। आमदनी का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बता दिया, गिरावट तो आयी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जैसे आपकी 2018-19 में 44 करोड़ 62 लाख रुपये की आमदनी हुई, सब मिलाकर चीनी में और घी में हुई 36.33, गुड़ में हुई 6.11, जो कुल मिलाकर के योग आया 87, अभी तक, जब पिछले साल का 87 करोड़ था तो इस साल जो आया है, वह 74.21 तो जनवरी तक आ गया। अभी तो फरवरी और मार्च बाकी हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं, इससे राजस्व आय कितनी हो रही है? नम्बर दो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जनरल पर जा रहे हैं, रेवदर का पूछा, रेवदर पर ही रहें।

श्री जगसी राम (रेवदर): नहीं साहब, राजस्थान का ही बताया मैंने।

श्री अध्यक्ष: आपने क्या बताया, आपका प्रश्न रेवदर का है। माननीय सदस्य, बैठें। सीधा प्रश्न है, टैक्स में अन्तर के कारण कोई नुकसान हो रहा है क्या?

श्री जगसी राम (रेवदर): मेरा तीसरा खण्ड जो है, इसमें राजस्थान से गुजरात का जो टैक्स नहीं लगने से यहां का व्यापार प्रभावित हो रहा है। आपने तीसरे खण्ड में बताया कि यहां पर कृषकों, मजदूरों और हम्मालों के लिए, जो बताया है, तो यहां पर जो मण्डी टैक्स के माध्यम से, मैं मेरे क्षेत्र का भी जानना चाहूं तो इनका उपयोग कहां हो रहा है, यह बताएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके क्षेत्र की अलग से तो कोई जानकारी मांगी नहीं आपने। आपने तो प्रदेश की मांगी है।

श्री जगसी राम (रेवदर): प्रदेश की तो बता दें, साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मैं प्रदेश की बता रहा हूं। मण्डी प्रांगण विकास कार्यों के लिए 255.42 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। सम्पर्क सड़क हेतु 168.01 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गयीं। मण्डी समितियों के संस्थापन पर व्यय जो हुआ, वह 391 करोड़ रुपये हुए। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में प्रदत्त सहायता राशि 30.40 करोड़ रुपये हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना में प्रदत्त सहायता राशि 7.18 करोड़ रुपये हुई और किसान कलेवा योजना में व्यय किये गये 2.15 करोड़ रुपये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ये सब चीजें जो हैं, जैसा आपने पूछा कि साहब, कितने प्रतिशत की जरूरत है, राज्य में मण्डी शुल्क से प्राप्त होने वाली कुल आय का 13 परसेंट इन चीजों पर खर्च होता है। जो आपने पूछा, घी, गुड़, शक्कर वगैरह-वगैरह, जो भी था, उन पर 13 परसेंट होता है। सवाल यह रहता है कि यह पैसा किसके लिए खर्च होता है? मैंने आपको बता दिया कि इन-इन चीजों के अलावा भी कृषकों, मजदूरों, हम्मालों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन भी इसके द्वारा ही किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिर्राज सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नहीं माननीय कटारिया जी, बस हो गया। दस मिनट हो गये। अगला प्रश्न।

पंचायत सहायकों के वेतन में वृद्धि की कार्ययोजना

326. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायक विगत कई वर्षों से ग्राम पंचायतों में अल्प मानदेय में अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं? यदि हां तो क्या सरकार उक्त के वेतन में वृद्धि कर कार्यकाल बढ़ाये जाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा) (पंचायती राज मंत्री के स्थान पर): ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायक का नियमित सेवा का पद नहीं है, अपितु अनुबन्ध आधारित सेवा है, जिसके लिए इन्हें नियत 6 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है।

ग्राम पंचायत सहायकों के नियत मानदेय में वृद्धि करने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के पश्चात एक वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही वर्तमान में पंचायती राज विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक करेंगे, एक तो उसकी कोई तारीख होनी चाहिए। दूसरा, नरेगा में भी इन्हें मानदेय 213 रुपये रोजाना मिलता है। मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इसमें भी थोड़ा-बहुत बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य। प्रश्न पूछें आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि क्या इन्हें स्थायी करने का सरकार कोई विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि क्या इनके मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मैंने स्पष्ट कह दिया कि एक साल का कर दिया गया है और आगामी साल के लिए प्रक्रियाधीन है। बिलकुल हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): प्रश्न का जो पहला भाग है, इसको आप देखें 'क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायक विगत कई वर्षों से ग्राम पंचायत में अल्प वेतन पर हैं'', कितने समय से ये लोग काम कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने बीज बोया, वह पूछ रहा है, पेड़ किसका लगेगा, कैसा पेड़ होगा? आपने इन्हें मानदेय पर रखने की यह गलत परम्परा चालू ही क्यों की? अपने वोटों की फसल काटने के लिए आपने अन्याय कर दिया इनके साथ और हम से पूछ रहे हैं अब?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): मुझे यह नहीं है कि किसने किया किसने नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं कि कब से ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमने किया हो या किसी और ने, प्रश्न का जो पहला भाग है- ''क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायक विगत कई वर्षों से...'', इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं, कितने वर्षों से?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2017 की पालना में आपके समय में मानदेय के ऊपर 6 हजार रुपये में पंचायत सहायक नियुक्त हुए हैं और कितने किये आपने, आप वह पूछें तो मैं वह बता दूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस हो गयी बात।

प्रश्न संख्या 327

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

जयपुर विकास प्राधिकरण के जन सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

328. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में जनसम्पर्क पोर्टल के माध्यम से आने वाली जन समस्याओं व शिकायतों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है? यदि हां तो कितनी? निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जुलाई, 2019 से 31 अगस्त, 2019 तक जयपुर विकास प्राधिकरण में मानसरोवर क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण की कितनी शिकायतें जनसम्पर्क पोर्टल से प्राप्त हुई हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितनी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है तथा कितनी शिकायतों का निस्तारण अब तक किन कारणों से नहीं किया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से जिन समस्याओं का निस्तारण कर पोर्टल पर समाप्त कर दिया गया है, उनमें से कितनी समस्याओं के निस्तारण पर परिवादी (शिकायतकर्ता) ने असंतुष्ट होकर शिकायत पर पुन: विचार करने अथवा शिकायत को माननीय मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचाने का आग्रह किया है? सरकार द्वारा उक्त परिवेदनाओं पर क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निर्धारित समयावधि में परिवेदनाओं पर उचित कार्यवाही कर निस्तारण कर परिवादी को संतुष्ट करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। राजस्थान जन सम्पर्क पोर्टल के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक: प.5(64)नविवि/सम्पर्क राज./2016/पार्ट-2, दिनांक 28.07.2017 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मानसरोवर क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(3) मानसरोवर क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) मानसरोवर क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(5) निर्धारित समयावधि में समस्याओं/शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ नियमानुसार विधि सम्मत रूप से किया जाता है। निर्धारित समयावधि में समस्याओं का निस्तारण करने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक: प.5(64)नविवि/सम्पर्क राज./2016/पार्ट-2, दिनांक 28.07.2017 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब गलत है कि हाउसिंग बोर्ड में मानसरोवर में काटा था, नगर निगम के क्षेत्राधिकार में, परन्तु वहां 15-20 कालोनियां हैं- गायत्री नगर विस्तार, गणपति नगर, ग्रीन वैली, बारदेवरी, झालाना चौक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, ये अनअप्रूव्ड हैं, इनकी समस्या का समाधान न तो जेडीए कराये, न नगर निगम कराये, ये एक फुटबाल-सी बन रही हैं। जेडीए इन कालोनियों में रह रहे लोगों की ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण करना चाहता है या नहीं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मानसरोवर नाम की कोई कालोनी अगर है तो वह हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनायी गयी थी। जब वह पूरी डवलप हो गयी तो उसे नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण से उसका कोई लेना-देना नहीं है। माननीय सदस्य ने पूछा कि ये फलां-फलां कालोनियां हैं, वे जो कालोनियां हैं, वे मानसरोवर क्षेत्र में नहीं हैं। वे तो अनअप्रूव्ड हैं, यानी कि वे एग्रीकल्चरल लैण्ड पर बनी हुई हैं, जिसका ले-आउट प्लान पास नहीं हुआ, जिसका बिल्डिंग प्लान पास नहीं हुआ, जिसका 90-ए नहीं हुआ। उन चीजों के बाबत आप पूछ रहे हैं।

जहां तक सवाल इस बात का है कि आपने जो मुझसे पूछा, यह मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपकी बात का सही जवाब दूं। मैं देने को भी तैयार हूं। चाहे यह नगर निगम क्षेत्र में है, आपने सवाल जे.डी.ए. का नाम लेकर पूछा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका जवाब देने को तैयार हूं कि मानसरोवर क्षेत्र जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है। नगर निगम जयपुर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के मानसरोवर क्षेत्र में इस अवधि के दौरान अवैध निर्माण की 17 शिकायतें, पोर्टल की बात कह रहा हूं मैं आपसे, ओनली पोर्टल, यह नहीं कि, साहब, दरख्वास्त मेरे पास आयी और मैंने वहां भेज दी या खुद जाकर के उसने अपने आप दे दी, वह नहीं कह रहा।

नगर निगम जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में इस अवधि के दौरान अवैध निर्माण की 17 शिकायतें और अतिक्रमण की 20 शिकायतें प्राप्त हुईं। उपरोक्त सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। पोर्टल में निस्तारण से शेष कोई भी शिकायत नहीं है। आप पोर्टल खोलकर देख सकते हैं। अतिक्रमण के कुल 20 मामले आये। 20 मामलों में से एक मामले में विवरण अस्पष्ट होने से कार्यवाही नहीं की जा सकी और शेष 19 मामलों में अतिक्रमण हटवा दिया गया। यह अलग बात है कि मान लीजिये जनवरी में हटा दिया और फरवरी में वापस वही अतिक्रमण कर लेता है। यह हर जगह होता है और मैं उसके लिए मना नहीं करता कि अतिक्रमण होते नहीं हैं, होते रहते हैं। अवैध निर्माण के 17 मामलों में से 8 मामलों में निर्माण रुकवाया गया, 4 मामलों में नोटिस जारी किया गया, एक शिकायत तथ्यहीन मिली एवं 4 में पता ही अस्पष्ट था, कोई पता ही नहीं था। पोर्टल पर निस्तारित कर समस्त की गई उक्त समस्याओं से अवैध निर्माण की 14 व अतिक्रमण की 14 शिकायतों के परिवादियों ने असंतुष्ट होकर पुनर्विचार का आग्रह किया है। जन सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर असंतुष्ट होने पर माननीय मुख्य मंत्री जी को अग्रेषित नहीं किया जाता। ऐसी परिवेदनाओं के सम्बन्ध में पुन: प्रकरण का परीक्षण करवाकर उनके निस्तारण की कार्यवाही एच.ओ.डी. के स्तर पर की जाती है, जो कमिश्नर, नगर निगम हैं, उनके स्तर पर की जाती है। जहां तक सवाल इस बात का है कि आप यह कह रहे हैं कि सारी लिस्ट दो तो यह तो अतिक्रमण की आज तक की लिस्ट मांगी है और सवाल तो सिर्फ दो ही महीने का है।

श्री अध्यक्ष: हो गया? प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बीसलपुर पेयजल योजना की पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पी.डी. खाते के मद में पदस्थापित पंचायती राज के अधिशेष मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का समायोजन अन्य ब्लाक में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा कथित रूप से किये गये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के मामले को विधान सभा में उठाये जाने के उपरान्त द्वेषतापूर्ण तरीके से 90A की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में डर्बी टैक्सटाइल के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बाबुलाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में मनरेगा के मजदूरों को भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री छगनसिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के बेदारा गांव निवासी पशुपालक सोदाराम पुत्र वजाजी देवासी का 9 दिन पूर्व मध्य प्रदेश में अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से कोटा व बूंदी जिले में अवैध खननकर्ताओं द्वारा महिला व जन प्रतिनिधियों से की जा रही मारपीट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर जाम लगने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से दिनांक 02 मार्च, 2020 को

(श्री अध्यक्ष)

चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा पशुपालकों पर हमला कर पशुपालक मालाराम का अपहरण कर लगभग 100 भेड़-बकरियों को ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में स्थायी गरीब मजदूरों के इलाज हेतु हर माह ESIC का पैसा कटने के बावजूद भी ESIC डिस्पेंसरी नहीं खोलने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 06 जनवरी, 2020 को दुष्कर्म के सम्बन्ध में पुलिस थाना रामगढ़ पचवारा जिला दौसा में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 03, दिनांक 08 जनवरी, 2020 पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के लिए काश्तकारों की अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर बलीचा में रविवार रात 5-6 युवकों द्वारा हथियारों के बल पर युवती से बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा एफ.एफ.सी. की किश्तों को ग्राम पंचायतों के खाते में समय पर जमा नहीं किये जाने से विकास कार्यों में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(16) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश के खान विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अकारण ही लम्बे समय तक आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से नगर परिषद्, ब्यावर में लम्बे समय से आयुक्त का पद रिक्त होने से बढ़ रहे अवैध निर्माणों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 754K के लिए अवाप्त की गयी भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर पिछले 167 दिनों से चल रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(19) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जालौर जिले की सांचौर तहसील में तरमीम वाले नामान्तरण नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(20) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा में प्रशासन द्वारा अवैध बजरी खनन रोकने के नाम पर चम्बल नदी में परिवहन का कार्य कर रहे गरीब नाविकों पर कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों से निकल रही भारतमाला परियोजना के लिए अवाप्त की गयी भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिये जाने से लगभग 5000 किसानों द्वारा राष्ट्रपति महोदय से इच्छामृत्यु की गुहार लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से नगर निगम, अजमेर द्वारा 800 किरायेदारों/दुकानदारों को 99 वर्ष की लीज दिये जाने सम्बन्धी सरकार के आदेश की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना देवी, बलवान पूनियां एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बानसूर कस्बे में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पेयजल के लिए KWD नहर का पानी खुले नाले में आने के कारण दूषित होने से क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू में पेयजल समस्या का निराकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कतिपय गांवों में पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नहरों से निकलने वाले खालों को पक्का करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में गर्मी आते ही पेयजल की गम्भीर समस्या होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बालोतरा में ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गिरदावरों तथा पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा की मण्डावर तहसील में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से अलवर शहर की हनुमान सर्किल से नोगावा बार्डर तक की सड़क का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से सिरोही जिले में बसन्तगढ़ से खीला फली तक ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में गौवंश से प्राप्त पंचगव्यों से धनोपार्जन हेतु ठोस कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से फलौदी विधान सभा क्षेत्र में नहर सिंचाई योजना द्वारा किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से किशनगढ़ कस्बे के बीच से गुजर रहे नाले को पक्का करवाये जाने के सम्बन्ध में।

आज विशेष उल्लेख की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट “1” देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 05 मार्च, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 32 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1	श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर)	विधान सभा क्षेत्र खींवसर में अनियमित बिजली कटौती एवं जबरन ट्रांसफार्मर उतारने से किसानों की रबी की फसल खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)	श्री सांवलिया राजकीय महाविद्यालय, मण्डलिया, तहसील भदेसर में टी.ए.डी. द्वारा बनाये गये छात्रावास को समाज कल्याण विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर)	दिनांक 15.12.2019 से रिंकू माली पत्नी विक्रम माली ऊर्फ विरेश माली के पिंडवाड़ा से गायब होने की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4	श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़)	विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में रोडवेज बसों का पूर्व की भांति समुचित रूप से आवागमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्रीमती कल्पना देवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कोटा में प्रशासन द्वारा नाविकों पर कार्यवाही

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र मानस गांव और घटाना की बात है। 02 मार्च को जिला प्रशासन, वन विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चम्बल नदी पर बजरी का अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही हुई, कार्यवाही करते हुए उन्होंने गरीब मजदूरों की नाव को जे.सी.बी. से तोड़ा एवं उन गरीब परिवार की महिलाओं को डण्डे से मारा।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एतराज इस बात पर नहीं है कि अवैध कार्य को रोका गया। मेरा एतराज इस बात पर है कि क्या प्रशासन को केवल गरीब के ही अवैध कार्य दिखाई देते हैं। इन गरीब मजदूरों की जो नाव थी, जो उनकी कमाई का एकमात्र साधन था, क्या उनको यह नाव तोड़ना जरूरी था? क्या प्रशासन उनके खिलाफ कोई नोटिस, फाइन या पैनल्टी नहीं दे सकता था? रोज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बजरी के अवैध ट्रक एवं ट्रैक्टर चल रहे हैं। पर, आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी भी ट्रैक्टर या ट्रक को जे.सी.बी. द्वारा तोड़ा गया हो। सिर्फ गरीब की नाव, ऐसे क्यों तोड़ी गयी।

दूसरी बात, जब देखो अवैध बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, हास्टल्स एवं होटल्स के निर्माण हो रहे हैं, जो बिना नियम के हो रहे हैं। उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। पर जहां गरीबों के घर हैं, झट जाब्ता भेजा जाता है और उनके घर तोड़े जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं कि क्या गरीबों के लिए अलग नियम हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहती हूं कि यह जो दोहरा व्यवहार है, इसको तुरंत बंद किया जाए। जो माफिया हैं, अमीर हैं, उनके अवैध कार्यों पर भी नजर रखी जाए और बराबरी का न्याय दोनों पर हो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बलवान पूनियां।

पश्चिमी जिलों के किसानों की भारतमाला परियोजना के लिए अवाप्त जमीन का उचित मुआवजा

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियम 50 के तहत...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज बैठें। आप बैठें प्लीज, बैठें अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, आप सीनियर लीडर हैं, क्या बात है। आप बैठें, प्लीज। गलत परम्परा डाल रहे हो। मैं आपको कभी अलाउ नहीं करूंगा, आगे भी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के लिए अवाप्त जमीन का सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं देने से 5 हजार किसानों ने, राष्ट्रपति महोदय के नाम यह चिट्ठी लिखी है कि हमें आत्महत्या करने की इजाजत दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन शासन से सीधा सा यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 26 (3) के अन्तर्गत अवार्ड घोषित करने से पहले डी.एल.सी. दरों का पुनर्मूल्यांकन हो जाता और वहां किसान के खेत में आने वाले उसके तमाम ढाणी, पेड़-पौधे और उसके कुएं, सारी चीजों का दुबारा मूल्यांकन हो जाता, उसको उचित मुआवजा मिलता। तो, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जालौर में और हमारे यहां डूंगरगढ़ में और दूसरा बाड़मेर तक के इस लम्बे इलाके में किसानों का धरना नहीं होता।

इसलिए, मेरी शासन से सीधी सी मांग यह है कि दुबारा जमीन का मूल्यांकन करके, हिंदुस्तान की सरकार को उसका मुआवजा देना है, राजस्थान की सरकार को तो अपने किसान को सही मूल्यांकन करके मुआवजे के पैसे दिलवाने हैं। सरकार किसानों के साथ न्याय करे, ऐसी स्थिति किसानों की न आने दी जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर नगर निगम द्वारा जारी लीज सम्बन्धी आदेश की क्रियान्विति तिथि बढ़ायी जाए

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय अजमेर में शरणार्थी आये, उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए और रोजगार देने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जगह आबंटित की गयी। जहां पर केबिन बनाकर इन्होंने अपना छोटा-छोटा व्यवसाय शुरू किया। जिनमें अधिकांश सिंधी और सिख समुदाय के लोग थे। वहां पर अपनी सारी अचल सम्पत्ति छोड़कर यहां आए, इस आधार पर छोटी-छोटी, उनको तय बाजारी के तहत जमीन अलाट हुई।

(श्री वासुदेव देवनानी)

ऐसे लगभग 822 दुकानदार हैं, जिनको बाद में 1965 से लेकर 1972 के बीच में इन्हीं स्थानों पर नगर निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा, पक्की दुकानें बनाकर, अलाट कर दीं और किरायेदार के रूप में उनसे किराया वसूल किया जाने लगा।

ऐसी दुकानें शहर के अन्दर कचहरी रोड, मदार गेट, पड़ाव, कवंडसपुरा, पुरानी मण्डी, गांधी बाजार, आगरा गेट आदि स्थानों पर हैं। ऐसा राजस्थान के कई और शहरों में भी है। अब इस नगर निगम ने 04.10.2017 से इनसे किराया लेना बंद कर दिया। इस बीच में डी.एल.बी. ने 06.02.1973 में एक प्रावधान किया कि लघु अवधि की लीज पर दी गयी सम्पत्तियों की अवधि समाप्त होने पर, 99 वर्ष की लीज पर नीलामी द्वारा इनको विक्रय किया जाएगा। इसे किसी भी नगरीय निकाय ने, चूंकि इसको क्रियान्वित नहीं किया। अत: उसके बाद 10.05.2017 को वापस एक आदेश निकला, जिसमें 40 वर्ग मीटर या उससे कम सम्पत्ति को 30 वर्ष की लीज नवीनीकरण करने के लिए आदेश निकाला, इसका निस्तारण एम्पावर्ड समिति द्वारा होना था, जो कि नहीं हुआ। तत्पश्चात् 05.10.2018 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पूर्व आदेशों को प्रत्यारित करते हुए 99 वर्ष की लीज पर देने के आदेश निकाले। जिसमें 1950 से पूर्व के दुकानदारों से 25 परसेंट, 1950 से 1983 के बीच में 50 परसेंट, 1983 से 1999 तक मार्केट वैल्यू की 75 प्रतिशत उनसे लीज के रूप में लेकर प्रति वर्ष 5 परसेंट उनका किराया, उनसे लेने का आदेश निकाला। इस कारण से प्रति वर्ष उनसे वर्तमान आरक्षित दर पर 5 परसेंट लीज पर देने की तिथि निकाली, लेकिन यह तिथि 31.12.2018 तक तय हुई चूंकि इस दौरान आचार संहिता लग गयी, इसलिए यह क्रियान्वित नहीं हो पाया। इसलिए, मेरी सरकार से मांग है कि इस आदेश की तिथि बढ़ाकर इन 822 व्यापारियों को राहत प्रदान करें या इनसे फिर किराया लेना प्रारम्भ करें, ताकि इनके सर पर जो तलवार लटकी हुई है, वह हट सके। वे नि:संकोच होकर के अपना व्यवसाय कर सकें, अपने घर का पालन-पोषण कर सकें। अत: मेरा आपके माध्यम से मांग है कि सरकार इस आदेश की तिथि आगे बढ़ाकर के राहत प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष: नारायण बेनीवाल।

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

खींवसर में अनियमित बिजली कटौती व ट्रांसफार्मर उतारना

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। न केवल खींवसर क्षेत्र में, बाकी पूरे राजस्थान में बिजली की कटौती और इस रबी के सीजन में जबरन वसूली के नाम पर...

श्री अध्यक्ष: पर्ची खींवसर पर, खींवसर पर बोलें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): जी, खींवसर पर।

विभाग द्वारा वसूली के नाम पर जबरन ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। मैं उसकी तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी कई दिनों से जो फीडर रिनोवेशन के कार्यक्रम क्षेत्र में चल रहे थे, वे ढंग से नहीं चल पाये। परसों भी पाइंट आफ इन्फोर्मेशन से ही मामला उठा था कि एक जगह तार टूट गया और न केवल तार टूट गया बल्कि उस तार ने पूरी सड़क को अन्दर तक खोद दिया। क्योंकि पीछे डी.ओ., जी.ओ., जो भी लगते हैं, वे लग नहीं पाये। इस कारण बहुत ज्यादा कटौतियां और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके कारण कहीं न कहीं बिजली की कटौती भी हो रही है। मैं मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा कि रबी के इस सीजन में, क्योंकि फसल भी पकाव पर है। 15-20 साल से किसान लगातार आपके उपभोक्ता हैं और वे बिल भर रहे हैं। लेकिन, कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना भी एक कारण हो सकता है। तो, इसके लिए आप उनको थोड़ा समय दें, ताकि वे समय पर बिल जमा करा सकें। वे आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और ऐसे निर्देश जारी कराएं, थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन स्थित राजकीय महाविद्यालय के बालिका छात्रावास की समाज कल्याण विभाग को सुपुर्दगी

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीसांवलिया राजकीय महाविद्यालय, मण्डलिया संचालित है। लगभग 600 से अधिक बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं। धन्यवाद दूंगा टी.ए.डी. मंत्री जी को, उस समय इन्होंने वहां पर एक बालिका छात्रावास का भवन बनाया। लेकिन वह छात्रावास ऐसी जगह पर बनाया, जिसका कोई उपयोग नहीं है और न ही बालिकाएं उस छात्रावास में

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रहने को तैयार हैं। आज दिन तक वह छात्रावास न पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा कालेज प्रशासन को हैंडओवर किया गया। वह बिल्डिंग खण्डहर हो रही है। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से, समाज कल्याण मत्री जी भी अभी नहीं दिख रहे हैं, न टीएडी मंत्री जी दिख रहे हैं, दोनों मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि इस भवन को समाज कल्याण विभाग को दे दिया जाए। ताकि, वह बिल्डिंग भी सुरक्षित रहे और समाज कल्याण विभाग उस छात्रावास को स्वीकृति देकर, उसको अपने अंडर में ले ले। वहां पर नया छात्रावास खोल दें, ताकि बालकों को, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./जनरल, जिसको भी प्रवेश देना चाहें, सबको दें, लेकिन उस छात्रावास को चालू कराएं और समाज कल्याण विभाग के द्वारा चालू कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

पिंडवाड़ा से एक महिला के गायब होने की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही का अभाव

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर निवासी तेजाराम पुत्र मंसाराम जाति माली हैं, उन्होंने 22.12.2019 को जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही को पेश होकर रिपोर्ट दी कि उसकी बहन रिंकू की शादी 2 वर्ष पूर्व पिंडवाड़ा निवासी विक्रम उर्फ वीरेश माली के साथ व विक्रम की बहन सुंदर की शादी तेजाराम पुत्र मंसाराम माली, सुमेरपुर के साथ आटे-साटे के तहत हुई थी। रिंकू ससुराल आती-जाती रही, लेकिन कुछ महीने पश्चात् उसका पति विक्रम व सास सीतादेवी रिंकू के साथ मारपीट व कई ताने कसकर प्रताड़ित करने लगे तथा अवैध धंधे में लिप्त होने का दबाव बनाने लगे। बहन पीहर आती थी, तब उसने यह सब बताया लेकिन बहन का...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिना देखे बोलें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): ...सम्बन्ध आबाद रखने के लिए समझा-बुझा कर भेज देते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विक्रम और उनकी माताजी ने तेजाराम की बहन को कहीं बंधक बना रखा है या उसको कहीं 15.12.2019 से गायब कर रखा है। 22.12.2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके 3 महीने बाद आज तक पुलिस ने कुछ कार्यवाही नहीं

(श्री जोराराम कुमावत)

की है, उलटे उनके भाई और दो-तीन लोगों ने सुमेरपुर में उनके घर आकर झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद में भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करके इनको न्याय दिलाने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में रोडवेज बसों का अनियमित संचालन

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बिजौलिया एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर उप खण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, सभी सरकारी कार्यालय होते हुए भी वहां रोडवेज की बसें जो पहले चलती थीं, पहले 13 बसें चलती थीं, पर एक साल से वहां केवल 3 बसें चल रही हैं। सन् 1960 में भी बिजौलिया-भीलवाड़ा, बिजौलिया-बूंदी-कोटा के लिए तीन प्राइवेट बसें चलती थीं, पर आज भी 3 बसें चलती हैं। भीलवाड़ा-बिजौलिया से मेगा हाईवे बना हुआ है। बूंदी तक 48 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर बिजौलिया में गम्भीर बीमारी और प्रसूति के लिए महिलाओं की चिकित्सा सेवा समय पर उपलब्ध करवाने हेतु वहां बसें नहीं होने से वापस उनको कोटा या भीलवाड़ा ले जाना पड़ता है वहां से भीलवाड़ा 90 किलोमीटर है और कोटा 85 किलोमीटर पड़ता है तो विलम्ब हो जाता है। व्यापारिक दृष्टि से भी बिजोलिया से बूंदी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और केवल 48 किलोमीटर की दूरी होने से वहां पर बस सेवा चालू हो तो जल्दी से पहुंच सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा से मांगरोप-बड़लियास-मांडलगढ़-जोगणिया माता की दो बसें चलती थीं, दोनों बंद हो गयी हैं। भीलवाड़ा से त्रिवेणी-काचोला-जहाजपुर-विक्रम ये दो बसें चलती थीं ये भी बंद हो गयी हैं। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में आज रोडवेज की बसें बिल्कुल बंद हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि समस्त बंद की गयी बसों को पुनः संचालित किया जाए एवं आमजन की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पूर्व की भांति अति शीघ्र बस की सेवा शुरू की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 131, श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सूरसागर के आंगनबाड़ी केन्द्र का सामुदायिक भवन में स्थानान्तरण

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बोलें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): सॉरी, महिला बाल विकास मंत्री।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने नियम 191 के तहत जो...

श्री अध्यक्ष: 131 है।

श्री ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 131 के तहत जो जानकारी चाही है, उसमें मैं कहना चाहूंगी कि मावड़ियों की घाटी में बने सामुदायिक भवन का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा वर्ष 2013-14 में राशि 13 लाख 17 हजार 107 रुपए की लागत से कराया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी संस्था को इस सामुदायिक भवन का कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। माननीय सदस्या ने पूछा, जी नहीं, किसी समुदाय के लोगों ने मनमर्जी से कब्जा नहीं कर रखा है उक्त भवन मोहल्ले के सभी समुदायों के सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। भवन पर महफिल खाना बाबा शम्सुद्दीन लिखा हुआ था जिसे हटवा दिया गया है। भवन खाली है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोधपुर शहर द्वारा पत्र क्रमांक 1008, दिनांक 21.03.2016 प्रेषित कर मावड़ियों की घाटी स्थित इस सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र शिफ्ट करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निवेदन किया गया था, जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। सामुदायिक भवन का उपयोग मोहल्ले के निवासियों के सामाजिक आयोजनों के प्रयोजनार्थ किया जाता है। इस सामुदायिक भवन को किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर से अवैध कब्जा नहीं कराया गया है। भवन खाली है। मोहल्ले के सभी समाजों द्वारा सामाजिक आयोजनों हेतु इस भवन को उपयोग में लिया जा रहा है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)
आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रश्न का आपने जवाब दिया है, मावड़ियों की घाटी के ऊपर जो भवन बना हुआ है, वहां एक ही समुदाय ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। उस पर ताला लगा रखा है और बाहर भी लिखा हुआ है, नाम है। वह भी आपने पढ़कर सुना दिया है, मगर कल ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कल उन्होंने उसके ऊपर पुताई कर दी है। मगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि वार्ड नंबर 13 मावड़ियों के घाटी में दो भील बस्तियों, एक हरिजन बस्ती है। मावड़ियों की घाटी के अन्दर लगभग 90% एस.सी./एस.टी. के लोग हैं। वार्ड नंबर-13 में आंगनबाड़ी केंद्र किराये की एक कोठरी के अन्दर चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुशंसा करना चाहती हूं कि पूर्व में जे.डी.ए. ने एक सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक भवन बनाया था। इस भवन पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। रात के लिए काम में लेते हैं। आम जनता को इसमें आने नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में जे.डी.ए. एवं महिला बाल कल्याण विभाग को पत्र लिखकर उक्त भवन को आंगनबाड़ी केन्द्र को सुपुर्द करने के लिए लिखा गया था। महिला बाल कल्याण विभाग द्वारा जे.डी.ए. को पत्र लिखकर उसमें आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने के लिए कहा था, परन्तु जी.डी.ए. ने आज दिनांक तक भवन आंगनबाड़ी केन्द्र को सुपुर्द नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार की नीति है कि जहां पर भी किराये के भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहा है, वहां पर नजदीकी यदि कोई सरकारी भवन अथवा कोई सार्वजनिक भवन है तो उस आंगनबाड़ी केन्द्र को उसमें संचालित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो भवन बना हुआ है, क्या आप आंगनबाड़ी केन्द्र उसके अन्दर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बात हो गयी। आपकी बात समझ में आ गयी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या का कहना है कि वहां पर कब्जा कर रखा है क्या कब्जा हटाकर...

श्री ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या का यह कन्सर्न है कि उस पर एक समुदाय विशेष ने कब्जा कर रखा है। वह सब के लिए काम में आवे, उसकी सुनिश्चितता करने का काम करें।

श्री ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सामुदायिक भवन का जिक्र माननीय सदस्या कर रही हैं, वह जे.डी.ए., जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आता है, उसमें हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमने अपने विभाग द्वारा पत्र लिखा है जे.डी.ए. को और माननीय सदस्या कह रही हैं तो हम पुन: विभाग द्वारा रिक्वैस्ट कर लेंगे कि उसमें खोला जाए, उसका निर्णय कि वह आंगनबाड़ी के लिए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह जे.डी.ए. द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री विजयपाल मिर्धा।

याचिका

डेगाना में पानी की समुचित निकासी हेतु रेलवे स्टेशन के सामने नाला निर्माण

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हेतु रेलवे स्टेशन के सामने नाले का निर्माण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र कपासन के कतिपय सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

भादरा के ग्राम गोगामेड़ी व मेला क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन की स्वीकृति

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी गांव तथा मेला क्षेत्र में जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन स्वीकृत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार। श्री सचिन पायलट।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,97,72,62,000/- (पन्द्रह अरब सतानवे करोड़ बहत्तर लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 21 और 28 के लिए भी।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग सख्यां 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,83,70,83,000/- (उनहत्तर अरब तिरासी करोड़ सत्तर लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 28।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,59,28,80,000/- (सात अरब उनसठ करोड़ अट्ठाइस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिबेट 9 बजे समाप्त हो जायेगी। सभी पार्टियों के सदस्यों से निवेदन है, समय आपने दिया उसका पुनर्निर्धारण कर लें, 10-10 मिनट सबको मिलना सम्भव नहीं हो पाएगा। समय की सीमा है,

(श्री अध्यक्ष)

उसमें आप कम-ज्यादा करें, 9 बजे बाद डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी, 9.50 बजे तक जवाब दे देंगे, 10 बजे तक पूरी मांगें पास करने की प्रक्रिया रखी है, उस नियम को हम adhere करेंगे। एक मिनट, आप पहले बोलेंगे? डिबेट करने के बाद बोलना। माननीय सदस्य, पहले डिबेट शुरू करने दें, please, I understand it. माननीय हेमाराम जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19, 21 व 28 पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज मांग संख्या 19-लोक निर्माण, मांग संख्या 21-सडकें एवं पुल तथा मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के बारे में आपके माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार ने उस समय सड़कों के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद दिसम्बर, 2013 में विधान सभा के चुनाव हुए चुनाव के बाद में सरकार बदल गयी और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन गयी। उनकी सरकार बनते ही उन्होंने राजस्थान में उन स्वीकृत सड़कों की स्वीकृतियां निरस्त कर दीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा, आज हम बजट 2020-21 पर चर्चा कर रहे हैं, वर्ष 2013-14 की स्वीकृत सड़कें, जो पूर्ववर्ती सरकार ने निरस्त कर दीं, उनको आप प्राथमिकता के आधार पर कम से कम इस वर्ष के बजट में सम्मिलित करके उनकी स्वीकृति प्रदान करें। मैंने माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है। जो सड़कें निरस्त की हैं, वे क्रम संख्या 139, 140, 142 तथा 143 पर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ये चार सड़कें हैं। अन्य भी बहुत सारी सड़कें हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा, मैं मेरे विधान सभा तक ही सीमित रहूंगा। इन चार सड़कों की आप मेहरबानी करके प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करें।

2013-14 के बजट में हमारी सरकार ने पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। इनकी सरकार ने उनको क्रमोन्नत नहीं किया। सत्ता बदल गयी, हमारी सरकार ने आते ही उस घोषणा को पूरा किया और 2013-14 की घोषणा के अनुरूप पंचायत मुख्यालय पर जहां-जहां पर भी सैकण्डरी स्कूल नहीं थे, वहां सब जगह सैकण्डरी स्कूल खोल दिये। अभी एक साथ 65 आदेश जारी किये

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं। जब स्कूलों के मामले में आप उस बजट घोषणा की क्रियान्विति करा सकते हैं तो सड़कों के मामले में भी आप मेहरबानी करके कराएं। सड़कों के नाम विभाग के पास हैं, मैंने थोड़ा सा उल्लेख कर दिया, आप चाहें तो मैं सूची दे दूंगा। वैसे उप मुख्य मंत्री महोदय को मैं पहले ही पत्र लिख चुका हूं।

(12.35 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सड़कों की मरम्मत की बात आयी। अभी इस बजट भाषण में 13 सड़कों का उल्लेख किया है, जो कि सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कें बताई गयी हैं। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में सिर्फ ये 13 सड़कें ही सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कें हैं। इसके अलावा इस बजट में नाम हैं, इसलिए समय जाया नहीं करूंगा। इन 13 सड़कों के अलावा राजस्थान में और भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं या नहीं हैं? आप कहेंगे क्षतिग्रस्त तो हैं, परन्तु सर्वाधिक नहीं हैं। अब सर्वाधिक क्षतिग्रस्त का मापदण्ड क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है। उन पर गाड़ी किसी भी सूरत में चल नहीं सकती। अगर किसी की गाड़ी उस पर चली गयी तो उसके टायर फट जायेंगे। यह जो सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की बात है, ये सड़कें बनीं कब? ये सड़कें 2004-2005-2006-2007-2008 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बनीं। उनको कितना समय हो गया? प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में ठेकेदार पर पांच साल की जिम्मेदारी थी, ठीक करने की उसकी गारंटी थी। आज कितने साल हो गये, अब उस ठेकेदार की कोई गारंटी नहीं तो किसी की कोई जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर उन सड़कों का धणी-धोरी कौन है, उनकी मरम्मत कौन करवायेगा और उनकी मरम्मत कब होगी? इसलिए आप यह निर्णय करें, आप कोई एक वर्ष तय कर दें कि इस वर्ष से पूर्व की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में जो भी सड़कें बनी हैं, उनकी हम मरम्मत करायेंगे, नवीनीकरण करेंगे, सुदृढ़ीकरण करेंगे, कुछ न कुछ आप जीर्णोद्धार करें, स्वीकृति प्रदान करें। उसमें बहुत सारी सड़कें हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की सोबाला से सियागो की ढाणी 2007 में बनी, उसकी बहुत ही हालत खराब है। नोखड़ा से जगराम की ढ़ाणी, यह भी 2008 में बनी, पायलाकला से नीनाड़ा, 2007 में बनी, यह कुल 21 सड़कें हैं, जिनकी हालत बहुत दयनीय है। इसलिए आप मेहरबानी करके इनकी स्वीकृति प्रदान करावें, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में ओ.डी.आर. और स्टेट हाईवे की सड़कें भी हैं। राजस्थान में स्टेट हाईवे और ओ.डी.आर. के लिए भी आपके पास बजट है। मेरे क्षेत्र की भी ओ.डी.आर. और स्टेट हाईवे की दो सड़कों के लिए मैंने डिप्टी सीएम साहब को पत्र लिखा है। एक ओ.डी.आर. धोरीमन्ना से साटा, जो मेरे क्षेत्र में है। चौहटन विधान सभा क्षेत्र के एम.एल.ए. साहब, पदमाराम जी ने भी लिखा है, यह हम दोनों के क्षेत्र की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। यह भारत माला सड़क से जोड़ती है और जालोर जिले को भी जोड़ती है, दो जिलों को जोड़ने वाली यह सड़क है। दूसरी सड़क स्टेट हाईवे जो गुढ़ामालानी, रतनपुरा, लूणवा, जागीर, यह स्टेट हाईवे है, इसकी भी स्वीकृति के लिए मैंने आपको पत्र लिखा है। स्टेट हाईवे व ओ.डी.आर. में भी हमें कुछ पैसा दें। आपने इन 13 सड़कों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपये दिये, लेकिन जो सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, तो वे हमारे बाड़मेर जिले में हैं। इसका कारण है, वहां पर रिफाइनरी का काम चल रहा है। वहां पर आयल गैस का काम चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में कम्पनियां वहां आयी हैं और उनके हजारों व्हीकल हैं। भारतमाला का काम चल रहा है। भारतमाला के काम के सारे मैटेरियल की गाड़ियां हमारी सड़कों से होकर गुजर रही हैं। इसलिए सड़कें तो तहस-नहस हो गयीं। आप मेहरबानी करके उन पर ध्यान दें।

तीसरा, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको चालू किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपने 100 से कम आबादी के गांवों को भी डामर सड़क से जोड़ दिया है, पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपने इस वर्ष 500 या इससे अधिक आबादी वाले केवल 342 गांवों की स्वीकृतियां जारी की हैं। इनके अलावा और भी, 500 से अधिक आबादी वाले गांव अभी भी शेष हैं, जिनकी स्वीकृतियां जारी किया जाना शेष हैं। इसलिए आप उन गांवों को भी सड़क से जोड़ने की कृपा करें, क्योंकि अब 2021 की जनगणना का काम शुरू हो गया है। थोड़े समय बाद 2021 की जनगणना के आंकड़े भी आ जाएंगे। हमने 2011 की जनगणना की इस साल शुरूआत की है। तत्कालीन सरकार ने 2011 की जनगणना के गांवों को छुआ भी नहीं, एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की। आपने कम से कम 342 सड़कों की स्वीकृति देकर शुरूआत की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम 500 से ऊपर की आबादी के सभी गांवों

(श्री हेमाराम चौधरी)

की सड़कों की स्वीकृतियां प्रदान करें, क्योंकि 2021 के आंकड़े भी आ जाएंगे। पांच सौ से नीचे ढाई सौ तक की भी करनी है, ढाई सौ से नीचे वाली सड़कों की करनी है। अभी तक इसमें बहुत कम सड़कों की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तो सिर्फ 342 गांवों की हैं, बाकी सारी शेष हैं, ये कब होंगी, इस पर आप मेहरबानी करके ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पूर्व में जो स्वीकृतियां जारी कीं, जमीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वे स्वीकृतियां निरस्त हो गयीं। उसके बाद सरकार ने जमीन के लिए एक्विजिशन की कार्यवाही की। एक्विजिशन की कार्यवाही पूर्ण हो गयी और बाड़मेर जिले के बायतू में कुल 62 लाख 20 हजार का मुआवजा स्वीकृत किया। राज्य सरकार की तरफ से पी.डब्ल्यू.डी. के पास मुआवजा चला गया था और काश्तकारों को दे दिया था। कुछ काश्तकारों ने मुआवजा नहीं लिया और वह मुआवजा वापस जमा हो गया। उसके लिए मैं सवा साल से प्रयास कर रहा हूं। चुनाव के बाद से लगातार प्रयास कर रहा हूं। वह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। यह पूरे जिले की बात है, सिर्फ 62 लाख 20 हजार रुपये का ही मामला है, जिसमें मेरे खुद के गांव की तीन सड़कें हैं, उनका तो बहुत कम पैसा है। आप अगर चुका दें तो कम से कम वे सड़कें तो बन जाएं। जो तीन सड़कें हैं, उनमें एक सड़क कांकड़ों की ढाणी की है, जिसके सिर्फ 9 लाख 71 हजार रुपये स्वीकृत हुए। उसमें अभी 1 लाख 38 हजार रुपये की और जरूरत है। दूसरा, धारासला रतला, जिसके लिए 10 लाख 60 हजार स्वीकृत हुए। अभी इसमें 1 लाख 88 हजार रुपये की और जरूरत है। तीसरी नाइयों की ढाणी की स्वीकृति हुई, उसके लिए मुआवजे के 13.67 लाख रुपये स्वीकृत हुए, अभी 9.52 लाख रुपये की जरूरत है। सिर्फ इतना चाहिए। आप मेहरबानी करके यह साख सीमा जारी कर दें, जिससे कि जो बचे हुए काश्तकार हैं, जिनको यह मुआवजा नहीं मिला है, वे मुआवजा ले लें तो इन सड़कों का काम हो सके। ये सड़कें, जो जमीन के अभाव की वजह से निरस्त हो गयी थीं, यह 2001 की जनगणना के आधार पर स्वीकृत हुई थीं। कम से कम 2001 की जनगणना के अनुसार जो गांव बच गये हैं, उनमें हमारे वहां के भी गांव हैं, मैंने अभी मेरे तीन गांवों का उल्लेख किया। कुल 13 पंचायतें हैं, 13 सड़कें, इनके लिए तो आप साख सीमा जारी करा दें, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

मिसिंग लिंक, यह दूसरा बजट है। पिछले बजट में एक किलोमीटर भी मिसिंग लिंक नहीं दी। इस साल के बजट में मिसिंग लिंक का कहीं उल्लेख नहीं। मेरे ध्यान में नहीं आया, आपके ध्यान में है तो बता दें या मंत्री महोदय बता दें। आप कम से कम कुछ मिसिंग लिंक तो दें। पूर्व में भी जब हमारी सरकार थी, मिसिंग लिंक की स्वीकृतियां दी थीं। इनकी सरकार थी, तब भी दी थी। आपकी सरकार के समय में भी काफी सड़कों का काम हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार आपने इसमें हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। हमारे समय में स्वीकृत की हुई सड़कें आपने निरस्त कर दीं, आपने वह पाप जरूर किया। बाकी सब ठीक किया है, इन्होंने जो पाप किया, उसको धोलें वह अभी तक नहीं धुल पाया। मिसिंग लिंक की सड़कों का आप बजट में प्रावधान करें। एम.एल.ए. की अनुशंसा पर वह स्वीकृति होती है। दो बजट हो गये, अब तीन बजट बाकी हैं, तो फिर आप हमारी अनुशंसा पर कब सड़क देंगे। लोग हमें कहते हैं, चुनाव में हमने लोगों से कहा भी है। वादा भी किया है, साहब, आप हमें जिता दें, हम आपके लिए सड़क बना देंगे। आप जिता दें, सड़क हमारे में आयी, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, ठनठन गोपाल, तो क्या करें? यह ताली बजाने की बात है। आपने तो निरस्त कर दी। आपके समय भी सड़कें स्वीकृत हुईं, वे भी हम निरस्त करवा सकते थे। आपने भी आनन-फानन में किया, एक रुपया खर्च नहीं किया। हींग लगी न फिटकरी, बस आपने सड़कें स्वीकृत कर दीं लेकिन हमने निरस्त नहीं कीं, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। कहते हैं न, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, हम इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं।

मिसिंग लिंक के लिए आप मेहरबानी कराएं। गौरव पथ की स्वीकृतियां इनके समय में भी हुईं, अभी भी आपने 182 पंचायतों में गौरव पथ की स्वीकृतियां जारी की हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत में गौरव पथ के लिए पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने पूछा, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा कि ये गौरव पथ कुछ नहीं हैं। आगे बनी हुई सड़कें हैं, उनको उखाड़ना और पैसों को बर्बाद करना। इसके अलावा कुछ काम नहीं है। मेरे यहां सड़क बने, चाहे नहीं बने, यह जनता का पैसा मैं बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैंने उनको मना किया और मेरे विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ की स्वीकृति नहीं हुई। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। मैंने खुद ने रोका है। उसके बदले मेहरबानी करके वह पैसा आप किसी दूसरी सड़क के लिए दे दें। जिस सड़क के

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिए जरूरत है, उसके लिए दें। आदमी को निमोनिया है, उसको निमोनिया ठीक करने की दवाई चाहिए, आप दवाई दस्त की दे रहे हैं तो निमोनिया कैसे ठीक होगा? इसलिए आप मेहरबानी करके जिसकी जरूरत है, वह चीज दें। जनता को किस बात की जरूरत है, जनता को जिस चीज की जरूरत नहीं है, वह आप काम करते जा रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा, जनता तो आपका एहसान नहीं मानती। जनता तभी आपका एहसान मानेगी, जब आप जो जनता चाहती है, वह काम करें। कुछ बातें ऐसी हैं, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल जाएगा तो मैं बैठा-बैठा अनायास ही दुश्मनी मोल ले लूंगा। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि गौरव पथ के बदले हमें दूसरी सड़कें दें।

मरम्मत के लिए आपने 400 करोड़ रुपये 13 सड़कों के लिए दे दिये। आपके पास मरम्मत हेतु देने के लिए और भी पैसा है, या नहीं है? चूंकि आप सावर्जनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, मैं यहां पर बैठे-बैठे प्रश्न के जवाब में सुन रहा था। इनमें एक शब्द कामन है, यह आपके समय भी था, यह नहीं कि यह कोई नयी बात है, 'संसाधनों की उपलब्धता'। यह एक बहुत अच्छा जवाब है। संसाधन उपलब्ध होंगे, नहीं होंगे, 400 करोड़ आपने यहां पर बांट लिए, बड़े-बड़े लोगों ने। हम लोगों का क्या होगा? हम भी चुनाव जीतकर आये हैं। हम लोगों को भी तो लोगों ने वोट दिया है। किसी एक कुंआरे आदमी से पूछा कि क्या तेरी शादी हुई? उसने कहा कि मेरी तो नहीं हुई, मेरे भाई के दो लुगाइयां हैं। उससे उसको क्या मिला? मेरे कहने का मतलब वह नहीं होना चाहिए। आप मेहरबानी करके हमारा ख्याल रखें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं इस बार के चुनाव के बाद में पहले बजट सत्र के बाद दूसरी बार बोल रहा हूं। एक बार पहले बोला, दूसरी बार आज बोल रहा हूं। किसी ने कहा कि आप बोलें तो सही, मुख खोलो तो सही। मैंने कहा, चलो, आज मुख खोल देते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूं। पिछली बार बोला, मुख खोला तो उसका कुछ मिला नहीं। अब इस बार मिलेगा या नहीं, वह मुख बेकार गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): बीच-बीच में नहीं। आप बैठिए। आप वाली मुख्य मंत्रीजी ने कोई निहाल नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखकर बात कीजिए आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं प्रतिपक्ष का नेता था। गुलाब चंद जी कटारिया वाली सीट पर बैठता था। उस समय मैंने भी सरकार के सामने कुछ मुद्दे रखे थे। राठौड़ साहब, आप कहते हैं, मुद्दे रखे थे। उसकी सुनवाई की आपने, परवाह की जरा सी भी। परवाह करते तो हमारे को मौका थोड़े ही मिलता। आपने परवाह नहीं की, उसी वजह से हमको मौका मिला। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको मौका दिया। हमको मौका आपकी वजह से मिला, नहीं तो हमको मिलता ही नहीं। एक बार कोई मौसर था, मौसर था, तो कोई जोगी वहां आया। जोगी आया, तो उसको खाना खिलाया और जोगी के पास एक खप्पर होता है, मोटा, वह भी सिरे से भरा दिया। फिर जोगी ने पूछा कि यह खाना आज किस बात का है? यह खप्पर भरा रहे हो, मेरे को जिमा रहे हो, बात क्या है? तो कहा कि फलाना आदमी है, वह खतम हो गया। इसलिए उसके पीछे ये मौसर है, इस बात का खाना है। उसने पूछा कि वह आदमी कैसे खतम हुआ? बताया, उस आदमी को सर्प डस गया, परड़ खा गयी, तो जोगी ने कहा कि भला हो उस परड़ का जो मेरे को भी जिमाया और खप्पर भी भराया। इसलिए भला हो आपका, ठीक है।

सभापति महोदय, अब मैंने सड़कों के बारे में आपसे निवेदन कर दिया। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इस पर ध्यान देंगे और मेरी सुनवाई करेंगे। इस बार मेरी पार पड़ेगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं, नहीं पड़ेगी तो आगे पता पड़ेगा। अभी तो विश्वास है।

ग्रामीण विकास के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। ग्रामीण विकास, गांवों से जुड़ा हुआ विभाग है। देश की, प्रदेश की कितनी आबादी आज गांवों में रहती हैं। गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। देता भी है तो बहुत कम देता है। गांवों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। गांवों की तरफ उप मुख्य मंत्री महोदय ने दिया, उसके लिए मैं आपको, मुख्य मंत्रीजी को, आपकी केबिनेट को, सरकार को धन्यवाद देता हूं। आप कहेंगे कि क्या ध्यान दिया, 57 नई पंचायत समितियां बनायीं और 1456 पंचायतें बनायीं, एक झटके में। इतनी एक साथ, एक बार में इतनी पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें कभी नहीं बनी। जितनी इस बार बनी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या प्राब्लम है? किसी का भी अंकित नहीं होगा, बीच में।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने तो जितनी भी पंचायतों का कहा, ये पंचायतें बननी चाहिए, जनसंख्या पूरी थी, थोड़ी-बहुत कम थी तो भी आपने मेहरबानी करके उनको बना दिया। इसमें तो आपने शत-प्रतिशत काम किया। मेरी बात को आपने रखा। गांव के लोगों की बात पर आपने गौर किया और उनके भवन के लिए भी इस बजट में कहा गया है कि उनके भवन भी बनेंगे, पंचायत समिति और पंचायतों के। कहने का मतलब कि यह आपने बहुत अच्छा काम किया।

मुझे शंका थी कि यह काम होगा नहीं। कटारिया जी बोले थे, अभी पिछले टाइम में, ये पंचायतें बनीं, उससे पहले कि पंचायतों के पुनर्गठन का काम तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। बी.जे.पी. वाले ही कर सकते हैं, कांग्रेस वाले नहीं कर सकते हैं। चैलेंज दिया था इन्होंने और चैलेंज सही भी था। गलत नहीं था। वह इसलिए सही था कि पहले दो बार हमारे साथ ऐसा हो चुका था। हमने धारा 101 के तहत आपत्तियां आमंत्रित कर ली थीं। जन-सुनवाई हो गयी। कलेक्टरों ने प्रस्ताव यहां सरकार को भेज दिये। पहली बार प्रस्ताव आये, यहां डायरेक्ट्रेट में, वह कहीं रद्दी की टोकरी में चले गये। दूसरी बार फिर यह 1998 से 2003 की बात है, फिर 2008 से 2013 के बाद में फिर यह सिलसिला शुरू हुआ, फिर आपत्तियां आमंत्रित कीं और कलेक्टर ने अपने प्रस्ताव यहां भेज दिये। उच्चाधिकारियों की एक कमेटी बनायी, सीनियर आईएएस, एसीएस की। उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी कि ये पंचायतें बना दी जाएं। फिर एक मंत्रियों की कमेटी बनायी। उसमें मैं भी शामिल था और भी दूसरे मंत्री थे, पांच मंत्रियों की। उसने भी रिपोर्ट दे दी कि ये जो प्रस्ताव नीचे से कलेक्ट्रेट से आये हैं, ये पंचायतें बना दी जाएं। लेकिन वह फाइल भी ऐसे ही दबी रह गयी और पंचायतें बनी नहीं। इस बार फिर ये काम शुरू कर दिया। शुरू में मैं तो हमारे लोगों से कह रहा था, ये हरीश जी बैठे हैं, पहले दो बार जो हश्र हुआ अपना, वैसा नहीं हो जाये। फिर अगर हो गया तो बहुत बुरी हालत होगी अपनी, यह आप सोच लेना। इस बार आप करवा देना। यह कहा हमने। सरकार ने अपने आप किया। मैंने मांग नहीं की और किसी ने की होगी, मुझे नहीं मालूम। परन्तु आखिर में इन्होंने इसको कर दिखाया। इनके साहस की मैं सराहना करता हूं। हालांकि इनको कई परेशानियां आयीं। हाई कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़े

(श्री हेमाराम चौधरी)

परन्तु आखिर में जैसा चाहा, जितनी पंचायतें, जितनी पंचायत समितियां करवाना चाह रहे थे, वे करवा दीं। यह कोई कम काम नहीं है। अभी आवाज आई कि चुनाव आगे-पीछे, ये तो कई बार अदालतें बीच में आ जाती हैं तो दिक्कतें आती हैं। फिर भी आखिर करवा दिया। अगर दूसरा आदमी होता तो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद में वह डी-डे हो जाता। उससे कुछ नहीं होता। यह तो पायलट साहब ही थे, जो सुप्रीम कोर्ट गये और वहां से हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करवाकर लाये और यह काम कर दिया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी पंचायत सहायकों के मानदेय की बात आयी। अभी एक प्रश्न लगा था। ये युवा खेल मामलों में लगा था। युवा खेल से सम्बन्धित नहीं है, पंचायत विभाग से सम्बन्धित है। पता नहीं, उधर कैसे गया? पंचायत सहायकों को 6 हजार रुपये मानदेय है। डोटासरा जी कह रहे थे कि यह इनका किया हुआ पाप है। इनके किये पाप को धोने का अब तो अपना काम है। अब तो यदि अपन इनके पाप को नहीं धोयेंगे तो अपन भी बच नहीं पाएंगे। मैं घोषणा याद दिलाना चाहता हूं, डोटासरा जी, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में यह वादा है कि इन पंचायत सहायकों को हम नियमित करेंगे। चुनाव के टाइम में लोगों को हमने यह कहा। अब आज यह दूसरा बजट है, अभी भी विचाराधीन नहीं है। कब आएगा विचार में? फिर विचाराधीन-विचाराधीन में ही पांच साल पूरे हो जाएंगे। प्रक्रियाधीन-प्रक्रियाधीन में ही पूरे हो जाएंगे। टाइम गुजरते देर नहीं लगती है। आपको ध्यान नहीं है वन-फोर्थ टाइम निकल गया है। अब थ्री-फोर्थ ही बाकी रहा है। थ्री-फोर्थ में फिर चुनाव नजदीक आएंगे, आखिरी साल, उसमें कुछ करोगे भी तो जनता मानने वाली नहीं है कि वोटों के लिए कर रहे हो। आप चाहे कुछ भी कर दो, भले ही सोने से तौल दोगे तो भी वे आपको मानने वाले नहीं। जो भी करना है, वह अभी कर दो। फिर बाद में कुछ भी नहीं है।

मानदेय है, 6 हजार रुपये। एक दिन के कितने हुए, 200 रुपये। आप और हमको यहां विधान सभा में, एक साइन करके सब थोड़े ही मेहनत करते हैं, चले जाएं तो कितने मिलते हैं, 2 हजार। बाकी तो तनख्वाह वगैरह दूसरा सब मामला अलग है। वह क्या मामला है? हम पता ही नहीं पड़ने देते। हां पक्ष, ना पक्ष सब मिल-जुलकर एक मिनट में ही पूरा कर लेते हैं क्योंकि वह अपने हित का मामला है। जहां खुद का हित आता है, वहां फटाक से कर लेते हैं। जहां गरीबों के हित की बात आती है, वहां सुनने को कोई तैयार नहीं है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

200 रुपये में क्या होता है उसका? गुजारा चल सकता है क्या? इस पर कभी विचार करने की जरूरत है। इन्होंने 6 हजार रुपये रखे। इन्होंने तो यह सोच कर रखे कि इनको एक बार एंट्री तो दें फिर बाद में देखेंगे आगे। इन्होंने एंट्री दी। अब उसको नियमित करने का या मानदेय, नियमित नहीं कर सकें तो मानदेय तो बढ़ाओ, कुछ तो बढ़ाओ। न्यूनतम मजदूरी से तो नीचे मत रखो। पंचायत सहायकों का काम जो है, मानदेय या इनको स्थायी करने का है, यह काम भी मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप करें।

सब जगह वित्तीय संसाधन की बात आती है। अब वित्तीय संसाधन, यह वित्त मंत्री का मामला है। सभी कहते हैं कि मैं वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दूंगा। वित्त मंत्रालय के पास तो भेज दोगे, परन्तु वित्त मंत्रालय से मेहनत करके, वहां से निकलवा कर भी तो लाओ। निकलवा कर नहीं लाओगे तो क्या कोई काम होगा? पैसे की तिजोरी की चाबी है मुख्य मंत्रीजी के पास और तिजोरी ये लेकर भी बैठें तो चाबी इनको नहीं सौंपेंगे, तब तक तिजोरी का ताला खोलेंगे कैसे? तिजोरी की चाबी जिनके पास है, उनको कहो कि तिजोरी खोलो।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 000

(13.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): राठौड़ साहब, आपको ध्यान होगा, एक बार यहां विधान सभा में, मेरे गुढामलानी में 132 के.वी. का जी.एस.एस. बनवाने के लिए मैंने चंद्रभान जी को कहा, उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा नहीं कैसे नहीं बनेगा, बनेगा। हेमाराम वोट लेकर आया है, मेरी भी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। मैं भी यहां जनता की सेवा करने के लिए आया हूं, कैसे नहीं होगा, होगा। मैंने फिर उसको करवाया। आपको पता है, आप मेरे पास पूछने आये कि क्या हो गया, मैंने कहा था हो गया, कोई पीड़ा है मुझे। मेरे कहने का मतलब है कि हम भी आये हैं, जनता की सेवा करने के लिए आये हैं। खाली तनख्वाह, टी.ए., डी.ए. के लिए नहीं आये हैं। तनख्वाह, टी.ए., डी.ए. काफी है, मैंने इसका भी हिसाब लगा लिया। यह बहुत बड़ा फायदा है। मैं तो सोचता हूं, खाली इसके लिए आये हैं क्या। राठौड़ साहब ने

(श्री हेमाराम चौधरी)

बीच में एक बार कुछ मुद्दा उठाया था मेरे बारे में, वह सही था। पर अब मैं चाहूं वैसा होता नहीं है। इसलिए आप या तो मेरा काम कर दो, जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, जनता को मुझसे अपेक्षाएं हैं, मैं सेवा करना चाहता हूं वह आप करो, नहीं तो आप मेहरबानी करके मुझे वी.आर.पी., वी.आर.एस., यानी वोलेंट्री रिटायर्मेंट फ्रोम सर्विस, यह अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए होता है, मैं वी.आर.पी. मांगता हूं, वोलेंट्री रिटायरमेंट फ्रोम पालिटिक्स। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं जो बोल रहा हूं वह आप बिगाड़ दोगे। जो कहना चाहता हूं, फिर वह नहीं कह पाऊंगा, आप गड़बड़ कर दोगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं तो कहता हूं वीआरपी, वालेंट्री रिटायरमेंट फ्रोम प्रैक्टिस। सर्विस से कोई भी अधिकारी कर्मचारी रिटायरमेंट क्यों लेना चाहता है, उसको लगता है कि अब अपन ने खूब सेवा कर ली, अब नहीं करें, उसी में अच्छा है, घर बैठने में ही ठीक है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): तभी तो कर्मचारी वी.आर.एस. मांगता है, बाकी मर जाए तो कर्मचारी कभी रिटायरमेंट नहीं ले। अपन लेते हैं क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अपने से चला नहीं जाये, फिर भी अपन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह तो हमारा दुर्भाग्य है, कानून बनाने वालों ने राजनीतिज्ञों के लिए चुनाव की कोई समय सीमा नहीं रखी। समय सीमा रखी होती तो मेरा इससे पिंड छूट जाता। मैं इससे पिंड नहीं छुड़ा सका। कर्मचारी का पिंड क्यों छूटता है, समय सीमा है इसलिए। आप कानून बनाते हैं, पिछली बार आप कह रहे हो, पार नहीं पड़ी, क्या मुद्दा था, यही तो मुद्दा उठाया था। एम.एल.ए., एम.पी. को छूट है और बाकी लोगों को छूट नहीं है। किस बात की, आपको पता है, तीसरी संतान पैदा करने की। आप पढ़ना,

(श्री हेमाराम चौधरी)

सोशल मीडिया मेरे पास तो है नहीं, यह साधारण सा फोन उठाता हूं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मैं उसमें नहीं पड़ता। पर सोशल मीडिया वाले मुझे बता रहे थे, आप उस दिन बोले, लोगों ने बहुत टेक्नीलोजी की, कितने ही फोलोअर्स वगैरह आते हैं न, उसमें। मैंने मेरे लिए कहा क्या, मैं उससे प्रभावित हूं तो कह दो आपने इसके लिए कहा। लोगों की भावना मैंने रखी। हमारे मुख्य मंत्री जी, पिछली बार जब मुख्य मंत्री नहीं थे, आपकी वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, रिफाइनरी चालू करवाने के लिए पचपदरा आये थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एक दो बिन्दु।

पचपदरा आये थे। उस समय अमीन साहब भी थे, हरीश जी भी थे, बाकी सभी सदस्य जो अभी सदन में हैं, वे थे, हमीर सिंह जी को छोड़कर। मैंने शैक्षणिक योग्यता व सन्तान वाली बात रखी थी। लोगों ने आसमान को ऊंचा ले लिया, गुंजा दिया। उससे लोगों की भावना का पता लगता ही नहीं। उस समय मैंने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये दोनों कानून समाप्त कर देंगे। एक तो कर दिया, उसके लिए मुख्य मंत्री जी व उप मुख्य मंत्री जी, दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। दूसरे मुद्दे पर मुझे सफलता नहीं मिली। नहीं मिली, तो नहीं मिली। फिर भी लोग कहते हैं, मैं कहता हूं, मोर बोल रहा है, पपीहा बोल रहा है लेकिन बरसना इन्द्र के हाथ है। आप इन्द्र हो, हम मोर हैं, आप बरसो तो बरसो, नहीं बरसो तो मत बरसो, आपकी मर्जी, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

सूचना

रामगढ़-पचवारा में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के खिलाफ विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र में आदमी सारी तरफ से नाउम्मीद हो जाता है तो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच का दरवाजा खटखटाने आता है। वे आज विधान सभा के बाहर हैं। एक दलित लड़की +++ के साथ दुराचार, दुष्कर्म हुआ। रामगढ़-पचवारा में 8 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज हुई, कोई न्याय नहीं मिला। वे बारबार, 9 जनवरी, 29 जनवरी, 14 फरवरी को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वहां के एसपी से मिले, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सैकड़ों लोग आज पैदल मार्च करके विधान सभा के दरवाजे पर खड़े हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है, कल मुख्य मंत्री राज्यपाल से मिले, सरकार में कुछ चल रहा है, लेकिन जो भी गृह मंत्री का काम देख रहे हैं, एक बार उनके शिष्टमण्डल से मिल लें, उनकी पीड़ा व वेदना सुन लें, कार्यवाही करना या नहीं करना तो इनकी बात है। मैं समझता हूं कि इनसे कोई लम्बी-चौड़ी उम्मीद भी नहीं है। दरवाजे पर आये हैं, यह सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। एक बार उनके डेलीगेशन से मिल लें, मेरी सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19, 21 व 28 पर विचार

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19, 21 व 28 लोक निर्माण कार्य, सड़कें एवं पुल, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, जब यह नई सरकार बनी, नई सरकार में मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री बने, उप मुख्य मंत्री को दो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिये गये, जिनमें एक ग्रामीण विकास पंचायती राज और दूसरा लोक निर्माण, पी.डब्ल्यू.डी.। राजस्थान की जनता को लगा कि जिनको मुख्य मंत्री बनना था वे मुख्य मंत्री नहीं बन पाये, उप मुख्य मंत्री बने, लेकिन इन दो डिपार्टमेंट्स में तो बहुत अच्छे काम होंगे। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में खूब अच्छा बजट रखा जाएगा, जिससे राजस्थान की जनता के विकास के कार्य, जो पूर्ववर्ती सरकार में चल रहे थे वह कन्टीन्यू चलते रहेंगे, इसमें कहीं कोई प्रोब्लम नहीं आएगी।

माननीय सभापति जी, मैं अगर बजट उठाकर देखती हूं, आपके और सदन के सामने रखना चाहती हूं कि क्या हाल हमारे ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट का हुआ है। 2013-14 में जब कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, तब कांग्रेस के समय 4,990.42 करोड़ ग्रामीण विकास में बजट था। 2014-15 से हमने काम करना शुरू किया तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

10,404.62 करोड़ रुपये, जो कि 2013-14 की तुलना में 108 प्रतिशत अधिक वृद्धि भारतीय जनता पार्टी ने की। बी.जे.पी. ने महसूस किया कि ग्रामीण विकास को पूरी तवज्जोह मिलनी चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, इसलिए इतना बजट रखा। 2018-19 तक, 9 प्रतिशत की वृद्धि हम लोगों ने पूरे पांच साल के कार्यकाल में की। जैसे ही इनकी सरकार बनी, 2019-20 में ये आये, 2019-20 का बजट 13,948 जो आज 2020-21 में 7.8 कमी करके मात्र 12,864 करोड़ का ही बजट प्रावधान रखा। किस प्रकार गिरावट आयी है, यह सामने बजट दिख रहा है। 2019-20 की तुलना में 2020-21 के अन्दर जो बी.ई. हम लोग देख रहे हैं, उसमें 0.5 परसेंट गिरावट आयी है। यह साफ दिखा रहा है कि ग्रामीण विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। आज डिमांड पर बहुत सारे माननीय सदस्य बोलेंगे, लेकिन बजट का प्रावधान कम करना, योजनाएं बंद करना, योजनाओं के नाम बदलना, ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी ये कर सकते थे, पिछले 14 महीने में किया। जनता को सुविधा देने के अलावा, टोटली कैसे पूरा राजनीतिकरण किया जाये, वह सारे काम इन्होंने शुरू किये।

माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि एक तरफ तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो देश के प्रधान मंत्री थे, 1952 में बागदरी, नागौर में उन्होंने ग्राम स्वराज की नींव रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का गठन करना, उसकी आगाज, पूरे देश भर की आगाज हमारे इस राजस्थान से की, लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है, यह देख रहे हैं। आज चुनाव को खतम कर देना, प्रशासक लगा देना, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की। जब कभी भी समय आया, इनको सरकार मिली, तो इन्होंने जनता की आवाज दबाने का प्रयास किया।

अभी आपने देखा, 30 साल के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया, जब हमारी 3,800 ग्राम पंचायतों, 286 हमारी पंचायत समितियों और हमारी 35 जिला परिषदों के अन्दर इन्होंने प्रशासक लगा दिये। माननीय सभापतिजी, पूरी तरह से चुनाव न कराकर प्रशासक लगाना, यह साफ दिखता है, इनकी मंशा दिखती है कि ये जन प्रतिनिधियों को नहीं चाहते। जनता के द्वारा चुने हुए लोग, जो जनता की आवाज को सुनकर काम करें, वे नहीं चाहते। प्रशासक लगाकर अपने मनमाने तरीके से कैसे हम सरकार को चलायें, इस तरीके का कृत्य करने के लिए इन्होंने यहां पर प्रशासक लगाये, जो वास्तव में लोकतंत्र

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की हत्या है। यह राजस्थान के लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस राजस्थान के अन्दर शुरुआत होती है, यहां से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं की नींव रखी जाती है, उसी राजस्थान के अन्दर आज इस प्रकार के प्रशासक लगाकर, मनमाने तरीके से किया। यह जो हमारा 73वां पंचायती राज का संशोधन हुआ था, उस पंचायती राज के संशोधन के बाद, जिस प्रकार हमारे यहां के पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने पंचायती राज के लोगों को पावर्स दिये थे, उसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हमारा भाई भी सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है, एक महिला भी पंचायत समिति की प्रधान बन सकती है, यह कानून के अन्दर जो संशोधन हुआ, उसको उन्होंने लागू किया।

मैं हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन राजस्थान के अन्दर उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस पंचायती राज के अन्दर, अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों और महिलाओं को आरक्षण के अन्दर प्रधान और सरपंच बनाया, नगर परिषद् में चेयरमैन बनाया। इस प्रकार से 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा प्रावधान इस राज्य के अन्दर लागू किये, उसका बखान आज तक लोग गाते हैं।

मैं आज इस बात को भी कहूंगी कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने काम के बदले में अनाज योजना शुरू की, अंत्योदय योजना शुरू की। जिस अंत्योदय योजना को पूरे देश के अन्दर सब लोगों ने सराहा और कहा कि वास्तव में गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का काम उन्होंने किया।

आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यह हो रहा है कि योजनाओं को बंद करने का काम सरकार कर रही है। यह कांग्रेस की सरकार गरीब के लिए काम नहीं कर रही है। केवल एक आवरण बना रही है कि हम तो गरीब के साथ हैं। लेकिन सारी योजनाएं, मैं एक के बाद एक सारी योजनाएं बताऊंगी, उन योजनाओं का क्या हाल हुआ है। न तो उन योजनाओं में बजट है, न उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का इन्होंने ऐसा तय किया है, न किसी प्रकार की इनकी इच्छा शक्ति है।

इसलिए, माननीय सभापतिजी, योजना का नाम लूं और आज शुरुआत करूं तो गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना थी। जिस योजना के माध्यम से हम श्मशान घाटों का, जितने भी हमारे गांव के श्मशान घाट होते थे, उन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

श्मशान घाटों का हम लोग विस्तार करते थे। उसमें लकड़ी के घर बनाते थे, टीन शैड लगाते थे, बाउंड्री वाल बनाते थे। उस गुरू गोलवलकर योजना में मात्र 10 प्रतिशत पैसा जनता को वहां से इकट्ठा करना होता था और 90 प्रतिशत पैसा सरकार देती थी। इस योजना में पिछले 14 महीने में एक भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की। किसी प्रकार का कोई पैसा उसमें आबंटित नहीं किया। जब हमने बार-बार जिला परिषद में पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरू गोलवलकर योजना इस सरकार ने बंद कर दी और उसका दूसरा नाम महात्मा गांधी जन सहभागिता रख दिया है। मैंने कहा, अच्छा, गुरू गोलवलकर नाम तो इन्हें पसंद नहीं आयेगा, इसलिए यह योजना तो ये बंद करेंगे, लेकिन क्या महात्मा गांधी जन सहभागिता योजना में पैसा रखा है? तो पता चला जीरो बजट है। एक पैसा भी इस योजना में नहीं रखा। अगर मेरी बात कहीं असत्य है तो जब माननीय मंत्रीजी जवाब दें तो इस बात का खुलासा करें कि क्या इस जन सहभागिता के अन्दर कहीं पर भी किसी भी प्रपोजल को इन्होंने अगर स्वीकार किया हो और राजस्थान के किसी भी जिले में बजट सैंक्शन किया हो तो जरूर यहां पर बताएं। केवल नाम बदलना और नाम बदलकर नई योजना बनाना, उस नई योजना में एक पैसा नहीं रखना।

माननीय सभापतिजी, आप देखिये, हमारी मगरा विकास योजना थी। उस मगरा विकास योजना के अन्दर हमारी 14 पंचायत समितियां आती हैं। इन 14 पंचायत समितियों के करोड़ रुपये हमें विकास के लिए मिला करते थे। यह मगरा विकास, इस प्रकार की मगरा विकास की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को पास करके हम लोग तरह-तरह के सड़क के काम, पीने के पानी का, स्कूल के अन्दर कोई कमरे बनाने का इस योजना से हम काम करते थे। लेकिन पिछले 14 महीने में मगरा विकास समिति का एक भी पैसा हमारी किसी भी पंचायत में स्वीकृत नहीं हुआ। हां, इन्होंने प्रपोजल्स जरूर मंगाये। इन्होंने कहा, प्रपोजल्स भेजिये। 19-20 का प्रपोजल भेजिये, 20-21 का प्रपोजल भेजिये। लेकिन वे प्रपोजल्स ही यहां पर गये हैं। उन प्रपोजल्स के ऊपर जो सैंक्शन निकलता है और सैंक्शन के बाद में पैसे का जो डिस्बर्समेंट होता है, न तो सैंक्शन हुआ, न पैसे का डिस्बर्समेंट हुआ। पैसे का डिस्बर्समेंट नहीं होने से वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। यह मगरा विकास योजना का हाल इन्होंने बनाया।

अब इन्होंने नरेगा के लिए बार-बार कहा कि हमने नरेगा के अन्दर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आकार बढ़ा दिया है। हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। नरेगा से जो हम व्यक्तिगत लाभ देते थे, जहां हमारे किसानों का कुआं खुदवाना है, उनके पोंड्स बनवाने हैं, वहां पर खेड़ी बनवानी है, जो ये सारे काम होते थे, वह कोई काम नहीं हो रहा है। नरेगा के अन्दर व्यक्तिगत लाभ का एक भी पैसा कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। इन्होंने वह सारा बंद कर दिया। कोई पक्के काम नरेगा में नहीं हो रहे। सिर्फ कच्चे काम चल रहे हैं, इधर से मिट्टी उठाई, उधर डाली।

बी.जे.पी. के राज में, माननीय सभापतिजी, हम लोगों ने इतने सारे विकास के काम नरेगा के माध्यम से किये थे, जहां पर नरेगा से हमने काज-वेज बनाये थे। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अगर मैं कहूं तो हमने 9 करोड़ के तीन ऐसे तीन-तीन करोड़ के काज-वेज बनाये। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, आकर देखें। उन्हें भी आश्चर्य होगा, कि नरेगा में भी ऐसे काम हो सकते हैं क्या, लेकिन वे सारे काम हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम पक्के कामों में विश्वास रखते थे। स्कूल्स की बाउण्ड्री वाल्स बनायी गयी हैं लेकिन आज सारे नरेगा के अन्दर विकास के ये सारे काम बंद कर दिये गये हैं। नरेगा के अन्दर, जो लेबर्स, कितने ऐसे लेबर्स हैं, जिनके वहां पर मस्टर रोल्स में, उनके नाम के लिए वे लोग पीछे पड़ रहे हैं, उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं। पंचायतें, मैं आपको बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से भी यहां पर उठाया था, तो माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि उन सारों को नरेगा के अन्दर मस्टर रोल में जोड़ दिया जायेगा लेकिन आज तक भी नहीं हुआ। ये यहां से कहते हैं, लेकिन क्रियान्विति वहां नहीं होती। इनके आपस के क्या झगड़े हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, जो जिलों में बैठे हैं, वे ग्रामीण विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं।

आज मैं कहूं तो देश के प्रधान मंत्रीजी ने 15 अगस्त, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा लाल किले से की थी। यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने जब स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की तो उन्होंने यह कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से गांव-गांव के अन्दर सफाई होगी। हर घर के अन्दर शौचालय बने, जहां पर भी शौचालय नहीं हैं, वहां शौचालय बनने चाहिए। सूचियां निकाली गयीं, 2011 का जो सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में जिन-जिनके भी नाम थे, जहां जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे, उसको पहले चरण में उन्होंने कमप्लीट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

किया। अब दूसरा चरण 2019 में आया। दूसरे चरण में उन्होंने कहा कि जिस भी घर में शौचालय नहीं है, अगर उन्होंने पूर्व में किसी भी फंड से, कहीं से भी उन्होंने बनाये हैं, किसी और योजना से भी बनाया है, वह वास्तव में वहां नहीं है तो शौचालय का पैसा हम लोग फिर से देना चाहते हैं, तो आप इसका पूरा सर्वे करो।

माननीय सभापतिजी, उस सर्वे के अन्दर भी इन्हें समय नहीं मिला कि उसका सर्वे करते। ये सर्वे की रिपोर्ट, अगर मैं राजसमन्द की कहती हूं आपको, तो इतना गलत सर्वे हुआ है। यह जो सर्वे है, यह हमारा एन.ओ.एल.बी. के अन्दर इन्होंने प्रोपर सर्वे नहीं किया। माननीय मंत्रीजी, आप यहां पर विराजमान हैं। ये एन.ओ.एल.बी. की जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, इनको आप वास्तविकता में एट-रेंडम कहीं चैक करवा लें। हम लोग सिर्फ यहां बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप भी एज ए मंत्री, कि आपके कार्यकाल में अगर अच्छा काम हो तो निश्चित रूप से इसका सर्वे, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह पैसा दे रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए, जहां पर शौचालय नहीं हो। उसका पूरा सर्वे होना चाहिए। 22 फरवरी को अंतिम तारीख थी कि पूरा सर्वे करके रिपोर्ट्स भेज दो। रिपोर्ट्स आपाधापी में बनायी गयीं। जो रिपोर्ट्स बनायी गयी हैं, राजसमन्द की रिपोर्ट तो मेरे हाथ में है। मैं उसको टेबल करना चाहूंगी, माननीय मंत्रीजी को यह रिपोर्ट दिखाइये। जिस रिपोर्ट के अन्दर, पंचायतों के अन्दर जो छोटी-छोटी पंचायतें हैं, वहां पर, और जो बड़ी पंचायतें हैं वहां पर, जिस प्रकार का हुआ है कि जहां वास्तव में शौचालय नहीं है, उसमें तो लिखा है कि 200 बाकी हैं, 300 बाकी हैं। जहां पूरी छोटी पंचायतें हैं, वहां लिख दिया कि हजार शौचालय यहां पर बाकी हैं। आप जाकर देखें, उनमें घर ही कितने हैं, उन छोटी पंचायतों में। वहां लिख दिया है कि हजार शौचालय वहां बनाने बाकी हैं। अब इस प्रकार की रिपोर्ट एट ए ग्लांस देखने पर ही पता चलता है कि भारत सरकार जो कार्य करना चाहती है, जनता तक जो सुविधाएं पहुंचाना चाहती है आज मोदीजी अगर स्वच्छ भारत मिशन का सपना लेकर चल रहे हैं तो यह देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद ये देश के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही है। स्वच्छ भारत की बात ही नहीं की है बल्कि करोड़-अरबों रुपये उन्होंने इसके लिए सैंक्शन किये हैं, जिनका हम लोग राजस्थान में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज गांवों के अन्दर सारी सफाई व्यवस्था इतनी गड़बड़ा रही है कि जो ट्रैक्टर्स चलते थे, हम लोगों ने शहर की, जैसे गांवों के अन्दर भी ट्रैक्टर्स चलाये, शहरों में जो डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन होता है, उसी प्रकार गांवों के अन्दर ट्रैक्टर चलाकर घर-घर से कचरा लेने का कार्य शुरू किया था, लेकिन अब ये सारी चीजें बंद हो गयीं क्योंकि सफाई कार्यो का जो बी.एस.आर. है, वह बी.एस.आर. भी चौदह महीने हो गये, अभी तक आप निर्धारित नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत के टेंडर का अधिकार जो ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए और आज तक वह ग्राम पंचायत के पास था, उस अधिकार को भी इन्होंने छीनकर ब्लाक लेवल के ऊपर उसको कर दिया। अब ब्लाक लेवल के ऊपर जो टेंडर्स होते हैं तो वहां वह कभी मैटेरियल सप्लाई नहीं करता है, कभी वह रेती नहीं देगा तो कभी वह सीमेंट नहीं देगा। एज ए रिजल्ट, ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ रहा है और गांवों के अन्दर विकास कार्य बंद हो गये हैं। ये सारे टेंडर्स, जो अब ब्लाक लेवल के ऊपर होने शुरू हो गये हैं, वे ब्लाक लेवल के ऊपर किस कारण से हो रहे हैं, क्या किन्हीं ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर किये जा रहे हैं? गांव का टेंडर गांव के अन्दर हो और गांव के लोग वहां पर उस कार्य को करें या नहीं करें, अपने आप सामने आएगा, लेकिन पंचायत समिति लेवल के ऊपर गांव का सरपंच कब तक पंचायत समिति स्तर पर पूछता रहेगा कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, वह कब शुरू करेगा? यह बहुत बड़ा, इन्होंने यह जो किया है, जो आदेश निकाला है, यह आदेश वास्तव में ठीक आदेश नहीं है, जिसकी वजह से इन सारी चीजों की बहुत कठिनाई आ रही है।

नरेगा के, मुझ से पूर्व वक्ता ने भी यह कहा कि ऐसे 14 हजार कार्मिक थे, जिनको स्थाईकरण करने की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी। जो जन घोषणा पत्र आपने निकाला था चुनाव के समय में, उसमें आपने यह कहा था कि जो नरेगा के कार्मिक हैं उनका हम लोग स्थाईकरण करेंगे। कहां गया उनका वह स्थाईकरण? यह स्थिति है कि उनका स्थाईकरण नहीं हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी के ऐसे चार हजार पद रिक्त हैं। यह स्थिति हो रही है कि ग्राम विकास के जो सचिव हैं, एक-एक सचिव तीन-तीन, चार-चार पंचायतों के ऊपर लग रहे हैं। इतने सारे काम हैं और वे काम पूरे ही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

नहीं हो पाते हैं। जब हम फोन करते हैं तो वह कहेगा कि मैं केलवा में हूं, केलवा में पूछोगे तो वह बताएगा कि मैं बामन टुकड़ा में हूं, बामन टुकड़ा का बताएंगे तो वह कहेगा कि मैं कासोल में हूं। इस प्रकार की स्थिति बना दी है कि वे ग्राम सचिव अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर पंचायतों के चक्कर ही लगाते रहेंगे। पंचायत में कोई ग्राम सचिव मिलता नहीं है।

आप इन ग्राम सचिवों के पदों का भरिये और इन ग्राम सचिवों के पदों को भरकर आप बराबर व्यवस्था दीजिये। ग्राम सचिवों के पद रिक्त होने की वजह से ऐसे हमारे गांव के लोग जितने सपने देखते हैं, जितने विकास के काम के सपने, वह सपने कोई पूरे नहीं हो रहे हैं। और तो और, अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो उन लोगों के जो ग्राम सहायक लगाये गये थे, जो विद्यार्थी मित्र बाद में ग्राम सहायक लगाये गये थे, उन ग्राम सहायकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, दस महीनों से वह ग्राम सहायक दर-दर की ठोकर खा रहे हैं कि हमें तनख्वाह मिल जाए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। यह कैसी सरकार है? यह सरकार स्थाईकरण की बात करती है, यह सरकार यह कहती है कि हम लोग आपको परमानेंट कर देंगे, सपने दिखाती है, वोट ले लेती है और वोट लेने के बाद जब सरकार बन जाती है तो स्थाईकरण तो दूर की बात है, उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, इस प्रकार की यह हालत इन्होंने बना रखी है।

पालनहार योजना के बारे में, हम लोगों ने कल भी बहुत सारा डिस्कस कर लिया कि छह महीने से यह हालत बनाई है कि एक भी प्रपोजल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी, पहले तो 14 महीने से किसी के पेमेंट नहीं हो रहे थे, अब पिछले 6 महीने से कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। पालनहार योजना की यह दशा है कि अगर कहीं गांव में जाते हैं, किसी के पति की डैथ हो गयी है, पत्नी के लिए कहते हैं कि, साहब, पालनहार के अन्दर इसका नाम लिखा दो, इनके बच्चों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन वह पालनहार योजना बिलकुल बंद कर दी। अब यहां पर सिर्फ जवाब में कहते हैं कि पालनहार योजना शुरू है, हम लोग इसके अन्दर पैसा करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह योजना नहीं चल रही है। पूरे राज्य के अन्दर अगर हम इसको पूरा देखें तो स्थितियां बड़ी विकट होती जा रही हैं। विकट ऐसे हो रही हैं कि इन्होंने हर तरीके से, जो ग्रामीण विकास है, उस ग्रामीण विकास का जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मकसद था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने एक मिनी सैक्रेटेरिएट बनाया था और मिनी सैक्रेटेरिएट के रूप में हमने यह कहा था कि यहां पर हर तरह के सारे काम एक छत के नीचे होंगे, लेकिन आज वह वहां पर नहीं हो रहे हैं। आज इसमें इन्होंने एक तरह से जो बात कही है, वह बात कही कि हम लोग गांवों के अन्दर डीलिमिटेशन करके तो नई पंचायतें बनाएंगे, लेकिन उन पंचायतों के अन्दर क्या स्थिति है? उन पंचायतों के अन्दर डी-लिमिटेशन में इन्होंने 47 पंचायत समितियां बनायीं, 157 नई पंचायतें बनायी हैं, लेकिन एक पैसा नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भी ये नई पंचायतें बनायी थीं, हमने भी नई पंचायत समितियां बनायी थीं, लेकिन जैसे ही हमने नई पंचायत का गठन किया, हमने तुरन्त उसको दो करोड़ रुपये दिये कि वह भवन बनाये, भवन बनाकर व्यवस्थित रूप से उस पंचायत में कार्य चलाये, लेकिन आज भवनों का एक पैसा नहीं। केवल पंचायतें बनानी हैं और वह पंचायतें भी कैसे बनायीं कि एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव को इस गांव के अन्दर लेना है, सारे जो डीलिमिटेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको पूरा नजरंदाज किया। किसी प्रकार के पंचायत के अन्दर पंचायत बनने के जो सारे नोर्म्स हैं, उन नोर्म्स को पूरी तरह से वायलेट करके उन पंचायतों का गठन केवल इसलिए किया कि हम इसके अन्दर चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए यहां से यह नई पंचायत बनायी जाए, छोटी-छोटी यह इनको बना दो। मतलब, 4 हजार से ऊपर, जो नोर्म्स हैं पंचायत बनाने का, उसका पूरी तरीके से वायलेशन हुआ है। कहीं पर 4 हजार नहीं, 2 हजार की भी थी तो उस पंचायत को तोड़ दी और कहीं का कहीं पर जोड़कर उसको दूसरी पंचायत बना दी। सिर्फ यह देखा गया कि कैसे हमारा कांग्रेस का सरपंच इसमें से जीत सकता है। इसलिए यह नई पंचायत का गठन कर दो। नई पंचायतों का गठन करके और यह सारे इलेक्शंस को रोककर कि अभी पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव नहीं कराने हैं, इसके पीछे जो इनकी मंशा है, जो गांव-गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, वह चर्चा यह थी कि इन्हें चुनाव ही नहीं कराने थे और चुनाव नहीं करवाकर डाइरेक्ट सरपंचों के माध्यम से प्रधान बनाएंगे, इस प्रकार का भाव इनके मन में था। यह तो अच्छा हुआ कि जब पंचायतों के चुनाव हुए तो पूरे राजस्थान में 75 प्रतिशत ग्राम सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आये। इसलिए जो इनकी मंशा थी कि हम पंचायत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
समिति के चुनाव नहीं कराएंगे, उस मंशा पर पानी फिर गया। वह पानी फिर गया, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे।

यह प्रशासक बनाना और यह कहना कि हम लोग काम कर रहे हैं, वह प्रशासक तो जनता की बात सुनता नहीं है। वह तो फोन करता है कलेक्टर को, वह तो फोन करता है ऊपर कि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का यह विधायक बैठा है, इसका क्या करना है, यह काम करना है या नहीं करना? ऊपर से यह कहते हैं कि चलो उनको यह कह दो कि देखते हैं। वह नीचे जवाब दे देते हैं कि देखते हैं। अब यह देखते हैं, देखते हैं, इसमें ही चौदह महीने निकल गये और सरकार 'देखते हैं' में ही चल रही है। इस सरकार ने गामीण विकास की किसी योजना में जो पैसा लगना चाहिए, नहीं दिया।

आज प्रधान मंत्री ग्राम आवास योजना बनायी प्रधान मंत्रीजी ने। अब इतनी अच्छी आवास योजना, एक गरीब का सपना पूरा होता है कि उसको एक मकान मिल रहा है, जो सपना वह हमेशा देखता है। बेटियों की शादी करता है और सारी जिम्मेदारियां निभाता है, सोचता ही रहता है कि मेरा भी कभी खुद का मकान होगा, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी ने इतनी अच्छी योजना शुरू की, प्रधान मंत्री आवास योजना, जिस योजना के माध्यम से उस गरीब को पक्का मकान मिल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, उस योजना से, जो गरीब को मकान मिलने की योजना है, उसका हाल इन्होंने क्या बनाया, जो 6 लाख 75 हजार मकान 2018-19 के अंत तक बन जाने चाहिए थे, उसमें और 2 लाख मकान भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने स्वीकृत करवाये थे, आज उस लक्ष्य की ये पूर्ति नहीं कर पाए। दूसरी और तीसरी किश्त ये लोग नहीं दे पाये। यह स्थिति इन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना की बनायी थी। वह गरीब कहीं से कर्जा लेकर, वह बिना छत के बैठ नहीं सकता, उसने देखा कि दूसरी और तीसरी किश्त तो आ ही जाएगी, मैं तो अपने आप ही छत डाल ही दूं, तो उसने पूरा मकान बना लिया, लेकिन वह दूसरी और तीसरी किश्त इन्होंने अभी तक भी नहीं दी है। ये क्या कहते है कि इसकी जियो टैगिंग कराओ। जियो टैगिंग किये हुए पड़े हैं, लेकिन आज तक उसकी किश्त नहीं देना, यह कहां की स्थिति है कि उस गरीब को ब्याज चुकाना पड़

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रहा है। जबकि प्रधान मंत्री आवास योजना में जो उसका सैंक्शन मकान है, उसके पूरे पैसे उसके खाते में नहीं आ रहे हैं। यह हाल इन्होंने बनाया है। इसलिए यह तो मैंने एक झलक ही दी है, बहुत कुछ कहने को है।माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे हैं, समाप्त करो।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं पी.डब्ल्यू.डी. के ऊपर आना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति इन्होंने पी.डब्ल्यू.डी. की बनायी। आज आप देखो।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं पी.डब्ल्यू.डी. के ऊपर बोलना चाहती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, अब।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर इनकी सारी सड़कें, जो सैंक्शंड थीं, गौरव पथ जो सैंक्शंड था, वर्क आर्डर हो गया, उस गौरव पथ को इन्होंने रोक दिया। इन्होंने कहा कि इसको रोक दो। हमने हमारे वहां के पी.डब्ल्यू.डी. के इंजीनियर्स से पूछा तो उन्होंने कहा हमें ऊपर से आदेश है कि अभी इस कार्य को रोका जाए। मैंने पूछा उसको कैंसिल कर दिया क्या उन्होंने? कहा कि कैंसिल तो नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, 14 महीने से किसी कार्य को रोका जा रहा है। आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल कर दें। जिनके वर्क-आर्डर्स हो गये, जिन्होंने काम शुरू कर दिया, उनके पेमेंट्स नहीं हो रहे। जिन्होंने काम शुरू नहीं किया, वह पेमेंट नहीं करना और जो वर्क आर्डर्स हो गये, उनके काम शुरू नहीं करना, जिस काम को अधरझूल में डाला है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगी कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि जिन ठेकेदारों ने काम कर दिया, उनके पेमेंट्स कब तक होंगे और जिन वर्क आर्डर्स को आपने दे दिया, उन वर्क आर्डर्स का काम कब शुरू होगा या नहीं होगा? इसके बारे में वह स्पष्ट करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज यह स्थिति है। माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर दूं। अच्छा, अब मैं कन्क्लूड कर दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कन्क्लूड कर रहे हैं।

श्री सभापति: आपने ही लिखकर दिया है। आप सारा समय इन्हीं को दे दें सुबह से शाम तक, मुझे क्या दिक्कत है। आपने लिखकर दिया है, उससे ज्यादा बुला लिया, अब क्या करें, बताइए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, कन्क्लूड कर रही हूं। आज यह स्थिति है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप। इतना टाइम नहीं है अब आपके पास में, कन्क्लूड करें अब आप इसको।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अच्छा तो अब जो डिमांड्स के लिए हम लोगों को यहां पर बुलवाया है, इतना तो करें, माननीय सभापति महोदय, कि जो डिमांड पर बोलते हैं माननीय सदस्य, उस डिमांड पर बोलने पर उनके कार्यों को करवाएं। जितने जवाब आ रहे हैं डिमांड्स के, वे जवाब यही आ रहे हैं, यह नहीं हो सकता, बजट की उपलब्धता होने पर विचार किया जाएगा। सबमें नेगेटिव रिप्लाई आ रहे हैं तो कम-से-कम उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं यहां पर, और दो-दो विभाग हैं इनके पास, कटमोशंस के जवाब कहीं तो पाजिटिविटी में दीजिए आप। कहीं तो कहिये आप कि यह काम इतने समय में हम करवाएंगे। समयबद्धता के साथ में काम को करवाएं। यही मैं आपसे उम्मीद करती हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 19, 21 और 28 पर चर्चा हो रही है। मैं कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में काफी गम्भीर समस्या है। वहां पर किसी भी कार्यालय के लिए बिल्डिंग नहीं है। न तो एस.डी.एम. कार्यालय के लिए है, न तहसील के लिए है, न कोर्टों के लिए कोई बिल्डिंग है, न सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने के लिए कोई भी बिल्डिंग है। जो पुराने किले हैं, जो राजा-महाराजाओं के जमाने के बने हुए हैं, उनमें सभी कार्यालय खुले हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, न तो उनमें कोई सुविधा है, न जनता के लिए कोई सुविधा है और एक ही बिल्डिंग में, माननीय सभापति महोदय, इतने कार्यालय कैसे चल सकते हैं, यह तो आप भी जानते हैं। नगरपालिका भी उसी परिसर में है और जितने भी सरकारी

(श्री गिर्राज सिंह)

कार्यालय हैं, वे सभी पुराने किले में हैं। जो मकान रहने के लिए हैं, वे भी नहीं हैं, उन्हीं में रह रहे हैं। अभी और कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे बाड़ी की समस्या है और काफी बार मैं इस समस्या को सदन में उठा चुका हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास बाड़ी में कृषि उपज मण्डी की एक जमीन है। वह करीब 35 बीघा जमीन खाली पड़ी है। कृषि भवन के अलावा उनको जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि एक ही जगह सभी कार्यालय हो जाएं तो जो बार-बार जनता को भागना पड़ता है, एक आफिस कहीं खुला है, एक आफिस कहीं खुला है तो उससे जनता को परेशानी होती है। एक ही जगह बिल्डिंग बन जाए तो एक ही छत के नीचे जनता के सभी कार्य हो जाएं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर रहने के लिए इतनी जमीन है कि वहीं पर बिल्डिंग भी बन जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां जलदाय विभाग की भी यही स्थिति है कि वहां पर भी रहने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है और जो पुराने मकान बने हुए हैं, वह बहुत जर्जर हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बाड़ी से सैपऊ के लिए जाते हैं तो बरसात में जो पार्वती नदी और बाह्मणी नदी चलती है तो उसके कारण रास्ता बंद हो जाता है। दोनों नदियां एक ही जगह जुड़ी हैं, इसके कारण वहां पर काफी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। उस पर पुल की व्यवस्था करवायी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बाड़ी से सैंपऊ-बसई-नवाब होते हुए आगरा के लिए रोड जाती है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है मेरे विधान सभा क्षेत्र से, तो जो अपना हाईवे है, वह नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाए। आगरा की दूरी वहां से 30 किलोमीटर के करीबन है। एक बहुत अच्छा रोड हो जाएगा, आने-जाने वालों के लिए भी काफी नजदीक पड़ेगी और 25-30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बाड़ी की रिंग रोड की समस्या है। वैसे तो मुझे मंत्रीजी ने काफी बार आश्वासन दिया है और अभी थोड़ी देर पहले भी मिले थे, तब भी इन्होंने मुझसे यही कहा कि आपकी बाड़ी की रिंग रोड करा देंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आज ही घोषणा करें। बाड़ी में जाम की समस्या है, इससे हम बहुत परेशान रहते हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

कहीं कोई मरीज भी लाना होता है तो इसके लिए हमको काफी चक्कर लगाकर लाना पड़ता है। कई बार तो कच्चे रास्ते से आना पड़ता है, बाजार के अन्दर तो आ ही नहीं सकते। वहां पर रोड एक मिनट भी खाली नहीं रहता है। जब देखो तब जाम ही लगा रहता है। एक साइड से जाम हटता है तो दूसरी साइड पर जाम लग जाता है। दूसरी साइड से हटेगा तो तीसरी साइड में जाम लग जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी भी हैं कि वह इस रिंग रोड की आज ही घोषणा कर दें, तो बाड़ी की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, जो बाड़ी में डाक बंगला बना है, उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। मैं समझता हूं कि कोई छोटा-मोटा काम बचा है तो उस बचे हुए कार्य को भी चालू करा दिया जाए और जो कोई कमी है तो उसको भी ठीक कराया जाए। उसमें कोई ज्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बाड़ी में सीवर लाइन स्वीकृत पड़ी है। इन्होंने उसे चौथे चरण में ली है। बाड़ी में जो सीवर लाइन के कार्य इन्होंने स्वीकृत कर दिये, वहां पर थोड़ी समस्या है तो इसको थोड़ा पहले करा लिया जाए। जनता के हित को देखते हुए एक-दो साल पहले उस कार्य को चालू करा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, 11 साल हो गये मुझे सदन में, 11 साल से मैं बराबर मांग कर रहा हूं। मेरे से पूर्व आने वाले लोगों ने मांग की या नहीं की, उसका तो मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे यहां एक सोने का गुर्जा का पुल है, वह 1996 से अधूरा पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि तीन-चार बार राज बी.जे.पी. का भी आ गया और तीन बार हमारा भी आ गया। पर अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उधर वाले इधर वालों पर आरोप लगा देते हैं और हम लोग उधर वालों पर आरोप लगा देते हैं। माननीय सभापति महोदय, आरोपों से काम नहीं चलेगा। जो दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाली है, इसका आज तक कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई कह देता है कि वन विभाग की एन.ओ.सी. नहीं आई है वन पर्यावरण की, कोई कह देता है कि मध्य प्रदेश ने अभी एन.ओ.सी. नहीं दी। सभापति महोदय, मैं जानता हूं अब सबकी एनओ.सी. भी आ चुकी है। सभापति महोदय, 1996 में इसकी कोई न कोई जरूरत होगी, 26 साल हो गये, तो जब 1996 से अभी

(श्री गिर्राज सिंह)

तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब इसमें कितना टाइम और लगेगा? मैं जानता हूं कि 1996 से हो गयी, अब ये 86 का इंतजार करें या और आगे तक इंतजार करें? तीन बार इधर की सरकार हो गयी और तीन-चार बार इनकी भी सरकार आयी है। माननीय स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी और दिग्विजय सिंह, दोनों ने ही जाकर उसका उद्घाटन किया, दोनों ही मुख्य मंत्री उद्घाटन करके आये। सभापति महोदय, वहां की बहुत बड़ी समस्या थी कि चम्बल में आने-जाने के लिए लोगों की जान जाती है और गांव के लोग हैं वे 200 किलोमीटर का चक्कर लगाकर तो आ नहीं सकते हैं। तो वे क्या करते हैं कि उसमें से तैरकर निकल जाएंगे और तैरकर नहीं जाएंगे तो कोई कपड़े मूंड़ से बांधकर निकल जाएगा, कोई गाय भैंस के हिसाब से चला जाएगा, कोई नाव लेकर चला जाएगा। सभापति महोदय, अब उसमें एक समस्या आ गयी है कि अब तक तो उसमें घड़ियाल नहीं थे अब उसमें घड़ियाल आ गये और काफी मगरमच्छ भी आ गये तो वह एक समस्या है। उसके लिए मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समस्या का समाधान करें।

एक, सभापति महोदय जो अपने एम.एल.ए. लैड है, यह सभी विधायकों की समस्या है। अपन बाड़ी, बाड़ी क्या कहीं भी शहर में, वह तो पूरे प्रदेश की समस्या है, एक मेरी ही नहीं है, कहीं भी अगर नगरपालिका क्षेत्र में अपन कोई भी काम कराते हैं तो ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बना पाते हैं। अगर ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाते हैं तो उधर नगरपालिका काम नहीं कराती है, तो, सभापति महोदय, हमारा विकास रुक जाता है। सभापति महोदय, इसमें तमाम तरह की नई-नई प्रक्रियाएं कर दी हैं। एक पी.डब्ल्यू.डी. की रिपोर्ट लाओ एक-आधा परसेंट वह खा जायें, एक चोर के ऊपर एक चोर बैठा रहे हैं, सभापति महोदय, एक वह और अलग से बैठा दिया और एक अभी पटवारी की रिपोर्ट लेकर आओ। वह कितनी रिपोर्ट्स लेकर आएं इन विकास कार्यों के लिए, कहां-कहां से रिपोर्ट आएगी, इस तरीके से तो विकास ही नहीं होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जो टेंडर प्रक्रिया कर रखी है, कितनी टेंडर प्रक्रियाओं से चलें, हमें कितनी रिपोर्ट चाहिए? हमें पी.डब्ल्यू.डी. की रिपोर्ट की जरूरत कहां है? अगर जरूरत है तो किसी को, अपने डिपार्टमेंट में ही अपन कोई एक इंजीनियर रखें, उसकी रिपोर्ट ले लें।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, जो सिटी के अन्दर है, अगर नगरपालिका एजेंसी बना देते हैं, पंचायत तो बना नहीं सकते हैं, इन्होंने कोई सर्कुलर निकाल रखा है, जब हम पंचायत को नहीं बना सकते हैं तो नगरपालिका काम नहीं कराती है कि हम एम.एल.ए. लैड के काम नहीं करायेंगे, तो, सभापति महोदय, फिर विकास का काम कैसे होगा? मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इतनी अड़चनें लगा रखी हैं, सभापति महोदय, एक ग्राम लेवल पर टेण्डर प्रक्रिया है, वहां पर जाकर क्योंकि टेण्डर में कम्पीटिशन हो जाते हैं, वह जाकर माल की सप्लाई नहीं करता है। जब माल की सप्लाई नहीं होगी तो फिर इसके कारण से विकास नहीं होगा। सभापति महोदय, एम.एल.ए. लैड में लाइन लगा करके जो इतनी समस्या कर रखी है, अब एक पटवारी की रिपोर्ट नई चालू कर दी, पटवारी की रिपोर्ट आएगी तब जाकर फिर पी.डब्ल्यू.डी. वाले की रिपोर्ट लेकर आओ, तो कितनी रिपोर्टस लेकर आएं? एक जमीन के पट्टे और वे तो चालू हैं ही दुनिया भर के कि इस जमीन का पट्टा होगा या इसकी कोई एजेंसी होगी तभी जाकर अपन कार्य करेंगे, तो, सभापति महोदय, वहां तक तो ठीक है, पर जो यह नई-नई चीज है पटवारी वाली, एक एक्स.ईएन वाली, तो अपने अगर कोई भी लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी लगे वह डिपार्टमेंट से सम्बन्धित होना चाहिए। यह नहीं है कि बार-बार ये चक्कर हो गये, अब पटवारियों के चक्कर लगाना चालू कर दिये। कहीं कोई नहीं मिलेगा, कहीं कोई नहीं मिलेगा तो किस-किस के चक्कर लगाएं। एक जो पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी बनाते हैं या पंचायतों को बनाते हैं सिटी के अन्दर।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, यह जो प्रक्रिया है, यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। माननीय मंत्री महोदय, इस बाधा को हटाया जाये। बाड़ी में या तो यह है कि नगरपालिका काम नहीं करती है। अगर नगरपालिका काम नहीं करती है तो बाड़ी के अन्दर या पूरे प्रदेश के अन्दर कैसे विकास होगा। सभापति महोदय, यह तो आपकी भी समस्या है और हमारी भी समस्या है, सबकी समस्या है। तो जो पंचायत है, पंचायत समिति या पंचायत है, इनको भी आथोरिटी दी जाये कि वह सिटी के अन्दर कार्य करा सकें, नहीं तो इससे विकास रुक रहा है। सभापति महोदय, हमारे पिछली बार के एम.एल.ए. लैड के पैसे हैं, अभी वे इसी पेच में पड़े हुए हैं। कहीं जाकर उधर का एक कागज आ जाता है तो दूसरा नहीं देगा, 4 महीने 6 महीने हो

(श्री गिर्राज सिंह)

जाते हैं फिर जाकर वे कह देंगे कि अब यह रिपोर्ट पुरानी हो गयी, 6 महीने पुरानी रिपोर्ट हो गयी। अब बार-बार हम इसी काम को करें?

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 लोक निर्माण, 21 सड़कें एवं पुल, 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, अंग्रेजों के जमाने के हमारे तहसील हैडक्वार्टर पर भादरा में रैस्ट हाउस की दशा इतनी खराब है कि उस जमाने में बना हुआ रैस्ट हाउस आज पी.ब्ल्यू.डी. विभाग को याद कर रहा है कि कोई तो आये, मुझे कोई तो सम्भाले। बड़े-बड़े मंत्री और मुख्य मंत्री भी उस रैस्ट हाउस में रहे हैं। बता रहे हैं कि सुखाड़िया जी वहां एक रात के आवास पर रहे थे पर आज उसकी हालत खराब है। मेरी शासन से मांग है कि उस रेस्ट हाउस की दशा और दिशा दोनों को सुधारने का काम करें।

सभापति महोदय, 2016 में भादरा से राजगढ़ सड़क पर रेलवे लाइन पर एक ओवर ब्रिज बना था। पी.डब्ल्यू.डी. ने उसको 37 करोड़ रुपये की लागत से बनाया। अभी तक वह शुरू नहीं हो पाया, इस बात के लिए कि वह थोड़ा ऊंचा भी ज्यादा है और टेढ़ा बन गया, वह कभी भी गिर सकता है। अभी उसको तैयार नहीं किया, न ही वाहन के लिए खोला गया। क्योंकि हमने पिछली बार मांग की थी कि उसकी जांच की जाये पर जांच करने वे ही लोग गये, जिन लोगों के नेतृत्व में या जिन लोगों की निगरानी में उसका निर्माण हुआ था। सभापति महोदय, जिन लोगों ने निर्माण कराया वे खुद की क्या जांच करेंगे? 37 करोड़ रुपये जनता की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई 4 साल से वेस्ट है। हम जनता को क्या जवाब दें कि यह कैसे नहीं हो पा रहा। उप मुख्य मंत्री बैठे हैं, मैंने इनको पहले भी लिखकर दिया है, आप जांच कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

आपने कुल 6,808 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया है। मेरा लास्ट विधान सभा क्षेत्र भादरा जो यहां से 350 किलोमीटर दूर है, एक सड़क यहां से जाती है वाया राजगढ़ होते हुए, भादरा

(श्री बलवान पूनियां)

होते हुए, सिरसा होते हुए, जो सीधी जालंधर, हिमाचल तक जाती है। रोडवेज की बसें चलती हैं, पर उस सड़क की हालत इतनी खराब है, एक बार कभी आपकी नजर पड़ी थी, उन्होंने बनवाई थी, पर यह नजर तो इनकी थोड़ी ठीक पड़ी, पर वह नजर तीन-एक साल में खराब हो गयी, फिर इन्होंने क्या किया, मुझे पता नहीं। दंड तो देना चाहिए था, यह इनके जिले की है। बनायी तो सुन्दर, पर वह टूट गयी, कोई तकनीकी फाल्ट रह गया होगा। इनके यहां चूरू में एक पुल भी बना था, उसको भी चैक करना, बने हुए दो ही साल हुए हैं पर उसके आगे लगा दिया कि अब यहां से कोई साधन नहीं गुजर सकता। वह भी रेलवे लाइन पर चूरू कलेक्ट्रेट से जस्ट आगे, पिलर नम्बर तो मुझे याद नहीं है, पर उसका लोकार्पण हुए हुए दो-तीन साल ही हुए हैं, वह भी जांच करने का विषय है, मैं आपका ध्यान उधर दिलाना चाहूंगा।

मैं आपकी लाइट चाहूंगा कि आप हमारी सड़क का निर्माण करें। दो विधान सभा क्षेत्र लगते हैं, मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि इस सड़क का निर्माण करें। बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि चूरू से तारानगर सड़क का चौड़ाईकरण करके इसका निर्माण किया जाएगा। सभापति महोदय, मेरी मांग रहेगी कि इस सड़क को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाये साहवा तक और साहवा से मेरे भादरा तक। साहब, आजादी से पहले की सड़क बनी हुई है, उसके बाद उस सड़क की कभी भी मरम्मत नहीं हुई। यह तो बात सही है कि वह जमाना बहुत शानदार था। उस समय जिसने वह सड़क बनायी वह सड़क आज तक, जिस जगह सही माल था या पानी का कटाव नहीं आया, वह सड़क वहां से नहीं टूटी है, पर अब उसकी हालत खराब है। दोबारा उसका चौड़ाईकरण कर उसका निर्माण करने की हम मांग करते हैं। मेरी तो सरकार से मांग है कि आप पिछली 15 किलोमीटर की भरपाई करेंगे तो इस बार हमें 30 किलोमीटर सड़क दीजिए ताकि हम एक विधान सभा क्षेत्र में लोगों को मिसिंग लिंक दे पाएं।

सभापति महोदय, मेरी दूसरी मांग भी है, हालांकि वह मांग नरेगा से जुड़ी है। नरेगा जब राजस्थान में शुरू में आयी थी तो उस समय मैं जिला परिषद् मैम्बर था। हमने खूब जमकर के ग्रेवल सड़क बनायी थी। मैं कोट करना चाहूंगा कि तारानगर तहसील की एक कालवास पंचायत है। उस पंचायत के चारों तरफ जितने भी कच्चे मार्ग थे, सभी में ग्रेवल सड़क बनी। आज तक भी उस ग्रेवल सड़क पर कोई गाड़ी नहीं धंसती है। वह टीबों के अन्दर से

(श्री बलवान पूनियां)

ग्रेवल सड़क बनी हुई है। हम आज नरेगा में ग्रेवल सड़क का काम हाथ में ले सकते हैं, जब तक कि मिसिंग लिंक का पूरा बजट हमें मिल नहीं पाये।

सभापति महोदय, भादरा से साहवा रोड पर एक सी-65 रेलवे का अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाने की बार-बार मांग उठती है। शहर 2 भागों में बंट जाता है। आजकल ट्रेनों के फेरे बढ़ गए हैं। वह पूरे 24 घंटों में कम से कम 400 मिनट तक बंद रहता है। उस फाटक पर हम ओवरब्रिज या अंडर-ब्रिज की मांग करते हैं। जब भी हम रेलवे से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि आप राजस्थान सरकार से इसका पैसा दिलवाएं। हम तो तैयार हैं। हमारी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार है। आप सी-65 पर भी अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाने का काम करें।

सभापति महोदय, 2018 में जिन सड़कों के उद्घाटन हुए थे, आज उनकी स्थिति क्या है? पूरे राजस्थान में यह मैसेज जाए कि आज उनका कहीं तो अर्थ वर्क चल रहा है। कहीं उनका डामरीकरण हो रहा है। उसका उस समय वित्तीय प्रावधान क्या रखा था? माननीय सदस्य अभी गिना रही थीं कि सड़कें खूब बनायीं। आपने ऐसी सड़कें बनायीं कि चाहे वित्तीय स्वीकृति जारी की या नहीं की, लेकिन पत्थर लगाना आप नहीं भूले। आप पिकअप में पत्थर लेकर गये। इतने बड़े-बड़े पत्थर लगाकर के आये। वे सड़कें आज हमारे लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। उप मुख्य मंत्री जी, आप आज इस बात को बिलकुल स्पष्ट करें। पूरे राजस्थान में बात जानी चाहिए कि ऐसी-ऐसी घोषणाएं की थीं। हालांकि आपने पिछले बजट में की थीं। लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं था। आपने घोषणाएं तो कर दीं। हमारे यहां जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनकी लिस्ट आपको दे देंगे। आपको एक-एक सड़क क्या गिनाएं। पूरे इलाके में जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनका आप दुबारा डामरीकरण करने का काम करें।

सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्या गिना रही थीं कि जब पंचायत का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में 75 परसेंट सरपंच बी.जे.पी. के जीते हैं, लेकिन जो मेरे घर आकर के लड्डू खाकर के गए थे, मैं उनके लिए क्या कहूं? मेरे घर जो सरपंच आकर के लड्डू खा गए, मैं उनको कैसे मानूं? मैं तो 100 परसेंट ही मेरे मान रहा था। अब 75 इन्होंने गिना दिये। अब यह तो गणित खराब हो गया। मैंने उनके साथ जो लोग आये उनको दो क्विंटल लड्डू खिलाये हैं। ऐसा नहीं है। इनको वह एम.पी. वाले चुनावों की याद आ रही है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सरपंच गांव के विकास के लिए बना है। वह

(श्री बलवान पूनियां)

सरकार के साथ रहकर के काम करना चाहता है। जन प्रतिनिधियों का हम सम्मान करते हैं। जन प्रतिनिधियों का सम्मान हम तब कर पाएंगे, जब बहुत सारी चीजों के लिए हम पंचायती राज की तरफ देखेंगे।

सभापति महोदय, एक तो मेरा स्पष्ट निवेदन है कि महात्मा गांधी जन सहभागिता योजना के काम हम ज्यादा से ज्यादा हाथ में लें। आज हर गांव में, बाहर जो लोग रहते हैं, व्यवसायी हैं, गांव में अपना नाम चाहते हैं, अपने बुजुर्गों का नाम चाहते हैं, वे जन सहभागिता योजना में पैसे दे देते हैं। सरकार सबसे ज्यादा महत्व इस चीज को दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक काम आगे बढ़ें।

सभापति महोदय, मैं नरेगा की तरफ थोड़ा सा ध्यान सरकार का इंगित करना चाहूंगा। पूरे राजस्थान में नरेगा में मजदूर बढ़े हैं। इस सरकार के आने के बाद में मजदूरों की संख्या बढ़ी है। इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन 52 लाख के अगेंस्ट में 52 हजार लोगों के भी आप पी-6 फार्म दिखा दें तो ताज्जुब होगा। पी-6 फार्म आज भी नहीं भरवाये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, काम की क्वालिटी भी नरेगा में डाउन हुई है। जो उत्साह नरेगा में 2008, 2009 और 2010 में था, वह उत्साह आज नहीं है। उसके लिए कहीं न कहीं मजदूरों में कमी निकालने की जरूरत नहीं है। वह हमारे में कमी है। उस समय हमने पालना, मटका, टैंट, मेडिकल और पीने के पानी की व्यवस्था नरेगा के कार्य स्थल पर की थी। उस समय हमने मजदूरों को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि आप पूरा काम कीजिए, आपको पूरे दाम मिलेंगे। लेकिन आज दुकान अलग ही चल पड़ी है। आज दुकान यह चल पड़ी है कि काम करो या न करो, आगे फर्जी नाम चल पड़े हैं। उन फर्जी नामों से उनकी दिहाड़ी प्रभावित हो जाती है। जो मजदूर काम पर जाते हैं, उनकी मजदूरी प्रभावित होती है। अगर मजदूरों को पैसे पूरे नहीं मिलते हैं तो वे काम भी कम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जो लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हैं। जो एक अफसर दूसरे अफसर से बात करता है। इसका दायरा थोड़ा व्यापक करिये। आप सैक्रेटरी को कहिये, जे.टी.ए. को कहिये, बी.डी.ओ. को कहिये कि आप कार्यस्थल पर जाइए और वीडियो काल करिये। उनसे पूछिये कि आपके पास कितने मजदूर थे और आज कितने हैं? रेंडमली सर्वे कर लीजिये अगर आपको पूरे मजदूर मिल जाएं तो? इस कारण से नरेगा दम तोड़ रहा है। आप

(श्री बलवान पूनियां)

वीडियो काल से सैक्रेटरी को, जे.टी.ए. को पूछिये कि जाइये और दिखाएं कि मजदूर हैं कि नहीं हैं? सब फर्जी नाम चल रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं। मैं आपको कभी भी वीडियो काल करके दिखा सकता हूं। मैंने लोगों की हाजरियां काटी हैं।

सभापति महोदय, नरेगा में दिन बढ़ाने के साथ-साथ, मजदूरी बढ़ाने की मांग भी हम करते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बस थोड़ा सा और बचा है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना और कैटल शेड योजना में भी पारदर्शिता से काम करने की जरूरत है। पंचायत विकास अधिकारियों की पोस्टिंग एक जिले से दूसरे जिले में करने की भी हम मांग करते हैं। 2012 में उनके ही संगठन ने कह दिया था कि हमें राजनीतिक प्रताड़ना के रूप में दूसरे जिलों में भेज दिया जाता है। जबकि उनका एक दल आज आकर के मुझे ज्ञापन देकर के गया है कि जो एक जिले के बच्चे हैं, वे दूसरे जिलों में जाकर के नौकरी लग गये। वे चाहते हैं कि हम 2, 4, 5 साल वहां सेवा करने के बाद वापस हमारे क्षेत्र में जाएं।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि गांवों में गली-गली में रात्रिकालीन प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाये। ग्रामीण विकास पथ को ज्यादा से ज्यादा एस.सी., एस.टी. के मौहल्लों में बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। पिछले जो गौरव पथ बने थे, वे बस स्टैंड से लेकर के हर गांव के मैन चौक तक गये। मेन चौक से लेकर के वह गली गयी जो ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती है। विकास पथ के लिए एक गाइड लाइन जारी हो।

सभापति महोदय, विकास पथ लेते समय यह जिद न रखें कि हम इसको ऊंचा उठाकर बनाएंगे तभी सुन्दर दिखेगा। उससे घर डूब जाते हैं। आदमी की एक घर बनाने में जिन्दगी लग जाती है। यह गांव की ही मांग है। लेकिन यह जरूरी है।

संविदा कर्मियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मेरी एक मांग है कि जो कम्प्यूटर आपरेटर लगे हुए हैं, इनकी नियुक्ति सीधे प्लेसमेंट एजेंसी से होती है। इसके बजाय सीधे जिला प्रशासन से इनको संविदा

(श्री बलवान पूनियां)

पर रखें। प्लेसमेंट एजेंसी बीच में इनका हक मार रही है। ये कम्प्यूटर आपरेटर बहुत काम करते हैं। वे पंचायत का पूरा काम देखते हैं।

सभापति महोदय, विद्यार्थी मित्र, जो कि बाद में आकर पंचायत सहायक बने, आज वे क्या हैं, उनको किस नाम से हम जानें? हम यह चाहते हैं कि उनका मानदेय भी 24 हजार रुपये रखा जाए।

सभापति महोदय, मेरी एक-दो मांगें और बची हैं। गांव को सुन्दर बनाने के लिए हम यह चाहते हैं कि पंचायत राज विभाग निर्देश जारी करे कि गांव के अन्दर ठेका नहीं होगा। ठेका गांव से एक किलोमीटर दूर होगा, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।

सभापति महोदय, भारतमाला जो सड़क बन रही है, पी.डब्ल्यू.डी. भी उसका संज्ञान ले। मैंने स्थगन प्रस्ताव में भी यह बात उठायी है। लेकिन एक खेजड़ी का मुआवजा 15 रुपये देकर के किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है। अगर किसान खेत में से खेजड़ी काटकर के दूसरी जगह बेचने के लिए ले जाए तो उसका ट्रैक्टर जब्त हो जाएगा। उसका साधन जब्त हो जाएगा। उसकी खेजड़ी जब्त हो जाएगी। उसको दंड बड़ा लगेगा। लेकिन जब मुआवजा लेने की बारी आयी तो खेजड़ी के 15 रुपये ही देंगे। यह अंग्रेजों का जमाना नहीं है। जमाना बदल गया है। अब लोकतंत्र है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, भारतमाला सड़क में किसानों की मांग है, उप मुख्य मंत्री महोदय, उन पांचों जिलों के प्रतिनिधि मण्डल को बुलाएं और उनका निस्तारण करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 सार्वजनिक निर्माण और 28, ग्रामीण विकास पर बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश या देश का विकास उसकी सड़कों और बिजली के तंत्र को मजबूत करने से बढ़ता है। राजस्थान वह प्रदेश है, जिसमें सड़कों के विकास के लिए हमने जो काम किया, किस तरह से हम इस प्रदेश में निवेश को ला सकें, किस तरह से हम बेरोजगारों को रोजगार दे सकें,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसके लिए पिछले 5 सालों में जो हमने काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है।

(14.00 बजे)

इस मौके पर मैं आज अटल बिहारीजी वाजपेयी को याद करना चाहता हूं, जिनका विजन था कि प्रत्येक गांव को सड़क से किस तरह से जोड़ा जाये। 60-70 साल की आजादी के बाद में, प्रजातंत्र आने के बाद में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र रोड से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं जिस क्षेत्र से आता था, वह पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र था। वहां बड़े कस्बे, बड़े गांव तक आदिवासियों के गांवों से उपचार के लिए, चिकित्सा सेवा के लिए लोगों को नदी-नाले क्रोस करके, चलकर आना पड़ता था, रोजगार के लिए भी आना पड़ता था, बीस किलोमीटर चलकर बड़े कस्बे तक पहुंचता, तब उसको रोजगार मिलता, चिकित्सा सुविधा मिलती, शिक्षा मिलती। मुझे यह भी देखने का मौका मिला कि बीमार लोगों को चारपाई पर लादकर उन गांवों से बड़े गांवों तक लाते, तब उनका उपचार होता।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनके मन में एक दु:ख था कि गांव के एक आदमी को किस तरह से बड़े गांव या सुविधाओं से जोड़ा जाये। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उन्होंने आज पूरे भारत में उन गांवों, ढाणियों और हैबिटेट्स को जोड़ा है, जिनकी आबादी मरुस्थलीय एरिया और ट्राइबल एरिया में 250 हो। 500 से ज्यादा आबादी वाले लगभग सभी रेवेन्यू विलेज और हैबिटेट्स को जोड़ा है। यह जो विजन उनका था, उसके तहत ही आज गांवों में स्कूल आये, चिकित्सा की सुविधा आयी, पंचायत भवन बने और लोगों को गांवों में डवलपमेंट नजर आने लगा। मैं उनके विजन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, जिस तरह से एक्सीडेंट्स बढ़ने का काम शुरू हुआ, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, जिस तरह से ट्रैफिक रोड पर शुरू हुआ, उन्होंने नेशनल हाईवेज पर ध्यान देते हुए, आज जिस तरीके से नेशनल हाईवे पूरे देश में बने हैं, यह बहुत बड़ा कारण है कि हिन्दुस्तान में इतना निवेश आया है। आज हमारी जनता को रोजगार भी इससे उपलब्ध हो रहा है।

मैं आपका ध्यान 2008-2013 जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार थी और 2013-2018 में हमारी जो सरकार थी, उन्होंने जो काम सड़क क्षेत्र में किये

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। आपके कार्यकाल में 35,302 किलोमीटर के काम आपने किये और 13,599 करोड़ रुपये खर्च किये। 2013-2018 तक हमने 56,518 किलोमीटर के काम किये और 33,400 करोड़ रुपये नवीन सड़कों के निर्माण कार्य में हमने खर्च किये हैं।

मैं इसलिए तुलना बताना चाहता हूं कि सड़कों का नवीनीकरण आपके कार्यकाल में मात्र 2,397 किलोमीटर आपने किया। हमारे कार्यकाल में हमने 7,250 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया। आपके टाइम में 17,700 करोड़ रुपये और हमारे टाइम में 45,941 करोड़ रुपये खर्च किये। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आपके टाइम में 1,616 किलोमीटर रोड का आपने निर्माण किया, जिस पर 8,022 करोड़ रुपये लागत आयी। आपको आश्चर्य होगा कि हमने हमारे कार्यकाल में 8,146 किलोमीटर सड़कों का काम किया और 84,496 करोड़ रुपये खर्च किये। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी बारह-तेरह बजट इस विधान सभा में देख चुका हूं, सुन चुका हूं। उन बजट में सबसे पहले कोई भी हमारे मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ते हैं, हमेशा उनका स्टार्टिंग सड़कों से होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से होता है, बिजली से होता है। इस समय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रारम्भ किया, आपने मेडिकल से प्रारम्भ किया। इससे साफ जाहिर होता है आपको कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान को किस तरह से, रोड और सड़क विभाग में आपकी कोई रुचि नहीं है। मैं यह भी कह सकता हूं कि 2018 में जितने भी काम चल रहे थे, लगभग-लगभग सब काम बंद पड़े हैं। क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है। यह हालत है कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट के माध्यम से विकास पथ की बात की। आपने कहा कि हम हर पंचायत मुख्यालय पर, 10 हजार पंचायत मुख्यालयों पर विकास पथ बनाएंगे। हमने सोचा कि हमसे प्रस्ताव मांगेंगे, हमने इंतजार किया। फिर आया कि आपके एक ब्लाक में सबसे बड़ी पंचायत कौनसी आती है, उसका भेजें, हमने वह भेज दिया, उसकी स्वीकृति निकली और टेंडर प्रोसेस में है। मैं कहना चाहता हूं कि आप चरणबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो इन दस हजार पंचायतों को कैसे विकास पथ से जोड़ेंगे। हमने गौरव पथ से चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ब्लाक पर डिवाइड करके कि इतनी पंचायतों को हमें गौरव पथ देना है, गौरव पथ दिया और आज गांवों में आपको उनका काम देखने को मिल रहा है।

मिसिंग लिंक की आपने बात की, आपने कभी इनके किलोमीटर के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बारे में बताया नहीं है। इस बजट में भी आपके पास मिसिंग लिंक का कोई प्रावधान नहीं है, मिसिंग लिंक में जो गांव दूसरे गांव से जुड़ा नहीं है, उस गांव को जोड़ने का एक रास्ता है जो बड़े कस्बे तक पहुंचने के लिए शोर्ट रास्ता है, वहां घूम कर नहीं आना पड़े और वहां तक शोर्ट रास्ते से पहुंच सकें। इसके लिए आपने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का पूरा ध्यान नहीं है। वहां पर जो काम चल रहे थे वे सब काम बंद पड़े हैं। मैं हमारे केन्द्र सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने प्रत्येक ब्लाक को, 'थ्रू रोड' नाम से जो ग्रामीण रोड थी, तीन मीटर की रोड थी उसको पौने चार मीटर या साढे पांच मीटर, चालीस-पैंतालीस किलोमीटर दी है, इससे सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और चौड़ाईकरण भी हो जायेगा। चालीस-पैंतालीस किलोमीटर प्रत्येक ब्लाक में बन रही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि गांवों की सड़कों को कैसे हम मजबूत बनायें, कैसे उनको चौड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा तीन मीटर की सड़क को साढ़े पांच मीटर करने की बजट स्वीकृति आयी है, उससे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि सड़कों का काम हो जायेगा।

मैं उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि साण्डेराव से लेकर देसूरी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, यह हमारे नेशनल हाईवे नम्बर 8 को 14 से जोड़ता है। यह सड़क पी.पी.पी. मोड पर साण्डेराव से मूण्डरा तक तो बन गयी। मूण्डरा से आगे अगर यह सात मीटर चौड़ी हो जाये, साण्डेराव से मूण्डरा तक हुई है उसी तरह से मूण्डरा से देसूरी तक हो जाये, यह सड़क आपके नेशनल हाईवे 8 और 14 को मिलाती है। दूसरा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, जो जोधपुर और उदयपुर को जोड़ती है। पर्यटन की दृष्टि से इस मार्ग द्वारा जोधपुर से उदयपुर जाते हैं। इस पर रणकपुर का मंदिर, ऐसे ही कई अन्य मंदिर और पर्यटन स्थल बीच में आते हैं, यह रोड अगर चौड़ी हो जाये तो मैं समझता हूं कि इस पर सफर करने वाले लोग जो तकलीफ पा रहे हैं, उनको आराम मिलेगा।

बाली से पिण्डवाड़ा सड़क हेतु, हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, बाली ब्लाक का मेन आपका हार्ट लैंड है, जितने भी गांव आसपास के इस रोड पर पड़ते हैं और वे बाली हैडक्वार्टर में पहुंचते हैं, तत्कालीन सरकार ने 142 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। उस पर टेण्डर हो गया, उसमें 72 करोड़ का टेण्डर हो गया। इसमें 65 करोड़ रुपये खर्च हो गये। अभी भी बाईपास और भूमि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अधिग्रहण का काम बाकी है। यह बैंक आफ बड़ौदा से फाइनेंस्ड है, 70 करोड़ का टेंडर आपके अभी तक लगा नहीं है, आपके लैंड एक्विजिशन का काम नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बैंक आफ बड़ौदा से जो फाइनेन्स्ड हुई है सड़क बाली से पिण्डवाड़ा, इसको पूर्ण कराया जाये। एक मेरा आपसे अनुरोध है कि देसूरी ब्लाक की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है सादड़ी से नाडोल है। यह एम.डी.आर. की सड़क है। इसको किसी भी तरह से आप स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत करायें। तत्कालीन सरकार ने, जो सड़क 22 करोड़ की थी, उसको छह किलोमीटर तक चौड़ा भी कर दिया, उसका दोहरीकरण भी किया है। बची हुई जो 16-17 किलोमीटर सड़क है, यह महत्वपूर्ण सड़क है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह से इसको पूरा करें।

मेरा अनुरोध है कि तत्कालीन सरकार ने जाते हुए जितने भी स्टेट हाईवे के टोल थे, उनको बंद कर दिया था, आपने आते ही उनको चालू कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जो उस टोल से मात्र दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, एक किलोमीटर पर हैं। उन गांववासियों को दिन में चार बार आना-जाना पड़ता है। स्टेट हाईवेज पर टोल वापस शुरू होने के कारण हर दिन वहां परेशानी खड़ी होती है, हजारों रुपयों के नीचे वे आ जाते हैं। मैं आपसे वापस अनुरोध करूंगा, कितनी आय आपको स्टेट हाईवेज के टोल से होती है, कम से कम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसी प्रकार से सभी रोडों की मरम्मत करने लग जाएं, उन्हें चौड़ा करने लग जाएं और हर जगह टोल लागू कर दें तो मैं समझता हूं कि जब मैं मेरे गांव से शुरू होऊं और जब मैं जयपुर पहुंचूं और मेरे पास लगभग दो हजार रुपये हों, तब तो मैं उस टोल का किराया दे सकूं और यहां पहुंच सकूं।

मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे देश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री, जो हमारे नेशनल हाईवेज के मंत्री हैं, गडकरी जी ने सोजत में आकर, सोजत से लेकर सिरियारी, सिरियारी से जोजावर होते हुए देसूरी और देसूरी से लेकर पिण्डवाड़ा तक नेशनल हाईवे की घोषणा की थी। इसकी डी.पी.आर. भी बन गयी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे हमारे पूरे जिले का हार्ट लाइन मान सकते हैं। इस रोड की नेशनल हाईवे में घोषणा की थी, अगर डी.पी.आर. बन गयी है तो कैसे भी करके, आप बात करके उस रोड का काम करा दें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा काम होगा।

पूरे जिले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, जिससे लगभग आपके

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

चार कान्स्टीट्यूएंसीज सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली, देसूरी होते हुए यह सड़क गुजरती है। यह स्टेट हाईवे 62 सड़क है, इसकी इन्होंने घोषणा की है। अगर डी.पी.आर. तैयार हो गयी हो तो उसको भेजकर इस रोड को नेशनल हाईवे में प्रमोट करा दें, तो मैं समझता हूं कि बाली जिले के लिए बहुत बड़ा काम आप करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की मैं बात करूं, इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी को। वे 14^{th} Finance में प्रत्येक पंचायत को जनसंख्या के आधार पर डायरेक्ट पैसा उसे देने लगे हैं। आज जिस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 8 से 9 हजार की है, उसको 14^{th} Finance और State Finance के तहत, जहां तक मैं समझता हूं, लगभग एक करोड़ रुपये प्रत्येक पंचायत को आते हैं और वह जनसंख्या के आधार पर आते हैं। 14^{th} Finance का 100 परसेंट पैसा आपकी पंचायतों में जाना शुरू हुआ। इस समय जब आपका 14^{th} Finance का पैसा आया, आपने उस पूरे पैसे को पंचायत समिति में दे दिया। पंचायत समिति में फिर आपने यह कहा कि 25 परसेंट आप पंचायतों को दे दें और ट्रेजरी पर आपने रोक लगा दी। एस.एफ.सी. का पैसा, जो 1,260 करोड़ रुपये शेयर है पूरे प्रदेश का, वह आपने आज तक दिया नहीं।

एस.एफ.सी. नहीं आने के कारण मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत के कई काम हैं, जैसे रोड लाइट के काम हैं, जनता जल योजना का काम है, आज आप पूछें कि कितने कनेक्शन जनता जल योजना के कट गये हैं, क्योंकि पूर्व सरपंच ने पैसे भरे नहीं, नये सरपंच आये, उनके पास आज 10-10, 15-15 लाख रुपये के बिल हैं और उसके कारण उनके कनेक्शन कट रहे हैं। गांवों में पेयजल की स्थिति खराब हो रही है और गर्मी आने वाली है। एस.एफ.सी. का पैसा अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो पंचायत की सफाई, आपके पंचायत सहायक की तनख्वाह, ये सब चीजें एस.एफ.सी. पर निर्भर हैं, जिसमें आपका पैसा, आपका शेयर अभी तक पहुंचा नहीं।

महात्मा गांधी नरेगा 2008 में शुरू हुआ था। मैं भी उस समय एक विधायक के रूप में था। जो जोश था लोगों में काम करने का, जिस प्रकार लोगों ने काम किया, रोजगार की गारण्टी थी सौ दिन के काम की, इसमें धीरे-धीरे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। पहले लोग वास्तव में काम करते थे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और पूरा भुगतान लेकर जाते थे और काम हकीकत में होता था। अभी क्या हो रहा है? मैटेरियल कम्पोनेंट में जो आपके रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, वे काम लेते हैं, मैटेरियल की सप्लाई लेते हैं। अगर मैं सरपंच हूं, मैं सरपंच का चुनाव जीत गया और मुझसे पहले विपक्ष का जो सरपंच था, उसने एक ठेकेदार खड़ा करके माइनस 50 परसेंट पर वह टैंडर ले लिया, तो फिर वह न तो पत्थर डालता है पूरे बारह महीने, न वह सीमेंट डालता है और न रेती डालता है। इसलिए वह सरपंच मजबूर होता है। पांच साल तक वह पक्के कामों का निर्माण कर नहीं सकता है।

यह हकीकत है। आपके 15 परसेंट वर्क्स सिंचाई विभाग करता था, 15 परसेंट वर्क्स फोरेस्ट करता था, 15 परसेंट वर्क्स पी.डब्ल्यू.डी. करता था और 55 परसेंट वर्क्स ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज करता था। आज हालत यह है कि सिंचाई एक काम नहीं कर रहा है, फोरेस्ट कोई काम नहीं कर रहा है, पी.डब्ल्यू.डी. में एक भी प्रस्ताव जा नहीं रहा है। इसके कारण विभिन्न डिपार्टमेंट्स को मनरेगा के तहत जो काम करना था, वे सब बिलकुल चुप बैठे हैं। पूरा का पूरा काम खाली ग्रामीण विकास करता है। रोजगार में मात्र 80-90 रुपये आते हैं और आप कह रहे हैं कि इतने लोगों ने काम किया है। मैं हकीकत कह रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां जो ट्राइबल सब-प्लान की पंचायत है, एक-एक पंचायत में आज अगर आप काम दें तो हजारों लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पर आपके काम ही स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।

सरपंच जाकर प्रस्ताव भेजते हैं, तकनीकी रूप से सब कम्पीट करते हैं, पर काम स्वीकृत होते नहीं हैं, काम चालू हो नहीं रहे हैं। आज मेरी पंचायत समिति में, आप चाहें तो 20-25 हजार लेबर लगा सकते हैं, पर लेबर इसलिए नहीं लगती है कि काम वहां हैं ही नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): साहब, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि गुरू गोलवलकर योजना के तहत आप कब्रिस्तान, श्मशान, रोड, लाइट, विकास के जो कार्य पंचायत में लोगों के जन सहयोग से करा सकते थे, इस योजना के तहत, आपने इसका नया नाम दिया महात्मा गांधी के नाम से। आज तक इसके लिए कोई बजट नहीं है। जितने भी लोगों के दस परसेंट, बीस परसेंट, तीस परसेंट पैसे, जो पंचायत समिति ने जमा किये हैं, आज साल-डेढ़ साल हो गया, वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

वे पैसे हमारे श्मशान के लिए स्वीकृत होंगे, कब हमारे कब्रिस्तान के लिए स्वीकृत होंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): लोग परेशान हैं। मैं इसका विरोध करना चाह रहा हूं। आज आपने पंचायत समितियां खूब बना दीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपने मुझे टाइम लिखकर दिया है। सहयोग करें प्लीज।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने उसके भवन के लिए कोई प्रावधान रखा ही नहीं। पंचायत समिति में मीटिंग कहां कराएंगे? आप पंचायती राज को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो जब तक आप उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं करेंगे, तब तक, मैं समझता हूं कि आप इसे मजबूत नहीं कर सकते। उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। मीटिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। मेरा आपसे एक निवेदन है कि नरेगा के तहत जिस तरीके से पूरे राजस्थान में जो आपके रजिस्टर्ड ठेकेदार काम कर रहे हैं, आप पता करवाइएगा, लगभग-लगभग पूरे राजस्थान में मैटेरियल सप्लाई का जो काम ठेकेदार करता है, पंचायतों में काम इसलिए नहीं हो रहा है कि डेढ़ साल हो गया, मैटेरियल कम्पनी का पैसा आया ही नहीं, मैट का पैसा आया नहीं। दूसरा, जो ठेकेदार काम कर रहा है, वह काम करना ही नहीं चाहता है। वह टेंडर इसलिए ले रहा है कि वह पंचायत काम नहीं कर सके।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 के समर्थन में मैं मेरी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं मांग संख्या 21 पर चर्चा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम जिस इलाके में रहते हैं, वह इलाका सदियों से एक लुख के ताने की जगह कहा जाता है। देश की आजादी के बाद में एक तरफ पाकिस्तान की सीमा आ गयी और एक तरफ रेगिस्तान के बड़े-बड़े धौरे आये, जिनमें बिजली का, पानी का अभाव रहता है। सिवाय बरसाती पानी के हमारे पास मवेशी या अनाज पैदा करने का

(श्री अमीन खां)

कोई जरिया नहीं था। आप सब जानते हैं, मौसम विभाग के हिसाब से भी पश्चिमी राजस्थान बरसात के लिहाज से गिनती में सबसे नीचे आता है। इसलिए हम तकलीफ के इलाके में हैं, लेकिन हमारे इलाके में विकास काफी हुआ है। उस विकास का कारण पाकिस्तान की सरहद के पास होना है।

भारत सरकार ने सुरक्षा के पाइंट आफ व्यू से हम लोगों की हमेशा अच्छी मदद की। यह मदद इंदिरा गांधी के जमाने से शुरू हुई। बी.ए.डी.पी. प्रोग्राम से हमें स्पेशल ट्यूबवैल मिले। बी.ए.डी.पी. के प्रोग्राम से स्पेशल सड़कें मिलीं। पहले नागौर से लेकर भरतपुर तक राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से के जिले थे, इनमें पढ़ाई-लिखाई ज्यादा थी। इस वजह से जितने भी ए.एन.एम., डाक्टर, कम्पाउंडर, मास्टर ये सभी इन जिलों के थे। कांग्रेस की सरकार ने, वहां स्कूल खाली नहीं रहें, इस वजह से 11 रेगिस्तानी जिलों में सरकारी कर्मचारियों की बदली पर पाबन्दी लगा रखी थी। इस कारण से हमारे वहां पढ़ाई शुरू हुई।

भारतीय जनता पार्टी के शासन ने वह पाबंदी तोड़ दी। उस पाबंदी को तोड़ने के बाद में हमारे रेगिस्तानी सीमावर्ती इलाके में मेडिकल हैल्थ में, स्कूल में, सब सेन्टर, पी.एच.सी. में 50 प्रतिशत पद खाली हैं। बाड़मेर जिले का, पश्चिमी सीमा का विकास करने की, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहन लाल सुखाड़िया ने चिंता की थी। उन्होंने भारत सरकार से 20 हजार लेकर राजस्थान कैनाल का काम शुरू किया। उसके बाद में, आज उसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। जैसलमेर जिले को पालीरोही कहते थे। जिसमें न कोई सड़क थी, न कोई ट्यूबवैल था, न कोई कुआं था, न कोई पगडंडी मार्ग था। कई लोग चलते-चलते रास्ते में प्यास से मर गये, आधे रास्ते में खतम हो गये। ये जैसलमेर जिले की कहानी है। आज इंदिरा गांधी नहर की वजह से, उस इलाके में हजारों क्विंटल सालाना गेहूं, सरसों, चना और जीरा पैदा हो रहा है। मैं सड़क के बारे में, पिछले साल मुख्य मंत्री जी हमारे रेगिस्तान के इलाके में, गडरा रोड, पाकिस्तान बोर्डर की सरहद तक और हमारे गांव और ढाणी में भी आये। मैं मुख्य मंत्री की गाड़ी में था। मैंने मुख्य मंत्री जी को पूछा कि यह सड़क कैसी है, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सड़क शानदार है। मैंने कहा, साहब, यह सड़क राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं है, यह सड़क भारत सरकार की ग्रेफ एजेंसी ने बनायी है। हमारे इधर की, जो ज्यादातर अच्छी रोड्स हैं, वे डिफेंस रोड के नाम से बनी हुई हैं और अच्छी सड़कें हैं। मेरा खुद का गांव

(श्री अमीन खां)

चारों तरफ से डिफेंस रोड से जुड़ा हुआ है। सिर्फ 12 किलोमीटर रोड, मेरे से रेलवे स्टेशन गागरिया, भारतमाला रोड से मिलाने के लिए है। उसके लिए मैंने पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को चार खत लिखे, तीन बार मुख्य मंत्री से मिला, चार बार मुख्य मंत्री को खत लिखे, जवाब यह आया कि बजट अभाव के कारण सम्भव नहीं। अब, साहब, एक एम.एल.ए. मुख्य मंत्री से, उप मुख्य मंत्री से अपने खुद के गांव की 12 किलोमीटर सड़क, जो भी बनी हुई है, टूटी-फूटी हुई है, उसको रिपेयर करके दो फीट चौड़ी करने का काम नहीं करा सकता, वह एम.एल.ए. क्या दमदार है।

आखिरी में, मैंने फैसला किया, मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दिया और आज सचिन पायलट जी को भी कहता हूं कि आप कृपा करके, मेरी इस 12 किलोमीटर रोड देताणी से गागरिया, ग्रेफ को सुपुर्द कर दें। हम भारत सरकार से इसको मंजूर करा देंगे। हमारे गांव की सड़क अच्छी बन जाएगी। पिछले साल प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत जो प्रस्ताव गये हैं, उसमें मेरे शिव विधान सभा क्षेत्र की एक सड़क का भी प्रस्ताव नहीं गया, काम शुरू करने का। आज सवा साल में मेरे क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत एक भी सड़क का काम चालू नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको तो उप मुख्य मंत्री मालूम करें। मुझे तो इतना ही मालूम है कि मैं जब पी.डब्ल्यू.डी. के अफसरों से पूछता हूं तो वे कहते हैं कि आपकी सड़कें नार्म्स में नहीं आतीं। ये नार्म्स में मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। नार्म्स कुछ नहीं है, वे हमारे क्षेत्र की सड़क भेजना नहीं चाहते।

इसलिए मेरा उप मुख्य मंत्री से निवेदन है कि जहां पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, वहां पर हर तरह से इंसान को जिंदा रखना, वहां पर हर तरह के आदमी को मजबूत रखना, हर तरह से वहां पर सहूलियत पैदा करना, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नागरिक हो, यह देश की सुरक्षा के हित में है। तो हमारी सड़कों के लिए आप विशेष ध्यान दें और बार्डर रोड्स जितनी भी हैं, उनके लिए प्लान में अच्छे-खासे बजट का इंतजाम किया जाना चाहिए। खास तौर से मैंने कह दिया कि गागरिया-देताणी सड़क आप ग्रेफ को रिकमंड कर दें।

दूसरी मांग है लोक निर्माण, 19 नम्बर, हमारे गडरा रोड में राजस्थान सरकार ने सब डिवीजन ऑफिसर की पोस्ट सैंक्शन की है और सब डिवीजन बनाया है। सब डिवीजन ऑफिसर का ऑफिस और उसके रेजिडेंस और

(श्री अमीन खां)

कर्मचारियों के क्वार्टर इत्यादि की वहां सिवाय चक जमीन गवर्नमेंट की फ्री पड़ी है, इनका निर्माण शीघ्र कराया जाए।

तीसरी मांग है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के तहत, आपने राजस्थान में नई पंचायतें बनाने का, एक गरीब ग्रामीण इलाके का अच्छा काम किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि गांव में प्रथम प्रशासन की, शासन की इकाई की या तो पटवारी की पोस्ट है या पंचायत है। पटवारी तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी आदमी है। पंचायत संस्था में जन प्रतिनिधियों, पंचों और सरपंचों का अधिकार रहता है। जितनी ज्यादा छोटी इकाई होती है, उतना ही गांव के लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है। आखिरी, मेरा इस पंचायत राज में निवेदन है। पहले कटारिया साहब के जमाने में गडरा रोड में हमारी एक पंचायत समिति बनी, जिसका नाम रथडेडीकलां और वह डैजर्ट नेशनल पार्क एरिये में आ गयी, जिससे पंचायत भवन आज तक नहीं बना। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि उस गांव की आबादी है, उस गांव के अन्दर पंचायत भवन बनाना है। जब गांव वहां रह सकता है तो पंचायत भवन वहां क्यों नहीं बन सकता है? ये डैजर्ट नेशनल पार्क वालों की दादागीरी है। सन् 1965-66 में शेरगढ़ से शिव, शिव से गडरा रोड डिफेंस रोड बनी। उधर जैसलमेर से मियाजमार और मियाजमार से हसराणी और हसराणी से गडरा रोड्स, ये डिफेंस रोड्स बनी। डी.एन.पी. सन् 1980 में आया है। अब इन डी.एन.पी. वालों ने क्या किया है कि जो डिफेंस रोड्स जा रही है पाकिस्तान की तरफ, उससे चार फीट बाहर अपनी सीमा बनाते हैं। अब वे कहते हैं कि हम इसको रिपेयर ही नहीं होने देंगे। इस पर गाड़ी ही नहीं चलने देंगे। जो रिपेयर वर्क है, उसको रोक दिया। एक दिन हमारे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डी.एल.ओ. की मीटिंग हुई। मैंने कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब, ये डिफेंस रोड है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): इस सड़क पर डेजर्ट नेशनल पार्क वालों ने अतिक्रमण किया है, क्योंकि सड़क 1966 में बनी है, डी.एन.पी. 1980 में आया है तो उस सड़क पर अतिक्रमण करने का उनको अधिकार नहीं था, यह आपकी पोल है। नम्बर दो, कल अगर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और यहां इस सड़क पर आर्मी चलेगी तो आप और यह डी.एन.पी. उस आर्मी को रोक सकते हैं क्या? उससे कलेक्टर चुप हो गये और तीसरे दिन रिपेयर वर्क

(श्री अमीन खां)

शुरू हो गया। यह पोलमपोल में सुरक्षा जैसे मामलों में दखल करते हैं। गोडावण पक्षी उस एरिया में एक भी नहीं है। ये डेजर्ट नेशनल पार्क वाले खुद खा गये। उसके नाम से लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों का विकास रोक रहे हैं। हां, डेजर्ट नेशनल पार्क में कहते हैं कि एक भी इन्सान नहीं होना चाहिए। दरख्त अगर कोई सूख जाए तो नीचे गिर जाता है, पर उसको भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर ये क्या करते हैं कि पैसे लेकर ग्रेवल रोड बनाने की अनुमति देते हैं। जब हम कहते हैं कि डामर रोड क्यों रोकते हैं तो कहते हैं कि इसकी आवाज से ये पक्षी बाहर चले जाते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि कच्ची रोड पर गाड़ी की आवाज ज्यादा तेज होती है या पक्की रोड पर गाड़ी की आवाज तेज होती है? गाड़ी की आवाज फर्स्ट गियर में जब कच्चे में जाती है तो तेज होती है और पक्की में जहां आवाज नहीं होती है, पक्षी नहीं सुनते हैं। उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो हकीकत में एक पुरानी कहावत हमको याद आती है 'पोपाबाई का राज है'।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): जिस पक्षी के लिए आप आवाज की कहते हो तो आवाज तो कच्ची सड़क में ज्यादा आती है। मैं मेरी बात आपके इशारे से बढ़ाना नहीं चाहता हूं, यहीं खतम करना चाहता हूं। मांग संख्या 19, 21 और 28 का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, 21-सड़कें एवं पुल तथा 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज विकास की जब कल्पना हम शुरू करते हैं तब सबसे पहला बिन्दु सड़क है। किसी भी स्टेट और किसी भी देश की व्यवस्थाओं को यदि आपको ठीक से देखना है तो वहां का सड़क का तंत्र कैसा है, उस पर गौर करने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज माननीय मंत्री महोदय भी विराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहूंगा कि एक तो खींवसर उप खण्ड पर एक डाक बंगला बनाया जाए। क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी जो कहीं महसूस की जा रही है, उसमें कार्यपालिका, विधायिका या अन्य जो भी तंत्र है, उसके बीच में जो लगातार दूरियां बनती जा रही हैं, वे कहीं न कहीं सारे विकास के सिस्टम को डिस्टर्ब किये बैठी हैं, तो डाक

(श्री नारायण बेनीवाल)

बंगले जैसी सुविधा हर उप खण्ड स्तर पर हो, ताकि समय-समय पर कार्यपालिका और अन्य जन-प्रतिनिधि, जो भी हैं, उन लोगों को एक जगह बैठने का मौका मिले, एक स्थान मिले। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र खींवसर उप खण्ड स्तर का भी है, उस पर डाक बंगले के निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, सदन के अन्दर जब बैठे रहते हैं या जब सुबह मीडिया के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिलता है, तब यह जरूर लगता है कि देश तेजी से विकास की तरफ भाग रहा है। लेकिन गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास का पता कैसे चले, कैसे सरकार के प्रति लोगों की सकारात्मकता उत्पन्न हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मंत्री जी जिस दिन सड़क के मंत्री बने हैं तब बड़ा एक खुशी का अनुभव हुआ कि ये कहीं न कहीं अपने ससुराल की जो सेव की मिठास है वह मिठास राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को देंगे। सड़क के दोनों तरफ जहां गांव हैं, वहां अक्सर देखने में आता है कि चाहे वह नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, उसके ऊपर बस का स्टैण्ड नहीं है। व्यक्ति, जब बस आती है तो तेजी से भागता है और कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि छोटी-छोटी बातें जो हैं, उनसे कहीं न कहीं विकास भी झलकेगा। इसलिए नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, उसमें जो भी गांव उस हाईवे पर स्थित हैं, उनमें, जैसे बड़े शहरों के अन्दर सुन्दर-सुन्दर बस स्टैण्ड बने हुए हैं वैसे बस स्टैण्ड का निर्माण कराएं। माननीय मंत्री जी जब भाषण दें, अपना पक्ष रखें तब ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सुन्दर बस स्टैण्ड बनाकर विकास की झलक जनता को देंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी चौराहे हैं, गांवों के अन्दर भी, अब हर व्यक्ति तेजी से शहर की तरफ भी आना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, उस पर हमें अभी से ध्यान देना है कि गांव के लोग पलायन करके शहरों में आते हैं और बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इस शहरीकरण को हम कैसे रोकें, कैसे आधारभूत ढांचा गांवों के अन्दर विकसित हो, ताकि लोग शहर की तरफ नहीं आयें। इसलिए सुन्दर चौराहे भी बनाए जायें, उनका सौन्दर्यीकरण भी कराया जाये, उस पर पौधारोपण भी करायें। इन सब योजनाओं पर मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर जैसे शहर की बात करें या

(श्री नारायण बेनीवाल)

जितने भी महानगर बन गये, आज भी 23-24 परसेंट लोग शहर में पैदल घूमते हैं। फुटपाथ की बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर कभी सरकारों का ध्यान नहीं गया। सबसे बड़ी दुर्घटनाएं इसी में होती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि आप सड़कें भी बना रहे हैं, पुल भी बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों वालों के लिए अलग बना रहे हैं, बसों के लिए बी.आर.टी.एस. अलग बना रहे हैं, लेकिन शहर के अन्दर जो व्यक्ति पैदल घूम रहा है, वह कहां घूमेगा, वह कैसे सुरक्षापूर्ण तरीके से अपने घर तक पहुंचेगा, तो एक अच्छे फुटपाथ की बात हमें करनी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, मैं खींवसर उप खण्ड स्तर पर आडिटोरियम की मांग भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आज सबसे बड़ी विडम्बना है कि यदि हम सड़कों की बात करें, पुल की बात करें तो पैकेज का जब से सिस्टम आया कि आपने एक हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की डी.पी.आर. बनायी और वह डी.पी.आर. आपने कम्पनी को दे दी, बहुत बड़ा पैकेज लेकर वह व्यक्ति आया, लेकिन आज इंजीनियरिंग करके या टेक्नीकल कोई डिग्री लेकर जब एक छात्र विश्वविद्यालय, कालेज से निकलता है तो उसको भी सरकार कहीं न कहीं प्रमोट करे कि ठेकेदारी के अन्दर यदि कोई इंजीनियर ठेके का काम लेगा तो उसको कहीं न कहीं हम कोई छूट देंगे या उसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। पैकेज के अन्दर काम तो बड़े-बड़े लोग लेते हैं। उसके बाद वे सबलैट करते जाते हैं। उन पर मोनिटरिंग का बहुत बड़ा अभाव मैं महसूस कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जितने पैकेज के काम हैं, इनके ऊपर ठोस मोनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एनएच-89 अजमेर से बीकानेर है, इसके अन्दर एक कम्पनी को पैकेज मिला। उसने 75 परसेंट काम भी.....

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, अभी दो मिनट तो दें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, आप थोड़ा संरक्षण दिया करो, थोड़ा नये भी हैं और पार्टी को अलग समय दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति: तभी तो कह रहा हूं कि टाइम का मैनेजमेंट करो। आपको हर सब्जैक्ट पर बोलना है और समय के अनुसार बोलना है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इसमें टोल वसूली नियमों के विरुद्ध हो रही है। लोक अदालत ने भी फैसला दिया कि यह सड़क टोल मुक्त हो इसलिए इसमें भी कोई कारगर, ठोस योजना की मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा। इसके अलावा नरेगा के जो कार्य हैं उनके अन्दर हम यह चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं ऐसी नीति बने कि आधारभूत जो पक्के निर्माण हैं, उन पर मंत्री जी ज्यादा ध्यान दें। बाकी जो भी सुझाव हैं, हम मंत्री जी से एक बार व्यक्तिगत मिलकर भी देंगे। मिसिंग लिंक सड़कों की बात है, माननीय मंत्री महोदय, हर विधायक की यह पीड़ा है कि जब भी हम गांव में जाते हैं तो लोग मिसिंग लिंक सड़क की बात करते हैं। आपने विकास पथ का एक बहुत अच्छा सपना सोचा है, लेकिन क्योंकि हर गांव और कस्बे में पहले से ही सी.सी. और ब्लाक की सड़कें बनी हुई हैं तो मिसिंग लिंक सड़कें हमें हर विधायक को आप जितना अधिक से अधिक दे सको, उतनी दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, एक मेरा सुझाव है कि जितनी सड़कें तोड़ी जा रही हैं, चाहे वह पी.एच.ई.डी. वाले या कोई और ओ.एफ.सी. कैबल डालने वाले तोड़ें, उनका पैसा सीधा सरकार के यहां जमा हो जाता है, उसका पैसा एस.ई. या एक्स.ईएन. लेवल पर जमा हो, ताकि उन सड़कों का वापस वे निर्माण करवा सकें। अपने इस गम्भीर मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19, 21 और 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, दिसम्बर, 2018 में हुए विधान सभा चुनावों के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके साथ प्रदेश में ग्रामीण विकास की गति अवरुद्ध हुई है। पिछले 14 माह में नये कार्यों की स्वीकृति तो नहीं की गयी, पर पुराने जो कार्य चल रहे थे, उनको भी बंद कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के विकास की गति बिलकुल रुक गयी है। अब दबी जबान से ये कहते हैं कि बजट नहीं है। सरकार ने स्वयं कई बंद कार्यों के बारे में पूछे गये सवालों के उत्तर में विधान सभा पटल पर स्वीकार किया है कि बजट के अभाव में काम विलम्ब से हो रहा है। विभाग का मुखिया विधान सभा पटल पर उत्तर दे कि विभाग के पास

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

पैसा नहीं है, प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वैसे कांग्रेस के मित्रों का विश्वास नारों में अधिक है, काम में कम है। हमारी पंचायती राज संस्थाओं में जहां जनता राज करती थी, जनता के विकास के फैसले जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि करते थे, परन्तु 25 वर्ष बाद इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटकर वहां पर सरकारी अधिकारी लगा दिये हैं। यह हमारे लोकतंत्र पर कलंक है। भा.ज.पा. की सरकार देश और प्रदेश में जहां भी रही है, भा.ज.पा. का सम्बन्ध विकास से रहा है। इसी कारण देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र जी मोदी, प्रदेश में भैरोंसिंह जी शेखावत साहब व वसुन्धरा राजे जी का नाम लोकप्रिय है। आज गांव की जनता विकास के बारे में उनको याद कर रही है। 1977 के जनता शासन में शेखावत सरकार ने जो भवन बनवाये वे आज भी विकास कार्यों के गवाह बने हुए हैं। ग्रामीण विकास का जहां तक प्रश्न है, यह गम्भीर विषय है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने से भारत गांवों की प्रधानता का देश है। गांवों को पूर्ण विकसित किये बिना विकसित राष्ट्र का सपना भी पूर्ण नहीं होगा। मैं गांवों में जाता हूं तो अनुभव होता है कि शहरों और गांवों के विकास में असंतुलन है। यह असंतुलन शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और नई पीढ़ी खेती के कार्य से विमुख हो रही है। ग्रामीण विकास से हमारे जनजीवन, हमारी संस्कृति, हमारी जीवन पद्धति की भी सुरक्षा होगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांवों के विकास के लिए पहली बार प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांवों को आपस में जोड़ने की शुरुआत की थी, जिससे आज पूरे देश में गांव-गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। पिछले 14 माह के राज्य सरकार के कार्यों से लगता है कि ग्रामीण विकास के काम केवल सांसद व विधायक विकास निधि पर ही निर्भर हो गये हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। शहर में मेट्रो और लो फ्लोर सिटी बसें चलें, अच्छी बात है, परन्तु यह सरकार आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें चलती थीं, उन्हें भी आज बंद कर दिया गया है। केवल शहरों का विकास हमारी समस्या को और बढ़ाएगा। शहरी क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र है तथा हमारा ग्रामीण क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है। दुर्भाग्य से हमारा ध्यान उत्पादक क्षेत्र पर कम और उपभोक्ता क्षेत्र पर अधिक है। जिस दिन शहर और गांव के मध्य विकास की दौड़ का असंतुलन समाप्त हो जाएगा, उस दिन महात्मा गांधी का ग्राम विकास व ग्राम स्वराज का स्वप्न भी साकार हो जाएगा। ग्रामीणों की कृषि में कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

ओलावृष्टि हो जाती है, तो ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार उनको फसल का मुआवजा समय पर दे। उससे उनका आर्थिक विकास होगा। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीणों के विकास की सोची और उन्होंने कृषक सम्मान निधि 6 हजार रुपये की घोषणा करके किसानों के खातों में भेजी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

मेरे क्षेत्र में इस वर्ष भारी अतिवृष्टि हुई है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गयी हैं। राज्य सरकार ने गिरदावरी करायी, उसमें 80% खराबा माना है, परन्तु अब तक एक रुपया भी मुआवजा नहीं दिया है। प्रदेश के गांधीवादी मुख्य मंत्री से प्रदेश के ग्रामवासियों को बहुत आशाएं हैं। मुझे विश्वास है कि इसे आप पूरा करेंगे। अब ग्रामीण सड़कों के बारे में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने हर पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया था। वसुन्धरा जी की सरकार ने 2013 से 2018 तक ग्रामीण विकास की पूरी योजना बनाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 690 किलोमीटर सड़क बनायी और 311 करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों पर लगाये। इस सरकार के 14 महीनों में एक भी सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं करवाया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोईपुर से भड़लयाज की एक सड़क का निर्माण पूर्ववर्ती सरकार ने कराया था, परन्तु उसके बीच में एक चांदगढ़ गांव आता है, वहां पर रोड बाकी रह गयी थी। मेरे द्वारा बार-बार जिला परिषद् की मीटिंग में और जिला कलेक्टर महोदय को, उनके कार्यकारी अधिकारी जी को, पी.डब्ल्यू.डी. के एस.ई. साहब को, एक्स.ईएन. साहब को, सबको बार-बार कहने के बाद भी अब तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहां पर आज आम आदमी मोटरसाइकिल पर निकल नहीं सकता है। कार भी वहां पर निकल नहीं सकती है। ऐसी भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई है। हमेशा उस क्षेत्र के वासी वहां पर जाम लगाते हैं, ज्ञापन देते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं। उनके बीच में बिजोलिया से छतरगढ़ 30 किलोमीटर का रोड बना हुआ है परन्तु वह इतना खराब है कि उसमें मोटरसाइकिल निकल नहीं सकती है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह 30 किलोमीटर रोड अगर अच्छा बन जाये तो वहां से जयपुर जाने के लिए 50 किलोमीटर सीधा रोड बन जाएगा और भारी यातायात से भी बचा जा सकेगा।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस साल मेरे यहां बहुत भारी अतिवृष्टि हुई है। मेरे यहां एक मेनाली नदी है। उसकी पुलिया बारिश में पूरी बह गयी थी, बहे हुए 7 महीने हो चुके हैं, परन्तु अभी तक कोई निर्माण कार्य वहां नहीं चला है। कोई स्वीकृति नहीं हुई है। तीन -चार माह बाद वापस बारिश होने में है और वहां मेरा आधा विधान सभा क्षेत्र कट जाएगा। मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिया को थोड़ा हाइट में ऊपर वाली पुलिया बनाकर जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य चालू कराया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम तो होते हैं, परन्तु सरकारी विद्यालयों के भवनों की हालत अत्यधिक दयनीय है। स्कूल भवन कभी भी गिर सकते हैं। क्षतिग्रस्त स्कूल भवन में अध्यापक भी नहीं है। ग्रामीण विकास हेतु बालक-बालिकाएं कहां से शिक्षा ग्रहण करेंगे और वहां के विद्यार्थियों का कब विकास होगा? ग्रामीण विकास के लिए प्रतिभावान बच्चों हेतु खेल मैदान तक नहीं है। इस प्रकार प्रदेश के ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिभा को दिखाने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? प्रदेश में भवन, सड़कें व पुल आदि का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग करवाता है। आप ग्रामीण विकास की बातें करते हैं, परन्तु महानरेगा योजना के मैटेरियल का पेमेंट व कारीगरों का पेमेंट एक वर्ष से नहीं हुआ है। पिछले 4 माह से मजदूरों का, जो नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, उनका भुगतान भी नहीं हुआ है..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): जबकि कानून का प्रावधान 15 दिन में करने का है। नरेगा में लाखों रुपये का पंचायत में काम होता है, परन्तु भुगतान नहीं होता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की....

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): माननीय सभापति जी, आज मांग संख्या 19, 21 और 28 पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय।

श्री सभापति: फर्माएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी अनुमति से मैंने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से यह आग्रह किया था...

श्री सभापति: हां, तो आपने बता दिया था, वह तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: हाउस में सरकार के संज्ञान में आ गया। माननीय उप नेता महोदय, सरकार के संज्ञान में आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। जो कुछ भी इन्होंने कहा है अंकित नहीं होगा। विराजिए आप, विराजिए, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, प्लीज, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप बैठिए, बैठिए, मुझे बोलने दें आप, आप विराजिए, विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। आसन पैरों पर है, आप विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। मुझे बोलने दें आप। विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, विराजिए, मुझे बोलने दें। माननीय सदस्या, आप वरिष्ठ हैं, विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्या, विराजिए, विराजिए। कुछ परम्पराएं सीख लीजिए। माननीय सदस्या, मैं आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं प्लीज विराजिए विराजिए। आसन पैरों पर है विराजिए, विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए, आप दोनों में कोई कम्पीटिशन है क्या? विराजिए, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, आपने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत कोई बात कही। मैंने आपको अलाउ किया, आपने अपनी बात कही, वह सरकार के संज्ञान में आ गयी, और कोई विशेष बात है तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय से आकर उनके वेश्म में मिलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। मैं इस तरह से पूरे सदन को हाईजैक नहीं करने दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, विराजिए, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, आपको जो निर्णय लेना है वह आपकी मर्जी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मैंने कह दिया, विराजिए, विराजिए। प्लीज सहयोग करें। माननीय उप नेता महोदय, मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, आप जाकर माननीय अध्यक्ष के वेश्म में मिलें। (व्यवधान) श्री गुरमीत सिंह कुनर। बोलिए आप, बोलिए आप।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): माननीय सभापति जी, आज सदन में मांग संख्या 19, 21 और 28 पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय उप नेता महोदय, आप जाकर ...(व्यवधान) नहीं ऐसे नहीं। बोलिए आप, बोलिए।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) हर आदमी नई सड़क, अच्छी सड़क, गुणवत्ता पूर्ण सड़क की उम्मीद रखता है। उसी उम्मीद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। मैं बुलाता हूं, अभी बुलाता हूं, आप बैठिए। (व्यवधान) मैंने नाम पुकार लिया, वे बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) उस रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल है। वहां धरना लगा हुआ है। ...(व्यवधान) मेरी सरकार से मांग है कि इस सड़क को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप, प्लीज, प्लीज। जाइए, जाइए, हो गया। मुझे बोलने तो दें। मैंने नाम पुकार लिया, उनको बोलने दें आप। (व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए। मैंने गुरमीत सिंह कुनर साहब का नाम पुकार लिया, वे अपनी बात कहेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा, आप विराजिए। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान) मैंने गुरमीत सिंह कुनर का नाम

(श्री सभापति)

पुकार लिया, उनको अपनी बात समाप्त करने दें। उसके बाद मैं बताऊंगा, आप विराजिए, विराजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): कंचिया से सी.सी.आर. तक की रोड ...(व्यवधान) वह ग्रेफ की रोड है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) वहां धरना लगा हुआ है। सड़क इतनी टूटी फूटी है कि वहां चलना बहुत मुश्किल है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस सड़क को सरकार अपने कब्जे में ले, हैंडओवर करे, उस सड़क का निर्माण कराए। इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप। इतना समय तो है आपके पास भी, मैंने गुरमीत सिह कुनर साहब का नाम पुकार लिया है, वे अपनी बात समाप्त करेंगे। बात सरकार के संज्ञान में आ गयी, मैं अपनी व्यवस्था देता हूं। आप विराजिए तो सही, मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय नेता महोदय, सारी बातें हो गयीं, मैं अपनी व्यवस्था दूंगा, आप विराजिए। मुझे बोलने नहीं देंगे आप? (व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए। मैंने गुरमीत सिंह कुनर का नाम पुकार लिया, वे अपनी बात समाप्त करेंगे। (व्यवधान) यह परम्परा ठीक नहीं है। ऐसे नहीं, आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। आप मुझे व्यवस्था देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। (व्यवधान) मैंने गुरमीत सिंह कुनर का नाम पुकार लिया, वे अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) माननीय नेता महोदय, यह परम्परा गलत है। (व्यवधान) गुरमीत सिंह कुनर, आप अपनी बात बोलते रहो।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) क्या बोलें, इसमें कोई सुनता है? (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) मंत्री जी खड़े हो गये,

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

32 एमएल से पदमपुर रोड जो ग्रेफ की रोड है और 10 फीट चौड़ी है। वहां आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। (व्यवधान) और उन एक्सीडेंट्स की संख्या अगर आप पदमपुर थाने से, मुकलावा थाने से मंगवाएं तो आपके सामने आ जायेगा कि इतनी गंदी सड़क है, जिस पर रोज कोई न कोई आदमी मरता है। मेरा सरकार से निवेदन है के उस ग्रेफ की सड़क को या तो पी.डब्ल्यू.डी. हैंडओवर करे या ग्रेफ के अधिकारियों से कहकर उस सड़क को चौड़ा कराया जाये, उसका नवीनीकरण कराया जाये। (व्यवधान) इसी तरह पदमपुर से जसनपुर की 17 किलोमीटर रोड इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उस सड़क का डामरीकरण किया जाना जरूरी है। पदमपुर से करणपुर रोड ...(व्यवधान) आचार संहिता के चलते, विधान सभा चुनाव के समय बनी और ऐसी सड़क बनी कि एक बार उसकी रिपेयर हो गयी, लेकिन फिर टूट गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) पता नहीं कब की बनी हो। (व्यवधान)

(14.58 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, चर्चा करना चाहते हैं या चर्चा खतम करनी है? पहले आप अपनी जगह पर जाएं, यहां नहीं सुनूंगा मैं। मैं चर्चा खतम कर दूंगा। आपको बात करनी है तो आप अपनी जगह पर जाएं। This is not the way....(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं नहीं सुनूंगा। आपको सुनना है या नहीं सुनना है? चर्चा समाप्त कर दी जायेगी, अगर नहीं सुनना है तो। माननीय सदस्य, बोलें। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): ...(व्यवधान) पदमपुर से श्रीकरणपुर रोड विधान सभा चुनाव की आचार संहित लगी, तब बनी। मैंने बार-बार शिकायत भी की लेकिन ऐसी निकम्मी सड़क बनी, वह सड़क जगह-जगह से टूट गयी। एक बार उसकी रिपेयर हो चुकी है, अब उसमें इतने खड्डे ही खड्डे हैं कि सड़क पर चलना मुश्किल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों की ऐसी स्थिति है। लोगों की हर समय मांग रहती है कि हमारी सड़क ठीक कराओ। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं, उनको बनाये। जो

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

सड़कें ग्रेफ की हैं, उनसे सम्पर्क करके नई सड़क चाहे तो सरकार खुद बनाये, चाहे ग्रेफ के माध्यम से उनकी मरम्मत कराए। (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2018-19 में जो सड़कें स्वीकृत हुईं बहुत सारी सड़कों पर मिट्टी का काम हो गया, पुलियाएं बन गयीं, पत्थर कुटाई हो गयी, लेकिन डामरीकरण शेष है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वे सड़कें, जिनकी पहले मिट्टी कुटाई हो गयी, पुलियाएं बन गयीं, पत्थर कुटाई हो गयी, सिर्फ डामरीकरण बाकी है, उन सड़कों का डामरीकरण भी कराया जाये।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इन्हीं मांगों के साथ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, जो टूटी-फूटी हैं, उनकी मरम्मत कराई जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

(15.00 बजे)

श्री बलजीत यादव (बहरोड): अध्यक्ष महोदय, आपने अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, समय अभाव के रहते मुझे दो मिनट ही बोलने का समय दिया गया है। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहते हुए, इतना ही निवेदन करुंगा कि मेरे क्षेत्र में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि मेरे बहरोड विधान सभा क्षेत्र की कुंडरोड को, जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है, वह रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उस कुंड रोड का तुरन्त निर्माण करवायें। दूसरी रोड डवानी से भूडवाल के लिए जो सड़क जाती है, उसकी भी बहुत बुरी हालत है। बहुत-सी अन्य सड़कें जर्जर अवस्था में पड़ी हैं, इनमें सड़क कम गड्ढे ज्यादा हैं तो उनका डामरीकरण करवाया जाए। (व्यवधान)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा में जो काम होता है, वह तरीके से नहीं होता है। उसमें जगह-जगह खुदाई कर दी जाती है, उससे पानी का बहाव जो कि तालाब व जोहड़ को जाता है, वह अलग जगह डाइवर्ट हो जाता है। बहुत-सी जगहों पर ऐसा हो रहा है। पहले तालाब भर जाते थे, अब सिस्टेमैटिक काम नहीं होने के कारण वे तालाब सूख पड़े हैं, जिससे वाटर लेवल और ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि नरेगा के जो भी काम

(श्री बलजीत यादव)

हों, वे सिस्टेमैटिक तरीके से हों। मेरे क्षेत्र में जो सड़कें हैं, उन सड़कों का तुरन्त से तुरन्त निर्माण करवाया जाये, यह मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि वे मेरी बातों को गम्भीरता से लेंगे और मेरे क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करवाएंगे। हमारे क्षेत्र में इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, हमारे क्षेत्र से राजस्थान की सरकार को इतना सारा रेवेन्यू मिलता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहीं से आता है तो हमारे क्षेत्र से आता है। इसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में सड़कों की हालत ऐसी है कि हम उसके बारे में आपको बता नहीं सकते। सरकार अगर यूं करती रहेगी कि केवल रेवेन्यू हमसे ले, पोल्यूशन हमारा क्षेत्र झेल रहा है, फैक्ट्रियां बड़ी-बड़ी लगा दी हैं, लेकिन वहां पर हमें डवलपमेंट के नाम पर पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र से जिस रेशो में रेवेन्यू आता है, उसी रेशो में हमारे क्षेत्र को भी बजट दिया जाए। मैं तो कहूंगा कि हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 25 किलोमीटर की मिसिंग लेन दी जाए, हर विधायक को दी जाए, यह अपेक्षा करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

हमारे उप मुख्य मंत्री जी बहुत ही ऊर्जावान हैं। वे यहां मौजूद हैं। बड़ी संख्या में नवयुवक इस बार जीतकर आये हैं। मैं कहूंगा कि उप मुख्य मंत्री जी नवयुवकों का खास तौर पर ध्यान रखें। इससे निश्चित रूप से जो युवा एम.एल.ए. हैं, वे और भी एनर्जिटिक तरीके से काम करेंगे व अगली बार भी बहुत बहुमत से जीतकर आएंगे और आपके भी हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए आप एम.एल.एज. के हाथ मजबूत करें, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे सीनियर और बुजुर्ग लोग सारा पैसा लूट ले जाएं और हम देखते ही रह जाएं, तो आप थोड़ा-सा ध्यान इस चीज का रखेंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं यहां देखता रहा हूं कि बहुतसे लोग कहते हैं कि हम तो 7वीं बार आये हैं, 5वीं बार आये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप तो 7-7 बार आ लिए, हम तो नये नवेले हैं। हमारे गांव में कहावत है – 'जब बुजुर्ग आदमी मरता है तो भजन कीर्तन होते हैं, लेकिन जवान आदमी मर जाता है तो कैड़ाटा पड़ता है'। मैं चाहता हूं कि कोई जवान न मरे, वह दोबारा जीतकर आये, उसकी राजनीतिक हत्या न हो, इसलिए सरकार के द्वारा जवानों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री बलजीत यादव)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय जनों से भी निवेदन करुंगा कि कम से कम जब नये लोग बोलें तो डिस्टर्ब न करें। हमें अपने क्षेत्र की बातों को रखने दें। केवल अख़बार में छपने के लिए, केवल विरोध के नाम पर विरोध करने के लिए इस तरह से विरोध न करें। थोड़ा लोगों को बोलने का मौका दें, धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप से अपनी सीटों पर प्रस्थान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब जगह पर बैठें। बात सुननी है तो जगह पर जाएं, नहीं सुननी तो बात अलग है। आपको बात सुननी है तो जगह पर जाएं। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं इस तरह अलाउ नहीं करूंगा। चेयर पर जाकर बैठेंगे। सब जगह पर जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम खड़े रहेंगे। जब तक ये ज्ञापन नहीं देंगे, तब तक आज हाउस नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। जो चाहे वह कर लेना। ज्ञापन लेने में कोई जोर आ रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे बाध्य नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनने को तैयार ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी पूरी बात सुनें। आप बैठे रहें, खड़े रहें, इससे कोई मतलब नहीं। आप मेरी पूरी बात सुनिये। मैं परम्पराओं को नहीं तोड़ूंगा। माननीय उप नेता ने मुझे कहा कि जो धरने पर आये हैं, उनके बारे में मुझे एक-दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए। मैंने आपको कहा कि जब चेयर पर आएंगे, आपको अलाउ कर देंगे। आपको बोलने का मौका दिया। (व्यवधान) You cannot compel. Please listen it. यह तरीका नहीं है कि आप सदन को डिक्टेक्ट कराएं। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन की परम्परा नहीं है। मैंने इसकी गम्भीरता को देखते हुए, मैं आपके पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के लिए चेयर को बोलकर गया था कि जब डिबेट शुरू हो जाए, उसके बाद उप नेता को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। आपको मौका दे दिया। मौका देने के बाद आपने सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर दिया। सरकार आपके way से ही आये, यह तो नहीं हो सकता। क्या करना है, वह हम पर छोड़ें। आप डिक्टेट करें कि अभी करें, यह नहीं हो सकता। यह तो फिर सदन में रोज परम्परा होगी, लोग रोज जुलूस लेकर बाहर आएंगे, इस तरह रोज करेंगे। आप खुद मंत्री रहे हैं। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, Please, I'll not tolerate it. आप हाउस चलाएं या नहीं चलाएं, पर गलत परम्परा नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) मुझे गम्भीरता से सुनें। पहले गंभीरता से सुनें, फिर आपकी इच्छा हो, वह करें। नहीं सुनना तो मैं बैठ जाता हूं। यह परम्परा नहीं है।

आपने खुद ने सरकार चलायी है, आप खुद मंत्री रहे हैं। (व्यवधान) कटारिया जी, आप मेरी बात सुन लें, फिर आप जो निर्णय करें, मुझको तकलीफ नहीं है। आपने सरकार चलायी है, आप मंत्री रहे हैं। सदन के बाहर कितनी बार लोग जुलूस लेकर आते हैं, सदन में आपको ध्यान आकर्षित करने का मौका देते हैं, यही परम्परा रही है। लेकिन आपको हम अभी के अभी जाकर यह कहें, यह परम्परा कहीं नहीं रही है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। सरकार में कौन जाना चाहिए, कौन नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी व्यवस्था दूंगा, लेकिन डिक्टेट करने की व्यवस्था के अन्दर मैं गाइड नहीं होऊंगा। आप सदन चलाएं या नहीं चलाएं, यह आपकी चॉइस है, पर आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आपका काम है, आपने ध्यान आकर्षित किया। सरकार जा रही है, सरकार उनकी सुने, यह जिम्मेदारी मेरी है, पर सदन में आप डिक्टेट करें कि सदन नहीं चलेगा, जब तक नहीं जाएगा, इस परम्परा को मैं टोलरेट नहीं करुंगा। आप सदन में आएं, नहीं आएं, यह आपकी चॉइस है। मैं आपकी भावना को समझकर फिर निवेदन कर रहा हूं कि सरकार का कौन आदमी जाये, किससे क्या है, यह मेरी जिम्मेदारी है। (व्यवधान) कटारिया जी, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करुंगा। गलत परम्परा का निर्वहन नहीं होना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं होगा तो नहीं होगा ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): साफ लिखा हुआ है कि आसन को कोई कम्पेल नहीं कर सकता। ज्ञापन लेने में कोई एतराज नहीं है। ये तो केवल मात्र दिखावा कर रहे हैं। आपने जो निर्णय दिये हुए हैं, उसमें लिखा हुआ कि ज्ञापन के लिए कम्पेल नहीं कर सकते। आपने पहले ही निर्णय दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा

(श्री बाबूलाल नागर)

कि इन्होंने बहुत इच्छा शक्ति से राजस्थान में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के दौरान राजनीतिक दृष्टि को भावना में रखते हुए जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें बनायी गयी थीं, आज इस सरकार द्वारा विशेष तौर से जो आदिवासी क्षेत्र हैं, दलित क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या में पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें बनायी गयीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पचेवर से नगर-ईटाखोई-ढांढोली-रेहलाना-गागडू-हरसौली-परासौली-साकून-साली-घलोता-बूहारू यह ऐसी सड़क हैं जो 73 किलोमीटर लम्बाई की सड़क है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसको मुख्य जिला सड़क घोषित करें। इसी तरह दौसा से चाकसू-फागी-दूदू-नरेगा-साम्भर सड़क, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। यह दौसा से दूदू तक ओर साम्भर तक, दो-दो जिलों, तीन-तीन जिलों में बहुत उपयोगी सड़क है। मैं चाहूंगा इस सड़क को मंत्री महोदय राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें। 26 किलोमीटर इस तरह की सड़क है, जिसकी चौड़ाई, केवल पूरी की पूरी सड़क 7 मीटर चौड़ी है और 26 किलोमीटर, साढ़े पांच किलोमीटर है। मैं चाहूंगा जब इतनी लम्बी सड़क है, सारी सड़क 7 मीटर है तो यह 26 किलोमीटर भी साढ़े पांच मीटर सड़क, इसको सात मीटर किया जाए। इसी तरह सांगानेर-फागी-मालपुरा-भीलवाड़ा, यह डबल लाइन सड़क है। इसमें टोल चल रहा है। यह भीलवाड़ा तक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसको फोरलेन करने के लिए मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां छापरवाड़ा बांध है। करीब 50 किलोमीटर, जो नहरें छापरवाड़ा बांध में आती हैं, बीच में जो ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, वहां काज-वे बने हुए हैं। मैं मंत्रीमहोदय से चाहूंगा कि जहां-जहां छापरवाड़ा बांध की नहरों पर काज-वे बने हुए हैं, वहां पर पुल बनाया जाए। इसी तरह मैं चाहूंगा कि नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे राजमार्ग 100, दूदू-अजमेर रोड से सांवरदा से रूपनगढ़ तक, यह सड़क पूरी तरह पीपीपी मोड पर है, इस सड़क का टोल चल रहा है। पूरी सड़क अच्छी बन गयी है। 13 किलोमीटर रोड, जो मेन नेशनल हाईवे से नरैना तक है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। इस सड़क पर भी कार्य कराया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, जो फागी से दूदू, स्टेट प्लान में सड़क स्वीकृत की गयी थी, करीब-करीब सड़क का 90 परसेंट काम पूरा हो गया। मौजमाबाद कस्बा है, दो लेन में एक लेन सड़क से सी.सी. रोड बन गयी, एक लेन छोड़ दी गयी। आधा रोड सी.सी. बन गया है। शायद पैसे के अभाव के कारण, वह ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जाम लग जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मौजमाबाद कस्बे में जो आधी एक लेन छोड़ दी गयी है, उसको भी तत्काल बनाने का काम शुरू करें। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा योजना में मैं मानता हूं कि बहुत मजदूरों को, गरीबों को, श्रमिकों को काम दिया है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि 2008 से 2013, जिस तरह से नरेगा में काम हुए थे, मौके पर श्रमिक काम पर जाते थे। आजकल जे.सी.बी. से काम होता है और जो आम आदमी, गरीब आदमी है, ...(व्यवधान) 100 आदमी की दृष्टि की जाती है, किसी तरह से 100 आदमी हों। गरीब आदमी को पूरा श्रम मिलता नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

जे.सी.बी. का पैसा उस श्रमिक से लिया जाता है। मैं चाहूंगा जिस तरह से आपकी जो इच्छाशक्ति है, आपने नरेगा में काम खोले हैं, लेकिन मजदूर को कम पैसा मिल रहा है। मैं चाहूंगा मौके पर निरीक्षण किया जाए और उन्हीं लोगों का भुगतान किया जाए, जो मौके पर काम करते हैं। ऐसे-ऐसे जो नरेगा में काम चल रहे हैं, न उनके पास फावड़ा है, न गेंती है, न परात है लेकिन नरेगा में हाजिरी हो रही है। गरीब का पैसा कट रहा है। गरीब कह रहा है कि इससे ज्यादा काम, इससे ज्यादा मजदूरी हम गांव छोड़कर जाएंगे तो मिलेगी।

मैं विशेष तौर से विधायक कोष के बारे में कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, पहले प्रपत्र-5 था। ग्राम पंचायतों से प्रपत्र-5 लेते थे। अभी आपके विभाग ने इसमें बदलाव किया है। विधायक कोष से जो कार्य स्वीकृत किया जाता है, उसमें आबादी की जमाबंदी लेते हैं। जमाबंदी लेने के कारण आम जनता की भावना के अनुसार जो काम हो रहे हैं, वे स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रपत्र-5 में भी यही आब्जेक्ट होता है कि ये काम आबादी में हैं, ये जनहित के काम हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जमाबंदी वाला काम बहुत-सी जगह ऐसा है, जहां पंचायत भवन, स्कूल, गांव के चौराहे, गांव के

(श्री बाबूलाल नागर)
बाजार सिवाय चक में बस रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सिवाय चक से आबादी में परिवर्तन होने के प्रावधान हैं। पहले से सौ-सौ, पचास-पचास साल से रह रहे हैं, लेकिन वहां आबादी नहीं हो सकती है। आबादी नहीं हो रही है तो विधायक जो काम कराना चाह रहा है, विधायक के वे काम स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक भी ऐसा विधायक नहीं होगा जिसकी पूरी राशि आपके विधायक कोष से स्वीकृत हो गयी हो। मैं चाहूंगा कि आप जो प्रपत्र-5 पहले पंचायतों से लेते थे, उसी के आधार पर वापस किया जाए।

आपने एक नया संशोधन किया है कि एक हजार की आबादी में एक सामुदायिक भवन बनेगा। एक हजार से पच्चीस सौ की आबादी में दो बन सकते हैं। पच्चीस से ज्यादा आबादी में तीन बन सकते हैं। एक तरह से विधायक कोष पर यह राइडर लग गया है। विधायक कोष जब से शुरू हुआ है गांवों में सामुदायिक भवन बने हुए हैं। जिस गांव में पहले से सामुदायिक भवन बने हुए थे, आप जानते हैं पंचायत, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां प्रभावशाली के मोहल्लों में बन जाती हैं और वहां एक-एक, दो-दो भवन पहले से बने हुए हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अगर दलितों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में हम सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं, आपके यहां से सर्वे कराया जाता है, रिपोर्ट ली जाती है कि पहले से कितने भवन बने हुए हैं। वह भवन, जो उपयोगी चीज है, विधायक कोष से वहां उन गरीबों के मोहल्ले में बन जाए। मैं कहना चाहूंगा कि गांवों में आज जो प्रभावशाली लोग हैं, ब्याह-शादियां होती हैं, स्कूलों में उनको जमीन मिल जाती है। उनको स्कूलें मिल जाती हैं और वे अपनी बारात ठहरा लेते हैं। लेकिन आज गरीब, उस दलित के मोहल्ले में अगर वह भवन बनता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन-सा प्रोविजन आ गया कि एक भवन बनेगा, दो भवन बनेंगे। जब से विधायक कोष चल रहा है, इससे कई भवन बन गये। इसलिए मैं आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करूंगा कि ये जो बदलाव किया है, इस बदलाव को हटाया जाए। जो आवश्यकता है, जनहित का काम है, वह हो, नहीं तो हमारे विधायक कोष का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। अगर स्कूलों में कमरे ही देने हैं, सरकार की बहुत-सी योजनाएं हैं। आज विधायक कोष से हम नहीं करा पा रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो बिड प्रस्तुत करने की, 3 करोड़ की राशि से जो ज्यादा का काम होता है, शायद विभाग ने अब बिड प्रस्तुत करने की, उसको समाप्त कर दिया है। बिड समाप्त करने से जो अनुभवहीनता, जो बिड के योग्यताधारी होते हैं, वे अनुभव वाले होते हैं, गुणात्मक काम होता है, लेकिन ये बिड की अनिवार्यता खतम करने से आपकी गुणात्मकता में बहुत गिरावट आती है। इस तरह मैं कहना चाहूंगा कि एक से अधिक कार्यों के पैकेज बनाकर आप निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं। बड़े ठेकेदार आ जाते हैं। टाइम उनको मिलता नहीं है। काम उनके पूरे होते नहीं हैं और जो छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा उन छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम दिया जाए। जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, नरेगा में इन सबका, कम से कम पटरी मरम्मत का काम कराया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

गांवों में, पंचायतों में चाहे नरेगा हो, चाहे ग्रामीण विकास के कार्य हों, उनमें निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विभाग को आज समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन टेंडर हो रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन तीस-तीस परसेंट बिलो पर जब टेंडर छूटते हैं, ऑनलाइन में ऐसे लोग आ जाते हैं, जिन्होंने ईंट का भट्टा लगा रखा है, कोई पर्सनल काम कर रहा है। उनकी गुणात्मक सामग्री कमजोर होती है और 30 परसेंट, 35 परसेंट बिलों पर वे ठेका ले लेते हैं। ठेका लेने के कारण पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से वहां भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आपकी जो बी.एस.आर. दर है, हर पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए। आपकी सरकार ने जब तय किया है कि इसमें इतनी दर है, यह इतनी राशि का है, तो बी.एस.आर. दर पर आप जो काम कराएंगे तो आपके गुणात्मक काम होंगे, अच्छे काम होंगे। ये 30-30, 35-35 परसेंट में, कभी समीक्षा कीजिए, मौके पर विजिट कीजिए, क्या हाल हो रहा है? गांव में कैसी सड़कें बन रही हैं?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

30 परसेंट, 35 परसेंट पर काम करने वाले लोग केवल ग्रेवल सड़क का काम करते हैं, सीमेंट सड़क का काम करते हैं। अगर आपने कोई भी निर्माण का काम दे दिया तो वे हाथ खड़ा कर देते हैं। (व्यवधान) मस्टररोल नहीं भरते हैं। इस तरह मैं कहना चाहूंगा कि गांवों में 10-10, 15-15 हजार की आबादी की पंचायतें हैं। इन आबादी की पंचायतों में आज स्वच्छता की

(श्री बाबूलाल नागर)

बात कर रहे हैं। लेकिन आपका विभाग कहीं कोई ट्रैक्टर-ट्रोली लगाता है, कचरा पात्र आदि के लिए, जो गरीब है, उनके लिए सरकार ने कोई कानून-कायदे तय नहीं किये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे मेरी यह प्रार्थना है, जहां पंचायतों में, जो 10-10, 15-15 हजार आबादी के गांव हैं, इनमें स्वच्छता के टेंडर लगायें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मुझे आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुभाष पूनिया। सुभाष पूनिया बोलना चाहते हैं? माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, माननीय कटारिया जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लें, आप गुस्सा नहीं करें, पहले मेरी बात सुन लें। शांति से सुन लें। सरकार ज्ञापन ले, यह इश्यू नहीं है। मैं गलत परम्परा का पार्ट नहीं बन सकता। (व्यवधान) माननीय उप नेता ने यह कहा कि सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे, मैंने अलाउ किया। मेरी बात सुनें। मंत्री जाकर ले लेगा। पर कौनसा मंत्री जाएगा, मंत्री ले लेगा ...(व्यवधान) आप जगह पर जाएं। मैं बोल रहा हूं न मंत्री ले लेगा। जगह पर जाएं। माननीय सदस्य, आज के बाद ...(व्यवधान) एक मिनट आप सुन लीजिए। आज के बाद इस सदन में अध्यक्षीय व्यवस्था पाइंट आफ इन्फोर्मेशन की नहीं होगी। कोई भी प्रश्न उठाना है, परम्परा के अन्तर्गत आयें। मैं पूरा सम्मान करता हूं लेकिन पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के आधार पर ध्यान आकर्षित करने के बाद, हम यदि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम करें तो यह हमारी परम्परा नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी जगह आप होते तो आप भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट कटारिया जी, मैं सुन लूंगा। एक सैकिण्ड, मैं आपको सुन लूंगा। आप बैठें। (व्यवधान) आप मुझे डिक्टेट कराएंगे क्या? मेरी बात भी नहीं सुनेंगे क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां बोलें न।

श्री अध्यक्ष: यह क्या कर रखा है, आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो भय्या। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े रहें, आपका अधिकार है, आप वैल में आएं ...(व्यवधान) मेरी बात भी नहीं सुनेंगे? मैं चेयर से उठकर चला जाऊं? (व्यवधान) परम्पराएं खतम कर दें? अध्यक्ष की बात नहीं सुननी है? आपको अध्यक्ष की बात सुननी ही नहीं है ...(व्यवधान) आप नहीं सुन रहे क्या? आप

(श्री अध्यक्ष)

नहीं सुन रहे हैं क्या? Should I name you? Should I name you? मैं खड़ा हूं फिर भी आप बोल रहे हैं। आप इतने पुराने विधायक हैं, मंत्री रहे। अध्यक्ष खड़ा हुआ है तो भी बोल रहे हैं। आप अध्यक्ष को भी नहीं बोलने देना चाहते। आप डिक्टेट कराना चाहते हैं, मैं सदन छोड़कर चला जाऊं? आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का, मैं मना नहीं कर रहा पर मुझे भी अध्यक्ष की हैसियत से बोलने का अधिकार है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सदन को नियम और परम्परा से चलाते हैं। आप इतने पुराने सदस्य हैं, आप सरकार में रहे हैं। जब भी सरकार होती है, लोग आंदोलन करके आते हैं, विधान सभा के बाहर आते हैं। सरकार की अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत काम करते हैं। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से आपने एक बात का मुद्दा उठाया। उस मुद्दे को उठाने के लिए मैंने परमीशन दी। अब आपकी इच्छा थी कि सरकार जाकर ज्ञापन ले। सरकार ज्ञापन ले या नहीं ले, यह जिम्मेदारी हमारी है। (व्यवधान) कटारिया जी, मेरी एक बात सुन लें, आप भावुक नहीं हों। मेरी एक बात सुन लें आप। आप मेरी बात तो सुनो। आपको यह जानकारी है कि गृह मंत्री जी हैं या नहीं हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे भी अनुमति देना, आप एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष: किसकी? मैं चार घंटे नहीं दूं ...(व्यवधान) तो बात तो सुननी पड़ेगी। आपने मुझे स्लिप दी थी, यह फैक्ट है? आपने स्लिप दी, हाउस में मिले थे मुझे? आपने मुझे स्लिप दी, स्लिप मेरे पास पड़ी हुई है। उसमें आपने लिखा, मुझे एक-दो मिनट तक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में ध्यान आकर्षित करना है। मैंने कहा सदन में जब आय-व्ययक पर चर्चा शुरू हो जाएगी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। जो चेयर पर बैठे, मैं उनको बोलकर गया कि पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में राठौड़ साहब कोई बात उठाना चाहते हैं, उनको परमिशन देना। यह परमिशन मैं देकर गया। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में आपने क्या लिखा, एक-दो मिनट मुझे बात उठानी है। आपने बात उठा ली। आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बाद, अभी हाउस तो खतम नहीं हो रहा है। ज्ञापन लेने के लिए जाना है, नहीं जाना है, सरकार को जाने की व्यवस्था करने का काम करना है। अभी की अभी जाए, यह तो कोई निर्णय नहीं होता है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि गलत परम्परा डालकार आप इस सदन में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नियम और कानून के अन्दर सदन चले। आपका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन यह परम्परा डालना चाहते हैं कि जब भी विधान सभा में बाहर प्रोटेस्ट करने आएगा, हाउस को डिस्टर्ब करके बाहर जाएंगे, यह परम्परा ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आपका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आपने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन दी, उसका अधिकार है। सरकार को इस बात का कोग्नीजेंस लेना चाहिए, यह बात मैं कह रहा हूं। सरकार कोग्नीजेंस लेगी, उसके बारे में जाकर बात करेगी। लेकिन अभी की अभी जाकर करे, यह यदि हाउस को डिक्टेट करना चाहेंगे तो कृपया माफ करें, मैं सदन का ऐसा अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। ऐसा अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। मैं शुरू से नियमों का पालन कर रहा हूं, तो मैं पूरी अपेक्षा करता हूं। राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, आउट आफ जाकर, आप डिप्टी लीडर हैं there is no provision of Deputy Leader. But I give you full respect पार्लियामेंट्री देखते हैं, डेमोक्रेसी में वे चीजें सिखानी हैं। मैं पूरी की पूरी चीजों को सम्मान देता हूं। कटारिया साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विरोध के रूप में, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप प्रोटेस्ट करें। सरकार की तरफ से ध्यान आकर्षित किया, उसका आपको अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी है कि सदन नियम और कानून के अन्तर्गत चले। इस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आपने इन्फोर्मेशन दी, सरकार जाकर उनका कोग्नीजेंस लेगी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाई जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो....

श्री अध्यक्ष: आप सबको बैठाकर बोल दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बैठ जाइए।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि हमने जिसके लिए आपसे समय मांगा, आपने समय दिया। हमारे माननीय सदस्य ने अपना विषय रख दिया, बात खतम हो गयी। जो डेलीगेशन आया उन्होंने कहा कि हम, धारीवाल जी, जो आजकल होम का जवाब देते हैं, उनको अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, उनके कमरे में। किसी ने न नीचे बुलाया और न नीचे जाने की आदत है, न कोई सरकार करती है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। लेकिन यह अधिकार तो प्रदर्शन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने आने वाले को, दो-चार-पांच, जो भी नियम होता है, उतने लोगों को बुलाकर मंत्री जी को कागज देना है, उनसे और कुछ नहीं चाहना, यह नहीं कि यहां निर्णय करके जाओ। बाहर से आने वाले लोगों का अगर इतना भी इस हाउस में सम्मान नहीं मिले तो क्या अर्थ निकलेगा।

श्री अध्यक्ष: मिलेगा। आपने ध्यान आकर्षित किया, डैलीगेशन को मिलने का मौका दिया जाएगा, बात खतम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बात इतनी ही थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सुभाष पूनिया। (व्यवधान) No point of information. Please, Subhash Poonia.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: नो, माननीय सदस्य प्लीज, I have called Mr. Subhash Poonia.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आसन का सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष: Mr. Rathore, please be seated. अंकित नहीं होगा। सुभाष पूनिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। सुभाष पूनिया। आपके लीडर को बोलने दे रहे हैं। आप लीडर के ऊपर लीडर हैं? (व्यवधान) मैं गलत परम्परा नहीं डालना चाहता। आप सीनियर आदमी हैं।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, किसी देश-प्रदेश, चाहे वह कोई गांव हो, विधान सभा क्षेत्र हो, सड़कें विकास की धुरी हैं। हमारे देश में, प्रदेश में, विधान सभा क्षेत्र में भी 250 से 500 की जनसंख्या तक भी सड़कों को जोड़ने का काम किया है। सड़कें गुणवत्ता की दृष्टि से, जो भी विलेज रोड हैं वे बनने के तीन-चार महीने में ही टूट जाती हैं। मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सड़कों की गुणवत्ता बने।

रही बात, सड़क बनाने के बाद ठेकदारों का गारंटी पीरियड। कई बार देखा जाता है कि सड़क बनती हैं और चार महीने में ही उखड़ जाती हैं तथा

(श्री सुभाष पूनिया)

ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, ठेकेदारों को भी पाबंद किया जाए। उप मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा। हम जब भी सड़क बनाते हैं, चाहे वह स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि ग्रीन कोरीडोर के साथ-साथ जो वृक्षारोपण होता है, उन वृक्षों का रख रखाव ठेकेदार नहीं कर पाते हैं। लीपापोती के नाम पर वे वृक्ष लगाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष जी, टोल नाके पर टोल कर्मचारी बहुत बदतमीजी करते हैं। उन पर भी अंकुश लगाया जाए, यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। कई बार तो कई टोल नाकों पर यह हालत होती है कि उनका 24 घंटे का अप-डाउन का होता है, लेकिन टोल नाके तो दो बार लेते हैं, इसलिए दो बार टैक्स वसूलना व्यावहारिक नहीं है।

गौरव पथ के साथ जो नालियां बननी थीं, वे भी अभी तक नहीं बनी हैं, क्योंकि गौरव पथ हमारी सरकार में बने थे और उनके साथ नालियां भी दी गयी थीं, लेकिन ग्रामीण एरिये में आज तक कई गौरव पथ ऐसे हैं, वहां नालियां नहीं बनीं। उनके अभाव में वहां पानी भरा रहता है। इसलिए गौरव पथ का कोई फायदा नहीं मिला। यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक के नाम से बुहाना से नरात, कालू की ढाणी से झालोद, खांदवा से डाका मांडी, और दूलवा से झारोड़ा, ये सड़कें बना दें तो निश्चित रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र को फायदा मिलेगा। कुछ क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनमें जैसे लम्बी सड़कें हैं, बुहाना से मनाणा, हंसास से भालोठ, खांदवा से सांतोर, गिठाणा से गल्डाणा कलां, बुहाना से बलोदा, और सूरजगढ़ से बुहाना। ये सड़कें भी खूब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं इसलिए आवागमन में बहुत ही बाधा पहुंचती है। मैं चाहूंगा अध्यक्षजी, कि जल्दी से जल्दी ये सड़कें बनाएं लेकिन हमें 15-15 किलोमीटर पिछले राज में सड़कें मिलती थीं, अब की बार कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। विधायकों को मिसिंग लिंक के नाम पर कहीं एक किलोमीटर भी सड़क नहीं दी गयी है। मैं मानता हूं कि हमारे उप मुख्य मंत्रीजी की नीयत में कहीं खोट नहीं है। क्योंकि इनके पास खजाने की चाबी नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको खजाने की चाबी बहुत जल्दी मिले। निश्चित रूप से इन सड़कों का और ग्रामीण विकास में भी काफी कुछ काम होगा। उप मुख्य मंत्रीजी, हम आपसे यह आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, रही ग्रामीण विकास की बात, तो ग्रामीण विकास के

(श्री सुभाष पूनिया)

नाम पर एक मास्टर प्लान बने। उसके अकोर्डिंग काम हो। नरेगा के माध्यम से जितने भी काम हुए हैं ग्रामीण विकास में, उनका मैटेरियल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। उसको भी अतिशीघ्र करवाने की व्यवस्था करें।

गुरू गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना का जो प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है, उसको भी बहुत जल्दी करवाएं। यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मनरेगा में पक्के निर्माण आप जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि व्यक्तिगत लाभ भी उसमें मिले और व्यक्तिगत लाभ के काम भी आप किसानों को दें, ताकि उनको फायदा मिले। बस इतनी बात कहकर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक खण्डार।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांगों पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर मैं अपने विचार रखूंगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 2020-21 में कुल 6,808 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान किया है, जिससे हमारे राजस्थान में सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण का काम होगा। इस बजट में चार सौ करोड़ का, पिछले काफी समय से क्षतिग्रस्त सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उनके लिए जो प्रावधान किया है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि पिछले पांच सालों से सड़कें इस तरह से जीर्ण-शीर्ण, टूट गयी थीं, कहीं भी नवीनीकरण का काम नहीं हुआ, पेचवर्क नहीं हुआ। पता नहीं कहां, सरकार किन सड़कों पर चलती रही। आज आपने इन कामों को हाथ में लिया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का दिल से आभार।

मेरे सवाई माधोपुर में भी मलारना डूंगर से सांकड़ा की सड़क का 12 करोड़ के नवीनीकरण का कार्य हाथ में लिया है। निश्चित तौर से यह बहुत पुरानी सड़क, जो टूट-फूट गयी थी, जो सपोटरा होकर करौली जाती है, उसका निर्माण होगा। हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

(15.33 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

माननीय मंत्री महोदय, जो सड़कें प्रथम चरण में आपने जीर्णोद्धार की ली हैं, वे तो बहुत जरूरी हैं, परन्तु द्वितीय चरण की सड़कें भी काफी टूटी-फूटी हैं। वहां के लोग काफी परेशान और दुविधापूर्ण परिवहन का कार्य करते

(श्री अशोक)

हैं। उन सड़कों का भी जल्दी प्रावधान करके आप लेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

पी.एम.जी.एस.वाई. में प्रथम और द्वितीय फेज की सड़कों का निर्माण तो पूर्ण हो गया, आगे उनका नवीनीकरण कार्य होगा। यह भी महत्वपूर्ण कार्य होगा। मेरा आग्रह है कि पिछली सरकार में मेरे खण्डार क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण गांवों को, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे, उनको जान-बूझकर, राजनीतिक दुर्भावना से उनके गौरव पथों तक को रोक दिया गया, उनको कटवा दिया गया। आज भी वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में ये निर्माण होंगे। हमारी सरकार ने विकास पथ बनाने की पहल की। मेरा आग्रह है कि दुर्भावना पूर्ण राजनीतिक द्वेषता से जो सड़कें काटी हैं, गांवों के गौरव पथों को, उनको विकास पथ के माध्यम से, ग्राम पंचायत पाली, बलरिया, डिडायच,घमूणकलां, इन गांवों को पुन: विकास पथ के माध्यम से आप सड़कें देंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे विशेष आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में निम्न गांवों में एम.डी.आर. की सड़कें विभिन्न योजनाओं में बनायी गयी थीं। परन्तु वहां पर बजट का इस प्रकार से प्रावधान था कि जहां गहरे नाले थे, जहां नदियां निकलती हैं, बरसाती पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है, वहां पर टैक्निकली रपटें बना दी गयीं, जो काफी नीचे होकर डीप में जाते हैं और बरसात के टाइम पर लोगों को आवागमन की काफी असुविधा होती है। कई बार बरसात में बाढ़ की स्थिति में जन हानि का खतरा रहता है। ऐसे गांव हैं, जो ग्राम पंचायत आटूणकलां एवं पचीपल्या, ग्राम बड़वास, बलरिया, मईकलां, मेन रोड, एम.डी.आर., खण्डार, ग्राम पंचायत फलौदीका और ग्राम पंचायत झोंपड़ा की इन सड़कों पर इतने गहरे खड्डे हैं कि बरसातों में लोग निकल नहीं पाते हैं। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लोग बाहर रह जाते हैं, गांव जाने का इंतजार करते हैं। मेरा आग्रह है कि वहां पर बड़े पुलों का निर्माण करवाया जाए।

दूसरा निवेदन यह था, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, कि गांव की सड़कों के दोनों ओर जंगली जूलीफ्लोरा दोहरे रूप से छा गये हैं, रास्ते दिखते नहीं हैं। कई बार आकस्मिक एक्सीडेंट होते हैं। मेरा आग्रह है कि इस बार विशेष योजना बनाकर, कार्ययोजना को हाथ में लेकर, चाहे नरेगा के माध्यम से इनकी दोनों तरफ कटाई कराई जाये, इन पेड़ों को कटाया जाये और दोनों तरफ पटरियों की मरम्मत कराई जाये।

(श्री अशोक)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि पिछली सरकार में हमारे देवस्थानों को जोड़ने के लिए सड़कों का विशेष ध्यान रखा गया था। देवस्थान की सड़कों को जोड़ने से वहां के क्षेत्र की धार्मिक आस्थाओं को बढ़ावा मिलता है। काफी लोगों को इसका लाभ मिलता है। परन्तु इस बार इस बजट में देवस्थानों को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा आग्रह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे रिलीजियस आस्था का मामला है। हमारे राजस्थान में देवस्थानों को लोग बड़ा पूजते हैं, मानते हैं। धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो वहां की सड़कों को भी कोई विशेष योजना बना कर ले लें, ताकि जो देवस्थान छूट गये हैं, उनको जोड़ा जाये। मेरे क्षेत्र में केमला बाबा का स्थान है, जो टापुर पंचायत में है। बड़वास होकर रामेश्वर धाम जाते हैं, वह रास्ता है। इटावा बालाजी, ऐसे कई स्थान हैं, जिनको देवस्थान से जोड़ें तो वहां के क्षेत्र के लोगों को धार्मिक स्थान के साथ-साथ क्षेत्र की सड़कों का लाभ मिलेगा।

महोदय, विशेष तौर से मेरा निवेदन है कि मेरे खण्डार क्षेत्र की एक सड़क डांग क्षेत्र होकर करणपुर-सपोटरा जाती है। माननीय रसद मंत्रीजी का क्षेत्र पड़ता है। यह तकरीबन सात किलोमीटर सड़क डांग क्षेत्र में है। बरसों से इसके बनने की उम्मीदें हैं। अगर यह बन जाती हैं तो दोनों जिले, करौली व सवाई माधोपुर एक साथ जुड़ जायेंगे, और इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कैलादेवी जाने का एक बहुत शानदार व सुगम रास्ता बनेगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय से, उप मुख्य मंत्री महोदय से और रसद मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक सड़क है। दोनों जिलों की मांग है, इस पर विशेष ध्यान देवें। इसके बनने के बाद वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जो पिछले समय में सड़कें बनी थीं, उनमें कई बार इंजीनियरिंग मिस्टेक के कारण सड़कें गलत बनी हैं। कहीं डेंजर जोन है, कहीं डीप है, कहीं कर्व है, यू-टर्न है, सामने वाले को दिखता नहीं है। परिवहन मंत्रीजी, जो सड़क दुर्घटनाओं की चिंता जताते हैं, हम सब चिंता जताते हैं, मेरा आग्रह है कि ऐसी सड़कों का चिह्नीकरण करके, जहां पर डेंजर जोन है, जहां पर सड़कों की बनावट में मिस्टेक है, इंजीनियरिंग मिस्टेक है, उनको चिह्नित करके उन सड़कों की तकनीकी खामी ठीक करके सड़कों को ठीक किया जाये, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लग सके।

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारी पिछली सरकार में मुख्य मंत्रीजी ने हमारे गांवों की मिसिंग लिंक की सड़कों का प्रावधान किया था। मिसिंग-लिंक सड़कें होने से कई गांव से गांव जुड़े। उससे उन गांवों को दूसरे गांवों से जुड़ने का मौका मिला, आपस में कई पंचायतें जुड़ीं। परन्तु इस बार मिसिंग लिंक सड़कों का कोई प्रावधान नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि हर विधान सभा क्षेत्र में 15-15 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का प्रावधान किया जाये। इससे कई सड़कें तो हमारी ऐसी हैं, जो पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़ी हुई हैं। कई गांव ऐसे हैं जो आज भी पंचायत मुख्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं। उससे वहां के लोगों को काफी घूम करके अपने पंचायत मुख्यालयों में जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस बार मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए अलग से प्रावधान करके इसमें बजट प्रावधान करायें और गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का भी काम हाथ में लें।

मेरे क्षेत्र में बदेड़िया से ग्राम पंचायत डिडायच, घमूणकलां से ग्राम पंचायत गम्मीरा, ऐचरें से ग्राम पंचायत टापुर, बोरदा से आदड़वाला कलां, विजय नगर से खाजना डूंगर, खिदरपुर से कुरड़ी, सेवदी खुर्द जो ग्राम पंचायत पाली को जोड़ती है, ये तमाम पंचायत मुख्यालय से डिसकनेक्ट हैं। मेरा आग्रह है कि ऐसे मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने पर उन ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा और पंचायत मुख्यालय पर जा सकेंगे।

महोदय, मेरा क्षेत्र डांग क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है और साथ में चम्बल नदी बहती है तो वहां पर बरसात की बहुतता है। इस बार भी बाढ़ आयी और चम्बल का पानी कई गांवों में घुस गया। कई बार वहां के गांवों की सड़कें टूट-फूट गयीं। इसलिए मेरी इन सड़कों का विशेष ध्यान रखते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए, नवीनीकरण के लिए कृपा करके विशेष बजट दें। मैं यही आग्रह करूंगा, क्योंकि चम्बल नदी के किनारे के कई गांवों में बाढ़ से सड़कें टूट गयी थीं तो मेरा यह आग्रह है कि आप इन सड़कों पर विशेष ध्यान देकर नवीनीकरण की विशेष स्वीकृति दिलाएंगे, यही मेरा आपसे आग्रह है।

मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, सभापति महोदय को और डिप्टी सी.एम. साहब को भी यह आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र की सड़कों पर विशेष ध्यान दें।

रामलालजी, विधायक साहब ने मुझे यह कहा है कि माइनिंग एरिया

(श्री अशोक)

में जो सड़कें हैं जो टूट-फूट जाती हैं, उनको भी नवीनीकरण में लेकर, क्योंकि भारी वाहन और ओवर लोडिंग वाहन चलते हैं तो उन सड़कों को ठीक करने के लिए, उन सड़कों की मोटाई ठीक की जाए, उनकी थिकनैस ठीक हो, डामरीकरण ठीक हो, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक (खण्डार): एक मिनट। मेरी जो पुरानी सड़कें हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है, उन पर कृपा करके, मेरा यह आग्रह है कि उनको, जल्दी ही क्षतिग्रस्त सडकों का नवीनीकरण करने का काम हाथ में लें और जल्दी से जल्दी उनको पूरा कराएं। दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि मिसिंग लिंक सड़कों के लिए सबका आग्रह है, सबकी तरफ से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने समय दिया उसके लिए बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, ओलावृष्टि हो गयी।

श्री सभापति: आप विराजिये। इसके ऊपर काफी डिबेट हो गयी और सरकार का वक्तव्य भी आ गया, आप विराजें। श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल और मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आपने इन अति महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, उसमें अपन देखें तो अपने जीवनकाल में आने वाले जो भी कार्य होते हैं वह एक लोक निर्माण कार्य में माने जाते हैं। चिकित्सा, ब्लड बैंक, जांच केन्द्र, ट्रोमा सेंटर निर्माण, आपरेशन थियेटर निर्माण कार्य, डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के रहने हेतु क्वार्टर्स, माननीय सभापति महोदय, यदि शुरूआत में इन कार्यों के रखरखाव के लिए सरकार अच्छी तरह से इनका निर्माण करे तो आने वाले समय में एक अच्छा कदम साबित होगा। लोक निर्माण कार्यों के अन्दर आंगनबाड़ी भवन, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अन्दर कई एरिया ऐसे हैं, जहां पर भवन नहीं है।

(श्री जगसी राम)

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के अन्दर पक्के निर्माण कार्य और स्कूलों के अन्दर खेलकूद के मैदान जो हैं, स्टेडियम हैं, एस.सी., एस.टी. से जुड़े छात्रावासों को पक्के करवाने के कार्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लोक निर्माण के आने वाले कार्यों में पशुपालकों के लिए टीन शेड के जो कार्य हैं, वे भी इसी के अन्दर माने जाते हैं। ये भी लिए जाएं तो काश्तकारों के लिए और क्षेत्र के सभी किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसी प्रकार से बांधों के जो काम हैं, पक्के काम हैं, नहरों के काम हैं, खालों के जो काम हैं, ये भी इस कार्यक्रम में लिए जाएं, मेरे हिसाब से मैं ये सुझाव दे रहा हूं।

सड़कें एवं पुल, माननीय सभापति महोदय, सड़कों के बारे में अपन देखने जाएं तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किये थे, आज उनकी तुलना में वर्तमान सरकार नहीं के बराबर मानी जाती है। यहां पर हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय भी विराजमान हैं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने, श्रीमती वसुन्धराजी राजे की सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आबू रोड और रेवदर के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें बनायी थीं वे तारीफ के काबिल रहीं। जो मुख्य सड़क है, आबू रोड से अम्बाजी वाली जो सड़क है, तरोटी तक, बहुत बड़ी लागत से बनाकर उसके काम को पूरा किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 2017 के अन्दर अतिवृष्टि के कारण से सड़कें टूट गयी थीं, बह गयी थीं। विशेष तौर से सिरोही जिले के अन्दर जो भारी बारिश हुई थी तो उस समय में सरकार ने तुरंत प्रभाव से काफी काम, पुल और ब्रिज जो हैं, हमारे एक जोआदरा का ब्रिज टूट गया था, 25 गांवों के साथ डिसकेनेक्ट हो गया था, तो तुरन्त प्रभाव से सरकार ने उसकी स्वीकृति देकर दस करोड़ की लागत से वह बनाया था। जीरावर वाला जैन मंदिर वाला जो पुल है, वह भी बन गया, ओसिथरा वाला भी बन गया, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि 30 परसेंट जो काम बचा था, सरकार बदलने के बाद में उसको रोक दिया और पैसा भी निरस्त कर दिया था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी स्वीकृत कर आने वाली बारिश से पहले-पहले, वे सारे गांव, जो डिस्कनेक्ट हो गये हैं, उनको वापस जोड़ा जाए तो मैं यह समझता हूं कि क्षेत्र की जनता के लिए एक फायदेमंद काम रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो राजस्व गांव हैं, सरकार की योजना के

(श्री जगसी राम)

अन्तर्गत सारे राजस्व गांवों को जोड़ा जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ऐसे कई गांव, जो पंचायत मुख्यालय से, छोटे-छोटे जो गांव हैं, वे नहीं जोड़े गये हैं, उनको भी जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक हैं, उनको पढ़ने में असुविधा होती है और उनको आने जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन सड़कों को भी यदि जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, देवस्थान बोर्ड वाली जो योजना है, पहले श्रीमती वसुन्धराजी राजे की सरकार ने, धार्मिक सड़कों वाली जो योजना है, उससे उन सड़कों को भी जोड़ा था। प्रत्येक विधायक को दस-दस किलोमीटर की सड़कें दी थीं तो धार्मिक स्थल वाली सड़कें जोड़ी थीं।

यहां पर माननीय वन मंत्रीजी भी विराजमान हैं और आप भी विराजमान हैं। वन विभाग के अन्दर जो आने वाले छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उनको रोक देते हैं। पूरी सड़क सैंक्शन हो गयी है, उसके बाद भी वह काम चालू नहीं होता है और बीचोंबीच वे टूटे हुए हैं। उससे एक प्रकार की दुविधा भी खड़ी होती है और सरकार का जो बजट है, वह भी लैप्स हो जाता है। इसी प्रकार के कई काम ऐसे हैं जो प्रभावित हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत से माउंट आबू पहुंचनेवाले देश-विदेश के जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए, जैसे अपन रेवदर से जाते हैं आबू रोड और आबू रोड से माउंट आबू, मेरा विधान सभा क्षेत्र पावापुरी से लगता हुआ गुलाबगंज जो है, वहां से एक पुरानी सड़क, जो सैंक्शंड है, उस सड़क को भी वहां से स्वीकृति कर जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं दो रोड्स जो हैं, माउंट आबू एक तरफ तो पर्यटक स्थल है, उसको भी यदि जोड़ा जाए तो मैं यह समझता हूं कि कभी भी, माननीय सभापति महोदय, 2017 के अन्दर जब ओलावृष्टि आयी, उस समय 15 दिन वहां पर आने-जाने के लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गयी थी, तो यह जो रोड है, चाहे भैरूंतारक हो या पावापुरी से पहले से रोड बनी हुई थी, कच्चा रोड बना हुआ है, यदि उसकी स्वीकृति वन विभाग की परमिशन से, केन्द्र सरकार से, लखनऊ इनका कार्यालय है, उससे अनुमति मिले, उसको भी वहां से सैंक्शन निकला कर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण गौरव पथ और अभी

(श्री जगसी राम)

विकास पथ जो दिये हैं, इन कार्यों को भी यदि गति दें तो सरकार की ओर से बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरी बात है कि ग्रामीण विकास के जो काम क्षेत्र के अन्दर बताये जाएं तो गांवों के अन्दर पेयजल वाली जो व्यवस्था है, मैं यह समझता हूं कि पीने के लिए, हैंडपम्प के लिए जो व्यवस्था है, सरकार द्वारा समय-समय पर आने वाली गर्मियों के सीजन से पहले उन कार्यों को भी उसमें लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गांव और ढाणियों के अन्दर जो छोटी-छोटी चारदीवारी स्कूलों की है, वे भी टूटी हुई हैं, वह भी विकास के तौर पर माना जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जो 2017 के अन्दर, मैं पुन: इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि 2017 के अन्दर अतिवृष्टि में, मेरी पांच-सात ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, उन पंचायतों के अन्दर पूरी सड़कें बहकर चली गयी हैं। वहां पर आने वाले समय के अन्दर, अभी भी डेढ़ साल से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं यह चाहूंगा, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, जब भी आप जवाब दें तो हमारे रेवदर विधान सभा की ग्राम पंचायत रायपुर, पिथापुरा और निम्बज, इन पंचायतों की जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनको भी उसमें लिया जाए।

एक अपने जो मॉडल स्कूल हैं, डेरोल वाली और एक कालेज वाली, महाविद्यालय वाली जो सड़क है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इन सड़कों के लिए, मंत्री महोदय, जब आप सिरोही पधारे थे, बैठक ली थी, उस समय भी मैंने आपसे यह निवेदन किया था, उन सड़कों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि वे सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहां पर बच्चों के आने-जाने के लिए, मॉडल स्कूल जो है, यह एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है, इसको भी जोड़ा जाए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान सरकार का, मुख्य मंत्रीजी का, उप मुख्य मंत्रीजी का, जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में सरमथुरा पंचायत समिति बनायी। उससे मेरे पूरे ही इलाके के लोग प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। डांग क्षेत्र में यह पंचायत समिति बनने से हमको

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

बहुत फायदा मिलेगा। इस मामले में इस पंचायत समिति के लिए सरकार से निवेदन है, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि भवन और बजट के लिए थोड़ा जल्दी से पैसा स्वीकृत करवा दें तो यह काम सुचारु रूप से चालू हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां डांग क्षेत्र है। डांग विकास बोर्ड, एक अलग से बोर्ड बना हुआ है। मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी। डांग विकास को लेकर जो प्रपोजल आये थे। उनमें देखने को मिला तो अक्सर क्या होता है कि एक हैण्डपम्प, स्कूल के लिए कमरे हैं, एक मिली-जुलीसी जो फण्ड की व्यवस्था है, वह आमूलचूल परिवर्तित दिखी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह डांग एक रेवाइंस है और इसकी जो स्थिति है, इसके लिए एक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है और डांग विकास को अलग से रखते हुए और फण्ड से भी अगर पैसा मिल सकता है, उस फण्ड में खर्च नहीं करते हुए इसकी कार्ययोजना बनायी जाए और उसके तहत यह जो रेवाइंस हैं, और जो भूमि समतल हो सकती है, इसको समतल करके किसानों को आबंटित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, डांग और डकैत, यह दोनों हमारे चम्बल में ही हैं। जब तक डांग का विकास नहीं होगा, समतलीकरण नहीं होगा तो डकैत खतम नहीं होगा। इससे पहले अभी बात आ रही थी हमारे जगन गुर्जर डकैत की, बहुत डकैत थे। अभी चार दिन पहले अख़बार में बहुत लम्बाचौड़ा छपा था कि चार-पांच डकैतों का एक गिरोह आकर सोशल मीडिया पर अपनी बन्दूकें दिखाकर सबको डरा-धमका रहा है। ये सब चीजें इसलिए पैदा होती हैं कि वहां सबसे ज्यादा जरूरत है सड़कों की, सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की, सबसे ज्यादा जरूरत है बिजली की, सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की। यह तभी हो पाएगा, जब वहां के लोगों का जीवन थोड़ा ऊपर उठेगा। उसके लिए जब तक योजना नहीं बनाएंगे, आज जो भी पैसा आ रहा है, उन पैसों को आप दूसरी जगह खर्च कर दो और दूसरी योजनाओं में लगा दो तो वही 'ढाक के तीन पात' कोई लेना-देना नहीं। एक अच्छी योजना के तहत डांग विकास के लिए अच्छा पैसा मिलना चाहिए और उस पूरे पैसे को उस डांग क्षेत्र में ही लगाना चाहिए। जहां पर बीहड़ है, वहां समतलीकरण करके, जो गरीब लोग हैं, उनको हम देंगे तभी ये चीजें सही हो सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात ये है कि जो इलाके हैं, उनमें पानी की कमी है। वहां पास में चम्बल है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

पेयजल की कमी है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक मदनपुर ग्राम पंचायत है डांग में, आज तक वहां पर थ्री फेज कनेक्शन नहीं पहुंचा है। वहां पर थ्री फेज की लाइन नहीं पहुंची है। इससे पहले की जो तत्कालीन सरकार थी, उस वक्त कोई योजना बनी थी, लेकिन पता नहीं, उसका काम अधूरा क्यों रह गया? मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्रामीण विकास में इस योजना को अवश्य लें। निश्चित रूप से मदनपुर पंचायत, जो डांग की पंचायत है, उसमें थ्री फेज लाइन पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब तक लाइन ही नहीं होगी तो विकास कहां से होगा? आज वहां बोरिंग है, वे लोग पानी ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंगल फेज की लाइन से तो काम नहीं चल सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कार्ययोजना बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी, क्योंकि यह दूसरे विभाग का मैटर है, लेकिन फिर भी हर तहसील मुख्यालय पर, हर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण न्यायालय खुल चुके हैं, लेकिन मेरे उपखण्ड सरमथुरा में, जो बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के बीच में आता है, उसमें ग्रामीण न्यायालय नहीं है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मैं महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए 2020-21 में 6 हजार करोड़, 63 लाख रुपये का प्रावधान किया। इसी के तहत ग्रामों के लिए 4,225 करोड़ का प्रावधान किया। जो बजट था, उसमें सबसे ज्यादा बजट ग्रामीण विकास के लिए और ग्रामीण सड़कों के लिए किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी सीधी बात करते हुए निवेदन करूंगा उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं कि मेरे यहां एकटा से यू.पी. बार्डर, मदनपुर से गुलाबली, कुटकुटा से दुरवास, खिमतर से बरौनी, देवीसिंहपुरा से खितरपुर, गुलावली से नगला बिरोदा, नादनपुर से नयापुरा, सिंगोरी से मोडिक, दोरई से कोटला, अतरपुर से यू.पी. बार्डर, बोरोली से नगरा राजीत, खेमरी से सेरोली, बाढ़पुरा से सरमथुरा, चंदावली से कारपुरा, कुइया से अतरसुमा, खेलपुर से जगनेर, पनावती से झिरी, मानपुरा से सोने का गुर्जा, खोरपुरा से सहेडी, मोहली से कालीतीर और गयादासपुरा से मडासिरी तक, महोदय, ये वे सड़कें हैं, जो छोटी-छोटी हैं। ये या तो मिसिंग लिंक में हैं या बनी हुई हैं और डामरीकरण मांगती हैं या फिर ग्रेवल की बनी हुई हैं। इन सब सड़कों को बजट के माध्यम से थोड़ा-थोड़ा सबको कम्प्लीट

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

कर दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि मेरे क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा, डांग का विकास होगा। डकैती उन्मूलन के लिए इन सड़कों की बहुत-बहुत आवश्यकता है। मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र, जो धौलपुर जिले का एक डांग क्षेत्र है, वहां इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंहजी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो पिछला घोषणा-पत्र था, उस घोषणा-पत्र में कहा गया था बिन्दु संख्या-4 और पेज नम्बर-7, 'कि हमारी सरकार आएगी तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे'। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने तो इतिहास ही बना दिया। पंचायत राज के चुनाव नहीं कराकर आज राजस्थान के पंचायत राज का जो लोकतंत्र है, उसकी हत्या कर दी। चार महीने से टेण्डर नहीं हो रहे हैं। चार महीने से पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। एक साल पूरा इस पंचायत राज का ऐसे ही निकाल दिया। आज से 26 साल पहले 1994 में पंचायत राज अधिनियम का संशोधन हो गया। 26 साल पहले राजस्थान के अन्दर प्रशासक लगे थे या अभी इस कांग्रेस की सरकार में लगे हैं। इस घोषणा-पत्र में यह भी कहा था कि आपके हर गांव की सड़क को या तो मरम्मत करेंगे या इसमें आर.सी.सी. की सड़क बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, 14 महीने 19 दिन हो गये हैं, न तो कहीं सड़क बनती दिख रही है और न कहीं आर.सी.सी. हमने बनते हुए देखी। इसी घोषणा-पत्र में कहा था कि पंचायत को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह काम हुआ क्या? दूसरी इसमें घोषणा थी कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के अन्दर ई-लाइब्रेरी बनाएंगे। क्या हुआ, यह हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। नरेगा की मजदूरी टाइम पर देंगे, गांवों का शहर की तर्ज पर विकास करवाएंगे, राजस्व सम्बन्धी सभी कानूनों की समीक्षा करवाएंगे व सरलीकरण करेंगे और गांवों के अन्दर एक अभियांत्रिकी सेवा का गठन करेंगे। एक मात्र घोषणा, जो इन्होंने की थी कि पंचायतों के अन्दर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी, उसके ऊपर

(श्री नारायण सिंह देवल)

इन्होंने बिलकुल अमल किया और वह इन्होंने लागू कर दी। आज हमारा देश और दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुका है और कम्प्यूटर से जुड़ चुका है। कांग्रेस की सरकार ने यह जो न्यूनतम शिक्षा के कानून की अनिवार्यता खतम की, फिर राजस्थान को एक बार निरक्षर बनाने की मंशा है। पिछले बजट 2019-20 में ग्रामीण विकास के लिए 12,873 करोड़ का प्रावधान था और इसके अन्दर प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 3 लाख 64 हजार आवास उपलब्ध करवाने थे। माननीय सभापति महोदय, 3 लाख 64 हजार में से बने कितने, 86,134 आवास बने हैं। इसके ऊपर अब नजर डालें तो मात्र 24 प्रतिशत पी.एम. आवास का काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,393 करोड़ का प्रावधान था और इसमें से, सभापति महोदय, खर्चा हुआ 553 करोड़ 85 लाख।

(16.00 बजे)

एम.एल.ए. लैड, हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव होने के बाद में, चुनाव दिसम्बर में हुए और सितम्बर में हमारा एमएल.ए. लैड मिला वो भी आधा, अगर हम 200 एम.एल.ए. इसकी बात करें तो 1,508 करोड़ 12 लाख की यह राशि बनती है। इसमें से खर्च हुआ है 377 करोड़ 90 हजार, मतलब हमारा एम.एल.ए. फंड भी अभी तक मात्र 25 परसेंट खर्च हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 269 करोड़ का प्रावधान था और अभी तक 107 करोड़ खर्च हुआ है, मात्र 38 परसेंट।

हां, मैं सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने जो काम किया है, नरेगा में मजदूरी दे रहे हैं, इसकी मैं तारीफ करता हूं। यह मजदूरी भी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जयपुर में जो आक्रोश रैली होने वाली थी, अगर मजदूरी नहीं देते तो वे मजदूर उस आक्रोश रैली में नहीं आते।

पूरे राजस्थान में सात-आठ महीने से जो सामग्री मद का भुगतान है और हमेशा केन्द्र सरकार के ऊपर अपना रोना रोते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये अपने कागज भी, यू.सी., सी.सी. भी समय पर भेजते तो वह पैसा मिल जाता। राजस्थान के ठेकेदार कांग्रेस को सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त और दिन भर में पूरे दिन याद करते हैं कि हमारा यह पैसा कब आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार गांव को शहर जैसी मूलभूत सुविधा के लिए एक योजना लायी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन योजना। राजस्थान में इसमें 2 फेज में 10 क्लस्टर थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सैकिण्ड फेज में यह काम होना था, जिसमें 5 पंचायतें लाभान्वित होनी थीं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

इस योजना के तहत स्वच्छता का ध्यान रखा गया। सड़क कैसी होनी चाहिए, सरकारी भवन कैसा होना चाहिए, हास्पिटल कैसा होना चाहिए, इसमें सारी सुविधाओं के लिए प्रावधान किया था। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 105 करोड़ का खर्चा होना था। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो रानीवाड़ा खुर्द एक पंचायत है, 105 में से मात्र 7 लाख का काम इन्होंने स्वीकृत किया। यह पूरा पैसा सौ प्रतिशत केन्द्र सरकार का पैसा है। इसके जितने भी प्रपोजल गये, हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, किसी को इसके बारे में नहीं पूछा गया। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के जो 10 क्लस्टर थे, आनन-फानन में 900 करोड़ की डी.पी.आर. राज्य सरकार ने भेज दी। इसमें राज्य सरकार के पास राज्य की एक अधिकार प्राप्त समिति है, जिसके अध्यक्ष खुद चीफ सैक्रेटरी हैं, बिना देखे उसको अनुमोदन करके केन्द्र सरकार को भेज दिया। परिणाम क्या हुआ कि केन्द्र सरकार से वह सारी डीपी.आर. नामंजूर होकर आ गयी और वह सारा काम नहीं हुआ। ऐसा होने के कारण भी यह है कि इस योजना के नियम के अनुसार पहले इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान जिसको आईकैप कहते हैं, तैयार होता है, उसकी मंजूरी मिलने के बाद में केन्द्र सरकार को यह डी.पी.आर. जाती है और इसमें जो गैप फंडिंग है, उसको मिलाकर यह स्वीकृत होती है। मतलब 1,300 परसेंट अधिक बढ़ोतरी करके यह भेज दिया तो केन्द्र सरकार ने इसको वापस रिजेक्ट करके भेज दिया। उसके कारण आज राजस्थान इसका खामियाजा भुगत रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 17 सितम्बर, 2019 को नरेगा, एस.एफ.सी. और टी.एफ.सी. कामों और सामग्री के टेंडर हुए। उसमें चार महीने लग गये। इन टेंडरों में इतनी जबरदस्त धांधली हुई कि लोकल अखबारों में दिया गया तो ठेकेदारों ने वे सारे अखबार खरीद लिये। आम जनता को इसका पता ही नहीं लगा। जिसकी बी.एस.आर. रेट कम थी, उसके टेंडर कैंसिल कर दिये। जिसकी बी.एस.आर. रेट ज्यादा थी, उसको इन्होंने टेंडर दिया और इन टेंडरों में भारी धांधली हुई।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और दे दीजिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब, समय सबका बराबर है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं सड़क के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: अब सड़क के बारे में तो आप माननीय डिप्टी सी.एम. साहब को दे दो, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): एक मिनट।

हमारे जालौर जिले में 2017-18 में रोहिट से सांचौर एक नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ था। पांचों विधान सभा क्षेत्रों को इसका लाभ होगा। इसके सर्वे का काम भी हो गया है, इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें। एक जो टोल फ्री हुआ है, हमारे रानीवाड़ा उप खण्ड में जसवंतपुरा आता है, उसके एक किलोमीटर टोल है। जसवंतपुरा के लोगों के बेरे उस टोल के उस साइड में भी हैं, दिन में चार बार आना-जाना पड़ता है तो इसको निकालें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): आपने मुझे बोलने दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सामान्य सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। दोनों ही मांगें अति महत्वपूर्ण मांगें हैं। शहर हो या गांव हो, एक तरह से जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वे लोक निर्माण और पंचायती राज हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी को, जिनकी यह सोच रही कि मेरे गांव और ढाणी, ग्रामीण क्षेत्र में बैठा आदमी किस तरीके से अपने गांव का विकास कर सकता है और किस तरीके से महिलाओं की उसमें भागीदारी हो सकती है, ऐसी सोच थी। उस सोच के कारण ही आज हम यहां पर हैं, क्योंकि अगर पंचायत राज में आरक्षण नहीं होता तो शायद हम लोग यहां नहीं होते। महिलाओं को हिस्सेदारी मिली वह राजीव जी की वजह से मिली। 18 वर्ष के युवा को वोट डालने का अधिकार मिला, उसे नकार नहीं सकते। आपके पास में हंसी के अलावा और कोई चारा है नहीं।

उप मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे कि जो पंचायतें, जो गांव 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक दूर-दूर पहाड़ों में बसे हुए थे उनको ग्राम पंचायत बनाया। वे अपनी खुद की पंचायत बना सकें, अपना खुद का विकास कर सकें और अभी कह रहे थे कि, साहब, इतने सारे सरपंच बने। सरपंच का तो कोई सिंबल या पार्टी होती ही नहीं है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैडम, उसमें लिखा था कि आप कौनसी विचारधारा से हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें, विराजें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसा है कि आपकी ये बीच में बोलने की जो विचारधारा है न यह आपकी छोटी मानसिकता को दर्शाती है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपने पिछले पांच वर्ष क्या काम किया?

श्री रामलाल शर्मा: शकुन्तला जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): शकुन्तला नाम का जाप क्यों कर रहे हो, कोई और भगवान नहीं मिला? नमो मोदी का करो, आपका उद्धार होगा।

हमारी सरकार ने राजीव गांधी भवन बनाये तो इन्होंने क्या किया कि 10 रुपये की कली लेकर के पुताई कर दी, क्योंकि इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि कोई नया काम करें, कोई नई एक धर्मशाला बनायें, कोई आवास बनायें। सभापति महोदय, इतनी तो हिम्मत ही नहीं थी। उससे दिख रहा था कि किस तरह से ये नाम को मिटाना चाहते हैं, लेकिन नाम मिटने वाला नहीं है।

धन्य हो, सोनिया गांधी जी, जब सेंटर में सरकार बनी तो उनसे कहा गया, कुछ आप जैसी छोटी सोच के लीडर, आपकी ही पार्टी के थे, वे आये कि, साहब, ये तो हट गये हैं, अब अटल जी प्रधान मंत्री नहीं हैं, मनमोहन सिंह जी बन गये, इस नेम प्लेट को यहां से हटा दिया जाए। लेकिन नहीं, उनकी सोच बड़ी थी, क्योंकि वे एक ममतामयी मां हैं, भारत देश के लिए, उन्होंने कहा कि वे हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, एक गरिमामय पद पर रहे हैं, किसी भी पार्टी के रहे हों, उनकी नेम प्लेट नहीं हटनी चाहिए, वे जब भी आयें तो अपने चैम्बर में बैठ सकते हैं। यह मानसिकता थी उनकी। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजें। माननीय सदस्य, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? प्लीज, आप नहीं बोलें। जब आप बोलेंगे, तब आपको कोई टोकेगा तो कैसा लगेगा? आप इधर बोलें, आप दाएं बाएं नहीं, सीधी बात करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इनकी छोटी मानसिकता इतनी है कि बार-बार टोकना और अपने कितने तुच्छ विचार हैं, उनको पेश करना, यह इनकी आदत में है। मैं पिछले 5 साल से इनको देख रही हूं, क्योंकि 5 साल तो ये इतना नहीं बोलते थे, **+++** की तरह चुपचाप बैठे रहते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इसको एक्सपंज कराओ।

श्री सभापति: आप इसको एक्सपंज कर दें। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या एक्सपंज कराओ? (व्यवधान)

श्री सभापति: कर दिया, कर दिया। एक्सपंज कर दें। माननीय राठौड़ साहब, विराजें।

श्री राजेंद्र राठौड़: **+++** क्या होता है? माइंड योर लैंग्वेज, नो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो जंगलों में रहता है न, देखा नहीं क्या आपने कभी?

एक अभी बहुत बड़ाई कर रहे थे, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत क्या, आपके पास तो एक कोई ऐसा नाम भी नहीं मिला, जो योजना, जिसको आप पूरे भारत देश में लागू कर सको। सभापति महोदय, यह तो पर्यायवाची है। औरत कहो या महिला कहो, यह तो पर्यायवाची है। यह तो निर्मल भारत जो हमारी योजना थी, उसका पर्यायवाची है। उस पर्यायवाची को भी पूर्ण रूप से नहीं चला सके। अगर आपको फरमान जारी करना था तो जैसे नोटबंदी का फरमान जारी किया, भारत देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, अगर हिम्मत थी तो नरेगा के कर्मी की कम से कम एक हजार के मानदेय की घोषणा करते।

सभापति महोदय, अगर भारत देश को स्वच्छ रखना है, ये जो प्लास्टिक और पोलीथीन से सड़क, नाली, खेत, गलियारे सब अटे पड़े हैं, ये शहर किससे अट रहे हैं, ये सिर्फ प्लास्टिक और पोलीथिन से अट रहे हैं, अगर स्वच्छ भारत के नारे को सफल करना है, देश के शीर्ष नेतृत्व की मंशा है तो इसको बंद करके दिखा दें। लेकिन नहीं, ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा करें तो हम भी धन्यवाद दें।

सभापति महोदय, ये तीनों विषय महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनको किसी विषय से लेना-देना नहीं है। तीनों विषय ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गांव

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ढाणी में बैठे व्यक्ति को कैसे रोजगार मिले, यह कांग्रेस पार्टी की सोच थी। कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री की सोच थी। कांग्रेस पार्टी के नेता की सोच थी।

सभापति महोदय, जिसको दो जून की रोटी नहीं मिलती, वह मनरेगा में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। यह किसने चलाई, ऐसी कोई योजना आपके पास थी? ऐसी योजना न है और न कभी भी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े गिनवाते थे।

सभापति महोदय, पीएम आवास योजना, इसमें भी योजना का नाम बदला। लेकिन उसमें क्या किया? पोर्टल की यह जानकारी नहीं है कि कब बंद हो रहा है और कब खुल रहा है? उसकी कोई नीति नहीं है कि इतने से इतने समय तक गांव का व्यक्ति पीएम आवास की लिस्ट में अपना नाम डलवा सकता है। मन करे तब खुल गया। पता नहीं कब खुल गया और कब बंद हो गया। गांव का आदमी उस पोर्टल के पीछे चक्कर काट रहा है। गांव का आदमी पिछड़ रहा है तो आज इस पोर्टल की वजह से पिछड़ रहा है। उसको खुला रखकर के कम से कम सहृदयता तो दिखा दें ताकि कोई भी व्यक्ति बिना घर के न रहे।

सभापति महोदय, शौचालयों के निर्माण में हर गांव-गांव में बड़ा-बड़ा लिख दिया कि ओ.डी.एफ. हो चुका। पूरे गांव में शौचालय बन चुके हैं। सब जगह असत्य का बोर्ड लगा दिया। पैसे दिये ही नहीं। यह तो धन्यवाद है कि अब हमारे उप मुख्य मंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी इसका गांव-गांव और ढाणी-ढाणी सर्वे करवा रहे हैं ताकि जितने शेष हैं, उनको दिया जा सके।

सभापति महोदय, इनको सिर्फ लिखवाने का और आंकड़े बनवाने का शौक है। पिछली बार यह कहा गया कि एमएलए लैड से अगर 10 लाख देंगे तो हम पंचायत समिति स्तर पर एक गैस्ट हाउस बनाएंगे। अब यह समझ में ही नहीं आ रहा कि वह योजना विधान सभा के अन्दर आंकड़ों में अटक गयी या कोई रजिस्टर में अटक गयी। वह पंचायत समिति तक तो पहुंची ही नहीं। इस तरह की असत्य घोषणाएं करके, आंकड़े गिना करके ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की क्या होड़ करेंगे, हमारी एक-एक योजना गांव और ढाणी को टच करने वाली है।

सभापति महोदय, अभी गांवों के बीच में पंचायतों की तरफ से लाइटें लग रही हैं। वे अगर लगेंगी तो गांव रोशन होंगे। मनरेगा से स्कूलों में चारदीवारी बने। पूरे 5 वर्ष हमने मांग उठाई थी कि जो राजस्व गांव हैं, 500 की आबादी वाले हैं, उनमें सड़क बनायी जाए। पूरे 5 वर्ष बीत गये। बजट में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हजारों करोड़ की घोषणा हो गयी, लेकिन एक भी राजस्व गांव को नहीं जोड़ा गया। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे सम्माननीय उप मुख्य मंत्री पायलट साहब को कि उन्होंने सरकार बनते ही 500 की आबादी वाले गांवों को रोड से जोड़ने के लिए सर्वे करा करके काम किया। वह काम शुरू हो गया। मेरे यहां जीरा की ढाणी थी, जिसमें नाले से, डैड बाडी भी लेकर के नहीं निकलते थे, ऐसे गांवों को जोड़ने का काम किया है। अगर बानसूर विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजस्व गांव जोड़ा हो तो आप बता दें।

सभापति महोदय, नवीनीकरण के नाम पर पूरे 5 वर्ष में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की गयी।

श्री सभापति: आप जल्दी खतम करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट।

एक रोड बनाया था आड़ी गैली से, वह पिछली सरकार से मंजूर था। उसका पूरे 5 वर्ष में काम ही नहीं हुआ। अब सरकार बनने के बाद उसका काम चालू हो रहा है। जो धीमी गति थी, न किसी का पेमेंट हुआ, न कुछ हुआ। केवल आंकड़े और घोषणाएं ही चुनाव के चक्कर में कर दीं कि वोट बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जनता पहचान चुकी थी कि 5 साल इन्होंने घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया।

आपका नम्बर आये, तब आप बोल लेना, अपने मन के विचार रख लेना। आपका 5 साल सरकार में तो काबू लगा नहीं। एक भी काम हुआ नहीं। अब उस काम के लिए इच्छा रखते हैं।

सभापति महोदय, इतने उत्तर मेरे पास में रखे हुए हैं। हर सवाल के जवाब में यही लिखते थे, जी नहीं, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर दिया जाएगा। अब पूछते हैं कि अब बताओ क्या किया? आपने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया, जीरो। आंकड़ों की सरकार थी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करती हूं। मेरी मांग है।

श्री सभापति: आप मांग को तो पहले रखें। मैं सबके लिए निवेदन कर रहा हूं कि मांग के लिए बाद में समय मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अपनी मांग पहले रखो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कुशालगढ़ से नारायणपुर जो रोड जा रहा है, जो कि अलवर ग्रामीण में लगता है। उस रोड की नई स्वीकृति, नवीनीकरण कराने का कष्ट करें। एक बड़ा रोड है, नारायणपुर से धाबाई की ढाणी, ज्ञानसिंह की ढाणी होता हुआ बड़ा गांव तक है। एक मुंडावरा से कानपुरा, लोच डोरी वाली तक है। एक खरखड़ी से खटीकान होता हुआ लाडुआ से चांदपुरी की पुलिया टूटी हुई है। ये एक-दो मेरे काम हैं। वैसे मेरे अधिकतर काम अब स्वीकृत होते जा रहे हैं। इसलिए इनको दु:ख हो रहा है। धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि 10 मिनट से ऊपर एक भी मिनट का किसी को टाइम नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था दी है। उस समय के ऊपर कार्य को समाप्त करना है।

श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, मांग 28, 21 और 19 पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, भगवान भी रूठ रहा है। दिनों-दिन ओले पड़ रहे हैं। आज भी जयपुर में पड़ गए। अन्दर तो हम वैल में थे और बाहर ओले पड़ रहे थे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): वह बता दिया।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): बता दिया क्या आपने?

श्री सभापति: आपस में ही बात कर लो।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं 10 मिनट में पूरी बात कर दूंगा। 4.18 है और 28 पर पूरी कर दूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट आपका जा चुका है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): 27 पर कर दूंगा।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि मैं झालावाड़ में खानपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय द्वारा, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 12 काम ऐसे थे जो सैंक्शन हो चुके थे। उनके 15 से 20 परसेंट काम भी हो चुके थे। अभी कुछ काम तो चालू भी हुए हैं। कुछ

(श्री नरेन्द्र नागर)

काम अभी भी पैंडिंग हैं, जिनके बारे में मैं जल्दी-जल्दी बोल देता हूं। पनवाड़ से लक्ष्मीपुरा सांगौद सड़क, पनवाड़ से बाघेर सड़क, एम.एल.ए. की अनुशंसा से गौरव पथ और दोनों, जिसमें चम्लासा से लायपर, राजपुरा से पीपल्दा, मालवासर से करणवास, मौबोड़दा से अकावद, रींछवा से राजपुरा, पाटल्या से कुलमी, टंडलाई से बालता, बासखेड़ी, खेड़ली, गणेशपुरा, गोपालपुरा और सारोला से चापाखुर। साथ ही अभी वर्तमान में दरा से अरणिया तक स्टेट हाईवे का काम चल रहा है। उस समय चूंकि सारोला में बाईपास की व्यवस्था नहीं थी, खानपुर में बाईपास था। बड़ा कस्बा है। हमने उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय से अपील की। उन्होंने बजट में घोषणा भी की। 15 करोड़ रुपये की घोषणा की। उसके सर्वे का काम चल रहा था। वह चूंकि स्टेट फंड में था। स्टेट फंड में जहां तक मुझे जानकारी है, बजट नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देना चाह रहा हूं कि वर्तमान में जो रोड का काम चल रहा है, यदि कम्पनी वाले उस रोड को सारोला के अन्दर बनाएं, वह उप तहसील है, उसमें उनको लगभग 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। उसमें मकान टूट रहे हैं।

यदि वह सड़क बनती है तो लगभग 4 करोड़ रुपये जमीन का कम्पनसेशन देना है, मुआवजा देना है। रहा सवाल जितना पैसा अन्दर सी.सी. में लग रहा है, उस पैसे में बाहर डामर की सड़क बना सकते हैं, एक करोड़ रुपये में परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, नहीं तो अपने को निश्चित, आज नहीं तो कल बाहर बाईपास बनाना ही पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कई सारी पुलियाएं भी बनी हैं, पर चूंकि झालावाड़, माननीय सभापति महोदय, बैठे हैं, इनका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र झालावाड़ राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। मेरा क्षेत्र मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री सड़क योजना में चूंकि बजट फिक्स होता है कि 40 लाख या 30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर, ऐसी सड़कें भी अपन ने बनायी हैं और गांवों को जोड़ा है। नदियों पर जो रपटें बनी हैं, बारह महीनों में इतनी बरसात आती है कि डेढ़ से दो महीने तक आदमी सुविधाओं से कट जाता है। उन रपटों पर इतनी काई जम जाती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बीमार होता है तो उसका इलाज नहीं करा सकते। मेरा आपसे आग्रह है कि ज्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है, किसी का 50 लाख है, किसी का एक करोड़ रुपये है। दो तीन पुलियाएं हैं, विशेष रूप से, एक तो पीपला नगा में खेरया है, एक मरायता

(श्री नरेन्द्र नागर)

में, एक रतनपुरा में, इन तीन पुलियाओं की विशेष मांग है कि आप इनको बनायें। इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र का आगे विकास होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप मुख्य मंत्रीजी, आपने पैदल यात्रा की थी, बारां से झालावाड़। जब उस समय आप राजस्थान में यात्रा शुरू कर रहे थे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमने, सरकार में होते हुए भी, आपकी जानकारी में डाला था, क्योंकि रिडकोर ने एक बारां-झालावाड़ सड़क बनायी थी। उस सड़क पर दो टोल लगने थे। एक झालावाड़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर खानपुर में लगा हुआ है, एक बारां के पास उसका टोल लगना था, पर उस समय वह टोल लगा नहीं और वर्तमान में दो जगह का टोल एक जगह वसूला जा रहा है, जिसमें ज्यादा राशि देनी पड़ रही है। बारां वालों को तो निश्चित रूप से उससे लाभ मिल रहा है, उनको कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम झालावाड़ वाले, क्योंकि खानपुर हमारे झालावाड़ जिले में आता है, हमारे लोगों को बार-बार झालावाड़ जाना पड़ता है तो लोगों को डबल चार्ज टोल का देना पड़ रहा है। इसमें कम से कम यह हो जाए कि झालावाड़ की गाड़ियां कम से कम एक बार टोल दें या कम टोल दें। टोल के आसपास चार-पांच किलोमीटर की दूरी में जमीन भी होती है। उसकी खेती भी करने जाता है। वह ट्रैक्टर भी लेकर जाता है। आजकल किसानों की माली हालत पहले से ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि वह फोरव्हीलर भी रखता है। उसको बार-बार टोल देना पड़ता है तो कम से कम यह तो तय हो जाए कि चार-पांच किलोमीटर पर उनको छूट दी जाए, उनको टोल न देना पड़े। इस प्रकार की, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आप व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास पर भी चूंकि आज चर्चा हो रही है तो मैं पांच मिनट में अपनी बात कर रहा हूं। ग्रामीण विकास में नरेगा के माध्यम से योजना शुरू हुई थी। नरेगा के माध्यम से बहुत सारा विकास हुआ। इतना बजट नरेगा में आया, नरेगा का यदि सम्पूर्ण बजट यदि सही तरीके से लगता तो मैं मानता हूं कि आज कोई काम बाकी भी नहीं रहता, पर इसका 50 परसेंट पैसा ही लगता है। नरेगा के बारे में कहा जाता है, नरेगा, नरेगा, जो करेगा वह मरेगा और जो नहीं करेगा वह भी मरेगा। नरेगा में कोई काम करना ही नहीं चाहता। उप मुख्य मंत्री महोदय, इसमें आदमी चार तगारी पटक कर पैसा ले जाता है। बहुत से तो इस तरह के होते हैं कि सरपंच साहब, मेरे लिए आप क्या कर रहे हो, सरपंच कहेगा कि लो तुम्हारी

(श्री नरेन्द्र नागर)

फर्जी हाजिरी लगा देता हूं। मैं गांव से आता हूं। मेरे को पता है इस प्रकार की व्यवस्था नरेगा में है। इसमें कहीं न कहीं सुधार हो। नरेगा के माध्यम से कई काम निश्चित रूप से अच्छे भी हुए हैं, पक्के काम भी हुए हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि राजीव गांधी भवन आपने बनाये हैं और खाद्यान्न भण्डार पिछली सरकार ने बनाये। उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि खाद्यान्न भण्डार का कोई ज्यादा उपयोग होने वाला नहीं है। यदि वह सहकार के पास है तो सहकारी वाले जरूर उसको काम में ले सकते हैं। उसका कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में नरेगा में कोई बड़ा काम पंचायत के माध्यम से दें तो हम इसके लिए सामुदायिक भवन बनायें। हर गांव में आज के समय में किसी को शादी-ब्याह या छोटे-मोटे कोई कार्यक्रम करने की जगह नहीं है। उप मुख्य मंत्रीजी, नरेगा के माध्यम से अपन सामुदायिक भवन बनायें ताकि गांवों में रहने वाला आदमी कोई छोटा-मोटा फंक्शन वहां कर सके, नहीं तो, उसको कस्बे में जाना पड़ता है। कस्बे में हर छोटा-मोटा आदमी उसका पैसा वहन नहीं कर सकता, तो यह परमानेंट काम आ सकता है। नहीं तो नरेगा में ऐसे-ऐसे काम हुए हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। कहीं पानी को रोकने के लिए कुएं बना दिये। कुएं वैसे के वैसे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसी व्यवस्था सरकार ने की है, निश्चित रूप से यह अच्छा सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना में, उप मुख्य मंत्री महोदय, जिस आदमी को प्रधान मंत्री आवास मिल गया, उसको मिलने के बाद यदि उसकी डैथ हो जाती है तो उसकी दूसरी और तीसरी किश्त नहीं मिलती है। उसके आगे आने वाले उत्तराधिकारी को दूसरी और तीसरी किश्त मिले, इसका लाभ उसको मिले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, अभी शौचालय के लिए बात चल रही थी। शौचालय के लिए कहा कि अभी और नये शौचालय, जिन्होंने नहीं बनाये थे, जिनको स्वीकृति नहीं मिली थी, उनको शौचालय का अपन भुगतान करने वाले हैं। उस समय ग्राम सेवक, जो ग्रामीण विकास अधिकारी होते थे, उन्होंने शौचालय के लिए लोगों से कहा। उन्होंने शौचालय बना लिए। अब वह स्वीकृति आये तो वे कह रहे हैं कि आप दुबारा शौचालय बनाओ, आप इसको दुबारा

(श्री नरेन्द्र नागर)

बनाओ, उसकी फोटो खींचो। उसमें आप कहीं न कहीं रिलेक्सेशन दें, ताकि उनको लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि सम्पूर्ण विकास गांवों से होता है, गांवों में निश्चित रूप से दो-दो, तीन-तीन पंचायतें एक ग्रामीण विकास अधिकारी के भरोसे चल रही हैं। इसका असर यह होता है कि हर पंचायत में एक ही तारीख को मीटिंग होती है, जब एक तारीख को मीटिंग हो तो या तो मीटिंग का दिन बदला जाए या उसका समय बदला जाए कि यह ग्यारह से दो होगा या दो से चार होगा, क्योंकि एक समय में सब जगह मीटिंग नहीं हो सकती। वे सरपंच भी परेशान रहते हैं। वहां की जनता भी परेशान है, तो इसकी कहीं न कहीं अपन व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पूर्व में भी चर्चा हुई है। अभी पंचायती राज के चुनाव थे तो आचार संहिता हो गयी। उसके बाद में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होने के बाद नया सरपंच बनकर आयेगा। चूंकि आपने वहां प्रशासक तो लगाया नहीं, इस बीच में भी पूरे राजस्थान में बहुत से विकास अधिकारियों ने पांच-पांच, सात-सात परसेंट पैसे लेकर भुगतान पर साइन कर दिये, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आप जांच करायें कि उसमें कौनसी आपत्ति आ रही थी कि सरपंच तो आया नहीं, प्रशासक आपने लगाया नहीं, तो आप निश्चित रूप से इसकी जांच करायें। आपने बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद आपको भी। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं समझता हूं कि यह इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार से, राजस्थान इस बात की उम्मीद कर रहा है कि सरकार बनने के बाद में एक नये राजस्थान के निर्माण के लिए सड़कों का जाल बिछेगा और राजस्थान सरकार इस पर काम करेगी। मुझे याद है कि 2013-18 में जिस तरीके से राजस्थान की सड़कों की जो हालत थी, वह सारे राजस्थान के लोग जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग के मंत्री बैठे हैं, वे उप मुख्य मंत्री भी हैं, जिस तरह के इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, राजस्थान के एक-एक गांव की और एक-एक शहर की, एक-एक नेशनल हाईवे

(श्री जगदीश चन्द्र)

और एक-एक स्टेट हाईवे का मुआयना कराकर जिस काम की शुरूआत की है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान की सड़कें हिन्दुस्तान की बेहतरीन सड़कों में से होंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के अन्दर जो 19 सड़कें थीं, जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उनकी प्रायोरिटी तय की गयी। उसके बाद में सैकिण्ड चरण की, उसके बाद में थर्ड चरण की, उनको रिपेयर करने का काम, रिसोलिंग का काम, नये निर्माण का काम, जो हाथ में लिया है, निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय काम है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बजट 2018-19 में एक घोषणा की थी, मुख्य मंत्रीजी ने, कि जयपुर में दस करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोला जायेगा। करीब तेरह महीने हो गये सरकार बने हुए, मुझे तो जयपुर में कहीं नजर नहीं आया कि वह ट्रेनिंग सेंटर कहां है? किस तरीके से सड़कों की सुरक्षा होगी, यह मुझे नहीं लग पाया कि कहीं हो पाया। खामख्वाह घोषणा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जब हमें दायित्व सौंपा तो 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का कर्जा उस सरकार पर था और 13 हजार करोड़ रुपये ठेकेदारों के बकाया थे, जिनका काम तो हो गया, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। इस वजह से वे सारे काम अब पैसे की वजह से रुके पड़े हैं। आज सरकार ने प्रयास किया है कि वे काम दुबारा से शुरू हों और दुबारा से उन कामों को मैन स्ट्रीम में लाकर शुरूआत की जाए। मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि फरवरी, 2018 के बजट में जो घोषणा की थी, गंगानगर से सादुलशहर, जिला मुख्यालय तक एक सड़क की घोषणा की थी 24 किलोमीटर की, सड़क की घोषणा कर कर दी गयी, यह बात मानते हुए कि इससे हमे वोट पड़ेगा, हमें वोट तो नहीं पड़ा वहां, उस ठेकेदार को एक किश्त मात्र दी गयी थी। आज तक उस सड़क का काम बचा हुआ है, रुका हुआ है। पीछे बीजेपी के लोगों ने यह दिखाने के लिए धरना-प्रदर्शन किया कि साहब, हमने सड़क की शुरुआत की और कांग्रेस की सरकार ने इस सड़क को रोक दिया है। हमने मंत्री जी से आग्रह किया, पायलट साहब ने तुरन्त प्रभाव से उसका पैसा जारी करके उस

(श्री जगदीश चन्द्र)

सड़क के काम की शुरुआत की। वह सड़क पंजाब से जोड़ने वाली है और बार्डर से जोड़ने वाली है। इसके लिए मैं माननीय पायलट साहब का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि उन्होंने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

माननीय सभापति महोदय, ये दो सड़कें हैं, गंगानगर से सादुलशहर, जिसमें दो रेलवे के अण्डरपास हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बरसात के दिनों में जब पानी भर जाता है तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से हम लोग बिलकुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं, इस पर कार्यवाही करके इन्हें कवर कराने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक सड़क गंगानगर जाने के लिए, रतनगढ़ से हनुमानगढ़ के लिए जो स्टेट हाईवे की सड़क है। चूरू, ज्यादा से ज्यादा हनुमानगढ़, सरदारशहर, गंगानगर के ज्यादा से ज्यादा लोग उस रास्ते से निकलते हैं। वह पंजाब जाने का एकमात्र रास्ता है, जिस पर सरकार टोल भी वसूल रही है। उस सड़क की हालत ऐसी हो गयी है कि वह चलने लायक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह एक आम सड़क है, उस सड़क के बारे में भी ध्यान दें, ताकि आम आदमी भी उसका फायदा उठा सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र, जो काफी दिन से बिलकुल आइसोलेटेड था, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त है कि एक राजमार्ग, जो सादुलशहर से पक्का सहारणा जाता है, उसकी घोषणा करें, ताकि कम से कम 18-20 जो गांव पड़ते हैं, जो घनी आबादी के गांव हैं, उन्हें फायदा हो सके, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सादुलशहर में सर्किट हाउस नहीं है। पंजाब का बार्डर है, हरियाणा का बार्डर है और 34 किलोमीटर पर पाकिस्तान भी है। तीन-तीन चीजों का वह जंक्शन है। सरकार से निवेदन है कि एक सर्किट हाउस की निश्चित तौर पर व्यवस्था करे। सरकार की जगह भी पड़ी है। इस काम को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, नरेगा के बारे में एक-दो सुझाव मैं मंत्री जी को देना चाह रहा हूं कि नरेगा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। यह कोई प्लान नहीं है, एक्ट है। जब नरेगा की शुरुआत की गयी, हिन्दुस्तान के मजदूरों को सौ दिन के रोजगार की गारण्टी की डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब व्यवस्था की गयी, पायलट साहब, आप उस सरकार में मंत्री थे। किस तरीके से हमारे सामने वाले सज्जन, मैं उनकी बातें काफी देर से सुन रहा था, आप ही के नेताओं ने विरोध किया था इस नरेगा का और आपने यह कहा था कि यह हिन्दुस्तान को बर्बाद करने वाली योजना है।

अगर आपको याद हो, आज आपके वे नेता हाउस में नहीं हैं। आपके दिल्ली के हाउस में भी वे नेता नहीं हैं। वे अपने घर में चुपचाप बैठे हुए हैं उन्होंने इस नरेगा की योजना का सबसे पहले विरोध किया था कि यह इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी याद करें। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे और हमारे आज के स्पीकर डॉ. सी. पी. जोशी केन्द्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे, देश में 2 लाख 51 हजार पंचायतों में यह तय किया गया कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण हो, ताकि गांव के लोगों को सारी सुविधाएं, जैसे- बैंक की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, पटवारी भी बैठे, ग्राम सेवक भी बैठे, वे मिल सकें।

आज उसका फायदा सबको मिल रहा है। गांवों में सारे लोग राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना काम करवाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि नरेगा में जो मेट लगाये जाते हैं, एक मेट छह-छह, आठ-आठ महीने तक लगातार काम करता है, जिससे कि भ्रष्टाचार फैलने की आशंका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा प्रावधान करें कि 15 दिन से ज्यादा कोई मेट एक जगह काम नहीं करे। उसकी शिफ्टिंग का इंतजाम करें, ताकि समय से भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा काम है। इस काम को ठीक करने के लिए समय की जरूरत है। पिछले पांच साल का समय हमने देखा। यह समय भी हम देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से बजट की व्यवस्था की है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की और व्यवस्था करे, ताकि पिछले पांच साल का जो बिगड़ा हुआ काम है, उसे हम ठीक कर सकें। माननीय सभापति

(श्री जगदीश चन्द्र)

महोदय, मेरा निवेदन है कि पी.डब्ल्यू.डी. में जे.ईएन.-ए.ईएन. और सबोर्डिनेट स्टाफ की बहुत कमी है। सरकार से निवेदन है कि उस स्टाफ की पूर्ति करे, ताकि इस काम को हम लोग आगे बढ़ा सकें।

माननीय सभापति महोदय, कुछ मेरी डिमाण्ड्स हैं, जो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं। सम्पर्क सड़क 12 क्यू से 14 क्यू, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-15 से लाधुवाला-जोगीवाला-पन्नीवाला सड़क, मिसिंग लिंक छापांवाली-किल्लावाली, सम्पर्क सड़क किकरचक सड़क से लालगढ़ मुख्य सड़क (वाया आर्मी जीरो लाइन), सम्पर्क सड़क गद्दरखेड़ा गांव से सादुलशहर तक, मम्मड-पन्नीवाली सड़क से 10 एसडीपी, सम्पर्क सड़क मम्मड़ से सुन्दरपुरा, सम्पर्क सड़क (मलोट सड़क) से 6 केएसडी, मिसिंग सड़क 9 जेड से 3 बी, सम्पर्क सड़क 18 जीजी से 19 जीजी, चक 14 जैड से (अमरजीत के घर से) चक 8 ए तक (चौटाला की ढाणी खडवंजा सड़क तक) के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार हमारी इन छोटी-मोटी मांगों पर विचार करके निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह जी भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल, ग्रामीण विकास के विशेष कार्य कटौती प्रस्तावों पर चर्चा। इस वैज्ञानिक युग में बहुत आविष्कार हुए हैं हमने बहुत उन्नति की है। विकास भी हुआ है। उन्नति और विकास का मार्ग दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचने का यदि कोई रास्ता है तो सड़कें, पुलों के माध्यम से गुजरकर ही आम आदमी तक पहुंच पाता है।

सशक्त पंचायती राज, जनता का राज, किसी भी गांव का विकास पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव है। ग्राम के विकास की कल्पना सड़क और पंचायती राज के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। आज इन दोनों अति महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर चर्चा को हमें गम्भीरता से लेते हुए परिस्थितियों के अनुसार नयी योजना बनाने की आवश्यकता है। माननीय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद ही नहीं हैं। इसी प्रकार किसी भी ए.ईएन. के पास लिपिक नहीं है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

99 प्रतिशत ए.ईएन. कार्यालयों में बाबुओं के पद रिक्त हैं। बाबुओं के पद रिक्त होने के कारण ए.ईएन. आफिस के काम से इतना दब गये कि सड़कों की स्थिति पर ध्यान देना भूल गये। ठेकेदार द्वारा किये जा रहे कार्यों के निरीक्षण और गुणवत्ता देखने के साथ ही जनता की शिकायतों की सुनवाई करने का तो समय ही नहीं मिलता। कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों का समय पर भुगतान नहीं होने से मैसेज गलत जा रहा है। आखिर सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है?

आदिवासी, पहाड़ी, मरुस्थल जैसी विकट भौगोलिक परिस्थितियों के क्षेत्र में जिलों को सड़कों के निर्माण में शिथिलता दी जाए, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों में आबादी कम और क्षेत्रफल ज्यादा है। वहां बसावट छितरायी हुई ढाणियों में होने से सड़कों की लम्बाई बढ़ जाती है, परन्तु जब राज्य सरकार स्तर से स्वीकृतियां जारी की जाती हैं तो दौसा, बूंदी, धौलपुर जैसे क्षेत्रफल, जो छोटे जिलों और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती एवं मरुस्थलीय जिलों को बराबर लम्बाई एवं बजट आबंटित किया जाता है तो यह हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

इन जिलों को ज्यादा बजट दिया, जाए ताकि वहां के लोग विकसित हो सकें और मुख्यधारा से जुड़कर अपना जीवन स्तर सुधार सकें। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से बहुत सुधार हुआ है परन्तु राजस्व ग्राम स्तर तक ही पहुंच पाये हैं। क्लस्टर बनाकर मध्य बिन्दु तक दुरुस्त क्षेत्र में पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस हेतु केन्द्र सरकार को सुझाव एवं प्रस्ताव दें और स्वीकृतियां प्राप्त करके बड़ी मेहरबानी करें।

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम में वन विभाग, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, भू-संरक्षण, शिक्षा विभाग, प्रशासन एवं स्थानीय जनता की सहभागिता से ऐसे कार्यक्रम चलाये जाएं, ताकि ग्रामीण युवाओं को अध्ययन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आधुनिक संसाधनों युक्त लाइब्रेरी और अध्ययन कक्ष का निर्माण किया जाए, जिससे सभी प्रकार के कम्पीटिशन की तैयारी के लिए आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध हों, इंटरनेट की सुविधा हो और इसकी देखरेख किसी शिक्षित युवा के हाथ में हो।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना व अन्य सड़कों के निर्माता, ठेकेदारों द्वारा सड़कें निर्मित की जाती हैं, परन्तु गारंटी पीरियड में ही वे सड़कें टूट

(श्री हमीर सिंह भायल)

जाती हैं। यदि गारंटी पीरियड में ही उनकी मरम्मत नहीं होती तो यह किसकी जिम्मेदारी है? सड़कों का निर्माण करते समय तकनीकी अधिकारियों द्वारा नेशनल हाईवे जैसी महत्वपूर्ण सड़कों पर भी संकेतक चिह्न नहीं लगाये जाते हैं और न ही रिफ्लेक्टर लगाये जाते हैं। इसके अलावा पानी की निकासी का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे सड़कें ज्यादा टूट जाती हैं।

धार्मिक स्थलों को भी जोड़ने का, प्रत्येक विधान सभा में 20 से 25 किलोमीटर सड़क के लिए निवेदन करूंगा। मैं, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, मेरे क्षेत्र की मांगें आपके सामने रखूंगा। हर विधान सभा क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर देवस्थान के लिए सड़कें आप दिलायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग है कि टापरा-पादरू-बावतरा ओ.डी.आर. 3 नम्बर-22 किलोमीटर, कुण्डल रेलां की ढाणी-9 किलोमीटर, पऊ से काकी-7 किलोमीटर, कर्मावास-सिवाली-खण्डप-9 किलोमीटर, काटाड़ी-भागवा-तेलवाड़ा-नीबलाना 13 किलोमीटर, कोटड़ी -कमोकावाड़ा-रातड़ी-अरतंडी-खण्डप 17 किलोमीटर, काटाड़ी से बालवाड़ा 2 किलोमीटर का नवीनीकरण नितांत आवश्यक है। पाली-मोकलस्सर वाया खण्डप -भाद्राजून-मिठोड़ा-धनवास-सिणधरी तक सड़क की चौड़ाई डबल की जाए ताकि पाली-जयपुर आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। बाड़मेर से जयपुर का 70 से 80 किलोमीटर रास्ता कम हो सकता है अगर इस 25 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण हो जाए इससे लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): टाइम तो हुकुम मेरा हुआ ही नहीं।

श्री सभापति: आप भी अपनी घड़ी के सामने देखते रहिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैंने देखी है, घड़ी, हुकुम। मैं दो मिनट में पूरा कर रहा हूं, हुकुम। सिर्फ एक मांग रही है, हुकुम।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं अर्ज कर रहा था हुकुम कि मेरे पंचायत समिति के भवन की स्वीकृति पहले समदड़ी में हो गयी थी, हुकुम, उसकी स्वीकृति 2.63 की हो गयी थी, हुकुम, वह बाकी पड़ी है। अभी मेरे 320 करोड़ की समदड़ी से रोड जो बन रही है, हुकुम, सिवाना से समदड़ी-कल्याणपुर -बालेश्वर, उसके अन्दर 8 किलोमीटर बाईपास है। लूणी नदी क्रोस कर रही है तो वह 8 किलोमीटर का रास्ता है, जो नेशनल हाईवे में नहीं है। इस वजह से वह इतना खराब है तो, हुकुम, उसको आप लें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन है.....

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, यह "हुकुम" क्या होता है? "हुकुम" क्या होता है, इसको हटवाओ, साहब।

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): "हुकुम" में क्या हुआ? "हुकुम" कोई खराब शब्द है क्या? (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह राजाओं का राज है क्या?

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सदस्य, "हुकुम" कोई खराब शब्द नहीं है।

श्री सभापति: आप इधर देखिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेरा एक निवेदन था कि 3.10.2019 को विकास पथ के नाम से आपके यहां से आदेश पूरे राजस्थान में, हर ग्राम पंचायत में विकास पथ के लिए निकाला था। सब पंचायतों से जन -प्रतिनिधियों ने अपने सरपंच या सबसे मांग कर उसके वापस प्रपोजल यहां भेजे और उसके बाद में विधान सभा क्षेत्र में एक ही की...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): इसलिए मेहरबानी करके यह जो मेरी बात है, यह मैं आपको निवेदन कर दूंगा, इसको करवायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ। विराज जाइए आप। (व्यवधान) कोई भी बैठकर बातें नहीं करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। सभापति महोदय, ये तीनों विषय ऐसे हैं जो अपने प्रदेश की सम्पन्नता को दर्शाते हैं। हमारा प्रदेश ऐसा है कि इसमें अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटक भी आते हैं और खासकर 'पधारो म्हारे देश' जैसे स्लोगन के साथ हम अपने प्रदेश में अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि आज का विषय ऐसा है कि बहुत सारे सदस्य अपने सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र की मांग उठाना चाहेंगे तो मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र की बातें ही रखना चाहूंगी।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले से आने वाला रोड भादरा से निकलता है और सिद्धमुख से होते हुए राजगढ़ की तरफ जाता है, जो एसएच 106 नम्बर है, सभापति महोदय, यह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें रोजमर्रा के कार्यों के लिए जैसे एसडीएम आफिस तक आना, तहसील कार्यालय तक जाना, पंचायत समिति तक जाना या बाजार के अन्य कार्य के लिए जाना होता है और लगभग 35-40 गांव इससे रोज प्रभावित हो रहे हैं। साथ में, मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि इस रोड का काफी वर्षों से न तो नवीनीकरण हुआ, न पेचवर्क हुआ, तो यह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। इसके साथ-साथ, यह रोड आगे राजगढ़ से झुन्झुनूं 28.20 किलोमीटर है जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस रोड को भी अगर बनाया जाए तो जयपुर की दूरी भादरा या राजगढ़ से आने-जाने वालों के लिए 25 से 30 किलोमीटर तक की कम हो जाती है और रोज के आवागमन के लिए भी आसानी हो जाती है।

दूसरा, राजगढ़ से बहल, एसएच 41ए 17.83 किलोमीटर है। मैं यहां पर गुणवत्ता की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण ये रोड जल्दी खराब हो जाते हैं, तो माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपा करके ये जो स्टेट हाईवे हैं इनको पूर्ण रूप से नये बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

साथ-साथ, मैं, आर.ओ.बी. का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन गुजरती हैं, एक तो सादुलपुर से दिल्ली की तरफ, एक सादुलपुर से हनुमानगढ़ जिले की तरफ और एक सादुलपुर से हिसार की तरफ। तीनों इलेक्ट्रिक लाइनें हैं। जो हमारा मुख्य रेलवे फाटक है उसमें एक तरफ शहर पड़ जाता है और दूसरी तरफ राजकीय हास्पिटल है तथा काफी गांवों की संख्या भी है। काफी समय तक, लगभग साढ़े दस बजे से लेकर तीन बजे तक ज्यादातर समय यह फाटक बन्द रहता है जिससे लम्बे जाम से गुजरना पड़ता है और वहां हास्पिटल तक मरीजों को पहुंचने के लिए भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि यह आर.ओ.बी. लगभग एक साल से स्वीकृत है, लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है, यह मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहती हूं, ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण किया जाए।

जैसे मैंने तीनों ट्रैक का जिक्र किया, ज्यादातर ट्रैक के आसपास

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

ग्रामीणों की जमीनें हैं वह दोनों साइड में हैं और खेतों में आवागमन भी काफी है। इनमें से सादुलपुर से रेवाड़ी है। उसमें भोजान से सरदारपुरा खेतों के रास्ते में जो मैन रास्ता है, उसके ऊपर आर.यू.बी. की जरूरत है। यह नहीं होने के कारण किसानों को लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी हर रोज तय करनी पड़ती है। भुगलवा के थान से बेवड़ के रास्ते पर किसानों का, ग्रामीणों का लगभग एक हफ्ते से वहां धरना भी जारी है। मैं कहना चाहूंगी कि यहां पर गुगलवा, किरतान, बेवड़, बालान, बासबरैन, भोजान, नवाबैसली, खुलियावास, बांगड़वा और इनसे भी ज्यादा गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। साथ में, कालरी से बांगड़वा के रास्ते पर आर.यू.बी. की जरूरत है। सादुलपुर-हनुमानगढ़ पर सिद्धमुख से चुबकियाताल में भी आर.यू.बी. की जरूरत है। ये तीन आर.यू.बी. ऐसे हैं, जिनसे किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हैं।

साथ में, मिसिंग लिंक्स का भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी। काफी समय से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की अनदेखी रही है, जिसमें कम से कम 50 से 80 किलोमीटर तक की मिसिंग लिंक्स ऐसी हैं, जिनको जल्दी बनाने के लिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं। इनमें बास लालसिंह से नवा, नवा से बास गोविंदसिंह, अछापुर से ढाणी जगमाल और झाझड़ियों की ढाणी, हमीरवास से रैबारी बास तक, नीमा से सुराबास, मालानाबास से बैजवा तक, राजगढ़ से गागड़वास, गागड़वास से पाटवान हरियाणा बोर्डर तक। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करती हूं कि जो मैंने विषय उठाये हैं, मैं जवाब में भी चाहूंगी कि आरयू.बी. कब तक बन जाएगा और आर.यू.बी. के लिए जो मैंने आपसे आग्रह किया है, उनको भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका आभार, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं मेरे क्षेत्र की मांग से मेरी बात प्रारम्भ करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को सबसे पहले धन्यवाद दे दूं कि आपने, पिछली बार स्थगन प्रस्ताव के दौरान मैंने मांग रखी थी, उसकी आपने तुरन्त घोषणा की और उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। वह बन चुकी है और बहुत ही शानदार वह रोड बनी है। वह मारवाड़

(श्री खुशवीरसिंह)

विधान सभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है और वह आपने कर दी, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। सभापतिजी, हमने अशोक महान को पढ़ा है। सम्राट अशोक, महान क्यों कहलाये गये, बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था कि उस वक्त उन्होंने सड़कों के साथ-साथ वृक्षारोपण करवाया। आज हमारे जितने भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, लेकिन वृक्षारोपण कहीं नहीं हो रहा है, यह दुर्भाग्य है। मैं चाहूंगा किसी भी तरह हम उनसे अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करवाएं। इसको थोड़ा सख्ती के साथ लागू करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार माननीय गहलोत साहब ने 2012-13 में स्टेट हाईवे 61 और स्टेट हाईवे 62 की स्वीकृति प्रदान की थी। स्टेट हाईवे 61 को चार वर्ष रोकने के बाद में अधूरी स्वीकृति उसकी बना ली गयी। लेकिन, दुर्भाग्य से स्टेट हाईवे 62 नहीं हो पाया। 2016 में केन्द्रीय मंत्री माननीय गडकरी साहब पाली में पधारे थें। उन्होंने घोषणा की थी कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस स्टेट हाईवे 62 को नेशनल हाईवे में तब्दील कर दिया जाएगा और 15 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। 2016 से आज 2020 हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट हाईवे 62, जो मात्र 52 किलोमीटर शेष रह गया है, उसे भी यदि इस बजट में लिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सड़कें दो-तीन राष्ट्रीय राजमार्ग से भी यह राज्य राजमार्ग जुड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे महत्वूपर्ण मेरा विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन, जहां पिछले 10 वर्षों से सड़क का एक कार्य नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मिसिंग लिंक सड़कें दस वर्षों से नहीं हुई हैं, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा मिसिंग लिंक सड़कें जोड़ी जाएं।

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा जो हमारी स्टेट हाईवे की टोल रोड है वहां गांव वाले दो किलोमीटर पर रह रहे हैं, एक किलोमीटर पर रह रहे हैं, उसी गांव से निकलते हैं और वहां जो टोल बूथ है, आज वहां पर उनसे टोल लिया जा रहा है, स्टेट हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर भी लिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि स्टेट हाईवे का जो टोल है, उन गांवों का नहीं लिया जाए। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि उनको टोल नहीं देना पड़े। एक गांव का व्यक्ति बार-बार दस चक्कर निकालता है तो

(श्री खुशवीरसिंह)

दस बार उनको देना पड़ेगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है।

मैं आपके विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा ए.ईएन. से लगाकर चीफ इंजीनियर तक, उन्होंने मुस्तैदी के साथ काम किया है और शानदार काम किया है। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सारण-बोरीमाधा-गुड़ा-धामावता 6 किलोमीटर, पौने चार मीटर चौड़ी सड़क की स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। धुंधला से बेलावास-उडानगिरी तक भी 6 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति हो गयी है। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

(16.54 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

शेखावास-राजोला खुर्द, साढ़े सात किलोमीटर की स्वीकृति हुई है। उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मांडा-निमली-ठाकुरवास से शेखावास तक यह भी 9 किलोमीटर की स्वीकृति हुई साढ़े पांच मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। यह उन अधिकारियों की मुस्तैदी की वजह से, प्रपोजल बनाकर आपने भिजवाये और इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है। डायलाना कलां-केसुली, यह भी पांच किलोमीटर सड़क है। लापी-माडपुर-डायलाना कलां यह भी पांच किलोमीटर सड़क है। बिजोवा फाटक से इटिंद्रा-चारणन-चाचोड़ी तक 15 किलोमीटर सड़क है, साढ़े पांच मीटर चौड़ी सड़क होगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो गांव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन गांवों में पिछले दो वर्षों से, जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, इतनी शानदार बारिश हो रही है कि जिससे वे नदियां बिलकुल परिनियल हो गयी हैं। ओले गिरे हैं, बिलकुल। आप चिंता मत करो, सरकार के पास सब व्यवस्था है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण गांव हैं। वे बारिश की वजह से कटआफ हो जाते हैं, एक तो हिंगोला और एक दामली गांव। मैं चाहूंगा कि यदि यहां दो पुलों का निर्माण हो जाएगा तो उन गांवों का आवागमन बाधित नहीं होगा।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिसिंग लिंक सड़कें हैं सबसे महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक सड़कें मेरे क्षेत्र में हैं, बांता से वाडीयां 5 किलोमीटर,

(श्री खुशवीरसिंह)

हमीर से माण्डा, चौकड़ीया से गुड़ा रघुनाथ सिंह, मामवास से पांचेरीया, जोजावर से गुंगलीया, जोड़कीया से बांसौर, गुड़ा गोपीनाथ से कोट सौंलकियान, केरली से टोकरला, गुडा जैतावतान से खिवाड़ा, जोजावर-आशापुरा, नवागुड़ा से प्रेमसिंह इत्यादि पांच-सात सड़कें और हैं। मैं चाहूंगा कि मिसिंग लिंक सड़कों के साथ में हमें आप स्वीकृति प्रदान करावें।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, साथ ही दो महत्वपूर्ण सड़कें, जिनकी आपको मात्र घोषणा करनी है। एक तो राज्यीय राजमार्ग, दो महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी हैं, पाली और भीलवाड़ा, सबसे निकटतम रास्ता है तो पाली से छतरा गुड़ा मात्र 52 किलोमीटर है। इसमें 8 किलोमीटर आलरेडी बन चुकी है, राज्यीय राजमार्ग 61 आ रहा है। मैं चाहूंगा कि यह सड़क हो जाए तो भीलवाड़ा और पाली के लिए यह सबसे निकटतम रास्ता होगा। इस बार आप घोषणा कर दें, दो साल-तीन साल बाद, जब भी बजट हो, उसको स्टेट हाईवे में...

दूसरा, मैं चाहूंगा दो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि उनके दोनों के गांव छूट गये। मैं भी विधायक हूं। मैं चाहूंगा कि उनके दोनों के गांव जोड़ते हुए, उन्होंने जानबूझकर अपने गांवों को छोड़ दिया है, देवली-धन्ना स्टेट हाईवे, इन्होंने सीधा निकलवा दिया। जबकि स्वीकृति उस वक्त माननीय गहलोत साहब ने उन गांवों को होते हुए, देवली व धन्ना होते हुए की थी। लेकिन, मामावास से खिवाड़ा होते हुए, यह उदयपुर-पाली जो मेगा हाईवे है, उस तक एक राज्यीय राजमार्ग 61 बी, अगर इसकी आप बजट में घोषणा कर दें, दो-तीन साल बाद जब भी हो, करें।

सभापति महोदय, पंचायत राज व ग्रामीण विकास के लिए एक दो सुझाव देना चाहूंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19, 21 व 28 पर विचार

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 2008-09 में पंचायतों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए दुकानों का निर्माण करवाया था। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, हमारी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। उस वक्त लोगों ने आनन-फानन में कोई 20 रुपये में, 30 रुपये में, कोई यूं ही...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): किराये पर दे दी है। मैं चाहूंगा कि उनको खाली करवाकर, खुली बोली लगवाकर, उन ग्राम पंचायतों को वापस मिले, ताकि ग्राम पंचायतों की निजी आय हो सके, यह एक मेरा सुझाव है।

दूसरा, मैं चाहूंगा कि 2013 में पंचायती राज में एल.डी.सी. भर्ती हुई थी। उस वक्त मैं जिला प्रमुख था। मैं उस वक्त के माननीय पंचायती राज मंत्री जी से भी मिला था। उस वक्त गलती यह हुई कि अधिकारियों ने, उसके लिए जो आवेदन किये, उनको कहा कि आप 33 जिलों में कहीं भी आवेदन कर सकते हो। जबकि अपने-अपने जिले में वे पिछले पांच वर्षों से कार्यरत थे। लेकिन, उनको यह छूट प्रदान कर दी तो उसमें जो टोपर थे, 200-300 लोग, उन्होंने 33 जिलों में फार्म भर दिये। उसके निस्तारण के लिए लम्बा समय लग गया और स्टे मिल गया। आज भी वे भटकते फिर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी, अपने घोषणा पत्र में भी है तो उनको स्थाई किया जाए। यह नरेगा के माध्यम से हुआ, तो नरेगा की तरफ से भी बजट हमें मिलता रहेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम विश्नोई।

(17.00 बजे)

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभी 5 बजे हैं, 5 बजकर 10 मिनट तक का समय चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 के ऊपर बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगों से ही अपनी बात को शुरू करूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय विराजमान हैं। सभी विधायकों की यह सामूहिक मांग रही है कि हमें मिसिंग लिंक दिए जाएं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्रतिवर्ष कम से कम 10 किलोमीटर और अंतिम वर्ष में 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक दिये गये थे। अब सवा साल में दो बजट मिल गए हैं, मिसिंग

(श्री पब्बाराम)

लिंक का जिक्र तो जरूर किया जाता है, परन्तु बजट यहां पर आज तक जारी नहीं हुआ है और एक भी मिसिंग लिंक नहीं हुई है। दूसरा, जो टूटी-फूटी सड़कें हैं, इस प्रकार से सभी लोगों की तरफ से यह आया है, तो उनके रिन्युअल के लिए भी हमें बजट मिला था। लगभग हर कांस्टीट्यूएंसी में अंत में जाते हैं तो सौ-सौ किलोमीटर के रिन्युअल की बात आयी थी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये दो बातें अवश्य आप विधायकों की अभिशंसा पर स्वीकृत कराएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है।

दूसरा, आपने गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ कर दिया। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, कोई और नाम कर दो, उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मेरे यहां पर 60 पंचायतें थीं और साठों पंचायतों में गौरव पथ बने हैं अथवा उसकी एवज में अगर किसी गांव की स्कैटर्ड पापुलेशन थी तो हमें 3 किलोमीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक मिसिंग लिंक के रूप में दिये गये। इसीलिए लगभग ढाई सौ किलोमीटर की मिसिंग लिंक्स मेरी एक कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर पिछले कार्यकाल में हुई। मैं आज तरस रहा हूं कि एक किलोमीटर की भी मिसिंग लिंक नहीं मिल रही है तो मिसिंग लिंक भी मिले और यह विकास पथ है, अभी आपने राइडर लगा दिया कि इतने की आबादी वाले, कृपया हमारे अब 60 के बजाय 90 से ऊपर पंचायतें हो गयी हैं, आप कब तक इन विकास पथों को, 2 बजट निकल गये तीन और बाकी बचे हैं, मुझे नहीं लगता कि जब अंतिम बजट आएगा तब तक आप कोई सभी पंचायतों के अन्दर विकास पथ बना देंगे। अगर बना देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

तीसरा, पिछले दिनों में नोखा के पास में मुकाम है, धार्मिक नगरी है गुरु जम्भेश्वर भगवान का समाधि स्थल है। वहां पर पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां पर मुख्य मंत्री जी पधारे थे। उनको महासभा की तरफ से हमने मंच से निवेदन किया था और मैंने भी निवेदन किया था कि हमारे दो बड़े धाम हैं, जाम्बा जो मेरे क्षेत्र में आता है और नोखा में मुकाम आता है। इसमें नोखा से लेकर के सिंगल लेन है। लाखों की संख्या में पैदल और बड़ी संख्या में वाहन वहां पर एक धाम से दूसरे धाम जाते हैं, तो हमने 2 लेन सड़क, दोहरीकरण के लिए निवेदन किया था। उस मंच से भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि आपकी सारी मांगें निश्चित तौर से हम लोग पूरी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह मांग भी आज मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी के सामने रख दूं।

(श्री पब्बाराम)

तीसरा, आप भी धर्म को मानते हैं, हम भी मानते हैं। रामदेवरा एक ऐसा धाम है, जिसमें 36 कौम वहां पर जाकर के दंडवत प्रणाम करती हैं। पश्चिमी राजस्थान का यह कुम्भ कहा जाता है। बीकानेर, पंजाब और दिल्ली से यहां पर पैदल यात्री बड़ी संख्या में जाते हैं और बाप हो करके निकलना पड़ता है। बाप से रामदेवरा तक 50 किलोमीटर की सड़क है वह सिंगल लेन है, टूटी-फूटी सड़क है। अगर उसका दोहरीकरण हो जाए तो रामदेव जी का आशीर्वाद भी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आपको मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। उसके दोहरीकरण का काम भी आप करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। हमारे कोलायत से आने वाले माननीय मंत्री जी भी विराजमान हैं, भाटी साहब, इनका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र आपस में मिलता है। बड़ी संख्या में आबादी एक जगह से जुड़ी है, नगरासर से लेकर के मानसिंहसर तक, 18 किलोमीटर यह मिसिंग लिंक है। अगर यह पूरी हो जाए तो हमारी दोनों पंचायतें, जो inter-district हैं, इसलिए यह मंत्रिमंडल ही कर सकता है। माननीय भाटी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप फर्माएं और यह सिफारिश करें कि आपके लोग यहां पर आते-जाते रहते हैं, रिश्तेदारी है, लम्बा आना-जाना रहता है, यह हमारी बड़ी मांग है।

इसी प्रकार से टोल रोड, आपने तो टोल लगाना दुबारा शुरू कर दिया है। राजस्थान का जन-जन आपको धन्यवाद देता है। रोजाना वहां पर टोल पर खड़ा होता है और आपको धन्यवाद दे करके निकलता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): ...कर तो दिया, परन्तु उन टोल रोड्स की हालत तो आप सुधारिये। फलौदी से लेकर के रामजी का गोल तक यह मेगा हाईवे है। यह 2004 से 2008 के बीच में बना था और उसकी हालत खराब है। वहां पर टोल लिया जाता है। दुनिया भर के वाहन वहां पर चलते हैं, परन्तु आज जाकर के देखा जाए तो यह टोल लेने वाली सड़क दिखती नहीं है। इसलिए उसको भी ठीक कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन है कि हमारे फलौदी से लेकर के नागौर तक यह स्टेट हाईवे है। अगर यह एन.एच. से जुड़ जाता है तो जयपुर का सीधा मार्ग, जो कम से कम, हम जोधपुर आ कर के आते हैं, 80 किलोमीटर की दूरी कम होगी। जैसलमेर भी इससे जुड़ता है और पोकरण भी जुड़ता है। फलौदी होते हुए यह सारा का सारा

(श्री पब्बाराम)

क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का, जिससे रामदेवरा भी जुड़ जाता है, इसलिए पिछली बार भी एक प्रपोजल बना था, परन्तु प्रपोजल बनने के बाद में वह कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ। अगर एन.एच. की आप सिफारिश करेंगे तो निश्चित तौर से यह भी होगा।

ग्रामीण विकास विभाग की दो बड़ी मांगें हैं और अति आवश्यक भी हैं। जे.जे.वाई. योजना पंचायती राज और पी.एच.ई.डी. के बीच में फुटबाल बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मेरी कांस्टीट्यूएंसी के 35 ट्यूबवैल्स हैं, वे अभी डेढ़ साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनको दोबारा चालू कराया जाए। उनके ऊपर जो पम्प चालक लगे हुए हैं, उनकी भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्रीमती जाहिदा खान।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मेरा 10 मिनट का समय है। आपने खुद ने बोला है 10 मिनट के लिए, इसके बावजूद...

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। प्लीज विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति महोदयजी, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहेदिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने 48 पंचायत समिति बनायी हैं और 1,264 पंचायतों का गठन किया है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। उसके लिए हम तहेदिल से उनके शुक्रगुजार हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं उप मुख्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर पंचायत समिति लेवल पर फायर ब्रिगेड का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमेशा आगजनी की खबरें आती रहती हैं, उससे किसानों को बहुत-ज्यादा नुकसान होता है। अगर यह पंचायत समिति लैवल पर फायर ब्रिगेड का इंतजाम हो जाएगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेवात विकास योजना का गठन मेवात क्षेत्र के

(श्रीमती जाहिदा खान)

पिछड़ेपन को देखते हुए 1988 में किया गया था। जब 2008 में मैं एम.एल.ए. बनी थी तो उस टाइम इसका बजट 4 करोड़ था, जिसको सी.एम. साहब ने धीरे-धीरे बढ़ाते हुए, हर बार चौधरी तैयब हुसैन की पुण्यतिथि पर बढ़ाते हुए साठ करोड़ किया था। बड़े अफसोस की बात है कि गत भाजपा सरकार ने शासन में आते ही सबसे पहले इसका बजट कम किया, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि भाजपा ने हमेशा एक जाति विशेष के खिलाफ काम किया है। हमारी जो कांग्रेस की सरकार है उनसे हम मेवात क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि आप लोग पुन: इसका बजट बढ़ाएंगे, 80 करोड़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो पिछड़ापन है, हमारी जो गलियां हैं, पढ़ाई का है उन सबमें हमें राहत मिलेगी।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगी, माननीय सभापति जी, कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जनहित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। चाहे वह महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात हो, चाहे 18 साल के लड़के-लड़कियों को, युवाओं को वोट देने की बात हो, जिससे उनकी हिस्सेदारी और उनका इंटरेस्ट पोलिटिक्स में बढ़े, चाहे मनरेगा योजना लाने की बात हो, इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं जो हमेशा कांग्रेस ही लेकर आयी है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हर विधान सभा क्षेत्र में, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगी कि हर ब्लाक में रैस्ट हाउस होना चाहिए क्योंकि जब चौधरी तैयब हुसैन जी ने राजस्थान से इलेक्शन लड़ा था तो उनको जहां पर यह बड़ी कमी महसूस हुई थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जहां वह पहले मंत्री रहे थे, वहां हर जगह बहुत ही नजदीक 2-2, 3-3 किलोमीटर पर रैस्ट हाउस बने हुए थे और जब वे यहां आये तो उन्होंने उसी तर्ज पर पहाड़ी और जुरेहड़ा में रैस्ट हाउस बनाया था। जब हमारे आदरणीय सीएम साहब 14 फरवरी, 2001 को पहाड़ी में गुड़गांवा कैनाल का शिलान्यास करने गये थे तो उस रैस्ट हाउस को देखकर बड़े खुश हुए थे। उन्होंने यह कहा था कि यह एक बहुत अच्छी पहल है और हमारे हर जगह यह होना चाहिये। क्योंकि चौधरी तैयब हुसैन जी का यह मानना था कि अगर हम शहर की फैसेलिटीज अपने कस्बों में देने लगेंगे तो जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, ये लोग ज्यादा विजिट करेंगे। जब कोई भी बड़ा अधिकारी अगर कहीं कस्बे में विजिट करता है तो वहां के लोगों की आधी दिक्कतें तो उनके पहुंचने की खबर से ही दूर हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे

(श्रीमती जाहिदा खान)

यह कहना चाहूंगी, आदरणीय पायलट साहब, प्लीज आप विशेष ध्यान दें, जिससे कि हमारे यहां पर अधिकारी ज्यादा आएं और ज्यादा काम हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में पहाड़ी उप खण्ड में बड़ी संख्या में माइनिंग का कार्य होता है। जिसकी वजह से जो सड़कें पी.एम.जी.एस.वाई. में बनती हैं, वे बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं, तकरीबन एक महीना भी नहीं चलतीं। आपके जरिये मेरा निवेदन है कि माइनिंग से डी.एम.एफ.टी. के रूप में जो हमें रेवेन्यू मिलता है, उस राशि को उसी इलाक़े में खर्च किया जाये, न कि उसको जिला लेवल पर लेकर कलेक्टर कहीं भी यूज़ करें। आप प्लीज, इस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि जहां का रेवेन्यू है, डी.एम.एफ.टी. माइनिंग एरिये का, वह अगर उसी इलाके में लगेगा तो बेहतर होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): लोड बियरिंग कैपेसिटी के साथ सड़कें बननी चाहिये, जिससे वह जल्दी न टूटें और आम आदमी को उसमें राहत मिले। मेरे यहां की माइनिंग की लिस्ट है, उसको मैं टेबल कर दूंगी, समय कम है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूं। कामां, डीग नंदगांव स्टेट हाईवे ...

श्री सभापति: आप नहीं पढ़ पाओ, वह टेबल कर देना।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): दो मिनट, प्लीज।

श्री सभापति: दो मिनट बोलिए आप।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): शुक्रिया।

श्री सभापति: आप बोलिए, दो मिनट।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): कामां, डीग, नंदगांव स्टेट हाईवे है, 44 सड़क के काम अधूरे पड़े हैं, उनकी वजह से भरतपुर-डीग से कामां आना बिलकुल नामुमकिन हुआ पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगी कि उस कांट्रेक्टर के खिलाफ एक्शन लें, जिससे वह इसको पूरा करे। हमारे यहां पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में खेड़ली-कठूमर-नगर-सीकरी-पहाड़ी होते हुए हरियाणा बार्डर पर एक सड़क सेंक्शन हुई थी, उसका कार्य अभी चालू है। मैं यह कहना चाहूंगी उसमें कस्बा पहाड़ी में बाईपास नहीं लिया गया है। अगर उसमें बाईपास ले लेंगे तो लोगों को आने-जाने में बहुत आसानी रहेगी। जब मैं पहले एमएल.ए. थी गुलपाड़ा-अमरुका-

(श्रीमती जाहिदा खान)

जुरेहड़ा सड़क, सी.आर.एफ. योजना में सेंक्शन हुई थी, उसको दुबारा बनवाया जाये। भरतपुर-कुम्हेर-डीग-कामां-जुरेहड़ा-पलवल सड़क को नेशनल हाईवे घोषित किया जाये। क्योंकि हमारा यह भरतपुर एन.सी.आर. में आता है, इसलिए वहां की सड़कें अगर अच्छी होंगी तो हमारे यहां बिजनेस जरूर आयेगा। माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. की कुछ सड़कें इतनी खराब हैं कि उनमें से निकलना नामुमकिन है। जैसे ग्राम खलूखा में सी.सी. रोड बनना चाहिये। नौगांवा में, राफ में, लाड़मका में, इनको तुरंत प्रभाव से सेंक्शन किया जाना चाहिये, जिससे कि लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि हर एम.एल.ए. को मिसिंग लिंक जरूर देना चाहिये, क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो किसी भी योजना में कवर नहीं होती हैं। अगर आप हर एम.एल.ए. को एक पर्टिकुलर किलोमीटर की मिसिंग लिंक दे देंगे तो उससे हम इलाके की जरूरतों को देखते हुए कर पाएंगे।

(माननीय सदस्या के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 19, 21 और 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। सभापति महोदय, मैं सीधा मेरे भोपालगढ़ विधान सभा के कार्यों पर ही आऊंगा। भोपालगढ़ में सरकारी गेस्ट हाउस बना हुआ है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका एक्सटेंशन का और कार्य कराया जाये। दूसरा, भोपालगढ़ में अभी डिप्टी आफिस नया खुला है, लेकिन वह अभी भी प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। उसके आफिस का भवन बनाया जाये ताकि लोगों की ईजी एप्रोच रहे। वह आफिस गांव से करीब दो किलोमीटर दूरी पर चल रहा है। तीसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में पीडब्ल्यू.डी. के चार उप खण्ड लगते हैं, आसोप, भोपालगढ़, बावड़ी, पीपाड़। मैं समझता हूं कि डिवीजन आफिस अगर भोपालगढ़ हैड क्वार्टर पर बनाया जाये तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। दूसरे जो भी सरकारी भवन हैं, स्कूल हैं, हास्पिटल हैं, सारवाकलां के हास्पिटल की बिल्डिंग बिलकुल जर्जर अवस्था में है। बूड़खिया

(श्री पुखराज)

गांव की मिडिल स्कूल है, रतकुड़िया की गर्ल्स स्कूल, मिडिल स्कूल है, ऐसे बहुत सारे सरकारी भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी मेंटीनेंस की सख्त जरूरत है।

एक मेरा विशेष निवेदन मंत्री जी से रहेगा, बावड़ी उप खण्ड हैड क्वार्टर पर एक सरकारी गेस्ट हाउस बनाया जाना चाहिये। बावड़ी जोधपुर और नागौर के बिलकुल बीच में है। किसी तरह का कोई और गेस्ट हाउस नागौर और जोधपुर के बीच में नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जो रोड्स भोपालगढ़ में बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गयी हैं, अत्यधिक टूटी हुई रोड्स हैं, दाडमी से रजलानी, सभापति महोदय, इसकी ऐसी स्थिति है कि आज भी आवागमन में बहुत बाधा उत्पन्न होती है और कई बार इसमें एक्सीडेंट हुए हैं। दूसरी रोड है, आसोप से सोयला, यह सड़क बिलकुल पूर्ण रूप से टूट चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड का वर्क आर्डर भी जारी हो चुका है। वर्क आर्डर जारी होने के बाद, इसका काम पूरा होने की डेट फरवरी, 2020 है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। यहां हमारे पीडब्ल्यू.डी. के जो चीफ इंजीनियर हैं, जो हमारे भोपालगढ़ से आते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर अवश्य ध्यान दें ताकि उन सड़कों पर यातायात की सुविधा मिल सके।

तीसरी मेरी मांग है, जो खेडापा से भोपालगढ़ रोड है, खेडापा बड़ा धाम है, भोपालगढ़ के पास भी बड़ा देवरी धाम है और भोपालगढ़-खेडापा रोड पर जब रामदेवरा का मेला चलता है तो अजमेर और मध्यप्रदेश से पैदल यात्री सभी इसी सड़क से जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सिंगल रोड बनी हुई है इसको डबल करें। भोपालगढ़-रजलानी वाया सारणों की ढाणी रोड बनी हुई है, लेकिन इस पर जो छोटी पुलिया बनी हुई थी, वह पिछले तीन-चार महीने से टूट गयी है, इसलिए इस पर आवागमन बिलकुल बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुल को तुरन्त प्रभाव से रिपेयर कराएं, ताकि वहां उन लोगों को आने-जाने में सुविधा मिले। दूसरा मेरा मंत्री जी से निवेदन है, रतकुड़िया से खांगटा के बीच में जो उम्मेद स्टेशन आता है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): उसमें जो भी मालगाड़ी वगैरह आती है, स्टोपेज ज्यादा होता है इसलिए उस पर एक पुल बनाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिसिंग लिंक रोड के लिए मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। बासनी हरिसिंह से माणकपुर (नौगार सीमा तक) 4 किलोमीटर, कूड से खोखरिया 3 किलोमीटर, कूडी से चौपड़ा 3 किलोमीटर, चौपड़ा से हीरादेसर 3 किलोमीटर, लवेरा कलां से खदावों की ढाणी 4 किलोमीटर, गांगाणी से बोडवी 7 किलोमीटर, आसोप से दियावड़ी (नागौर सीमा तक) 3 किलोमीटर, रामडावास खुर्द से रामनगर 3 किलोमीटर, ख्वासपुरा से पुन्दलू (नागौर सीमा तक) 3 किलोमीटर, बूड़किया से पीपाड़ रोड तक 3 किलोमीटर, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये मिसिंग लिंक रोड्स हैं, जो भोपालगढ़ के लिए बहुत जरूरी हैं। इनको स्वीकृत कराने के आदेश कराएं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के विषय में बात करना चाहूंगा। यह मनरेगा का जो कार्य है, इस मनरेगा से जल संरक्षण कार्य और किसानों के खेतों से जोड़कर व्यापक सुधार कार्य और पक्के कार्य हैं, जो मनरेगा के द्वारा करवाये जाएं, ताकि गांवों के अन्दर विकास हो।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती संतोष। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): 000

श्री सभापति: श्री संतोष।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सभापति महोदय, आप कुर्सी पर बैठे हैं, मैं न्याय की अपेक्षा करता हूं। मुझे पांच मिनट दिये, जबकि बाकी सदस्य 10-10 मिनट बोल रहे हैं, आप कुछ तो न्याय किया करें। आपने मुझे 4 मिनट में बैठा दिया है, बाकी सबको 10-10 मिनट दे रहे हैं। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं।

श्री सभापति: बैठिए, आप इनका समय जाया कर रहे हैं, फिर मैं इनको ज्यादा समय नहीं दूंगा। माननीय सदस्य बैठें। विराजिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल, मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र में प्रत्येक विधान सभा

(श्रीमती संतोष)

क्षेत्र के लिए सड़क तंत्र को विस्तारित, सुदृढ़ एवं विकसित करने की प्राथमिकता रखी गयी थी, लेकिन सरकार के 15 माह के कार्यकाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही विकास पथ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो पायी, जबकि इसकी वित्तीय स्वीकृति अभी भी शेष है। पिछले बजट सत्र में पूरी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए पांच वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। इसमें सड़कों के तंत्र का निर्माण हो, जन घोषणा-पत्र के अनुरूप राज्यीय राजमार्ग एवं जिला सड़कों का निर्माण हो या ग्राम पंचायतों के छोटे-छोटे ग्रामों को सड़कों से जोड़ना शामिल था। यह प्रदेश के प्रति प्रतिबद्धता है, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड योजना के तहत सड़क बनायी जानी थी, जिसमें अनूपगढ़ से ग्राम पंचायत 2-पीजीएम डबल लेन, डामर सड़क, 2-पीजीएम से नारावाली तक, ग्राम पंचायत 8-केबी से 9-केबी को जोड़ने हेतु डामर सड़क, चक 25-एएस से 26-एएस तक डामर सड़क, शाहरनपुर रावला से 4-केपीटी ग्राम पंचायत मुख्यालय, 7-डीओएल से 13-डीओएल तक रावला गांव को 9-केडी ग्राम से जोड़ने हेतु, 4-एसजीएम सैंकड़ा से 1-एसजीएम होकर 10-डीओएल सखी ग्राम से 65 किलोमीटर और खानूवाली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 3-बीडी तक डामर सड़कों में से कोई भी सड़क निर्माण का कार्य नाबार्ड द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि इन सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करवाया जाए। इसके साथ ही, रामसिंहपुर से गूंपली, गोमावाली, मायलेटी तक सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसकी भी मरम्मत करवायी जाए।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ भारत-पाक सीमा पर स्थित है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से रात्रिकालीन गश्त भी नहीं हो पाती है। क्षतिग्रस्त सड़कें, जैसे अनूपगढ़ मण्डी यार्ड से 22-ए, 68/2 जीबी से मुख्य अनूपगढ़-सूरतगढ़ सड़क, 6-पी से मोवेवाला हैड, 6-डीडी से 9-डीडी, 7-एमडी से 19-एमडी, रावाला मण्डी से डंडी रोड, 4-केपीटी से रावला मण्डी रोड, 8-एमडी से खाल वाया 3-एमडी और 7-एमडी, रावाला-खाजूवाला सड़क से 10-डीओएल, रावला से रोजड़ी तक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सभापति महोदय, 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क सम्पर्क से जोड़े जाने की घोषणा की गयी थी लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में 123 गांव ऐसे हैं, जैसे 14-ए, 19-ए, एबी-25, 25-ए, 25-एबी, 28-ए, 30-ए, 3-बीडी, 27-आरजेडी, 21-केएमडी, 6-

(श्रीमती संतोष)

एलएम, 8-आरजेडी, 9-डीओएल, 9-केडब्ल्यूएम और इसके सहित 4-आरजेएम, 8-जीएम, 11-एमएलडी, 20-केडी इत्यादि कई गांवों में कोई भी अभी तक सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़े गये हैं। अत: इन गांवों को भी जोड़ा जाए।

जन घोषणा-पत्र के वादे के अनुसार फिजीबल रेलवे फाटकों पर रेल मंत्रालय के सहयोग से एक पुल निर्माण का कार्य हाथ में लेने की बात कही गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रामसिंहपुर रेलवे फाटक पर ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए पुल निर्माण की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है लेकिन पुल निर्माण कार्य प्राथमिकता से अभी तक नहीं करवाये गये हैं। ये कार्य प्राथमिकता से करवाये जाएं। माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ में भारतमाला रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए हर गांव से जमीन अवाप्त की गयी है। कुछ स्थानों पर मुआवजे की राशि अलग-अलग ढंग से निर्धारित की गयी है, जिससे कई जगहों पर काश्तकारों को मुआवजा कम दिये जाने की शिकायतें आ रही हैं। अत: मांग है कि जांच करवाकर एक ही क्षेत्र की अवाप्तशुदा जमीन का मुआवजा एक समान दर से दिलावाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यू.डी. के अधिशासी अभियंता के कार्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। कई जगहों पर इन भवनों में दरारें आ चुकी हैं। ये दोनों भवन कभी भी बारिश के समय गिर सकते हैं। इन भवनों की मरम्मत करवायी जानी आवश्यक है या इनके स्थान पर नये भवन का निर्माण किया जाए। अनूपगढ़ के डाक बंगले में रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने से यह भवन भी धीरे-धीरे जर्जर होता जा रहा है। इस डाक बंगले का विस्तारीकरण एवं मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता है। घड़साना और रावला मण्डी कृषि आधारित क्षेत्र है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): इसमें राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। कृषि मण्डी होने के कारण अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण के लिए आते हैं। मेरी मांग है कि रावला व घड़साना में डाक बंगला बनाया जाए। रावला मण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन काफी पुराना है। इसमें नवीन कमरों के निर्माण के साथ भवन की मरम्मत करवायी जाए और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़, घड़साना के भवन जीर्णोद्धार

(श्रीमती संतोष)

और चिकित्सकों व स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टरों के साथ-साथ नवीन कमरों के निर्माण की भी मैं मांग करती हूं।

सभापति महोदय, 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को सुधारने पर अनुदान दिया गया है। इस अनुदान का उपयोग स्वच्छता, जल निकासी, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, श्मशान तथा कब्रिस्तान के रखरखाव, खेल मैदानों के रखरखाव में किया जाना था, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ बहुत ही कम मिल पाया है। ग्राम पंचायतों में किये गये विकास कार्यों की आडिट की समय-सीमा नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी प्रमाणित संस्था से करायी जानी चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। सभापति महोदय, जनता जल योजना के रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किया गया है। गांवों में पानी को लेकर राजनीति रहती है। ऐसे में जनता जल योजना प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। ऐसे में पेयजल की सप्लाई भी बाधित होती है। इसके निराकरण के लिए जनता जल योजना का अधिकार पंचायतों से लेकर पी.एच.ई.डी. विभाग को दिया जाना चाहिए, जिससे कि समय पर रखरखाव भी सुनिश्चित हो सके और गांव में भाईचारे का माहौल भी बना रहे। सभापति महोदय, जनता जल योजना में पम्प चालकों को मानदेय बहुत कम मिलता है और उनकी सर्विस भी नियमित नहीं होने के कारण तलवार लटकी रहती है। जब भी पंचायत का मुखिया बदलता है तो पम्प चालक राजनीति का शिकार होते हैं।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्या, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): 000

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की सड़क सम्बन्धी समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ज्यादातर आबादी दूरदराज बिखरी हुई ढाणियों में निवास करती है। यहां पर आने-जाने के लिए कच्चा मार्ग भी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्य कस्बे शेरगढ़ को जाने वाला स्टेट हाईवे 95, जिसका निर्माण कई वर्षों पहले हुआ था, जो सिंगल सड़क होने की वजह से आने-जाने में काफी

(श्रीमती मीना कंवर)

समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि स्टेट हाईवे 95 की चौड़ाई बढ़ाकर इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिद्धों का थान है, जो कि बहुत पुराना आस्था का स्थल है। जहां पर ऐसी मान्यता है कि जहरीले जानवरों के खाने पर कई लोग वहां पर पूजा करने आते हैं, जिससे जहर का असर कम हो जाता है। इस कारण सिद्धों का थान में प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं, प्रतिवर्ष बहुत बड़ा भारी मेला लगाया जाता है। ऐसे में सिद्धों का थान से बेलवा राणा जी तक 8 किलोमीटर डामर सड़क का निर्माण करने से हजारो श्रद्धालुओं को आने-जाने में राहत मिलेगी। माननीय मंत्री जी से मुझे पूर्ण विश्वास है कि शेरगढ़ की जनता की मांग को आप जल्दी ही पूर्ण करके राहत प्रदान करेंगे।

मैं माननीय सचिन जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि शेरगढ़ आगमन पर शहीद प्रभुसिंह जी के घर जाकर शोक सभा में शामिल हुए थे। जहां पर उनके द्वारा देखा गया था कि देश के खातिर शहीद होने वाले मेरे शेरगढ़ के युवाओं के घर आने-जाने के रास्ते किस तरह के होते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि देश के खातिर शहीद हुए सैनिकों के घर आने-जाने वाले मार्गों को डामरीकृत सड़क से जोड़ा जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय, जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह (अनुपस्थित)। श्रीमती कल्पना।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल और मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक तरफ हम चाहते हैं कि गांव से शहर की तरफ पलायन को हम रोक सकें। यह तभी होगा जब शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली सड़क एवं रोजगार सबके सम्पूर्ण विकास का हिस्सा हो। हमने सुना है कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील की शुरूआत की थी। उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया। इससे उन्होंने अपने देश में अर्थव्यवस्था और संरचना को नया रूप दिया। हमारे गांव को भी नया रूप देने के लिए अनेक सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्य महत्वपूर्ण हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करना चाहती हूं मेरे विधान सभा

(श्रीमती कल्पना देवी)

क्षेत्र लाडपुरा की मांदलिया से पचपहाड़ सड़क से। यह 9.5 किलोमीटर सड़क 2006, यानी 14 साल पहले से स्वीकृत है। यह सड़क 6.5 किलोमीटर वन क्षेत्र में आने के कारण काफी साल से अटकी हुई है। परन्तु बजट घोषणा के अन्तर्गत 500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को जोड़ने के आदेश दिये गये। इस सड़क के लिए राशि भी स्वीकृत है, परन्तु कुछ न कुछ बहाना बनाकर टेंडर आज तक जारी नहीं हो पाया। इसी तरह ताथेड़ से मानसगांव की सड़क के सम्बन्ध में बात करूं तो यह साढ़े पांच किलोमीटर की सड़क भी स्वीकृत है, जिसकी राशि भी स्वीकृत हुई है परन्तु इस सड़क का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। यह सड़क इस क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है और बृजेशपुरा, रामराजपुरा, मानसगांव, घटाना को जोड़ता है। इस सड़क में काफी अधिक गड्ढे हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि सम्बन्धित अधिकारी को आदेश दिये जाएं कि वे इस सड़क पर रोज जाएं, ताकि उन्हें एहसास हो कि सड़क की कितनी खराब स्थिति है, वे समझें कि गर्भवती महिलाएं इस सड़क द्वारा कैसे चिकित्सालय पहुंचती हैं। गर्भवती महिलाओं की बात से ग्राम नोटाना का ध्यान आया। नोटाना के चन्द्रेसल लिंक रोड पर चन्द्रलोई नदी पर एक रियासतकालीन पुलिया बनी हुई है। यह पुलिया हर बरसात के समय पूरी तरह डूब जाती है और नौटाना टापू बन जाता है। इसके कारण पिछले बरसात के मौसम में एक महिला डिलीवरी के लिए चिकित्सालय नहीं पहुंच पायी और उसका बच्चा बच नहीं पाया।

सड़कों के सम्बन्ध में ही ग्राम अरनिया जो गोगलाहेडी पंचायत में है, इसके मुख्य मार्ग पर सड़क की बात है। यहां सड़क व नाली नहीं होने के कारण इस पर हमेशा पानी भरा रहता है। ग्रामवासियों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से बीमारियों का भी खतरा है। विधान सभा 2018 के चुनाव के समय सम्बन्धित कार्यों के लिए ग्रामवासियों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था। तत्पश्चात् तत्कालीन जिला कलेक्टर तथा उप खण्ड अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि चुनाव पश्चात् उनका रास्ता बनवा दिया जायेगा। परन्तु आज तक यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रशासन को अनेक बार पत्र लिखकर अवगत कराया गया। क्या प्रशासन अपनी जुबान पर कायम नहीं होगा या केवल असत्य वादे करके ग्रामवासियों को गुमराह करेगा?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा की ग्राम पंचायत मवासा के ग्राम मवासा ढाणी से मारूभाट बस्ती पर पुलिया का निर्माण करना बहुत जरूरी है। रायपुरा से कैथून को जोड़ने हेतु लगभग 10 किलोमीटर की सड़क है, जिसमें रायपुरा चौराहे से धाकड़खेड़ी तक सड़क की लम्बाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 60 फीट है, लेकिन धाकड़खेड़ी से कैथून तक लगभग 5 किलोमीटर की सड़क तक केवल 30 फीट चौड़ी है। इस मार्ग पर बसें एवं भारी वाहनों का आवागमन होता है और बहुत परेशानी होती है। आए दिन इस पर जाम लगता है। अत: धाकड़खेड़ी से कैथून तक सड़क को 30 फीट से 60 फीट चौड़ा बनाया जाना आवश्यक है। इसी क्षेत्र में कैथून बाईपास सड़क की स्वीकृति के लिए भी इंतजार है। इसका एस्टीमेट फरवरी, 2017 में पी.डब्ल्यू.डी. से 94 करोड़ की लागत से कराया गया था परन्तु आज तक इसका कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान विकास पथ के विषय में भी कराना चाहती हूं। हमारे 19 पंचायत हैं जिसमें आज तक सिर्फ एक पंचायत में विकास पथ का कार्य शुरू हुआ है। बाकी सारी 18 पंचायतों में काम शुरू नहीं हुआ है। सड़कें तो बहुत सारी हैं और लिस्ट लम्बी है, परन्तु स्वीकृत कार्य शुरू हो जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मंडाना की पुरानी डिस्पेंसरी पर लाना चाहती हूं। यह डिस्पेंसरी आठ साल पहले शिफ्ट हो गयी है। इसका भवन खाली पड़ा हुआ है। यहां आयुर्वेदिक डॉक्टर का पद स्वीकृत है, लेकिन भवन न होने के कारण डॉक्टर को कोटा में डैपुटेशन पर लगाया गया है। अगर आप इस डिस्पेंसरी के भवन को आयुर्वेदिक सेंटर को दे दें तो यहां के पूरे कस्बे के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और इस भवन का सदुपयोग भी होगा। इसी तरह रानपुर में पंचायत भवन भी खाली है। उसे आप सामुदायिक भवन में स्वीकृत करवा दें। ऐसे ही ग्राम रंगपुर में रियासतकालीन डाक बंगला है। यह ग्राम के बीच में है और पंचायत की संख्या लगभग 6 हजार है। इस भवन को सामुदायिक भवन में स्वीकृत किया जाए। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अपेक्षा करती हूं कि आज वे जो निर्णय लेंगे वह हमारी अगली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देगा। वे हमारी मांगों को ध्यान से सुनें और हमारा समाधान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28, सड़क पर जो चर्चा हो रही है, मैं निवेदन करूं कि सड़क का इतिहास अगर देखा जाए तो राजस्थान के निर्माण के समय में 31 मार्च, 1951 को राजस्थान की सड़कों की जो हालत थी, सिर्फ 17,339 किलोमीटर की लम्बाई में पूरे राजस्थान में सड़कें थीं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे उस वक्त के मुख्य मंत्रीजी से लेकर आज पन्द्रहवीं विधान सभा के मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत को और वर्तमान पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को और उस समय के सभी मिनिस्टर्स को कि उन्होंने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहां न तो समुद्र है, ताकि समुद्र से कोई व्यापार हो सके, माल आ सके, यातायात का काम हो सके। राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी भी इतनी नहीं थी, रेलवे कनेक्टिविटी भी नहीं थी। आज भी कई ज़िलों में रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी नहीं है। राजस्थान के आर्थिक विकास के अन्दर सड़क ही हमारा सबसे मुख्य साधन था। सड़कों के विकास पर उस समय से आज तक, अशोक जी गहलोत की महती भूमिका रही है, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने में अपना अहम योगदान दिया। आज हम दावे से, गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान में करीब ढाई लाख किलोमीटर डामर की सड़कें बनी हुई हैं। चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे एम.डी.आर. सड़के हों, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, चाहे खनिज की सड़कें हों, चाहे मण्डी की सड़कें हों, चाहे टी.एस.पी. एरिया की सड़कें हों, तरह-तरह की सड़कों की योजना बनाकर, हमारे मुख्य मंत्रियों, मंत्रियों ने इन योजनाओं से गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ाई, शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाई। आज राजस्थान में यातायात का सबसे बड़ा साधन सड़क है।

सड़कों के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों की लागत भी कम आती है। सड़कें पहाड़ों पर चली जाती हैं, ढलान में भी आ जाती हैं, सड़कें नदी-नाले भी पार कर जाती हैं, सड़कें रेगिस्तान में भी चली जाती हैं। रेलवे लाइन है, उसकी लागत भी ज्यादा आती है इसलिए सड़कों पर हमें विशेष बजट, व विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में 108 चल रही है, अभी मुख्य मंत्री जी ने 112 का आहवान भी किया। 108 आएगी लेकिन मरीज इमीजिएट तभी पहुंचेगा जब अच्छी सड़कें होंगी। घटना पर पुलिस 112 डायल करने पर तभी

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

पहुंच पाएगी, जब हमारी सड़कों की दशा अच्छी होगी। इसलिए सड़कों पर अधिक से अधिक बजट होना चाहिए। सड़कों की बेहतर स्थिति होनी चाहिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं पहले मेरे क्षेत्र की मांगें रख दूं, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कह सकते हो, बैठ जाओ।

श्री सभापति: भरोसा तो रखो।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की सहाड़ा सरदारगढ़ रोड है, डिस्ट्रिक्ट एम.डी.आर. रोड है जो राजसमंद व भीलवाड़ा, दो ज़िलों को जोड़ती है। यह 3.75 की चौड़ाई में है, इसकी वाइडनिंग का काम करके, इसको 7 मीटर चौड़ा किया जाए। इस पर यातायात भी बहुत ज्यादा है, इसको कैरिज-वे में 7 मीटर चौड़ी सड़क की जाए।

मेरा गांव रायपुर उप खण्ड मुख्यालय है, स्कूल के पास मेन रोड, स्टेट हाईवे निकली हुई है। एक-एक, दो-दो घंटे तक रायपुर में जाम लगता है। इस जाम को खोलने के लिए रायपुर में एक बाईपास निकाल दिया जाए। बाईपास की डी.पी.आर. बनी हुई है, मामूली राशि ही इसमें खर्च होगी। मैं डिप्टी सी एम साहब से निवेदन करूंगा कि वह बाईपास स्वीकृत करें। बागोर-रायपुर-जगदीश सड़क, यह एम.डी.आर. 166 है, विश्नोई समाज का सबसे बड़ा मंदिर है, भीलवाड़ा से यह रोड चलती है, वह भी इसी रोड पर आता है। उसके बाद गुरुद्वारा साहिब, बागोर भी इसी रोड पर आता है। जगदीश भगवान का टैम्पल इस रोड पर आता है, आरणा महादेव इस रोड पर आता है, इस एम.डी.आर. 166 को मुख्य मंत्री जी ने पूर्व के बजट 2012-13 में स्वीकृत किया था और 7 मीटर चौड़ा स्वीकृत किया था।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): कह दिया न आपने, मुझे पता था। सात मीटर चौड़ी सड़क की स्वीकृति हुई। सीडी. वर्क तो साढ़े सात मीटर हुए, लेकिन इन्होंने सड़क तीन मीटर ही की, सत्ता परिवर्तन के साथ ही इन्होंने यह भलाई का काम मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ किया। मैं चाहता हूं कि पुनः टू लेन सड़क बने।

इसके साथ ही मेरे एरिया में जो सड़कें खराब हैं, उनके बारे में निवदेन करना चाहता हूं। गंगापुर सिविल लाइन से पालरा रोड, भरक पहुंनी रोड, ढोसर रोड, लाखोला से अरनिया वाया नया नगर रोड, एस.एच. 75 से

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

उल्लई रोड, सम्पर्क सड़क अलोली रोड, खाती खेड़ा रोड, काली मगरी का खेड़ा रोड, आशाहोली से बोरियापुरा रोड, रामा मण्डोल रायपुर रोड, कोशिथल गलवा झड़ोल रोड, सम्पर्क सड़क टोकरा रोड, आसुणा रोड, बोराणा भीटा सड़क से चरावण माता रोड, रायपुर बागोर सड़क से सुरास सड़क बाईपास रोड, रायपुर से सुरास चौराहा रोड, ये सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, ये रिन्युअल योग्य हैं, इनका रिन्युअल कराया जाए, ताकि यातायात सुचारु रूप से चल सके।

इसके साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में हमीरगढ़ से गाडरवाला एम.डी.आर. रोड है उस सड़क पर जवासिया के यहां पुलिया टूटी हुई है, पुलिया नहीं है। सड़क को पी.डब्ल्यू.डी. ने बनाया। जवासिया, बनास नदी बीच में आयी तो नदी के इस कोने पर हमीरगढ़ से लाकर छोड़ा, गाडरवाला से इस कोर्नर पर लाकर छोड़ा, बीच में एक इर्रिगेशन का एनीकट था, पुलिया बनाने का काम नहीं किया गया और उस एनीकट पर से ही यातायात निकाला। खनिज के प्रभाव व अधिक दवाब की वजह से वह एनीकट टूट कर बिखर गया, यातायात बारिश में भी प्रभावित हुआ और अभी भी प्रभावित है। मैंने डिप्टी सी.एम. साहब को भी निवेदन किया, उन्होंने हां भी की है। मैं चाहता हूं कि इस पुलिया का निर्माण हो, ताकि यातायात सुचारु रूप से चल सके। खनिज का यातायात भी चले। यात्री वाहन भी चलें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेरे क्षेत्र में धार्मिक सड़कें हैं। गुढ़ा माताजी से भरक माताजी रोड है, वह अति आवश्यक है। खाखड़ा से खजूरे भैंरू जी और छापरी से मोहब्बतपुरा भैंरू जी, थला महादेव जी, नाथरिया महादेव जी, ये पांच धार्मिक सड़कें हैं, लोगों की आस्था के केन्द्र हैं, मेरा निवेदन है कि इनकी भी स्वीकृति हो। गंगापुर बहुत बड़ा कस्बा है, सारा यातायात गंगापुर गांव से होकर आता है। कुछ टुकड़ों में गंगापुर नगरपालिका ने रिंग रोड बना रखी है, बाकी छूटी हुई रिंग रोड..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, डिप्टी सी.एम. साहब से निवेदन करता हूं कि छूटी हुई रिंग रोड है वह आप बनाएं। सरकार सड़कों के मामले में जो काम कर रही है इसके समर्थन में, इस मांग के समर्थन में, अपनी बात कहते हुए मैं जगह ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, महानुभाव घड़ी मेरे कहने से बंद होती

(श्री सभापति)

तो मैं आपको एक-एक घंटा देता लेकिन यह अनवरत गतिमान है। समय की सीमा है।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21, 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधान सभा की जनता की ओर से व अपनी ओर से उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। पिछली सरकार में सड़कों की गम्भीर हालत थी, एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे थे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आयी, सबसे पहले यह सड़क बनाने का काम किया। मैं माननीय अशोक गहलोत साहब को, पायलट साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सड़कों का काम करवाया, काम चल रहा है, प्रगति पर है। पिछली सरकार में सड़कें टूटी हुई थीं, डूंगरा से कुशलगढ़ तक नालपाडा से कसारवड़ी तक, गिट्टी डाल रखी थी, पैदल चलने की हालत भी नहीं थी, ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कें थीं। इसी तरह से जिवाखूटेवाला रोड भी इतनी खराब थी कि पैदल भी नहीं चल सकते थे। इसी तरह नादेश्वर, जामरी, पातापोरवाला, जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले रोड का काम किया गया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड मुख्यालय कुशलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़ व डूंगरा के भवन जर्जर अवस्था में हैं। वर्षा के दिनों में पानी गिरता है। वे बैठने के लायक भी नहीं हैं। इस तरह से हैं, तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का बजट दिया जाये।

इसी तरह से मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरे कुशलगढ़ व टाडावडला, उकाला और कासारवाड़ी और गुजरात की सीमा की ओर जो रोड जा रहा है, और पोटलिया का जो पुल टूटा हुआ है, वह पुल आज की तारीख में बहुत गम्भीर हालत में है। टाडावडला का जो पुल टूटा हुआ है, वह बहुत गम्भीर हालत में है। नाइट के समय कहीं बाइक वाला भी चला जाये तो वापस जिंदा नहीं आ सके, ऐसी हालत में पुलिया पड़ी हुई है। इसी तरह से बिजुरी वाला, बाबर फला की रोड और पुलिया टूटी हुई है। इसी तरह से कोटड़ा वाला पुलिया, यह जो पुलिया है, वह बाजणा होता हुआ रतलाम को जोड़ता है। वहां से आये दिन व्यापारी और सभी काश्तकार रतलाम, बाजणा जाते हैं। वह गम्भीर हालत में है। जब वर्षा के दिनों में टूटा हुआ था तब

(श्रीमती रमीला खड़िया)

काश्तकार आने-जाने के लिए बाइक्स अपने कंधे पर रख कर निकाल रहे थे, ऐसी हालत है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं और मांग करती हूं कि सबसे पहले वह खूंटा वाला पुल बनाया जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): साहब, दो मिनट नहीं। बोलने दें, हम तो कम ही बोलते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में जल्दी से समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): बोलने दें न, हम तो नये-नये आये हैं, सीख रहे हैं।

इसी तरह से मैं मांग करती हूं कि हमारे पोटलिया की सड़क है, गामदा की सड़क है, जो टांडा रतना और टांडा मंगला को जोड़ती हुई, जो सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, और नई सड़कों की मैं मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं, सणावाला का जो पुल है, और एक बहुत बड़ी दु:ख की घटना है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय, 14 जुलाई, 2017 को एक बहुत बड़ी घटना, मैंने कल भी बताया था, इस पुल की वजह से एस.डी.एम. साहब की नदी में बहकर मौत हो गयी। तीन दिन तक उनकी बाडी नहीं मिली। जो टीमेड़ा में कुशलगढ़ से बांसवाड़ा को जोड़ते हैं, बाकड़ी नदी, वहां दो पुल पड़ते हैं, और एक सणावाला पुल है, वह काफी समय से टूटा हुआ है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि रक्षा बन्धन पर एक भाई अपनी एक बहन को लेने के लिए जा रहा था। वहां बिलड़ी और सकड़वाड़ा के बीच में पुल नहीं होने के कारण अचानक नदी का बहाव आया तो जीजाजी तो धड़ पर रह गये, और जंवाई बह गया। उसकी चार दिन में लाश मिली। इसी तरह से जो बीलड़ी वाला, जो सकड़वाड़ा वाला पुल है, उसकी भी मैं मांग रखती हूं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि यह पुल जोड़ा जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): दो मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप एक काम करिये। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये। एक काम करिये।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): एक मिनट। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: दस्तख्त करिये, आप टेबल कर दीजिये। दस्तख्त करके आप यहां रख दीजिये।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो नरेगा के काम हैं, जो पिछली सरकार के, जब माननीय सदस्य सब बता रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन में बहुत अच्छा काम हुआ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूं, पर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रख रही हूं। मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन में आप जाकर वास्तविकता देखें। मैंने पिछली बार भी मुद्दा उठाया था और आज भी उठा रही हूं, पर उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीन-तीन तलाबली जो थीं, वह एक साथ बह गयीं, किसानों के जो खेत थे, वे बह गये, खड़ी फसलें बह गयीं, मकान बह गये, बकरियां बह गयीं, अनाज बह गया, कहीं भी उनके रहने की जगह नहीं रही, उनके पहनने के कपड़े भी नहीं रहे। यह स्थिति थी।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसी तरह से बगासिया पंचायत में, मकान बह गये।

आज तक भी उन काश्तकारों को उनके मकान बहने का मुआवजा नहीं मिला, तो तत्काल प्रभाव से अधिकारी से जांच करवाएं। इस तरह से मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन में जितना घोटाला हुआ, उतना कहीं नहीं हुआ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज विकास की बात हो रही है। मेरा मेड़ता विधान सभा क्षेत्र है। वहां आज तक जो रोड्स सैंक्शन हो गयीं, लेकिन उनमें से आज तक एक रोड भी नहीं बनी। मेड़ता से एक जसनगर रोड जा रही है। मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि वह पूरी टूटी हुई है। उसके बाद भी उसका टोल लग रहा है इसलिए मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि जब तक रोड नहीं बने, तब तक वहां टोल नहीं लगना चाहिए।

एक जसनगर गांव है। उस जसनगर गांव के अन्दर ट्रैफिक बहुत

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

ज्यादा है। मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि वहां एक बाईपास रोड बनवाई जाये। दूसरी मांग है कि एक बुटाटी धाम है, वह बहुत बड़ा धाम है, वहां तीन रेलवे फाटक लगते हैं। मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि वहां पुल बन जाये तो वहां धाम पर आराम से जा सकते हैं।

दूसरी मांग है कि गांव के विकास की बात है, गांव में जो विकास हो रहा है, तो आज तक जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के आज तक एक मकान की, रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि जो आपके कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, उनको कहकर सर्वे करवाओ, जांच करवाओ ताकि गरीब लोगों के रहने की एक सुविधा हो जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि लोग इतने गरीब हैं, दो सौ रुपयों का छपरा डालकर, पाल डाल कर रह रहे हैं। उन गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मेरे क्षेत्र में जाती हूं। वहां एक महिला मेरे पीछे पड़ जाती है, रोने लग जाती है कि आज आप भी एक महिला हो और किसान की बेटी हो। आप मेरी आवाज उठा सकती हो। इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। गांव में कोई भी गौरव पथ की रोड बनती है, गौरव पथ बन जाता है लेकिन पास में नाली नहीं बनती है। नाली न बनने के कारण से वह रोड पूरी टूट जाती है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि आप गौरव पथ बनवायें तो साथ में नाली भी जरूरी है। मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि मेरी बात पर आप जरूर ध्यान दें। मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आप मेरा काम जरूर करवायें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 19, 21 व 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में एकमात्र पी.जी. कालेज है जहां आने-जाने के लिए रेलवे फाटक क्रोस करना पड़ता है, जिससे छात्र-छात्राओं को बहुत परेशानियां होती हैं। वहां पर बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। अत: वहां पर अण्डरपास या ओवरब्रिज बनाया जाए। जिससे छात्र-छात्राओं की परेशानियों का निस्तारण हो सके, या फिर पी.जी. कालेज को शहर के नजदीक मचकुंड रोड पर नई आधुनिक बिल्डिंग बनाकर शिफ्ट किया जाए।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पार्वती नदी की सखवारा रपट एवं टहरी से मालौनी की रपट पर पुल न बनने की वजह से नदी आने पर लोगों और छात्र-छात्राओं को करीब 70 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूं कि सखवारा की रपट और टहरी की रपट पर पुल का निर्माण कराया जाए जिससे लोगों को परेशानियां न हों।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में सड़कों की बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है। मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। सरानी से जाखी तक सड़क की बहुत खस्ता हालत है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए हर गांव में बिजली, पानी, आर.सी.सी. रोड और अच्छी शिक्षा के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण काम करना बहुत जरूरी है और वह काम है, गांव के लोगों की उनके ही गांव या पंचायत में रोजगार की व्यवस्था। अगर आप ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा देते हैं तो निश्चित तौर पर वास्तव में ग्रामीण जनता का विकास हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के तगावली गांव में सीवरेज का पानी इकट्ठा होता है, जिससे किसानों की जमीन खराब हो चुकी है, किसान फसल नहीं कर पा रहे हैं, इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में नरेगा, मनरेगा के तहत विद्यालय में खेल मैदान व चारदीवारी बनायी जाए और नव-निर्वाचित सरपंचों के लिए, विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाए।

अंत में, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पुराने व जर्जर हुए भवनों के स्थान पर नवीन पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाए।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल एवं मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, ये तीनों विषय इतने गम्भीर विषय हैं, और राजस्थान की और मेरे क्षेत्र की जनता की पूरी नजर है कि ये हर आदमी के काम आने वाले विषय हैं। हमारे राजस्थान के उप मुख्य मंत्री श्री सचिन पायलट साहब ऊर्जावान व नौजवान नेता हैं। हमें यह आशा है कि उनके इन डिपार्टमेंट्स में हमारे राजस्थान में और मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में जो आम जनता की मांग है, वे सारे काम पूरे होंगे।

अभी जब दिन में बहस सुन रहे थे तो एक माननीय सदस्या विपक्ष से बोलीं कि हमारे 75 परसेंट सरपंच जीत गये, तो आपके लिए यह बात बहुत अच्छी लगती है। जहां तक यह 74वां संविधान संशोधन है, जब यह बन रहा था तो हमारे मरहूम नेता आदरणीय राजीव गांधीजी ने जिस ढंग से सोचकर यह 74वां संविधान संशोधन लागू किया और जब संशोधन लागू हो रहा था तो उस समय इस संशोधन को राज्य सभा में दो वोट से भा.ज.पा. ने सपोर्ट नहीं दिया था इसलिए गिर गया था। फिर इसी संशोधन को हमारे प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव साहब के साथ, आम किसान को, आम मजदूर को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को इसके अन्दर पंचायती राज में प्रवेश करने का मौका मिला।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा भाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि मैं पैदा हुआ जब से लगाकर मैं खुद भी सरपंच रहा, मेरे पिता रहे व मेरी पत्नी और मैं दोनों जिला परिषद् के मैम्बर रहे हैं, तो इस पंचायती राज कानून से इस आम अवाम को जो राजीव गांधीजी की मंशा थी, उनकी यह इच्छा थी कि हर गांव के आदमी के अपने हाथ में पावर रहे। उसी पावर के तहत आज यह पंचायती राज का कानून फल-फूल रहा है और ऐसा मौका आ रहा है कि एक-एक जगह पर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं।

(श्री राकेश पारीक)

मैं आदरणीय पायलट साहब से यह मांग करूंगा, वे बड़े उदार दिल हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के मैम्बर्स को बहुत ही कम मानदेय और भत्ता मिलता है। मेरी इस सदन से यह मांग है और सदन के सभी माननीय सदस्य भी यह मानेंगे कि उन सदस्यों का भी, उनका कुछ मान और सम्मान करने के लिए भत्ता ज्यादा बढ़ाया जाए।

आप देखेंगे कि पंचायती राज के इस कानून से आज राजस्थान के अन्दर ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर लोग-बाग इसमें जागरूक हो रहे हैं। नए-नए लोग और यह कानून बनाया ही इसलिए गया कि राजीव गांधीजी जब यात्राएं करते थे तो उन्होंने यह पूछा कि भैया, यह सरपंच साहब कितने दिन से हैं? नाड़ी कहां पर बन रही है? बोले, सरपंच साहब चालीस साल से हैं। यह प्रधान साहब कब से हैं? बोले कि चालीस साल से, तो उन लोगों का जाल तोड़ने के लिए हमारे मरहूम नेता राजीव गांधीजी ने इसका प्रारूप बनाया और यह 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ।

आज नरेगा, एक ऐसा कानून रोजगार गारंटी का दिया, मैं जब विधायक बना तो मेरे इलाके में बहुत कम लोग नरेगा में काम कर रहे थे। बरसात से पहले 60 हजार और अभी भी 30 हजार आदमी नरेगा में मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गांव के गरीब आदमी, क्योंकि जो पूंजीवादी आदमी होता है वह पसंद नहीं करता है कि किसी गरीब आदमी के पेट में रोटी जाए। आज गरीब आदमी बहुत खुश है, 30 हजार आदमी अभी मेरे इलाके में नरेगा में काम कर रहे हैं। मैं यह मांग करूंगा कि नरेगा के अन्दर इन नरेगा श्रमिकों की, इनकी जो मजदूरी है, वह बढ़ाई जाए। आज महंगाई का दौर है, नरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई जाए।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करूंगा कि नरेगा के तहत हमारे गांवों के अन्दर आने वाले जो तालाब हैं, मॉडल तालाब के रूप में ज्यादा सैंक्शन किये जाएं, जिससे मॉडल तालाब बनेंगे। उन तालाबों के अन्दर जब सिंचाई के लिए उनमें पानी भरेगा, उनकी नहरें ठीक होंगी, उनकी चादर ठीक होगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्री साहब से यह मांग करूंगा कि मेरे इलाके में सबसे पहले जो काम हुए मैं मसूदा इलाके में जब गया, तो जिन रोड्स से गुजरता था, वहां पर बजरी, डम्पर, माइनिंग का इलाका, उस इलाके में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): पांच मिनट तो दो, मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं।

उस इलाके में रोड्स की हालत खराब थी। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ज्यादातर मेरे रोड्स स्वीकृत किये और वे रोड्स चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का, आदरणीय डिप्टी सी.एम. साहब का, जिन्होंने बजट में 111 करोड़ रुपये की ब्यावर से गोयला तक की रोड सैंक्शन की, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। प्रधान मंत्री थर्ड फेज ग्रामीण सड़कों के अन्दर मेरी सड़कों का काफी विकास हुआ है, इसके लिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

मैं अब यह मांग करता हूं कि मेरे देव धाम देवमाली और सवाई भोज, दोनों मेरे इलाके में मसूदा से देवमाली और देवमाली से रामगढ़, 16 किलोमीटर का रोड अगर सुदृढ़ और मजबूत बना दिया जाए, उसमें देश और प्रदेश के हजारों लोग वहां पर देव दरबार के दर्शन करने आते हैं, तो आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से मेरी यह मांग है कि इस 16 किलोमीटर रोड को मेरे यहां पर पूरा किया जाए।

मेरे यहां पर बांदनवाड़ा से नागौला तक जो रोड है, बरसात बहुत हुई है, वह क्षतिग्रस्त हो रही है। इस 20 किलोमीटर रोड का भी वापस सुदृढ़ीकरण कराया जाए। मेरे यहां पर नवीन रोड्स के लिए राताकोट से झीपिया सात किलोमीटर नई रोड दी जाए, जिससे राताकोट पंचायत का झीपिया से कनेक्शन हो सके। जेतपुरा से सापला, जेतपुरा गांव में चुनावों में बहिष्कार किया गया कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा कि मेरी क्या गलती है? मैं तो नया-नया घुस रहा हूं। उस गांव ने बहिष्कार किया, वोट नहीं दिया, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि वह पांच किलोमीटर सड़क भी, मैं मांग करता हूं कि बनायी जाए।

मैं देवलियाकलां से कोठियां, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): दो मिनट और, साहब।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री संयम लोढ़ा।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): देवलियाकलां से कोठियां, यह सात

(श्री राकेश पारीक)

किलोमीटर रोड और गुढ़ा से चापानेरी, सात किलोमीटर रोड और देवलिया से सांगरिया। इन रोडों का निर्माण किया जाए। एक मेरे इलाके में...(व्यवधान) संयम जी, दो मिनट। मेरे इलाके में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा, समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं दस साल पहले का एक किस्सा आपको अर्ज करूंगा। मेरे यहां नेशनल हाईवे पर एक ग्राम पंचायत है, पालड़ी। वहां पर एक एस.टी. की महिला सरपंच बनीं और उन्होंने ग्राम सभा में निर्णय किया कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र एक्स स्थान पर बनेगा। उसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक हुई, उप सरपंच साहब प्रभावशाली समुदाय से थे, उन्होंने मैनिपुलेशन करके पंचायत में प्रस्ताव करवा दिया कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र, जहां ग्राम सभा ने तय किया, वहां नहीं बनेगा और दूसरी जगह बनेगा। सरपंच मेरे पास आयीं। उसने कहा कि मैं तो वहीं बनाना चाहती हूं, जहां ग्राम सभा ने तय किया है। पंचायत मानी नहीं और कलेक्टर तक मसला गया। कलेक्टर ने कहा कि मैं मौका देखूंगी। वह महिला कलेक्टर थी। कलेक्टर ने मौका देखा तो उसने कहा कि नहीं, न ग्राम सभा ने कहा वहां बनेगा, न ग्राम पंचायत ने कहा है वहां बनेगा। जहां मैं कहूंगी, वहां बनेगा। मसला फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया। स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे ही कलेक्टर की सलाह से चलती है, उन्होंने भी कह दिया कि जहां कलेक्टर कह रही हैं, वहां बनेगा। अब वह सरपंच साहब परेशान, कि मैं तो ग्राम सभा के निर्णय के मुताबिक करवाना चाहती हूं। मैंने गांव के एक नागरिक को कहा कि जुडिशियल कोर्ट में एक अर्जी लगा दो। उन्होंने जुडिशियल कोर्ट में अर्जी लगा दी। वहां पर महिला मजिस्ट्रेट थी। जिस दिन फाइनल हियरिंग थी, निर्णय होना था, कलेक्टर आकर पूरा दिन तहसील में आकर बैठी रहीं और अपने एक अधिकारी को भी कहने के लिए भेजा कि नहीं, यह तो मेरा प्रेस्टीज पाइंट है, वहीं पर बनना चाहिए, जहां पर मैंने तय किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया कि 73वें संशोधन के बाद ग्रांम पंचायत एक संवैधानिक इकाई है और ग्राम सभा एक सर्वोच्च संस्था है। ग्राम सभा ने जो तय किया है, राजीव

(श्री संयम लोढ़ा)

गांधी सेवा केन्द्र वहीं पर बनेगा। माननीय सभापति महोदय, आज ग्राम सभाओं की हालत क्या है? जो एक्ट, प्रोविजन है ग्राम सभा के बारे में, कि ग्राम सभा से प्लान एप्रूव हो, फाइनेंस एप्रूव हो, एक्सपेंडिचर उसके सामने रखा जाए। कोई ग्राम सभा को, माननीय सभापति महोदय, गंभीरता से लेता है? अभी मेरे पूर्व वक्ता जिक्र कर रहे थे 73वें संशोधन का। क्या हमने 73वें संविधान संशोधन को देश की हुकूमत ने, प्रदेश की हुकूमत ने गम्भीरता से लिया है? क्या ग्राम पंचायत को हम संवैधानिक इकाई के रूप में काम करने का मौका दे रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, हम सारी सत्ता केन्द्रित रखना चाहते हैं। मंत्री अपने पास सत्ता रखना चाहता है, ब्यूरोक्रेट अपने पास सत्ता रखना चाहता है। भले ही देश के दो अलग-अलग प्रधान मंत्रियों ने उस वक्त निर्णय करके उसे संवैधानिक इकाई का रूप दिया, लेकिन न तो फण्ड हम देना चाहते हैं, न फंक्शन देना चाहते हैं, न फंक्शनरीज देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति समुदाय के मामले में महाराष्ट्र पैटर्न का एक मसला बार-बार आता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह महाराष्ट्र पैटर्न की बात भी आप इसलिए कर रहे हैं कि ताकत मंत्री और ट्राइबल कमिश्नर के पास रहे। जब पंचायत रिजर्व हो गयी, सारे पद अनुसूचित क्षेत्र के रिजर्व हो गये तो आप सारा पैसा ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं देते हैं? आदिवासियों को तय करने का मौका दीजिए कि अपने गांव में बैठकर वे उस पैसे का क्या उपयोग करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर चाहता है कि यह पावर उनके पास रहे, पैसा उनके पास रहे इसलिए वह पैसा ग्राम पंचायतों को नहीं दे रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मनरेगा, सोनिया गांधीजी के अथक प्रयासों से यह कानून आया। लोगों को काम का अधिकार मिला और हमने उसका हश्र क्या कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान सरकार ने जो प्रतिवेदन दिया है, इसमें लिखा है कि 'नियोजित श्रमिकों को सम्पादित कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की अवधि में करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं मिलने पर श्रमिक मजदूरी के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है। क्षतिपूर्ति का भुगतान सीधा उसके खाते में किया जाता है।' माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का ऐसा कौनसा मनरेगा का काम है, 2019-20 के अन्दर, जिसके अन्दर श्रमिक को 15 दिवस

(श्री संयम लोढ़ा)

के अन्दर भुगतान हुआ हो। हर ग्राम पंचायत के अन्दर, हर काम के ऊपर दो-दो महीने से ज्यादा विलम्ब से मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान हुआ है। अब इस कानून की पालना कौन कराएगा? कौन मजदूरों को उनके विलम्ब का भुगतान करेगा? क्या वह गरीब आदमी जाकर कोर्ट में मुकदमा करेगा? मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से विनती करना चाहता हूं कि यह हजारों करोड़ रुपये का विलम्ब भारत सरकार ने किया है। करोड़ रुपये कई-कई सप्ताह और महीने तक अदा नहीं किये। उस वजह से हमारे मजदूर वहां पर धक्के खाते रहे, ब्याज पर पैसा लाकर अपना परिवार चलाते रहे। अब आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप कानूनी कार्यवाही करिये और उन सारे राजस्थान के मजदूरों को, जिनको 15 दिन से ज्यादा विलम्ब से भुगतान मिला है, उनको हर्जाना दिलाने का प्रबन्ध करिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने अपने सम्बोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार सरपंचों और वार्ड पंचों के जरिये प्रधान के चुनाव कराना चाह रही थी इसलिए चुनावों के अन्दर विवाद पैदा कर दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि यह जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ है, इसका पूरा विवरण संविधान के उस अमैंडमेंट में उल्लेख है। थ्री टायर सिस्टम कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेंट का हिस्सा है। किसी प्रदेश की हुकूमत इस थ्री टायर सिस्टम को खतम नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। न आप प्रत्यक्ष पद्धति से किसी तरह का चुनाव करवा सकते हैं। चुनाव का सिस्टम सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के माध्यम से रहेगा। यह हमारे संवैधानिक प्रावधान का हिस्सा है, इसलिए यह सरासर दुष्प्रचार है कि राजस्थान की सरकार इस चुनाव को रोकना चाहती थी या इसमें किसी तरह का विलम्ब करना चाहती थी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लम्बे अर्से के बाद ग्राम पंचायतों का गठन किया, पंचायत समितियों का गठन किया, जो कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति, लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के माध्यम बने। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रतिपक्ष के मित्र भारत सरकार के धन उपलब्ध कराने को लेकर कह रहे थे। मैं विनती कर दूं कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, दिल्ली की सरकार की नजरें टेढ़ी हैं। सी.आर.एफ. के अन्दर 2017-18 के अन्दर 768 करोड़ रुपये दिये, 2018-19 तक 533 करोड़ रुपये सेंट्रल रोड फण्ड में दिये और 2019-20 में जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, मात्र 274.23 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, 2017-18 में 427 किलोमीटर सी.आर.एफ. में, 2018-19 में 353 किलोमीटर और 2019-20 में मात्र 277 किलोमीटर के काम स्वीकृत किये। नेशनल हाईवे का भी मैं आपको बता दूं। इसमें भी आपकी नजरें टेढ़ी हैं। 2017-18 में 861.70 करोड़ रुपया खर्च करके 404 किलोमीटर का एन.एच. का काम किया राजस्थान में। 2018-19 में 1,275 करोड़ रुपये खर्च करके 173 किलोमीटर का काम किया और 2019-20 में मात्र 101.78 करोड़ रुपये खर्च किये। माननीय सभापति महोदय, यह एन.एच. का राजस्थान का नक्शा बदला है तो इसका एकमात्र श्रेय डॉ. सी.पी. जोशी, जो नेशनल हाईवे के मिनिस्टर बने थे, उनको है। राजस्थान के अन्दर 60 साल में मात्र 19 एन.एच. थे, जिनको डॉ. सी.पी. जोशी ने बढ़ाकर मात्र पांच साल में 31 पर पहुंचाया। राजस्थान को 12 एन.एच. उन्होंने दिये। इतनी ही अगर आपकी उपलब्धि है तो आप बता दो कि 2019-20 में नरेन्द्र मोदी साहब की सरकार आयी है, उसके बाद में राजस्थान में एक एन.एच. मिला हो, तो आपमें से कोई खड़ा होकर बता देना।

सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. अपनी प्रोपर्टी का बिलकुल ध्यान नहीं रखती है। जितनी इनकी रोड्स बनी हुई हैं, इसके दोनों तरफ की जमीनें इनके नाम पर दर्ज नहीं हैं, मर्जी आये जो लोग अतिक्रमण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बनाने के अन्दर इनका कोई नजरिया नहीं है। जो बैलगाड़ी के घुमावदार रास्ते हैं, माननीय सभापति महोदय, उसी के आधार पर ये गांवों की सड़कें बना रहे हैं। ये कम्पनसेशन का प्रावधान क्यों नहीं रखते, जिससे आप ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को सीधा बना सकें? आप ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें बनाते हैं, हमारे बच्चे मोटर साइकिल लेकर निकलते हैं, किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर भी जो सड़कें बना रहे हैं, उसमें कम्पनसेशन का प्रोविजन रखिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सचिन पायलट साहब को मैं बधाई दूंगा कि थर्ड फेज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर पूरे देश में दूसरे नम्बर पर राजस्थान में वे सड़कें स्वीकृत कराने में सफल रहे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अंतिम बिन्दु कह रहा हूं, अंतिम बिन्दु।

सिरोही में जो पी.डब्ल्यू.डी. का आफिस है, वर्षों से है, उसके बाहर जो लैंड पड़ी थी, बड़ी लैंड, जिसके अन्दर, माननीय सभापति महोदय, बाउंड्री बनी हुई थी। पी.डब्ल्यू.डी. अपने एस.ई. का आफिस वहां पर खोलना चाह रही थी, प्रपोजल भेजा हुआ था, वहां एक लैब एस्टेब्लिश करना चाह रही थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि उस जमीन पर पड़ गयी। माननीय सभापति महोदय, उस जमीन को इन्होंने पी.डब्ल्यू.डी. से खाली करवाया और खाली करवा करके कलेक्टर के जरिये नगर परिषद् को ट्रांसफर किया। 50 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की वह जमीन जिसका कलेक्टर ने लिखित में भेजा कि यह जमीन बेशकीमती है, इसका बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये है, यह जमीन नहीं दी जाए, यह 50 साल से पी.डब्ल्यू.डी. के पजेशन में है। इसके बाद भी वह जमीन बी.जे.पी. ने हथिया ली, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खड़े मत होइये, अभी सुनिए आप, अभी सुनिये। खड़े मत होइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, विराजिये आप। विराजिये, विराजिये। एक मिनट, विराजिये तो सही आप। (व्यवधान) विराजिये। किसी का नाम लिया क्या उन्होंने? किसी का नाम लिया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये कहां लिखा है इसमें? किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये और आप अलाउ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसका नाम लिया? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो रिकार्डेड फैक्ट है, यह रिकार्डेड फैक्ट है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कराओ न जांच ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, विराजिये आप। बेवजह विवाद पैदा मत करिये, विराजिये अब आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कराओ जांच। (व्यवधान) जांच कराओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, दो साल से स्टे है। हम गये हाई कोर्ट में...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्यों समय खराब करवा रहे हो आप, विराजिये। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनके पास प्रिविलेज नहीं है कि इनको आप आधे घंटे तक बुलवाओगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये क्या बात हुई, माननीय सभापति महोदय। क्या अलाउ नहीं करेंगे आप? क्या अलाउ नहीं करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आधा घंटा बुलवाओगे, प्रिविलेज थोड़े ही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे नहीं चलेगा, बिलकुल नहीं चलेगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये रिकार्डेड फैक्ट है, ये रिकार्डेड फैक्ट है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। श्रीमती शोभा चौहान। विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर सदन में बोलने का मौका प्रदान किया।

सभापति महोदय जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र सोजत सड़कों की बड़ी बदहाल स्थिति में है। सर्वप्रथम मैं बात करूं तो 15 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क शिव सर्किल मोड़, भट्टा से सोजत रोड जाने वाली सड़क पर मौत के गड्ढे बने हुए हैं इन गड्ढों के अन्दर कई दुपहिया वाहन चालक गिरकर आंशिक या पूर्ण अपंगता को प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही में इस

(श्रीमती शोभा चौहान)

दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सोजत विधान सभा क्षेत्र की सड़कें विभाग की दुर्दशा पर आंख से आंसू बहा रही हैं और सड़कों के टूटने के कारण राहगीर धूल के गुबारों में से निकलते हैं। विभाग को बार-बार सूचना देने पर एक ही जवाब आता है कि बारिश के मौसम के बाद सड़कें ठीक कर दी जाएंगी, लेकिन आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

सड़कों पर बने गड्ढे, मौत के कुए, जो हादसों को खुला निमंत्रण दे रहे हैं और इस कारण दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे लगता है कि सड़कें कम और गड्ढ़े ज्यादा हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, मात्र खानापूर्ति है। पैचवर्क व सड़क मरम्मत निर्माण कार्य सोजत में हुए हैं, सड़क निर्माण में उपयोग की गयी सामग्री व गुणवत्ता की जांच की जाये और दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मंत्री जी को तो बुलाओ।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, बोलने दें माननीय सदस्या को।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति के लिए जल्द खराब पड़ी सड़कों का काम चालू कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे रास्ते हैं, जिन पर आज दिन तक सड़कें नहीं बनीं। सुरायता से जाड़न नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली लगभग 8 किलोमीटर लम्बी सड़क विगत कई वर्षों से निर्मित नहीं हुई है। उस क्षेत्र में आने वाले गांव के नागरिकों को 18 किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर करना पड़ता है, जिससे उनका अतिरिक्त धन, ऊर्जा और समय व्यय होता है। यदि सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया जाये तो सुरायता गांव सहित अन्य गांव, जिसमें सुरायता धाकड़ी, गागुड़ा, शिवपुरा, खामल, मांडावास, मालपुरिया कलां, मालपुरिया खुर्द एवं कानावास के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। उनको लम्बे अरसे से चल रही उनकी ज्वलंत समस्या से निजात मिलेगी। सांडिया से छितरिया जाने वाली 60 किलोमीटर सड़क ग्रेवल है, इसका भी डामरीकरण कराएं। इस क्षेत्र में घनी आबादी है जो अभी सड़क सुविधा से वंचित है। इस कारण यहां के क्षेत्रवासियों को चंडावल होकर जाना पड़ता है, जिससे उन लोगों को 15-17 किलोमीटर तक अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता

(श्रीमती शोभा चौहान)

है। ऐसी सड़कों के लिए विशेष टीम गठित कर, सूची तैयार करवाकर जल्द निर्माण कार्य चालू करवाये जाएं।

ऐसी सड़कें जिन पर पैचवर्क कार्य हुआ है, धाकड़ी से सुरायता, चंडावल से मुंडावा होते हुए केलवा जाने वाली सड़क, और भी ऐसी कई सड़कें हैं, जिनका विगत एक वर्ष में निर्माण कार्य हुआ है, जो गारंटी अवधि से पूर्व ही टूट चुकी हैं, जिससे सरकार को राजस्व हानि हुई है।

महोदय जी, अंत में मैं यह कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं कि सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और जन हानि हो रही है। इन पर विराम लगाया जाये व जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराये जायें, जिससे सोजत विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 19, 21, 28 पर सड़क व ग्रामीण विकास के ऊपर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

मैं धोरों की धरती मारवाड़ से आती हूं। भा.ज.पा. कहेगी कि 70 साल में आपने क्या किया? ये तो हथेली पर सरसों उगा देते हैं, 70 साल में हमने क्या किया, स्वराज की कल्पना यह कह देंगे हमारी थी, पंचायती राज की स्थापना भी हमने की, सब कुछ हमने ही किया।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, शांत रहें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या परिस्थितियां थीं 70 साल पहले, पानी नहीं था, भीषण अकाल की परिस्थितियां थीं, पक्के मकान नहीं होते थे, बाजरों के डुक्के के मकान होते थे, खेती करते थे, लगान भी ले लेते थे, अन्न तक नहीं था, सड़क, पंचायतों के भवन तो अकल्पनीय थे, कल्पना से भी परे थे। लोकतंत्र की स्थापना हुई, कांग्रेस की विचारधारा थी गरीब को, मजदूर को, गांव के ग्रामीण विकास के लिए कैसे आगे ले जायें उसके लिए कृत संकल्पबद्ध थी। उस वक्त के नेताओं का एक विजन था, एक संकल्प था।

पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए 1953 में स्वर्गीय परसराम जी मदेरणा ने चाडी से अपनी राजनीति का झंडा बुलंद किया और गांव के विकास के उस आदमी की आवाज बनने के लिए किसान राजनीति का झंडा बुलंद किया।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

यह 15वीं विधान सभा है। इसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी 12 बार आये हैं जनता का विश्वास अर्जित करके, हवा के झोंकों से नहीं आये, मूल्यों के और सिद्धांतों की राजनीति करके आये हैं। मुझे गर्व है कि ये गांधी की विचारधारा मुझे विरासत में मिली है।

कई लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, मैं उन्हें कह देना चाहती हूं कि मेरी आवाज आपको बेसुरी लगती होगी लेकिन राजस्थान के किसान को मेरी आवाज के सुरताल पसंद हैं। 1952, 1957, 1962, 1967, लोकतंत्र स्थापित हो गया था, लेकिन क्या सामंतशाही व्यवस्था थी, किस तरह प्रचार करते थे। उस गांव के व्यक्ति की आवाज बुलंद करने के लिए रात को चल-चलकर पैरों पर कंबल डालते थे, दीया नहीं लगाते थे झोपड़ी में, कहीं पता लग गया कि घर में आये तो सुबह मौत का मंजर हो जाता था। इन परिस्थितियों में पहले चुनाव लड़े गये। किस तरीके से खून पसीने से कांग्रेस को और गांव के व्यक्ति को जमाने के लिए काम किया गया। 1962 के भोपालगढ़ के उस चुनाव में पोलिंग बूथ एजेंट थे डूंगरराम जी, उनको मार दिया गया था। मैं जीतते ही अपने दादाजी के उस व्यक्ति को, जिसकी आहूति और खून पसीने से कांग्रेस और गांव का झंडा बुलंद हुआ, उसे अपनी श्रद्धांजलि देने गयी थी।

मैं कहना चाहती हूं कि मैं उन धरती पुत्रों की बेटी हूं मेरी आवाज बंद मत कीजिये। द्रोपदी नहीं हूं, न मुझे किसी बाहरी कृष्ण की आवश्यकता है। हां, अभिमन्यु हो सकती हूं, उम्र का अभाव हो सकती हूं, लेकिन आचरण से कर्ण बनने आई हूं। हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है चिरागों को उछाला जा रहा है, मैं ही हूं नींव का पत्थर, मुझे निकाला जा रहा है। नींव का पत्थर हूं, यूं मजबूर मत कीजिये, स्टेप ले लिया तो इमारतें गिर जायेंगी, ढह जाएंगी, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिये। कल खेल पर चर्चा थी, हैंड ट्विस्टिंग का खेल करते हैं, राजस्थान का किसान, जनता हैंड ट्विस्टिंग कर देगी, तब देखियेगा क्या होगा।

मैं 9 साल जिला परिषद् की सदस्य रहने के बाद सदन के अन्दर आयी हूं। पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूं। मैं स्वयं का उदाहरण देती हूं। मैंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज को देखा है। करीबी से मैंने काम किया है 'इतना शदीद गम है कि एहसास ए गम नहीं है'। जब पहली बार जिला परिषद् की सदस्य चुनी गई, तब मैं 25 साल की थी। राजनीति का 'र' नहीं जानती थी। पिता, दादा और घर के बाहर की चौखट मुझे पता नहीं थी। मैंने जमाने के थपेड़े नहीं देखे थे। धूप की तपिश नहीं लगी थी। मुझे कांटे की चुभन नहीं हुई

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

थी। परिस्थितियों का सामना किया। प्रलय आई एक दिन, जीवन की दिशा बदल गयी। अब तो ऐसा लगता है कि 'लकीरें भी मिट ही जाती हैं उसको खोकर, तो मेरी जिंदगी में रहा कुछ भी नहीं'।

परिस्थितियों का सामना किया। 'अपनों से खाए थे धोखे, अब मैं सहारों से बचकर चलती हूं'। गालिब का एक शेर है,

'रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,

जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है'।

मैंने इन 9 सालों में खून के आंसू रोये हैं। मैंने परिस्थितियों का सामना किया है। इन 9 सालों में फौलाद की सलाखों से है याराना मेरा। वह फौलाद की सलाखें, उन्होंने भी अपना दोस्ताना खूब निभाया। जैसे जन्म के साथ आपको अभिशाप मिलता है मृत्यु का, कई अभिशाप भी वरदान दे जाते हैं जिंदगी में। वह फौलाद की सलाखें, जिनकी किस्मत पर मुझे रश्क होता है कि जिसकी चाहत है, वह उनके पास है। जो समय के हर तटस्थ वार के समय खड़ी रहती हैं, वे भी शायद जरूर मेरी बेबसी पर रोती होंगी। उन फौलाद की सलाखों ने मुझे वरदान दिया निर्भीक होने का, बेखौफ होने का।

जहां सी.आई.डी., सी.बी.आई., ई.डी., आजकल इन चीजों से राजनीति के अन्दर डराया जाता है, उन फौलाद की सलाखों ने मुझे हर राजनीतिक मंजर, सार्वजनिक जीवन में बेखौफ कर दिया। मैं मेरी हर गुजरती सांस और झपकती पलकों के साथ यह दुआ करती हूं कि जो आजमाइशें मुझे मिली हैं, दुश्मन के दुश्मन की बेटी को भी वह आजमाइशें न मिलें।

घर बैठना आसान था लेकिन परिस्थितियों से लड़ी। कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हम संकल्पबद्ध थे, गांव के आदमी की, विकास की बात करने के लिए संकल्पबद्ध थे। 'पहले तो अपने भी चुराते थे नजर, आंख से टपका हुआ काजल न समझा, अब तो गैरों की महफिल से भी सलाम आते हैं'।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सुनिए आप। +++ महिला सशक्तीकरण के नाम पर ++ यहां पर।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैंने एक साल से देखा है इस सदन का ढुलमुल रवैया।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

पंचायती राज की बात करती हूं। जो यंग लीडर हैं, उनका विजन है। ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। विपक्ष के नेता कह रहे थे। अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी हावी थी, यही कारण है कि वे आज यहां बैठे हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे कार्यकाल में यह हो।

बावड़ी पंचायत समिति के 3 साल में 400 पट्टे फर्जी पाये गये। यह 2 दिन पहले की न्यूज है। सी.ई.ओ. कहता है कि बी.डी.ओ. दे नहीं पा रहा है। सी.ई.ओ. अपनी बेबसी की दास्तां बताता है। बी.डी.ओ. जूनियर है। अगर जोधपुर के अन्दर ग्रामीण विकास के अधिकारियों का यह बोलबाला है, ये हौंसले हैं तो किस तरीके से ग्रामीण विकास में व्यापक भ्रष्टाचार है।

सोशल आडिट की बात करेंगे। सोशल आडिट को भा.ज.पा. ने तो ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी के बीच का यह टकराव है। अधिकारी कमजोर होता है तो जन प्रतिनिधि दबाता है। जन प्रतिनिधि कमजोर होता है, इस तरह से यह आरोप प्रत्यारोप का मंच बन गया है।

मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगी कि खानापूर्ति नहीं होकर इसका एग्जिक्यूशन हो। सिस्टमेटिक रूप से पालिसी लेवल पर आप इसको लागू करें। मंत्री महोदय जी, आपको कड़क स्टेप लेने पड़ेगे, You'll have to take revolutionary steps. फुल ड्राइव में मेंडेटरी प्रेशर के साथ सोशल आडिट को लागू कीजिए। Food inflation hitting at 14 percent. Real rural wages are declining. Worst-hit by current economic slowdown. Budget allocation by the Centre for major two rural schemes - MGNREGA, and PM-Kisan is only 1 percent of GDP. Transfer of benefits - as a result is very slow. Centre has to make structural improvement to increase coverage and implementation. यह जो नरेगा का 2005 का अधिनियम था, यह कांग्रेस की सरकार लायी थी। उस वक्त के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का एक विजन था। रोजगार की हमने गारंटी दी। 100 दिन की गारंटी के लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा कानून बनाकर लाये। 15 दिन में जोब दे सके, यह गरीब और मजदूर के प्रति कांग्रेस की संकल्पबद्धता को दिखाता है।

2008 से 2013 के अन्दर 35 लाख इसमें लेबर थी। गरीब, जिसका शोषण उद्योगपतियों के पास होता था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट 2 पाइंट्स कह रही हूं।

शोषण से उसको बचाया। मैं तो मंत्री महोदय जी की सराहना करती हूं। पीएम. ने जिसको कहा था कि यह कांग्रेस की नाकामियों का जीता-जागता स्मारक है। जिस लोक सभा ने इसको पारित किया, वही लोक सभा अब इस एक्ट का वायलेशन करना चाहती है। Unemployment at the highest rate of 45 percent, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। फिर भी आप नरेगा को तोड़ना चाहते हैं। जस्ट बिकाज, कांग्रेस लेकर आयी थी।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): आपने एक काम मांगो अभियान शुरू किया जिसका एक व्यापक इम्पैक्ट देखने को मिला।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 53 लाख परिवारों को रोजगार मिला। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि यह जो कैम्पेन मोड है इसमें चुनावों के कारण थोड़ी सी शिथिलता आई है। आप इसको रेगुलराइज करके, इसको बूम मिल सके, इसका काम करें।

नरेगा में फार्म 6 के अन्दर रसीद नहीं दी जाती है। 15 दिन के अन्दर जोब देना अनिवार्य है, I would like to request the Hon'ble Minister that आप इस डिजीटल आवेदन को ऑनलाइन करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट में 2 रोड हैं, आप कहते हैं तो मना कर देते हैं। कई सारे राइडर्स हैं।

श्री सभापति: ऐसा है, अब आप यहां टेबल कर दीजिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मुख्य मंत्री ग्राम योजना।

श्री सभापति: आप टेबल कर दीजिए। आपका जो भी डाक्युमेंट है, उसको टेबल कर दीजिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं मांग नहीं बोल रही हूं। मैं तो अधिकतर व्यापक रूप से राजस्थान की बात करती हूं। मुख्य मंत्री यह योजना लेकर के आए थे कि आपको हर ग्राम विकसित करना है। आप, जब मंत्री महोदय अपना जवाब दें तो आई वुड लाइक कि 2014-15 से लेकर के 2018-19 तक जितनी ग्राम पंचायतें, जिन उद्देश्यों के साथ आए थे, वे विकसित हुईं कि नहीं हुई। यह टेबल करिए। इनका पूरा नकाब उतर जाएगा।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आप कह रहे हैं तो मैं यही कहती हूं कि भाज.पा. की दमनकारी, डिवाइड करने वाली पालिटिक्स है। दमन की, शोषण की जो इनकी सोच है, उसका मुंह तोड़ जवाब अगर हम दे सकते हैं तो सिर्फ गुड गवर्नेंस से दे सकते हैं।

महात्मा गांधी जी ने कहा था, “The future of India lies in its villages” आप एक drastic स्टैप लीजिए। आप रचनात्मक काम कीजिए केजरीवाल की तरह। जैसे वह गली और मौहल्लों में पहुंचे हैं। आप गांव और ढाणियों को टच कीजिए, you are a young Minister and people would like to see what kind of work you do.

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। प्लीज, समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19, 21 और 28, लोक निर्माण, सड़क, पुल और ग्रामीण विकास का आपस में सामंजस्य है। ये तीनों ही एक साथ रखी गयी हैं। बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों की जो चर्चा होनी है, पुलों की जो चर्चा होनी है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। क्वालिटी कंट्रोल में आपके पास जितने भी पद हैं, वे खाली पड़े हुए हैं। ठेकेदारों को जब काम दिया जाता है तो कभी पूल बैठा दिया जाता है और कभी 30-40 परसेंट बिलो रेट हो जाती है। जब बिलो रेट में किसी ठेकेदार को काम मिलेगा तो वह कैसा काम होगा? इसको भी हम देखें कि गुणवत्ता हो। घटिया काम नहीं हो। जो हमारे सरकारी भवन हैं, वे मैंने हमेशा टपकते देखे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ठेकेदार का मकान नहीं टपकता है। टपकती हैं तो सरकारी बिल्डिंग्स टपकती हैं। इनमें गुणवत्ता का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उप खण्ड तो खूब खोले हैं। उप खण्ड मुख्यालय बनाये हैं लेकिन डाक बंगलों की व्यवस्था नहीं की। अधिकारी कहां रुकेंगे, कहां बैठेंगे, कहां मीटिंग लेंगे? जितने भी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आपने उप खण्ड बनाये हैं, उन सबमें अच्छे, शानदार डाक बंगले बनाये जाएं। कपासन में छोटा सा डाक बंगला 2 कमरे का बना रखा है। उसका विस्तार किया जाए। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सड़कों के विस्तार के लिए गौरव पथ बनाये। मिसिंग लिंक दिये। क्षतिग्रस्त सड़कों को आर.यू.आई.डी.पी. मद के द्वारा भी पैसे मिले हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 500 की आबादी तक की सारी सड़कें बन गयीं। आपने सैंक्शन भी जारी कर दी। अब कौनसी मजबूरी है? अब 250 तक की आबादी के गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे तो ग्रामीण विकास भी हो जाएगा और सड़कों का विस्तार भी हो जाएगा।

सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष सभी जगह से बात आ रही है कि विधायकों की 10-10 किलोमीटर सड़कें मिसिंग लिंक के रूप में लेने की जो पहले से घोषणा चली आ रही है, इस बार ये सड़कें नहीं दी गयीं हैं।

सभापति महोदय, सचिन जी बैठे हुए हैं। आप उप मुख्य मंत्री भी हैं। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की तो 19 सड़कों का नाम बजट में गिनाया। मैंने सोचा कि नई सड़कें दिखती हैं। जब यह बजट हाथ में आया तो पता चला कि जो सड़कें दी हैं, उन सड़कों का तो नवीनीकरण होना है। कोई बड़ा काम नहीं है। उसमें 3-3 करोड़ रुपये तक की सड़कें सैंक्शन कर दीं। मैं तो यह चाहता था कि आज हमारे सचिन जी, उप मुख्य मंत्री जब घोषणा करते, इन सड़कों का नाम आप पढ़ते तो अच्छा लगता। आपकी जगह पर मुख्य मंत्रीजी ने यह प्रभार ले लिया, मेरी समझ से बाहर हो गया। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं। (व्यवधान) हां, मुख्य मंत्री बनाओ तो और अच्छा है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। एक बार सब टेबल बजाकर इस बात का समर्थन करें। (व्यवधान) आपके उधर से कोई नहीं बजा रहा है, हम सब साथ हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ये सब आपके विरोधी हैं, हम सब आपके साथ हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो सड़कें हैं, जो स्वीकृत हमने की थीं, जो गौरव पथ हमने स्वीकृत किये थे, मिसिंग लिंक की सड़कें स्वीकृत की थीं, आर.एन.डी.एफ. के अन्दर जो सड़कें

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

स्वीकृत की थीं, सैंक्शन जारी की थी, हो सकता है कि आपके पास बजट की कमी हो, लेकिन राजस्थान सरकार के पास, वैसे हम कहें भले ही, लेकिन बजट की कमी होती नहीं है। हम भी सरकार में रहे हैं तीन-तीन बार, आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। मेरा इतना निवेदन है कि जो सड़कें आपने बंद करा दीं, उन सब सड़कों को आप वापस चालू कराएं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कपासन से सांवलियाजी जाने वाली सड़क का काम चल रहा था। सरकार बदलने के बाद उस सड़क का काम बंद हो गया। जो भी व्यक्ति सड़क पर जाता है, दर्शनार्थी जाते हैं, तो उनका चेहरा बदल जाता है, पूरे के पूरे भूत हो जाते हैं। मैंने कहा कि यह क्या हुआ, अब वे मुझे गालियां बकते हैं। मैंने कहा कि मैं सचिनजी से आग्रह कर चुका हूं, लेकिन गहलोत साहब पैसा नहीं दे रहे हैं, तो सचिनजी भी क्या करें, स्थिति यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य उस सड़क से निकले होंगे और इन पर वह धूल, किस प्रकार के लगे होंगे, आप यह कल्पना कर सकते हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी उदयपुर आये थे तो उन्होंने वहां पर फोर लेन बनाने की घोषणा की थी। वह पूरी सड़क है कारोई से लगाकर राशमी तक, कपासन और बादसोडा तक फोर लेन सड़क की घोषणा की थी। आपसे आग्रह है कि इसका प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा काम हो जायेगा। हमारी एक सड़क चित्तौड़-कपासन-फतेहनगर-डबोक है। यह फोर लेन बनी थी। आपके कार्यकाल में बनी थी। बहुत अच्छी बात है, पर उसकी गुणवत्ता बड़ी खराब थी। 10 साल हो गये हैं और पूरे खड्डे पड़ गये हैं, नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। उस पर टोल लिया जा रहा है। टोल पहले दो जगह लगता था, आज पांच जगह टोल लगता है। मेरा आग्रह है कि ऐसी टूटी-फूटी सड़कों पर टोल बंद कर दें। उसकी जगह पर आप अच्छी सड़क बनाकर टोल लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव की तीन बड़ी सड़कें हैं, भोपाल सागर से आकोला, राश्मी से कपासन, भोपाल सागर से रोलिया, इन सड़कों का नवीनीकरण हो जाये। एक बड़ी सड़क है, हमीरगढ़ मरमी माताजी, भीमगढ़,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सिंहपुर, छापरी, रेवलिया, सूरपुर, लेसवा, भादसोडा, सांवलियाजी तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण हो जायेगा, चौड़ाईकरण हो जायगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम सांवलियाजी जाते हैं तो एक बहुत बड़ा संगम आता है, नदी है। बनास नदी मेरे क्षेत्र में बहती है। बनास नदी के दोनों तरफ जो सड़कें हैं, बजरी खोदकर वहां से ले जाते हैं और साठ-साठ टन के डम्पर निकलते हैं। सड़कें हम बनाते हैं, वे भी टूट जाती हैं। मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान देकर अच्छी गुणवत्ता वाली सी.सी. सड़क बनाकर एक सौगात देने का काम करेंगे। बनास नदी पर सांखली में एक बहुत बड़ी पुलिया की जरूरत है, जो बरसात के दिनों में पानी आने से रुक जाती है। मातृकुंडिया के नीचे परशुरामजी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पर भी एक डैम के नीचे पुलिया की जरूरत है। सूरपुर संगम पुलिया की बहुत जरूरत है। डीएम.एफ.टी. में जितनी भी सड़कें हमने स्वीकृत की थीं, उन सब सड़कों को आपने बंद कर दिया। अब मेरा आग्रह है कि डी.एम.एफ.टी. ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में, उदयपुर में, राजसमन्द में और पूरे राजस्थान के लिए, जब पर्यावरण के लिए कुछ करने के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, जब पैसा है तो उसको रोको मत, केन्द्र सरकार द्वारा जो गाइड लाइन बनी हुई है, पहले जिला प्रमुख उसका चेयरमैन था, फिर कलेक्टर उसका चेयरमैन बना, फिर प्रभारी मंत्री को बनाया, किसी को भी बनाओ, लेकिन वे पैसे जारी कर काम शुरू करें तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, पांच मिनट हो गये, मैं पांच मिनट ही बोला हूं। आपसे आग्रह है कि पूरे दस मिनट देने की कृपा करें। आप मेरे पर वैसे ही दयालु हैं, मेरे से पहले ही आपने चार-चार लोगों को बुला लिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पंचायतें बनायीं, हम उसका स्वागत करते हैं। 57 पंचायत समितियां बनायीं, 1456 ग्राम पंचायतें बनायीं, लेकिन इस बजट में मैंने देखा कि ग्रामीण विकास के नाम पर कितना बजट है, यह पूरी जानकारी नहीं है, अभी आप मांग पास करायेंगे तब पता चलेगा। मेरा आग्रह है कि इन भवनों को बनाने के लिए आपने अभी तक कोई भी बजट की पूरी व्यवस्था नहीं की है, इसकी व्यवस्था करेंगे तो अच्छा रहेगा। मनरेगा जो चल

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रहा है, इसके अन्दर थोड़ी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान के अन्दर हमारे गांवों के अन्दर जो शौचालय बने हुए थे, उन शौचालयों को अभी आपने सर्वे कराने का काम किया है। एन.ओ.एल.पी. अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण और प्रोत्साहन राशि के भुगतान से वंचित परिवारों के चिह्नीकरण हेतु कण्ट्रोल रजिस्टर संधारित कर पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाकर शत-प्रतिशत शौचालय कवरेज करने की आपने जो बात की है, यह सर्वे कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह चाहता हूं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो जाये। हर घर के अन्दर शौचालय बने और हर व्यक्ति को लाभ मिले। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार रही तो भी काफी विकास कार्य हुए, आपकी सरकार रही तब भी विकास कार्य हुए, प्रत्येक गांव में गौरव पथ बनाने का काम, नाली बनाने का काम, गांव में सड़क पहुंचाने का काम, प्रधानमंत्री सड़क बनाने का काम, विद्यालय खोलने का काम, स्वास्थ्य की दृष्टि से भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड हमने बनाकर दिया, आपने निःशुल्क दवा योजना चालू की, जो भी सरकार रही है, गांव के गरीब को अच्छा काम करने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास करना है तो हमको चाहिये, गांव के व्यक्ति को क्या चाहिये, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री लाखन सिंह।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और बोलूंगा। आपके मोबाइल तो अब आया है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री लाखन सिंह।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये, सहयोग करें। श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा करौली विधान सभा क्षेत्र उबड़-खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, नदी नाले हैं। सबसे पहले सरकार और आपको

(श्री लाखन सिंह)

धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे यहां एक जगर पंचायत थी। उस जगर पंचायत से दो पंचायतें बनायीं। एक गांव था जो जगर पर जाता था। एक बार नहर में जा रहे थे, वहां 16 आदमी डूबकर मर गये तो उसको पंचायत बनाने पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोटवास को पंचायत बनाया। मेरे यहां खीप का पुरा, लेदोर आदि कई पंचायतें बनायीं, पंचायत समितियां भी बनायीं, महावीरजी और मासलपुर, सभी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं कि विकास पथ सरकार बना रही है, साथ में नाली भी बना रही है, अच्छा काम है। पहले गौरव पथ बन रहा था, नाली नहीं थी, नाली नहीं होने से पानी भर जाता और वह टूट जाता था। नाली बनाने का काम साथ हो रहा है तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली की मांगों के बारे में बताना चाहता हूं। वहां माण्डाई से तिलपुरा, पालमपुर तक जाने वाली सड़क बनवाने की मांग क्षेत्र की जनता लम्बे समय से कर रही है। इस सड़क मार्ग में पड़ने वाले करीब पच्चीस-तीस गांवों के लोगों को आने-जाने में करौली जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क हो सकता है, जबकि अब करौली जिला मुख्यालय पर आने में करीब चालीस किलोमीटर का फेरा लगता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र की इस विकट समस्या का निराकरण कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक विकट समस्या है कि नवीन अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क शिकारगंज से लेकर अस्पताल तक पूर्णत: जर्जर अवस्था में है। ऐसी स्थिति में अस्पताल में प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए इस सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जो सड़क जाती है, उसमें बहुत बड़े-बड़े खड्डे हैं, न उसमें आटो से जा सकते हैं, पैदल तो निकल ही नहीं सकते, तो यह बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नवीन हास्पिटल भवन बना है, उसको अभी भी उपयोग में नहीं लेने से वह जर्जर हो चुका है। भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी जाये। विधान सभा क्षेत्र करौली में सड़कों की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण के तहत विधान सभा क्षेत्र करौली की लगभग 40 किलोमीटर लम्बी

(श्री लाखन सिंह)

सड़कों के उन्नयन हेतु स्वीकृति जारी की जाये। शहर करौली में भी घनी आबादी में होते हुए कलेक्ट्रेट, स्कूल कालेज, स्टेडियम के सामने से एन.एच. 11 भी गुजरता है। इस हाईवे से भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे आये दिन दुर्घटना घटित होने की आशंका रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि करौली शहर में बाईपास का निर्माण कार्य कराया जाए। मासलपुर से जगनेर एवं मासलपुर से तेली की पैसेरी, हिण्डौन सिटी फैलीपुरा से कोटरी तक जाने वाली सड़कों का चौड़ाईकरण करते हुए निर्माण कार्य करवाया जाए। गदका की चौकी से परीता-वजीरपुर तक जाने वाली सड़क बहुत ही जर्जर है। उसमें बहुत खड्डे हैं। वह क्षतिग्रस्त है। इस सड़क का भी निर्माण कराया जाए। ग्राम डूडापुरा से बैंटेड पुलिया बनवाते हुए मिसिंग लिंक रोड से जोड़ा जाए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री लाखन सिंह (करौली): अंजनी माता के पास छोटे पांचना पर पुल की चौड़ाई कर पुल का निर्माण कराना अत्यावश्यक है क्योंकि आये दिन उक्त पुल पर जाम की स्थिति रहती है। करौली से पहले जो पुल है पांचना का, पांचना में पानी रहता है, बहुत संकरा है। दूसरा, बांध के बचने में भी बड़ी दिक्कत होती है। आज जिस तरह से घटना घटी है बूंदी में, ऐसी घटना घट सकती है, क्योंकि वह संकरा पुल है, वहां एक्सीडेंट का डर है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उस पुल की डबल चौड़ाई की जाए, जिससे कोई अंदेशा न हो। मैंने जो भी मांगें रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें पूरा करेंगे। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगों पर, विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी जनता की इन समस्याओं का निराकरण कर मुझे व मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता को कृतार्थ करें।

मैं सबसे पहले लोक निर्माण पर बात करना चाहूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, मेरे यहां पर पिछले बजट में नव सृजित उप खण्ड

(श्री सुरेश टाक)

कार्यालय दिया गया था। मैं निवेदन करूंगा, एक साल हो गया है, अगर उसके भवन निर्माण की स्वीकृति आप जारी कर देंगे तो अधिकारी वहां बैठेंगे। अभी तक अधिकारी वहां नहीं लगा, न ही कोई स्टाफ लगा है। इस उप खण्ड कार्यालय का फायदा जनता को मिले। इसके साथ ही एक बार फिर निवेदन करूंगा, मेरे किशनगढ़ में एक डाक बंगला बना हुआ है और बहुत बड़ी जमीन पर बना हुआ है, पर वह बहुत पुराना और जीर्ण-शीर्ण हो गया है। मेरा मन है, आपके इस कार्यकाल में वह डाक बंगला एक नयी स्थिति में आये, उसका जीर्णोद्धार हो और वहां पर अधिकारी बैठें।

डाक बंगला बनने से बहुत सारा फायदा विधान सभा क्षेत्र को होता है। अधिकारियों को रहने की जगह मिलती है। अगर डाक बंगला अच्छा हो तो अधिकारी वहां रुककर जनता की समस्याओं का समाधान करने में शायद ज्यादा तत्पर रहेंगे। लोक निर्माण को लेकर मेरी ये दो मांगें हैं। आपने पहले भी मेरे निवेदन पर किशनगढ़ की जनता को और मुझे कृतार्थ किया था। वहां के डाक बंगले में आपने एक पानी की टंकी बनवायी थी।

अब भी मैं कहूंगा, वह जगह शहर के हार्ट में है। वहां अगर आगे की जगह पार्किंग के लिए दे दी जाए तो शायद मेरे शहर के यातायात की समस्या समाप्त हो जाएगी। उसका चाहे लीज अमाउण्ट तय कर लें नगर परिषद् से, चाहे और कुछ भी कर लें, पर ऐसी सुविधा अगर मिल जाए तो उस जगह का उपयोग हो जाएगा।

अब मैं सड़क और पुल पर बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अभी दस दिन पहले मेरे शहर की स्थिति बताने के लिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि नियम 295 भी मेरा लगा था और मैंने आपसे शहर की सड़क के लिए कहा था। वह मेरे शहर की लाइफ लाइन है। किशनगढ़ विश्व की सबसे बड़ी मार्बल की मण्डी है। वहां दो टेक्सटाइल पार्क हैं। पूरा भारत तो वहां आता ही है, विदेश के लोग भी वहां आते हैं। अगर वहां की सड़क की स्थिति देखें तो इतनी बुरी हालत है कि लोग मास्क लगाकर चलते हैं, दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर परदे लगा रखे हैं। यह मेन सड़क है। यह मुख्य बाजार है। शहर की पूरी जनता उस रोड से निकलती है।

पूरे किशनगढ़ की जनता की तरफ से मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है

(श्री सुरेश टाक)

कि इस रोड को आप सी.सी. रोड बनाएं। वैसे 10 किलोमीटर रोड मांगी थी मैंने, पर आपने मुझे 6 किलोमीटर के लिए कहा था कि इसे 6 किलोमीटर बना दें। मेरा आपसे आज निवेदन है कि जब आप जवाब दें तो किशनगढ़ का नाम लेकर एक घोषणा कर दें ताकि मैं और मेरा किशनगढ़ खुश हो जाए इस बात से कि माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे किशनगढ़ पर विशेष कृपा कर दी। सर, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने इस सड़क की घोषणा की है, छह किलोमीटर की हमारी सी.सी. सड़क बन जाए।

मेरा एक निवेदन और है। सभी लोग यही बता रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगा, जो पहले की स्वीकृत रोड्स हैं, उन्हें चालू करवा दें। मेरी एक रोड तो 14 किलोमीटर स्वीकृत थी, जो 6 किलोमीटर तक बन गयी और 8 किलोमीटर की रुकी हुई है। किशनगढ़ से कटसुरा तक की रोड बची हुई है। कटसुरा से अंराई आपने बना दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब एक बोराडा से मनोहरपुरा, जो आपके पास आयी हुई है, स्वीकृत रोड है, पर वह 'work not started' में है। मेरा निवेदन है, इस रोड की वजह से राजस्थान रोडवेज ने बस बंद कर दी। डबरेला, बोराडा और मनोहरपुरा जो बस चलती है, वह बस भी बंद कर दी, क्योंकि रोड इतना टूटा हुआ है कि बस भी चलने में सक्षम नहीं है। मैं आपसे यह चाहूंगा कि जो हमारी रुकी हुई रोड्स हैं, जो स्टोप्ड वर्क हैं, उसे चालू करवा दें।

इसके साथ ही मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे रोड बना हुआ है, जो रिडकोर कम्पनी ने बनाया है और रोड लगातार मार्बल एरिया से निकल रहा है, पर वह टूटा हुआ है। बारिश के दिनों की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पांच-पांच दिनों तक जाम रहता है, गाड़ियां फंसती हैं, स्कूटर-मोटर साइकिल फंसते हैं। वहां पर बहुत बार कैजुअल्टीज भी हो गयीं। मेरा निवेदन है कि आप उस रिडकोर कम्पनी को पाबंद करें कि वहां के पानी का डिस्पोजल प्रोपर तरीके से करे ताकि वहां पानी नहीं भरे। पानी भरने से वहां जाम की स्थिति बनती है और पूरा मेगा हाईवे जाम हो जाता है।

रूपनगढ़ रोड, जो हनुमानगढ़ मेगा हाईवे है, वह कई बार पांच-पांच दिन तक बंद रहा है। आप इस पर ध्यान दें। मेरे ग्रामीण क्षेत्र की कुछ अत्यावश्यक क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, छोटी-छोटी सड़कें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन्हें शामिल करके इस बजट सत्र में इनके निर्माण की

(श्री सुरेश टाक)

स्वीकृति जारी कराएं। बांदरसिंदरी से मुन्डोती, भामोलाव से डांग मोड़ प्याऊ, दादिया से खेड़ा गोपालपुरा, कुचील से घासी बाबा की ढाणी, नयागांव वाया सरगांव होते हुए रामपुरा की ढाणी और नये डंपिंग यार्ड से टुकड़ा गांव, ये बहुत छोटी-छोटी दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की सड़के हैं, सर, कृपया ये हमें दे दें।

आर.आई.डी.एफ. में दो-तीन सड़कें हैं, दादिया से मण्डावरिया, भोगदीत से गोगुंदा, हरमाड़ा से छोटा नरेना, रूपनगढ़ से त्योंदा, ये भी बहुत छोटी-छोटी सड़कें हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी करें। एक मेरा निवेदन पुल के लिए है। मेरे शहर में एक पुराना रेलवे स्टेशन बना हुआ था। आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने तो वहां से लोक सभा का चुनाव भी लड़ा है और किशनगढ़ से पूरी तरह वाकिफ हैं। पुराना रेलवे स्टेशन था, उसे तोड़ दिया गया। नया रेलवे स्टेशन बनाया गया। जो पुराना रेलवे स्टेशन था, उस पर एक फुट ओवरब्रिज था, जिसे हटा दिया गया। अब हमारी 35 परसेंट जनसंख्या रेलवे लाइन के उस तरफ रहती है।

अब वह dedicated freight corridor बन गया, बाउण्ड्री बन गयी है। कोई आने-जाने का साधन नहीं बचा। लोग छोटी-मोटी जगह से निकलते हैं। एक साल में कम से कम बारह कैजुअल्टीज हो गयी हैं वहां, रेलवे लाइन पार करते हुए, पटरी क्रास करते हुए। इलेक्ट्रिक ट्रेन अब वहां चलने लग जाएगी, लाइन डल चुकी है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं आर.यू.बी. की मांग करता हूं। आर.यू.बी. की सारी फार्मेलिटीज कमप्लीट हैं, सर। तीन करोड़ रुपये सरकार को रेलवे को देना है और वह आर.यू.बी. कमप्लीट हो जाएगी। मैं यह चाहूंगा कि आज आप हमें यह सौगात दें।

मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास पर मेरा आपसे निवेदन है कि श्मशान की चारदीवारी और स्कूल के खेल मैदान की चारदीवारी इसमें अनुमत नहीं हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है। ये अगर अनुमत हो जाती हैं तो इन पर अतिक्रमण होना रुक जाएगा। आज की स्थिति में श्मशान की जमीनों और खेल मैदानों की जमीनों पर 90 परसेंट अतिक्रमण है। हमारे बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं और अंतिम समय में लोगों को वहां ले जा रहे हैं तो वहां जगह नहीं मिल रही है। अपने खेतों में वे दाह-संस्कार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि

(श्री सुरेश टाक)
आप इन्हें नरेगा में अनुमत करें, ताकि इनकी बाउण्ड्री बन जाए और लोगों को अतिक्रमण से मुक्ति मिले व हमारे बच्चे खेल-कूद में अपना भविष्य निखार सकें।

मेरा एक और निवेदन है। पिछली बार भी मैंने कहा था, पंचायती राज में स्वच्छता को अनुमत नहीं कर रखा है। पहले 2016 में था, पर उसे बंद कर दिया गया। 2018 के एक परिपत्र के साथ बंद कर दिया गया। मैं चाहूंगा, जब हम शहरों को स्वच्छ रख सकते हैं तो गांवों को क्यों नहीं रख सकते। आप बहुत जुझारू हैं ऊर्जावान हैं और आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। सफाई बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में हो, चाहे और किसी भी अभियान में हो, गांवो में सफाई अभियान जरूर चले। कचरा संग्रहण के लिए भी कोई योजना बने और सफाई के लिए चाहे नरेगा से दो-तीन श्रमिक अनुमत करें, पर यह जरूरी है।

वहां पर सीमेंट के ब्लाक रोड बन जाते हैं, लेकिन सफाई नहीं होने पर पांच साल के बाद आने वाले सरपंच को वही टास्क मिलता है और वह उसी टास्क पर काम करता है कि उसको नयी रोड बनानी है। मेरा निवेदन है कि आप इन पर भी विशेष ध्यान दें। मैंने पहले भी एक बार स्मार्ट विलेज के लिए बोला था। मेरी अवधारणा है, मैं चाहता हूं, आप नयी सोच वाले हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

(19.00 बजे)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट में खतम कर दूंगा।

मैं नई बात बोल रहा हूं। नई सोच वाले हैं, मैं स्मार्ट विलेज की तरफ वापस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चार साल हमारे पास बचे हैं। इनमें अगर एक-एक विधायक दो-दो गांव गोद ले ले और आपकी तरफ से स्मार्ट विलेज का फण्ड तय कर दें तो 400 गांव एक साल में करते हैं तो 1600 गांव चार साल में स्मार्ट विलेज हो जाएंगे। इनमें बहुत छोटे-छोटे काम करने हैं, हमें कोई ज्यादा काम नहीं करने हैं। वहां की सड़क सी.सी. बन जाए, स्ट्रीट लाइट हो जाए, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो जाए, एक अच्छा सा सरकारी स्कूल बन जाए, स्वास्थ्य केन्द्र हो जाए, सामुदायिक भवन बन जाए, एक चौपाल और गांव में एक गार्डन, छोटा सा बग़ीचा बन जाए तो मैं सोचता हूं कि इतने में हम स्मार्ट विलेज की श्रेणी में आ जाएंगे। मेरी इच्छा है कि आपके इस कार्यकाल में हो और आप ऐसा नवाचार करके कहीं न कहीं

(श्री सुरेश टाक)

राजस्थान को एक नई सौगात दें तथा उन गावों में रहने वाले लोगों को भी एक अच्छा जीवन मिले, ऐसी परिकल्पना को आप साकार करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, एक चीज बोलकर खतम कर रहा हूं एक मिनट के अन्दर।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि पंचायती राज में जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का रोल केवल जिला प्रमुख बनाना और प्रधान बनाने तक सीमित है। मैं चाहूंगा कि उनको अधिकार मिले। उनकी भी विकास के कामों में भागीदारी हो और पंचायत समिति और जिला परिषद् में उनके प्रस्तावों को लिया जाए। उनके गांवों के विकास के, डवलपमेंट के जो भी वे काम दें, उनको देना जरूरी हो। ऐसा आप पंचायत समिति और जिला परिषदों को आदेश दें कि जो जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्य अपनी पंचायतों के विकास के लिए जो भी काम मांगते हैं, उनको प्राथमिकता के साथ विकास में उनकी भागीदारी तय करें और उनका अधिकार बनाएं। अभी तक तो स्थिति यह है कि वे प्रधान और प्रमुख बनाने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का नाम लेकर आप मुझे कृतार्थ करेंगे। जय हिन्द, जय भारत।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय को कह दो कि आपकी ससुराल का भी ध्यान रखें।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं शोर्टकट में मेरी बातें बताना चाहता हूं। एम.एल.ए. को जो 10 किलोमीटर मिसिंग लिंक दी जाती थीं, मंत्री महोदय, वे वापस आप दिलवाने की कोशिश करें, चालू करवाएं। माननीय सभापति महोदय, गौरव पथ के जो कार्य, जिनका नाम आपने चेंज कर दिया, विकास पथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनके टेंडर हो गये, वर्क आर्डर हो गये, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में घोसुण्डा, सेड़वा आदि चार-पांच पंचायतों में जो बाकी हैं उनको आप करवाएं।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा जी ने टोल माफ किया था, उसको आपने वापस चालू किया है। जनता के हित को देखते हुए उस टोल को वापस माफ करवाएं। भा.ज.पा. कार्यकाल में जो सड़कें पास हुई हैं, टेंडर हुए हैं, वर्क आर्डर हुए हैं उनके काम आपने रोक दिये हैं और जो काम पूरे हो गये हैं उनके ठेकेदारों को पैसे नहीं दिये हैं तथा जो काम बन्द हैं, उन सड़कों का काम वापस चालू करवाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोड है जिसको मैंने बार-बार उठाया भी है, पहले भी मैंने बात की थी, भदेसर चौराहा, नाहरगढ़, सावा, शम्भूपुरा, घठियावली से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली है जिसका टेंडर भी हो चुका है, वर्क आर्डर भी हो चुका है, पहली किश्त भी आ चुकी है, पर वह रोड आज बन्द है और लोग उसके कारण से काफी दु:खी हैं। इसलिए उस रोड के लिए मैं सोचता हूं कि उप मुख्य मंत्री जी उसको वापस चालू करने की घोषणा भी करेंगे और वापस चालू भी कराएंगे। एक जो भदेसर से लसावन रोड है, उसका काम 80 परसेंट पूरा हो गया है, गिट्टी भी डाल रखी है, गिट्टी डालने के कारण काफी डस्ट उड़ रही है, काफी लोग परेशान हैं। उसके कारण अफीम की खेती में भी काफी नुकसान हो रहा है इसलिए उस रोड का काम आप वापस चालू करवाएं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वसुन्धरा जी और युनूस खान जी ने 71 महत्वपूर्ण सड़कें दी थीं जिनका वर्क आर्डर हुआ है, टेंडर हो चुके हैं, पर वे काम बन्द हैं, उनको भी आप चालू करवाएं। जो महत्वपूर्ण रोड हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि रास्या मंगरी से कर्मा खेड़ा, फूसरिया से धरोल, विजयपुर से ग्वालियर, राजमार्ग संख्या 76 से सुवावा, पालका से जयसिंहपुरा, घोसूंडी पाल से पालेर, घटियावली से गडवाड़ा, चंदेरिया से चोगावड़ी, नगरी चौराहा से अभयपुरा, पालछा से अमरपुरा, निंबाहेड़ा केली कनेरा, ये काम भी आप चालू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, पंचायती राज के बारे में बताना चाहता हूं कि आपने पंचायती राज में प्रशासक लगाये हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वापस टाइम पर चुनाव भी करवाएं। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपने कहा था कि अप्रैल में इन चुनावों को मैं करवाऊंगा तो उन चुनावों को भी आप करवाएं। पंचायत समिति और जिला परिषद् में लोकतंत्र को खतरा है, ऐसा मैं मान सकता हूं और ऐसा 30 साल में पहली बार हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, शेखावत साहब ने पंचायती राज में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिला का जो आरक्षण लागू किया था, उस आरक्षण में वास्तव में आज भैरोंसिंह जी शेखावत की याद आती है कि एस.सी., एस.टी. वर्ग को काफी फायदा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मगरा विकास योजना एक साल से बन्द पड़ी है, उसको भी आप वापस चालू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा में जो निजी लाभ बन्द कर दिया है, उसको आप चालू करवाएं। नरेगा के थ्रू श्मशान घाट के काम, आंगनबाड़ी के काम, खेल मैदान के काम होते हैं, पर वे काम आज बन्द पड़े हैं, उनको भी आप वापस चालू करवाएं। माननीय सभापति महोदय, गुरु गोलवलकर योजना का पैसा नहीं आ रहा है, जन सहभागिता का, श्मशान घाट के लिए भी हमारे वहां के लोगों ने इकट्ठे करके दो-तीन साल से जमा करवा रखे हैं और सामुदायिक भवन के लिए 30 परसेंट पैसे जमा करा रखे हैं, करोड़ रुपये लोगों ने, किसानों ने जमा करा रखे हैं उसमें वह जन सहभागिता का पैसा आप दिलवाएं। माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के जो टेंडर हो रखे हैं, पहले ग्राम पंचायत के थ्रू होते थे, अब वे ब्लाक स्तर पर हो रहे हैं। इसलिए उनको भी आप वापस पंचायत के थ्रू करवाएं, क्योंकि आज सरपंच काफी परेशान होता है, कोई मैटेरियल सप्लाई नहीं करते हैं और सप्लाई नहीं करने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए भी आप सोचें।

माननीय सभापति महोदय, जो सचिव है, जिसको ग्राम विकास अधिकारी का नाम दिया गया है, उसकी काफी शार्टेज है। एक-एक सचिव के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं और काम नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से पंचायतों में काफी दिक्कत आ रही है। मैं सोच सकता हूं कि ग्राम विकास अधिकारी की नई भर्ती कर उनकी भी आप पूर्ति करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि पंचायत सहायकों को हम परमानेंट करेंगे। वे पंचायत सहायक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उनका अल्प वेतन है, इसलिए उनको भी आप वापस लगवाएं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में बी.डी.ओ. की पोस्टें पिछले डेढ़ साल से खाली हैं, वे भी आप भरवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण डी.एम.एफ.टी. फण्ड की जो

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

योजना थी, उससे काफी काम हुए हैं। पहले इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता था, अब कलेक्टर साहब को बना दिया, वह भी अच्छा नहीं है। आपने लोकतंत्र की हत्या की है। इसलिए आप डी.एम.एफ.टी. फण्ड का अध्यक्ष, जो भी जिला प्रमुख बने उसको बनाएं। डी.एम.एफ.टी. फण्ड के काफी वर्क आर्डर हो चुके हैं, काम हो चुके हैं, उन कामों को आपने कैंसिल कर दिया है तो उन काम को भी आप वापस चालू करवाने की गुंजाइश रखें। माननीय सभापति महोदय, डी.एम.एफ.टी. फण्ड का कार्य हो गया, यू.सी., सी.सी. कमप्लीट हो गयी हैं, पर पिछले एक साल से वे काम पूरे होने के बाद भी उन ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हुए हैं।

हमारे वहां चित्तौड़गढ़ जिले में करोड़ रुपये अटके हुए हैं। अब नये काम आपके हिसाब से सैंक्शन करवायें, पर वह पैसा आप उनको नहीं दे पाये, इसलिए उसको भी आप दिखवाकर उस पैसे को दिलवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने पंचायती राज में जो शिक्षा को खतम किया है, वह भी आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि जब अंगूठा छाप सरपंच या प्रधान कोई बनता है तो उसको काफी दिक्कतें आती हैं। एम.एल.ए. और एम.पी. तो चैक पर कोई साइन नहीं करते हैं, पर सरपंच और प्रधान चैक पर साइन करते हैं, जो अपने लिए अच्छा नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में, तीन संतान का एम.एल.ए. और एम.पी. के लिए तो राइडर नहीं है, पर पंचायती राज में जो राइडर है, उसको खतम करने के लिए कहा था, तो उसको दिखवा कर उसको भी आप चालू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज चुनाव को देखते हुए और पिछले एक साल से जो सड़कों के काम बन्द पड़े हैं, उनसे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। काफी पैसा भी आया है, किश्त भी आयी है, सब कुछ आया है, पर डेढ़ साल से पूरे राजस्थान की सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं उसमें सोच सकता हूं कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी की कमी नहीं है, उनको डाउन करने के लिए मुख्य मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): आप उनको पैसा दिलवाएं, क्योंकि पायलट साहब अच्छे आदमी हैं। उनको नहीं दिलवा पाए तो वह भी

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)
आप देखें, आप कोशिश करें, माननीय पायलट साहब, हम आप लोगों के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है...

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): आप बजट पारित करवाएं और जल्दी से जल्दी हमारे जो रोड अधूरे पड़े हैं, उन रोड्स को आप चालू करवाएं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19, 21 और 28, सड़क और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई हैं और काफी माननीय सदस्यों ने भावना प्रकट की। आज मैं देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी नेहरू को याद करते हुए क्योंकि राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि पंचायती राज की स्थापना देश में राजस्थान के नागौर से की गयी। इससे बड़ी गर्व की बात हो ही नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, गांव का विकास, देश का विकास है। क्योंकि, ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है और गांव का विकास होने से शहरों के प्रति झुकाव कम होगा, क्योंकि निरंतर शहरों के प्रति दबाव ज्यादा बन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मजबूती से फैसला लेते हुए, नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का गठन करके एक मजबूत फैसला लिया है। कई कठिनाइयों और कई दबावों के बावजूद आपने क्रांतिकारी फैसला लिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कई बातें विकास की कही गयीं। अगर हम यह कहें कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है तो यह देश का अपमान है। यह लोकतंत्र का अपमान है। 70 साल में, पहले की तुलना में और आज की तुलना में, आबादी जरूर बढ़ती है, विकास की डिमांड कभी कम नहीं होती है, निरंतर मांग आती है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन अगर यह कहें कि कुछ नहीं हुआ है, यह एक मजाक है। देश की आजादी के बाद जो विकास गांवों में हुआ है और भी जो जरूरत है, एक सही प्लान बनाकर हम प्रयास करें।

विकास के अलावा, आज नरेगा के सम्बन्ध में सुझाव आ रहे थे। माननीय सभापति महोदय, नरेगा का विरोध करने वाले, देश के प्रधान मंत्री जी ने, नरेगा के बारे में जो वक्तव्य दिया। आज वे मन से नहीं चाहते हैं कि नरेगा का काम जारी रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, माननीया सोनिया

(श्री मदन प्रजापत)

गांधी जी ने यह क्रांतिकारी फैसला लेते हुए, मजदूरी का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, कई क्रांतिकारी फैसले, बड़ी मजबूती से लिए। आपके नहीं चाहते हुए भी आज नरेगा चालू है लेकिन, मजबूरी में है, मन से नहीं। हम साथ हैं, इस मजदूर के हित के कानून को और मजबूती दी जाए। बड़े-बड़े सुझाव दे रहे थे और मैं सुन रहा था, नरेगा का विरोध करने वाले, आज नरेगा के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आज माननीय उप मुख्य मंत्री जी मेरा सुझाव है कि नरेगा को खेती से जोड़ा जाए। क्योंकि, खेत का काम भी होगा और उनको मजदूरी भी मिलेगी, ऐसे काफी सुझाव आए। इस बारे में मंथन करें, आज की जरूरत है।

पहले पंचायत में सरपंच खुद काम करवाते थे। टेंडर की वजह से, जो मजबूत सरपंच हैं, उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन, जो कमजोर लोग हैं, भले लोग हैं, इसमें दबंग लोग ठेका लेकर मनमाने तरीके से सरपंच के ऊपर भी सरपंच बन जाते हैं। इस बारे में भी देखने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधुनिक सुविधायुक्त लाइब्रेरी की स्थापना की जाए ताकि गांवों के बच्चे भी अध्ययन कर सकें और कम्पीटिशन में जब भाग लेते हैं तो उन्हें मजबूती मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की जो मांग है, कूडी से निवाई 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जाए और मोरदा से विरधाणियों की ढाणी वाया खोखरी तक सड़क निर्माण करवाया जाए। माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आज रिफाइनरी भी है। इनको तो जनता माफ नहीं करेगी। इन्होंने 7 साल तक रिफाइनरी को रोककर रखा और समीक्षा के नाम पर आज रिफाइनरी का निर्माण जारी है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बालोतरा बड़ा है इसलिए बालोतरा में सर्किट हाउस का निर्माण अति जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि रिफाइनरी के कारण आने वाले समय में, भविष्य में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। आपने पंचायतों का गठन किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पुरानी मांग भी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। एक बात पर दुख होता है, ये बार-बार नेहरू जी के नाम को, इनका नाम बदलना, महापुरुषों को बांटना, इनकी फितरत में है। सात जन्म लेने के बाद भी नेहरू जी का नाम

(श्री मदन प्रजापत)

हिन्दुस्तान से नहीं मिट सकता, रग-रग में नेहरू जी का नाम है। चाहे राजीव गांधी भवन का जिक्र हुआ, बार-बार इस तरह की हरकतें, ये शुरू से करें। नेहरू जी को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, नेहरू जी का नाम नहीं मिट सकता। आज रिफाइनरी को बेवजह रोककर इन्होंने क्षेत्र के विकास को अवरूद्ध किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज चाहे किसानों के हित के फैसले हों, चाहे ग्रामीण विकास के हों, जो भी हुए हैं वे कांग्रेस की सरकार में हुए। आज जन कल्याणकारी नीतियां और बजरी, ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये सड़क निर्माण और ग्रामीण विकास, आज अवैध बजरी से लागत भी बढ़ती है और विकास भी अवरूद्ध हुआ है। इस बारे में सख्त निर्णय लेना जरूरी है क्योंकि बजरी के कारण सारा विकास अवरूद्ध हो रहा है। चाहे पंचायत का विकास हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. का सड़क निर्माण हो।

इसके अलावा, मेरी दो मांगें रखते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने पीड़ा को समझा। 10-11 हजार लोगों की प्रतिवर्ष दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उस पीड़ा को समझते हुए, इन्होंने नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा, सख्त निर्णय लिया है। जिले में जो प्लान बनाया जा रहा है कि दुर्घटनाएं कैसे कम हों, इसके लिए मैं उप मुख्य मंत्री जी को, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं निवेदन करता हूं कि सिक्स लेन हाईवे जो हमारे बालोतरा से होकर, अभी निर्माण शुरू होने वाला है। अधिकारियों की भूल से डबल क्रोप को सिंगल क्रोप मान लिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इस वजह से उनका मुआवजा कम आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, बिथुजा ग्राम के किसानों के साथ न्याय कैसे हो, मुआवजे के मामले में, सिंगल क्रोप, वह डबल है, इसकी जांच करवाकर उनको जायज मदद दिलायें। एक माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिले का दूसरा बड़ा अस्पताल राजकीय नाहटा अस्पताल है। उसके जस्ट बाजू में पी.डब्ल्यू.डी. के पुराने गोदाम की जमीन है। आज उपयोग में नहीं आ रही है। हम साथ हैं कि उस जमीन को नाहटा हास्पिटल के साथ जोड़ दिया जाए, अस्पताल को दे दी जाए, अस्पताल को जरूरत भी

(श्री मदन प्रजापत)

है। यह आमजन के हित में होगा और इन गोदामों को बाहर शिफ्ट किया जाए। अनुपयोगी भवन व जमीन है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जोराराम कुमावत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, चाहे सड़क विकास के मामले हों, चाहे सर्किट हाउस की बात करते हुए, तीन नम्बर रेलवे क्रोसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज का निर्माण कराना अति आवश्यक है। मिसिंग लिंक की भावना भी सबने प्रकट की।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अंत में उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इनके समय में प्रमोशन देकर, विकास की पहली सीढ़ी जो पी.डब्ल्यू.डी. में कनिष्ठ अभियंता है, जे.ईएन की पोस्टें पूरी खतम हो गयी थीं, लेकिन आपने भर्ती निकालकर नई शुरुआत की है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उप मुख्य मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मरुस्थलीय, रेगिस्तान को सड़क निर्माण में शिथिलता दी जाए, क्योंकि वहां बड़ा भूभाग है। बाड़मेर व जैसलमेर 10 जिलों के बराबर हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए। श्री जोराराम कुमावत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य, सड़कें और पुल, 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय जी, यदि हम राजस्थान के सर्वांगीण विकास की बात करें, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करें तो इसमें बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों की सुविधाएं समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सरकार के पूरे बजट का फोकस इन पांच बिन्दुओं पर होना चाहिए। इन पांच बिन्दुओं पर जो सरकार फोकस करती है तो निश्चित रूप से जनता उनको सिर आंखों पर बैठाती है। आज वाहन बहुत बढ़ गये हैं और हर घर में दो-तीन बाइक हैं, गाड़ियां हैं। सुबह उठते ही व्यक्ति को सड़कों पर जाना पड़ता है। सड़कें जब उबड़-खाबड़ होती हैं, खराब होती हैं तो आदमी का दिन भी अच्छा नहीं

(श्री जोराराम कुमावत)

निकलता है। निश्चित रूप से सड़कों और पुलों के क्षेत्र में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें खराब हैं, वे अच्छी बनें और पुल जहां नहीं हैं वह वहां बनें तो निश्चित रूप से यह जनता के हित में होगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अभी वर्तमान में 15 सड़कें पहले से स्वीकृत हैं। वहां आधे-अधूरे कार्य किए हुए हैं और वे अधूरी पड़ी हुई हैं। मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सड़कों के कार्य जल्दी पूर्ण हों। अभी वर्तमान में लोगों को सड़कों के कारण तकलीफ हो रही है और रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनको जल्दी पूरा करवाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 28 सड़कें ऐसी हैं जो नोन पैचेबल हैं और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उन सड़कों को भी जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है और उन्हें स्वीकृत करने की भी आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें ऐसी हैं, जिनमें गांव को हैड क्वार्टर से जोड़ना, कई तीर्थ स्थानों को सड़कों से जोड़ना, मिसिंग लिंक में सड़कों को जोड़ना, गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ना, ढाणियों को सड़क मार्ग से जोड़ना, गांवों को कृषि मंडियों से जोड़ने वाली भी कई सड़कें हैं। ये सड़कें भी बनाने की आवश्यकता है। कई कच्चे रास्ते हैं, जो गांवों को गांवों से जोड़ते हैं, इन पर ग्रेवल सड़क नरेगा के माध्यम से बनाने की आवश्यकता है।

मैं उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एक विकास पथ की स्वीकृति सांडेराव में दी है। हमारी राय से वह स्वीकृति दी है इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी मोदी जी और केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें स्वीकृत की हैं। उप मुख्य मंत्री जी और इनके सरकारी अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रस्ताव बनाने में हमारी मदद की। मैं इस अवसर पर उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज का काम एक साल से बंद पड़ा है और वहां बजट नहीं आ रहा है। उसे शीघ्र चालू करवाने की व्यवस्था करवाएं। जवाई बांध में ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और फुट ब्रिज का काम भी मंद गति से चल रहा है, निश्चित रूप से धीरे चलने से लोगों को तकलीफ हो रही है। सभापति महोदय जी, सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसे भी जल्दी पूरा कराएं। उप मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुमेरपुर बहुतबड़ी व्यावसायिक मण्डी है और वहां

(श्री जोराराम कुमावत)

पर कई जन प्रतिनिधि भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, पर सुमेरपुर में डाक बंगला नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय जी, कि वहां डाक बंगला बनाने की व्यवस्था सरकार करे तो निश्चित रूप से जनोपयोगी होगा। एक डाक बंगला नेशनल हाईवे पर ढोला गांव में बना हुआ है।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सर, अभी तो चालू ही हुआ है 2 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): ढोला गांव में जर्जर हालत में पड़ा है, उसे भी ठीक कराने की व्यवस्था कराएं। मेरे क्षेत्र में खनन क्षेत्र बहुत ज्यादा है और खनन क्षेत्र में बड़े-बड़े ट्रोलर चलने से सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय जी, कि उन क्षेत्रों में जो सड़कें टूटी हुई हैं जो सड़कें खराब हैं, उन सड़कों को डी.एम.एफ.टी. फंड से स्वीकृत कराने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तखतगढ़ व निम्बेश्वर महादेव के बीच में 15 किलोमीटर क्षेत्र में दो टोल नाके हैं। दो टोल नाके होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों पर ज्यादा भार पड़ता है, तो एक टोल नाका हटाने की व्यवस्था करें।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि टोल नाके के 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं या जो गांव पड़ते हैं, उनके वाहन टोल से मुक्त होने चाहिए, लेकिन इन टोल नाकों पर उनसे भी टोल लिया जाता है, तो मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय जी कि उनके टोल माफ किए जाएं, जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उन गांवों में जितने भी वाहन हैं, उनके टोल माफ किए जाएं।

मैं इस अवसर पर उप मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय जी, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पावा नदी पर पुल बनाने, सिन्दरू बांध के नीचे आम रास्ते पर पुल बनाने, खांगड़ी-बांगड़ी नदी पर पुल बनाने, गुंदोज में आम रास्ते पर दो पुल बनाने, बानियावास से आंकड़ावास, लांबिया रोड पर तीन पुल बनाने की जरूरत है, तो यहां भी बनाने के लिए आदेश करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 2 मिनट, सर।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रोहित बौहरा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं...।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री रोहित बौहरा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 1476 नई पंचायतें और 57 पंचायत समितियों का जो उन्होंने नया तोहफा पंचायत राज को दिया है, उसके लिए हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो मेन चीज जिसके ऊपर में बोलना चाह रहा हूं, जो ये ओ.डी.एफ. हुई हैं पंचायतें, इनमें बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जो ओडी.एफ. नहीं हैं, जहां पर लोगों के लिए शौचालय नहीं बना है, उनके लिए मैं चाह रहा हूं कि आप कृपया अपने बी.डी.ओज. को कहें, जिससे कि जो पंचायतें ओ.डी.एफ. नहीं हुई हैं, उनमें जो शौचालय अभी भी बचे हुए हैं, वे शौचालय बन जाएं और वे ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि आपका पोर्टल, जो सेंट्रल का पोर्टल है, वह आधे टाइम बंद रहता है, उस पोर्टल में लोग-बाग अपने-आपको रजिस्टर्ड नहीं करा पाते हैं और उससे उनको पैसा नहीं मिलता है। दूसरी चीज, हर पंचायत में आपका नरेगा चल रहा है, उसके लिए भी आप काबिले तारीफ हैं, क्योंकि 32 करोड़ मैन डेज इस बार राजस्थान में हुए हैं जो यूपी से भी ज्यादा हैं। मेरे खयाल से इंडिया में नम्बर वन राजस्थान है कि आपके 32 करोड़ मैन डेज हुए हैं। मेरा उसमें सजेशन है कि हर पंचायत में कम से कम दो या तीन व्यक्ति नरेगा में सफाई कर्मचारी लगे रहें, जिससे कि गांव की जो सफाई व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है, उसका काफी ठीक तरीके से काम हो सकेगा, यदि हमारे वहां सफाई कर्मचारी होंगे।

मैं आपका ध्यान धौलपुर की एक बरेठा पंचायत है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे यहां का एक गांव है सेमर का पुरा, जिसके आगे से अभी एक नई रेल लाइन बिछ रही है। उस रेल लाइन के बिछने से गांव में आने-जाने का रास्ता बिलकुल बंद हो चुका है, पुलिया के ऊपर करीब-करीब 7

(श्री रोहित बौहरा)

फीट मिट्टी डल चुकी है। उस गांव की 3,500 की पापुलेशन है। उस गांव के बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, न कोई पापुलेशन उस गांव में से निकल पा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं कि इससे हमें निजात दिलाएं, जिससे कि बच्चे निकल पाएं, क्योंकि यह पूरी जो रेल लाइन है, यह दिल्ली से लेकर मुम्बई तक जाती है। बच्चों का डर है क्योंकि वह रेल लाइन क्रोस करते हैं। इस पर दो हादसे भी हो चुके हैं। जवान आदमियों की मौत हो चुकी है। वे रेल इंजन से कटकर मर चुके हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है और मैं चाहूंगा कि आज जब आप डिमांड पर अपना आंसर देंगे तो बरेठा पंचायत में सेमर के पुरा गांव को आप एक ऐसा तोहफा दे दें जिससे कि वे आदमी उस गांव में से निकल सकें। बच्चों को कोई ऐसा हादसा फेस नहीं करना पड़े, जिससे कि पूरे गांव को दु:ख हो।

एक मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो मेरी रोड है धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा तक, करीब 4 साल पहले बी.जे.पी. के राज में 52 करोड़ रुपये ऐसे शानोशौकत के साथ दिये गये थे कि जैसे वह आज ही बन जाएगी। 4 साल पुरानी वह रोड है, उस पर पैसे नहीं दिये गये, वह रोड आज भी अधूरी डली हुई है, क्योंकि उस पर जितना बजट एलोकेशन स्टेट रोड फंड से किया गया था, उसका बजट एलोकेशन पूरा नहीं दिया गया। आज भी लोगों को, जो 35 किलोमीटर की दूरी है, उसको करीब-करीब एक घंटे में हम लोग तय कर पाते हैं। अभी भी एक साइड का करीब-करीब 15 किलोमीटर का टुकड़ा पूरा टूटा हुआ पड़ा है। आपसे गुजारिश है कि एस.आर.एफ. से उसमें पैसा दिया जाए, जिससे कि हम इस रोड़ को अच्छी तरह से, बजट की वजह से यह रोड जो नहीं बनी है, यह बन जाए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां राजाखेड़ा एक ऐसी कान्स्टिट्यूएंसी है, जो यू.पी. से लगी हुई है। यू.पी. वालों ने हमारे यहां 3 रोडों का जाल बिछा दिया है। दिल्ली से जो लखनऊ एक्सप्रेस-वे बनाया है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे जो बनाया है, उसको उन्होंने राजाखेड़ा तक कनेक्ट कर दिया है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, दो मिनट लूंगा।

तीन नये पुलों का निर्माण यू.पी. सरकार ने यू.पी. बोर्डर तक कर दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तीन रोड्स को हम यू.पी. बार्डर तक ले जाएं। रोड्स बनी हुई हैं उनको सिर्फ चौड़ा करना है और उनकी थोड़ी

(श्री रोहित बौहरा)

मोटाई बढ़ानी है जिससे कि यहां पर ट्रैफिक की सुगम व्यवस्था हो जायेगी। लोगों को आगरा जाने में जो आज की डेट में करीब 45 मिनट लगते हैं, वह सिर्फ 20 मिनट का आगरा का रास्ता रह जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन दो चीजों पर आप ध्यान देंगे। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, मेरे को मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे क्षेत्र की निम्न मांगों के लिए उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। मेरा दूदू-छान स्टेट हाईवे आर.एस.आर.डी.सी. में बन चुका है। इसमें कुछ बैलेंस वर्क हैं, विशेषकर मालपुरा शहर का डेढ़ किलोमीटर का फोर लेन का काम हो चुका है, लगभग 300 से 400 मीटर का काम बचा है। इसकी वजह से हमेशा वहां पर दुर्घटना घटने की सम्भावना रहती है। हमेशा साम्प्रदायिक तनाव रहता है। पहले भी इस रोड पर अतिक्रमण नहीं हटने की वजह से लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। एस.पी., कलेक्टर को आप कह दें तो वह अतिक्रमण हट जाये, जिससे फोर लेन का काम हो जाये। दूसरा, इसमें कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके गारंटी पीरियड में टोल चालू हो चुका है। जगह-जगह पैच पड़े हुए हैं। मैंने काफी बार बात करने की कोशिश की, उनको भी निर्देशित करें कि इस बात पर ध्यान दें। इसके साथ-साथ मेरे सांगानेर से भीलवाड़ा का एक हाईवे और निकल रहा है, मालपुरा बाईपास का इसमें भी बजट है। मालपुरा बाईपास का भूमि अवाप्ति का छोटा सा काम बचा है, यह जल्दी हो जाये तो इसमें भी काफी सुविधा हो जाये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि विकास पथ की जगह पर अगर आप मिसिंग लिंक रोड दें, चूंकि सब जगह ग्राम पंचायतों में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है, जहां पर सी.सी. रोड नहीं बनी हों। अगर कोई विकास पथ चाहें तो उनको दें, वरना इसकी एवज में कोई मिसिंग लिंक लेना चाहें तो जरूर मिसिंग लिंक दें, इसकी काफी जरूरत है। मेरे क्षेत्र में कुम्हारया से नगर, लावासिया से सोडा, डीबरू से लामाजुनेदा, परवाड़ा से घानाडया, पोआडया से देवगांव, यह कुछ ऐसे रोड्स हैं जिनमें 10 से 15 किलोमीटर इनको दे दें तो काफी लोगों को सुविधा होगी। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ऐसी रोड्स हैं, जो नोर्म्स में नहीं

(श्री कन्हैया लाल)

आ रही हैं और काफी बड़ी रोड्स हैं, खराब पड़ी हैं, तो एनएच 8 से लेकर एन.एच. 12 को जोड़ने के लिए एक स्टेट हाईवे घोषित कर दिया जाये, पाटसोली से नगर, लामाहरिसिंह सवारिया, पोल्या, भावतर, टोडा, भोटून्डा होते हुए देवली तक निकल जाये तो इससे काफी लोगों को सुविधा होगी। इसमें सी.आर.एफ. के फंड से अपन बजट करा सकते हैं। इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में धार्मिक नगरी डिग्गी कल्याण जी के लिए हमारी पिछली सरकार ने लगभग 60 करोड़ का बजट दिया था, अभी 29 करोड़ रुपये का ही काम हुआ है। उस बैलेंस काम को आप करायें तो आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले। जो योजना बनी थी, वह अधूरी पड़ी है, इसमें भी बजट दिलाने की कृपा करें। आपके विधान सभा क्षेत्र में भी मेरे टोडारायसिंह का जो डाक बंगला आता है, मालपुरा-टोडा के डाक बंगले में भी अगर बजट दें तो इनका विकास हो सकता है।

इसके साथ-साथ मैं पंचायती राज की बात करना चाहता हूं। उप मुख्य मंत्री महोदय, पंचायती राज का तब तक समुचित विकास नहीं होगा, जब तक आप इनके पद नहीं भरेंगे। अभी ग्राम विकास अधिकारी के पास 3-4 ग्राम पंचायत के पद हैं। इसकी वजह से वह प्रोपर किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं जा पा रहे हैं। इसके साथ-साथ एल.डी.सी. के भी पद खाली पड़े हैं। जिसकी वजह से स्थिति यह है कि न तो वहां कोई प्रधानमंत्री आवास का प्रोपर काम हो पा रहा है, जबकि पिछली सरकार ने गरीबों को आवास का पट्टा देने की एक योजना चालू की थी और आज कर्मचारियों की कमी की वजह से केवल 10 परसेंट लोगों को इसका पट्टा मिल पाया है। इसलिए ये पद अगर जल्दी भरेंगे तो ही इसका सही संचालन हो पायेगा। इसके साथ मेरे क्षेत्र में काफी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी पापुलेशन 7 हजार से लेकर 15 हजार तक की है। जैसे डिग्गी है, लावा है, पचेवरा है, टोडी, इन पंचायतों में, जैसे अभी सभी ने कहा कि नरेगा में नाली सफाई का काम, कचरा परिवहन के लिए वाहन खरीदने की भी आप परमिशन दिलावें। एक क्राइटेरिया तय कर दें। 7 हजार या 15 हजार की जनसंख्या का, जो बड़े विलेज हैं, जिनको कस्बा कहते हैं, ताकि कम से कम ये शहर जैसे लगें। काफी सी.सी. रोड बना देते हैं और साल से दो साल में वह खतम हो जाती है। इनकी सही क्वालिटी के लिए इंटर लोकिंग टाइल का अगर प्रोविजन कर दिया जाये तो कम से कम एक जगह वह टैस्ट होकर चली जाये और उसके साथ-साथ नाली का निर्माण हो जाये, गुणवत्ता पर ध्यान दें।

(श्री कन्हैया लाल)

अभी नरेगा की काफी बातें चल रही थीं कि नरेगा के कामों की कैसे सही मोनिटरिंग हो। वैसे यह भारत सरकार की गाइड लाइन है, बाकी आप यहां से प्रपोजल बनाकर भेजें और आप भी वहां बात करें। इसको अगर खेती से जोड़ा जाये तो कम से कम किसान को इसका बेनिफिट मिल जाये और जिसके 100 दिन पूरे होंगे, उसका भी बेनिफिट होगा। इसके साथ-साथ नरेगा को विधायक मद से डवटेल करके, इस पैसे को नरेगा से जोड़ा जाये, तो जो काम 10 लाख का होता है, वह कम से कम 30 लाख का काम हो सकता है। इसमें भी अगर आप नीचे के अधिकारियों को एक गाइड लाइन दे दें कि इसको डवटेल में करने की परमिशन दी जाये तो काफी विकास हो सकता है। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे मालपुरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर टोल है और इसके एक किलोमीटर आगे अविका नगर (व्यवधान)...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): संस्थान है, वहां पर रोजाना मालपुरा के लोग आते-जाते हैं। उनको टोल में छूट दी जाये तो काफी बेनिफिट होगा। पहले बीच में टोल माफ हो गया था, लोगों को काफी सुविधा थी। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने लोक निर्माण एवं ग्रामीण विकास की मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की भावना राजस्थान के उप मुख्य मंत्री माननीय सचिन पायलट जी तक पहुंचाने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं पायलट साहब को पुन: धन्यवाद देता हूं, जब नई सरकार बनती है तो पुरानी सरकार की जो भी विकास की योजना होती है, उनको रिव्यू करने की बात आती है। लेकिन आप बधाई के पात्र हो कि पी.डब्ल्यू.डी. में जो पुरानी सड़कें स्वीकृत थीं, उनमें से एक भी सड़क को रिव्यू नहीं किया और सारी सड़कों पर काम करने का काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय पायलट साहब टोंक विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं, राजस्थान सरकार में उप मुख्य मंत्री हैं। यह महज संयोग की बात है कि 1952 में जब पहली सड़क बस सेवा चली थी, वह टोंक से ही चली थी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि राजस्थान

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

की सड़कों को चुस्त-दुरुस्त करके राजस्थान के लोगों को सड़क की सुविधा दे सकें। साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क व लोक निर्माण से सम्बन्धित दो विषय ऐसे हैं, राजस्थान भारत का पहला ऐसा प्रदेश है जो 1994 में भारत का पहला राज्य बना जिसने सड़क नीति की घोषणा की और सड़क की नीति बनायी। उसी का परिणाम है कि आज हर ढाणी-ढाणी तक, घर-घर तक, गांव-गांव, शहर-शहर तक सड़कें बनी हुई हैं। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि सुरंगें बहुत प्रदेशों में बनीं हुई हैं पहले भी बनीं, बाद में भी बनीं, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ हिस्सा था, घाट की गूणी जो सुरंग बनीं, वह देश की ऐसी पहली सुरंग है, जो पोल्यूशन फ्री सुरंग है। इस बात के लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथ के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब ग्रामीण विकास की बात आती है तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी ने एक ग्राम स्वराज का नारा दिया था। ग्राम का विकास जब होगा, गांव के लोगों का काम गांव में बैठकर होगा। मैं माननीय पायलट साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, वे या तो पंचायत समिति के आसपास घूमते हैं या कई बार प्रार्थी जब राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पहुंचता है तो वह ग्राम विकास अधिकारी पांच मिनट पहले ही निकल जाता है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि अगर बुधवार को ग्राम स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाये और उस पंचायत में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी साढ़े नौ से छह बजे तक हर बुधवार को अगर वहां उपस्थित रहें तो आम आदमी का काम समय पर हो सकता है। मैं एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, माननीय पायलट साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी राजीव गांधी सेवा केन्द्र हैं, जिनमें ग्राम विकास अधिकारी बैठता है, उन सब पर हमने सी.सी. टीवी कैमरे लगाये हैं और उन सी.सी. टीवी कैमरे का पासवर्ड हमने गांव के लोगों को दे दिया। कब वहां विकास अधिकारी बैठता है या नहीं बैठता है, वे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। यह राजस्थान में पहली अनूठी पहल है। मैं चाहूंगा कि इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जाये तो और बेहतर सुझाव होगा।

साथ के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में महवा से लेकर राजगढ़, जिसमें खास तौर से महवा मुण्डावर के बीच दो वर्ष पहले ही 921 हाईवे की घोषणा कर रखी थी। माननीय पायलट साहब से मैं मिला, इन्होंने 20 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखा है। पायलट

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

साहब और अधिकारीगण बैठे हुए हैं, सब लोगों से निवेदन है कि उस सड़क को बना देंगे तो आपके हम बहुत एहसानमंद रहेंगे। साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसी सड़क है, जो दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर बन रहा है, उससे भी पिनाण के आस-पास जुड़ेगी। आपको बनानी तो है ही, जल्दी बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां के लोग इस सड़क से परेशान हैं। महुवा में सब जगह सारी सड़कें अच्छी हैं, सिर्फ इस सड़क को छोड़कर इसमें पानी भर रहा है, पूरी सड़क खराब है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डावर रोड के फाटक पर मैं आर.ओ.बी. बनाने की मांग करता हूं।

मेरे क्षेत्र की कुछ छोटी-छोटी सड़कें हैं, जिनके बारे में मैं सीधी मांग पर आ जाता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की मांग की भावना आप तक पहुंचे और आप इस काम को करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और पूरी आशा है। उकरून्द से पीपलखेड़ा होते हुए महावीर जी तक के लिए पिछली बार मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित की थी। मैं चाहूंगा कि इस सड़क को बना दें। कोठीन, बैजुपाड़ा, नौरंगवाड़ा, लोटवाड़ा होते हुए खटीक के तिबारा तक, साढ़े पांच मीटर चौड़ी सड़क 25 किलोमीटर की है। मैं इसको बनाने की मांग करता हूं। पीतलिया बालाजी से लालपुर होते हुए भुसावर बोर्डर तक सड़क को बनाने की मांग करता हूं। खोहरी से हरिपुरा होते हुए अमरपुर तक की सड़क की मांग करता हूं। मूंडकोडी से लेकर धानाजी तक की मैं सड़क की मांग करता हूं। नेशनल हाईवे से लेकर सायपुर-चरखेड़ा तक सड़क की मांग करता हूं। साथ-साथ में, मौसमपुर पट्टी से समसपुर बिराना होते हुए महुवा तक सड़क की मांग करता हूं। समलेटी से हुडला रोड तक सड़क की मांग करता हूं। अलीपुर से ढेर होते हुए टुडियाना तक सड़क की मांग करता हूं। बलीन से रसीदपुर तक सड़क की मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): अभी तो साहब पांच मिनट ही हुए हैं।

दुलापुरा से पालोदा तक, बालाहेड़ा से गोया का बास तक और पाखर से फुलमण्डा तक सड़क की मांग करता हूं। कुछ सड़कें ऐसी हैं लोटवाड़ा से देवाणी ढाणी तक, डूंगरी तक और कंचनपुरा से डिगारिया तक, इन दोनों सड़कों के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सड़कों को आप बनाकर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों के साथ ही यह +++ होती है, हमें टाइम कम देते हो, इसके लिए मैं आपके ऊपर यह जरूर कहना चाहूंगा।

(श्री ओम प्रकाश हुडला)

'न गिनकर दिया है, न तोलकर दिया है, हम निर्दलीयों को आप जो समय देते हो, वह आप दिल खोलकर देते हो' इसके लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद, सर।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण, 21-सड़क व 28-ग्रामीण विकास पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आदरणीय पायलट साहब यहां विराजे हैं। मैं उनका गौर चाहूंगा, 'नौजवान पढ़ता है, बड़ी मेहनत से आगे बढ़ता है, बड़ी महत्वपूर्ण और कठिन ट्रेनिंग पूरी करता है, तब जाकर पायलट बनता है' आप तो जन्मजात पायलट हैं, इसलिए हमारी बातों को गौर से सुनेंगे ही नहीं, उन पर त्वरित गति से काम भी होगा और वे पूरी भी होंगी, यह उम्मीद आपसे करते हैं। एन.एच. 89 जो बीकानेर से नागौर होकर अजमेर तक आता है, आपके जिले तक आता है, उसका पिछले पांच सालों में काम शुरू हो गया था लेकिन जो कम्पनी काम कर रही थी, उसके बैंकरप्ट होने से 30 परसेंट काम ही पूरा हो पाया। पिछले 3 वर्षों से वह काम अटका पड़ा था। एक साल की मेहनत से पी.डब्ल्यू.डी. के एन.एच. के चीफ इंजीनियर और ए.डी.जी. मोर्थ और केन्द्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने इसमें बड़ी मेहनत करके वन टाइम सैटलमेंट (ओ.टी.एस.) करके एवं उस कंपनी को 108 करोड़ रुपये देकर उस कम्पनी को आउट कर दिया। अब दुबारा से इसके लिए ई.पी.सी. मोड पर टेंडर आमंत्रित किये जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि आपके निर्देशन में यह त्वरित गति से शुरू हो और दो सालों में बनकर तैयार हो।

एच.एच. 89 का सिटी खण्ड जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, नोखा शहर के अन्दर से गुजरता है, जिसमें 14.6 किलोमीटर की दूरी है। गड्ढ़े ही गड्ढ़े हैं, ऐसा लगता है कि रोड में गड्ढ़े न होकर, गड्ढों में रोड है। इस स्थिति में भी जब आठ करोड़ का एस्टीमेट बना तो मोर्थ ने उसको पी.आर. में न लेकर आई.आर.क्यू.पी. में लेकर तुरंत स्वीकृत कर दिया, बजट पास हो गया। उसके भी टेंडर आ गये। माननीय, आपसे गुजारिश है कि होली से पहले या होली के बाद इस काम को शुरू कराया जा सकता है और नोखा शहर के इस काम को पूरा किया जा सकता है। एन.एच. 87-ए, जो रणजीतपुरा से ओसियां जाता है, जो 112 किलोमीटर कोलायत विधान सभा क्षेत्र में चलता है, 105 किलोमीटर मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में चलता है, फिर जोधपुर में

(श्री बिहारीलाल)

एंटर करता है। उसकी भी बहुत बुरी स्थिति है। दोनों विधान सभा क्षेत्रों के एरिये में रोड की चौड़ाई भी करनी है एवं रोड भी टूटी हुई है, उसको भी दुरुस्त करना है। इसके लिए पिछले एक महीने से बज्जू में धरना चल रहा है। किसान और व्यापारी लोग धरने पर बैठे हैं। इस रोड में बज्जू से सांखना फाटक का जो 49 किलोमीटर का हिस्सा है, वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसके लिए 2018 में टेंडर भी हो चुके हैं। चार लोगों को ठेका भी मिल चुका है। एक ने तो काम भी शुरू कर दिया, लेकिन वह काम रोक दिया गया है। दुबारा से आपसे गुजारिश है कि उसको पुन: चालू करवाया जाए।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए राजस्थान के चार जिलों के हजारों किसान आंदोलित हैं। 754-के जो नेशनल हाईवे हैं, 1,306 किलोमीटर का है। जामनगर से अमृतसर प्रपोज्ड है। उसके लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया चल रही है, वह लगभग पूरी होने को है लेकिन उसमें डी.एल.सी. दरों का 2016 के बाद पुन: निर्धारण नहीं हुआ। किसानों की महंगी जमीन को बाजार दर से मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें फैक्टर की जो समस्या आ रही है, राजस्थान सरकार के स्तर पर उसको दुरुस्त कर दिया जाए। बीकानेर कलेक्टर ने दो बार चिट्ठी लिखी है। जहां धरना चल रहा है, पांच हजार किसानों ने इच्छा मृत्यु की बात के लिए राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है। माननीय पायलट साहब, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें नर्मदा में भी एक लिफ्ट का, 13 वितरिकाओं का और 50 हजार हैक्टेयर कीमती उपजाऊ जमीन से निकल रहा है, इसको भी थोड़ा डायवर्ट किया जाए एवं अनउपजाऊ जमीन से निकाला जाए तो किसानों के हित में यह बात होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पायलट साहब को कहना चाहूंगा कि स्टेट हाईवे, जो हमारी पिछली सरकार ने टोल मुक्त दिये थे, आपने वापस टोल लगा दिये। उससे राजकाज पर कितना फर्क पड़ता है। जनता को इससे बहुत बड़ी सुविधा थी, आप पुन: स्टेट हाईवे के टोल मुक्त करने का काम करेंगे। हमारा स्टेट हाईवे-20, जो नोखा से बिदासर आता है, उस पर भी दो टोल खड़े कर दिये, वहां पर भी जनता आंदोलित है। इस बात की ओर भी ध्यान करेंगे।

पायलट साहब, मैं आपको पहले एक सुझाव देना चाहूंगा कि एक धार्मिक सर्किट का निर्माण कीजिए। हनुमान जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर सालासर, पहले गुरु जम्भेश्वर भगवान का मुकाम मंदिर, उससे आगे चलेंगे तो सैंगाल, धोरा आते हुए करणीमाता का देशनोक मंदिर, उससे आगे चलेंगे तो श्री

(श्री बिहारीलाल)

कोलायत में कपिलमुनि का सरोवर कोलायत, उससे आगे चलेंगे तो रामदेवरा, ये छह ऐसे स्थान हैं, जिनमें सड़क बनी हुई है, कहीं दस किलोमीटर की, कहीं पांच किलोमीटर की, कहीं पन्द्रह किलोमीटर की, मात्र इतने से जुड़ाव से एक बहुत बड़ा रिलीजियस सर्किट खड़ा किया जा सकता है। इन छह स्थानों को आप धार्मिक सर्किट के नाम से जोड़ देंगे, पैसा चाहे सी.आर.एफ. से लाएं, चाहे स्टेट रोड फंड से लाएं, बहुत कम पैसा लगेगा और बहुत बड़ा नाम होगा। ये छह धार्मिक स्थल आपस में जुड़ते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और मुख्य कुर्सी से जो छह फीट की दूरी है, वह कम हो जाएगी। यह भी हम आपके लिए उम्मीद करते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, दो ही मिनट और चाहूंगा।

नोखा की धार्मिक सड़कों की मैं बात करुंगा। धार्मिक महत्व की सड़कें नोखा में भी हैं। सेंगाल धोरा से पंचायत समिति मुख्यालय पांचू मात्र दस किलोमीटर, बगरावाला से नाथूसर 4 किलोमीटर, झांगलू से गलढाणी 4 किलोमीटर, सियांदेसर किसनासर रोड से विश्वत माता मंदिर, जो बीस हाथों वाली देवी है, 4 किलोमीटर, घर से निकलते हैं तो मां दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है। यह 20 हाथों की देवी है, 20 हाथों से आशीर्वाद देगी। इस काम के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप करेंगे।

मिसिंग लिंक और विकास पथ की बात भी सभी साथियों ने की। विकास पथ भी निश्चित तौर पर, जैसे हमने पिछले राज में गौरव पथ दिये, उसी तर्ज पर आपको विकास पथ देने होंगे। एक साल में एक विधायक को दस ग्राम पंचायतों में देंगे, यह आपसे उम्मीद करते हैं। मिसिंग लिंक की जो हमारी मुख्य रोड है, उनमें चार-पांच का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जेगला से देसलसर 6 किलोमीटर, सूरपुरा से संलूडिया 8 किलोमीटर, कक्कू से हंसासर 6 किलोमीटर, बक्सेऊ से मूंदड़ 6 किलोमीटर, बंधाला से मूंजासर 6 किलोमीटर, कुल लगभग 32 किलोमीटर की सड़के हैं, जिनकी जनता की लम्बे समय से मांग है, आप निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे।

लोक निर्माण की बात है। एक्स.ईएन. हैडक्वार्टर है, पी.डब्ल्यू.डी. का, कोलायत नोखा का नोखा में आफिस है। वहां आप डाक बंगला बनाने का काम भी करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं।

(श्री बिहारीलाल)

ग्रामीण विकास की बानगी, ग्रामीण विकास बहुत बड़ा सपना है। आप बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्भालते हैं। मनरेगा जैसी रोजगार देने वाली योजना आप चलाते हैं। पिछले दिनों जब सदन में चर्चा हो रही थी तो पी.एम. आवास योजना का क्या हाल है, उसको आपने देखा। आसन पर अध्यक्ष जी विराजे हुए थे, राजसमन्द जिले का उदाहरण दूं, 47 हजार लोग जो कि वाजिब हकदार थे, वे वंचित रह गये, पी.एम. आवास से। ऐसी ही स्थिति हमारे बीकानेर जिले में है, 25 वर्षों में ग्रामीण विकास वहां गिरोह की तरह काम रहा है और जनता के पैसे की संगठित लूट हो रही है। इस बात का एक एग्जाम्पल, नोखा पंचायत समिति में एक जसरासर ग्राम पंचायत है, इस बारे में आपने परिसीमन में 1400 नई पंचायतें बनायीं, 57 पंचायत समितियां बनायीं, आपको साधुवाद देते हैं। नियमों में हमारी जसरासर पंचायत समिति बन रही थी। आपसे भी आग्रह किया था। आपने आश्वस्त भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पायी। आप जसरासर पंचायत समिति में ग्रामीण विकास की एक बानगी देख लीजिएगा। पांच साल में अन्य पंचायतों में मुश्किल से 50 -60 पशु शेड बिल होंगे। एक जसरासर पंचायत में साढ़े चार सौ पशु शेड, 20 करोड़ की 70 ग्रेवल सड़कें, 20 नाड़ियां, भौतिक सत्यापन या किसी एजेंसी अथवा ए.सी.बी. से जांच कराएंगे तो ग्रामीण विकास का सच भी सामने आ जाएगा। आदरणीय पायलट साहब, आप इन बातों पर गौर करेंगे। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, आपके लिए दो लाइनें:

तेरे दर पर आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूं,
तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 एवं 28 पर बोलने का अवसर दिया। मैं हमारे ऊर्जावान और लोकप्रिय युवा उप-मुख्य मंत्री सचिन जी पायलट को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में इन दोनों विभागों ने कई नवाचार किये हैं और नये आयाम जो आप स्थापित करने जा रहे हैं, इसके लिए पूरी जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता में आयी, उसने आमजन, गरीब, मजदूर, किसानों का ध्यान रखते हुए पंक्ति के अंतिम

(श्री अमित चाचाण)

छोर तक विकास की गंगा बहाने का काम किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने क्षेत्र की मांगों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे नोहर से जो जयपुर का मुख्य मार्ग है साहवा-तारानगर होते हुए, नोहर से तारानगर की सड़क काफी वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें बार-बार पैचवर्क किये गये और एक बारिश में ही वे पैचवर्क खतम हो जाते हैं तथा वहां बहुत खड्डे हैं। साहवा में सिख समुदाय का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है, हरियाणा और पंजाब से इसी मार्ग से लाखों श्रद्धालु वहां साहवा में आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से गोगामेड़ी में आने वाले श्रद्धालु ददरेवा होते हुए भी इसी मार्ग से आते हैं जो भी प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में आते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षतिग्रस्त मार्ग नोहर से तारानगर का पुनः निर्माण करवाया जाए।

इसके साथ ही नोहर से किशनगढ़ और हनुमानगढ़ मेगा हाईवे को जोड़ने वाली सड़क जो मंडरपुरा-खुहिया-धांसिया होते हुए मेगा हाईवे को जोड़ती है, जिससे कि दर्जनों गांव उस मार्ग से जोड़े जाते हैं, वह रोड भी काफी छोटी और क्षतिग्रस्त हैं। उसकी चौड़ाई करते हुए, उसका भी पुनर्निर्माण करने की मांग करता हूं। इसके अलावा नोहर से फेफाना होते हुए हरियाणा बोर्डर तक सिरसा जमाल तक जो सड़क है, वह भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बार-बार पैचवर्क का कार्य कर दिया गया है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस सड़क का भी पुनर्निर्माण कराया जाये और चौड़ाईकरण किया जाए। इसके साथ ही दर्जनों राजस्व ग्राम ऐसे हैं, जो एक-दूसरे से सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं, कच्चे हैं या घूम कर मार्गों से जाना पड़ता है। अत: मेरा निवेदन है कि उन सभी राजस्व ग्रामों को एक-दूसरे से सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।

इसके साथ ही मैं ग्रामीण विकास की बात करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि पंचायत सहायकों को नियमित करने का काम किया जाए। उनके मानदेय को बढ़ाने का भी काम किया जाए। आज हम गांव में जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में वह मोहल्ला, वह बस्ती, जहां अधिकतर गरीब व्यक्ति रहते हैं या एस.सी./एस.टी. के लोग रहते हैं, उन गांवों में विकास नहीं होता, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप निर्देश देकर उन बस्तियों को चिह्नित कराएं और गांव में जब भी कोई विकास की बात हो तो अंतिम छोर से शुरू की जाए, जिससे समानता का रूप बने और 36 बिरादरी को मान-सम्मान मिल सके। एस.सी./एस.टी. कास्ट के लोगों

(श्री अमित चाचाण)

के क्षेत्रों में भी वे सड़कें बन सकें, जहां काफी वर्षों से वे सड़कों की मांग कर रहे हैं। उनके साथ-साथ वहां पानी निकासी की सम्भावना नहीं होती, तो आपके द्वारा मेरी मांग है कि ऐसा काम किया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेगा के द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ट्रैक का निर्माण करवाया जाना चाहिए, खेल मैदान का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिससे कि हम युवाओं का उज्ज्वल भविष्य बना सकें।

इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो बड़ी समस्या है, खालों की, नहरों की, माइनरों की सफाई की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग में प्राथमिकता से नरेगा के माध्यम से खालों का निर्माण करवाएं, नहरों और माइनर की सफाई की व्यवस्था करवाएं। माननीय सभापति महोदय, शहरों में तो बहुत सी धर्मशालाएं मैरिज प्लेस, होटल होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो विवाह समारोह या अन्य समारोह होते हैं, जब बारात आती है, उनके रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई गाइड लाइन बनायी जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए। इसके साथ-साथ गांवों में सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, ये काम भी करवाये जाएं। जब तक सफाई नहीं होगी, सड़कों का निर्माण कराना भी, मुझे लगता है, सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सफाई की आज निरंतर आवश्यकता है। जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं, उसकी भी निरन्तर आवश्यकता है। यह भी मैं आपसे मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिन्द। जन-जन का सम्मान करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19, 21 व 28 पर विचार

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 व 28 सड़क, ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार है। आज हम बात करते हैं सड़कों की, जब माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को सार्वजनिक निर्माण विभाग का मंत्रालय दिया गया तो राजस्थान के युवाओं को कुछ उम्मीद थी कि युवा व्यक्ति हैं और इनकी युवा ताकत के पीछे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने में बहुत बड़ा योगदान रहा। उम्मीद थी कि कुछ न कुछ सड़कों में और गांवों में विकास में, ग्रामीण विकास में चार चांद लगेंगे परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने लूणकरणसर में, बीकानेर में कहीं भी नई सड़क बनते देखी नहीं। न ग्रामीण विकास पथ, जिसका नाम इन्होंने रखा गौरव पथ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आयी, मिसिंग लिंक की बात करें तो बजट में है कि इतनी बनायी, परन्तु मिसिंग लिंक कहीं भी नहीं दिखी।

मैं बात अपने क्षेत्र विशेष की करना चाहूंगा कि जब पांच साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो हमारे क्षेत्र लूणकरणसर में 76 किलोमीटर लूणकरसर से कालूसर, सरदारशहर मेगा हाईवे 113 करोड़ का बना और ऐसा शानदार मेगा हाईवे बना कि रात में भी वे केटा लाइटें चमकती हैं तो लोग कहते हैं कि लाइटां अइयां चमके जइयां ब्याह का घर में बिजली चमके, वइयां चमके हैं। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। न सिर्फ वह मेगा हाईवे मंजूर किया, बल्कि लूणकरणसर के कालू से डूंगरगढ़ से बिदासर, वह भी मेगा हाईवे मंजूर किया। उसका टेंडर भी लगा, परन्तु कांग्रेस सरकार आए आज सवा साल हो गया, कहीं भी वह सड़क नहीं बनी। कहीं भी उसका कार्य नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार में एक मेगा हाईवे का प्रपोजल जरूर बना। इतने कार्य हुए, दो मेगा हाईवे हमारे विधान सभा क्षेत्र को मिले तो तीसरे मेगा हाईवे की हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ तो ये कांग्रेस की सरकार करेगी। अभी साढ़े तीन साल हैं। आशा कम है, विश्वास कम है, फिर भी विधान सभा में आपके माध्यम से मांग रखते हैं। लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी सड़क की मैं मांग रख रहा हूं 60 किलोमीटर सड़क है, यह बीकानेर से शुरू होती है।

(श्री सुमित गोदारा)

बीकानेर से सागर से होते हुए गाडूवाला से नापासर से मूडसर सुदर्शनपुरा, शीतल होते हुए कुचोर आथूनी से जसरासर यह ऐसी सड़क है, जो पांच विधान सभा क्षेत्रों में से होकर गुजरती है, 60 किलोमीटर सड़क है। ट्रैफिक का इस पर इतना बोझ है, इसे मेगा हाईवे सरकार बनाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे मेगा हाईवे बनाकर आमजन, किसानों को राहत प्रदान करे। पिछले कार्यकाल में पांच साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे लूणकरणसर में मैं चुनाव लड़ा था, हारा जरूर था, परन्तु हमने लूकणकरणसर की सड़कों के नवीनीकरण में ऐतिहासिक काम करवाए। लूणकरणसर की अस्सी प्रतिशत सड़कें हमने नवीनीकरण का कार्य करके तैयार करवायीं। अब कुछ बीस परसेंट सड़कें, जिनमें 10 परसेंट तो ऐसी हैं जो हमने मंजूर कराई परन्तु सरकार बदलते ही उन कार्यों को रोक दिया। कितने अफसोस की बात है कि कुछ ऐसी सड़कें, जहां पूरा डब्ल्यू.एम.एम. का काम हो चुका था, वहां डामर का सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा। ऐसी सड़कों की मैं मांग रखता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग मेहराना से जैसर पांच किलोमीटर, करणीसर बीकान से मुलानिया से मालासर 10 किलोमीटर, ये वे सड़कें हैं जिनके नवीनीकरण की मांग मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। रानीसर से कतरिया 8 किलोमीटर, सिरेरा से रानीसर 7 किलोमीटर, रूनिया बडाबास से सिरेरा 7 किलोमीटर, लाडेरा से मालासर 3 किलोमीटर, कनिसर बीकान से बंधा 9 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग से शेरपुरा 5 किलोमीटर, गोसाइसर से सिरेरा 3 और अर्जुनसर से मिठडिया 6 किलोमीटर, बालादेसर से लालेरा 5 किलोमीटर, ढाणीखोडा से सेहपुरा 6 किलोमीटर, ढाणी छिपलाई से अर्जुनसर 2 किलोमीटर। गेसुरा से महाजन रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर। माननीय सभापति जी हम अभी गांवों में गये तो हमारा यही नारा रहा है कि 2021 तक लूणकरणसर की किसी भी सड़क पर कोई खड्डा नहीं दिखे, परन्तु वह तभी साकार होगा जब सरकार, कुछ-एक गिनी-चुनी जो सड़कें बाकी रही हैं नवीनीकरण कार्यों में, उसकी स्वीकृति प्रदान करें।

वैसे तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधान मंत्री महोदय जी का जिन्होंने पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, 2, 3 फेज 3 के माध्यम से न सिर्फ लूणकरणसर बल्कि पूरे राजस्थान को सड़कें दी हैं, नवीनीकरण के लिए, जिसमें अभी हाल ही में लूणकरणसर में 31 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण कार्य के लिए 10 करोड़ की लागत से राशि मंजूर हुई है।

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिसिंग लिंक सड़कों की मांग भी रखना चाहूंगा। मुझे आज देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिसिंग लिंक की मांग हम तो उठा ही रहे हैं परंतु कांग्रेस के सारे के सारे विधायक हैं, वे भी अपने आपको लाचार महसूस कर रहे हैं कि एक भी मिसिंग लिंक सड़क राजस्थान में इस सरकार ने नहीं बनायी। जिस हिसाब से वे मांग रख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि उनको खुद को ही विश्वास नहीं है कि इस सरकार में एक-दो किलोमीटर सड़क भी मिसिंग लिंक कहीं बनेगी। जिस हिसाब से सारे विधायकगण रख रहे हैं तो मैं भी अपनी मांग रख रहा हूं कि क्या पता कुछ हो क्यों कि उम्मीद तो कम है। फिर भी अपने क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कें सम्पर्क सड़कें, निम्न सड़कों की स्वीकृति के प्रयास हेतु निवेदन करता हूं। सिरेरा से गुसाईसर 12 किलोमीटर, खुडाला से 14 किलोमीटर, नापसर से नौरंगदेसर 8 किलोमीटर, रानीसर से रामबाग 9 किलोमीटर, जैतपुर से नोडा व राय का चक 11 किलोमीटर, बडेरन से मनोरिया 7 किलोमीटर, नकोदय से जालेसर 6 किलोमीटर, सागर रीडमल पुरोहितान से बाईपास 1,300 मीटर, बकुसर से भाटवाला 1,400 मीटर। माननीय सभापति जी, हमारा क्षेत्र रेगिस्तान का क्षेत्र है। लंबा-चौड़ा क्षेत्र है। हम जब पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो कम से कम 500 किलोमीटर क्रोस करते हैं एक दिन में, तब कई बार शादी-ब्याह में होते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र हमारा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

(20.00 बजे)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में वसुन्धरा जी ने बड़ा हृदय रखते हुए क्षेत्र में विकास के काम कराये। उप मुख्य मंत्री युवा हैं, हम भी उनसे उम्मीद करेंगे कि सड़कों का काम कराने का प्रयास करेंगे। हमारी पिछली सरकार ने गौरव पथ बनाये। मुझे याद है उस समय कांग्रेस के कई लोग कहते थे कि क्या गौरव पथ है, पर जरा उस सड़क पर चलकर तो देखो,जो व्यक्ति चला, उसको बड़े गौरव की अनुभूति हुई। आजादी के बाद किसी ने पहली बार साठ लाख की लागत से एक किलोमीटर सीमेंट की सड़क बनायी, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनायी। आपने आते ही क्या किया, आते ही सड़कों के काम को रोक दिया। हमारे लूणकरणसर में 56 ग्राम पंचायतें थीं, उनमें से 40-42 में हमने सड़कें बनायीं, 13-14 बाकी थीं, उनको आपने रोक दिया। उसका नाम जरूर बदला है लेकिन आपने अभी तक काम नहीं कराया। सवा साल हो गया लेकिन कहीं भी गौरव पथ, विकास पथ देखने को नहीं मिल रहे हैं।

(श्री सुमित गोदारा)

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जहां बड़े क़स्बे हैं, गांव हैं, उनमें दुबारा गौरव पथ, विकास पथ प्रायोरिटी से लिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की बात करते हुए एक मिनट का समय लूंगा। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, पंचायती राज के द्वारा काम किया जाता हैं, उसमें सड़कें बनायी जाती हैं, हमारे क्षेत्र में हम जिसे खडबंजा सड़क कहते हैं, ईंटों से बनायी जाती है, उसकी गुणवत्ता कमजोर होती है। मेरा यह निवेदन है सरकार यह नीति बनाए कि पंचायती राज से अब कहीं भी नई सड़कें बनें, वह इंटर लांकिंग, इंटर ब्लाक टाइल्स बनें ताकि मजबूत सड़क बन सके, उसकी गुणवत्ता मजबूत हो और लम्बी चले।

ग्रामीण विकास के तहत कई बड़े क़स्बे हैं, वहां शौचालय का निर्माण कराया जाए। हम देखते हैं कि महिलाओं व कई जगह पुरुषों के लिए भी बहुत समस्या रहती है। बड़े क़स्बे हैं, जैसे लूणकरणसर, मातासर, वहां ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कराइये।

माननीय सभापति जी, मेरी बात को समाप्त करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ग्रामीण विकास में जिस तरह हमारे पास पंचायती राज में आई.ए.एस., आर.ए.एस., एक्स.ईएन., जे.ईएन., ए.ईएन., एस.ई., सबका स्टाफ है, पर पंचायती राज में क्वालिटी के मामले में आज भी काम कम्प्रोमाइज होता है। मजबूत क्वालिटी बने, इसके लिए इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए ताकि उच्च गुणवत्ता के काम गांवों में हो सकें।

समय कम दिया, बोलने की कोशिश तेज की, फिर भी अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात अधूरी है, जब तक हम गांवों में पंचायती राज को मजबूत नहीं करेंगे। जब से विधायक बने हैं, सवा साल से यही सुनते आ रहे हैं कि कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, पर आपसे पंचायती राज के चुनाव नहीं सम्भल रहे, आप क्या विश्वास करोगे। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(20.02 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-

(श्री पदमाराम)

लोक निर्माण, मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल, मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज की मांग पंचायती राज और ग्रामीण सड़क के रूप में आम आदमी के उपयोग आने वाली महत्वपूर्ण मांग है। मैं उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पंचायती राज का पुनर्गठन किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 नई पंचायतें बनायीं। एक पंचायत समिति बनायी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले राज के अन्दर महात्मा गांधी नरेगा योजना को बंद कर दिया गया था, उसको वापस सवा साल में चालू करके लेबर की संख्या बढ़ायी, नये-नये काम सैंक्शन करके ग्रामीण विकास में प्रगति की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, नेता, प्रतिपक्ष महोदय से और उप नेता महोदय से कि महात्मा गांधी नरेगा की सामग्री का पैसा नहीं आ रहा है। हर जगह लोग परेशान हैं। ठेकेदार सरपंचों को परेशान कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वे सहयोग करें और जल्दी से जल्दी नरेगा सामग्री का पेमेंट करा दें, तो आम आदमी को सुविधा पहुंचेगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बी.ए.डी.पी. योजना थी, उसके अन्दर 46 करोड़ रुपये आते थे। पिछले टर्म में उसकी कटौती करके सिर्फ 13 करोड़ कर दिये। मेरा निवेदन है कि आप इसके अन्दर भी कुछ विचार करें। सीमावर्ती क्षेत्र है, बोर्डर विकास का फण्ड है उसके अन्दर कटौती करके बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, इसके अन्दर आप थोड़ा सहयोग करें।

दूसरी बी.आर.जी.एफ. योजना थी, ग्रामीण क्षेत्र में बोर्डर के ज़िले थे, उनमें यह योजना लागू हुई थी। उसके अन्दर ग्राम पंचायतों के छोटे-छोटे काम बहुत अच्छी तरह से होते थे। सड़क है, पुलिया है, नाला है, स्कूल का है, ऐसी योजना उसके अन्दर थी, वह बिलकुल बंद कर दी है। मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि यह योजना चालू करें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय इस पर विचार करें कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्दर कृषि कार्यों को जोड़ा जाए। आज आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। गांवों में जो भी किसान खेती करता है, उसके खेत को आवारा पशु चौपट कर देता है। सर्दी, गर्मी में बच्चों को पढ़ाने, भरण-पोषण करने के लिए जो मेहनत-मजदूरी करते हैं, आवारा पशु उसको

(श्री पदमाराम)

छीन लेते हैं। मेरा निवेदन है कि टांका के अन्दर बाड़बंदी का प्रावधान है, उसको कंटीले तार से पक्का बनाने की योजना करें तो आम आदमी को सुविधा होगी।

अभी कई माननीय सदस्यों ने पंचायत सहायक की बात की। इन्होंने पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया। पिछली सरकार में पंचायत सहायक की नियुक्ति कर दी, परन्तु उनकी तनख्वाह बहुत कम है। उनको स्थाई किया जाए, स्थाई नहीं किया जाए तो उनका वेतन बढ़ाया जाए।

दूसरा निवेदन है कि एम.एल.ए. लैड योजना के अन्तर्गत जो भी काम किये जाते हैं उसमें कहीं न कहीं राइडर लगाया जाता है। मेरा निवेदन है कि बड़े-बडे मॉल हैं, स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की ओर अग्रसर करने की बात करते हैं, एम.एल.ए. लैड के अन्दर एम.एल.ए. किसी को शौचालय निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करता है तो उसके अन्दर गाइड लाइन में सुधार किया जाए।

जनता जल योजना, आज ग्राम पंचायत के अन्दर कई स्कीम्स हैं। पिछले कई सालों से जलदाय विभाग के अन्दर फीडर, मीटर रीडर, लाइनमैन की भर्ती नहीं हुई है। पूरी स्कीम ग्राम पंचायत को दे दी। कोई बड़ी पंचायत है उसमें 10-10, 15-15 स्कीम्स हैं, उनको सम्भालने के लिए न तो उनके पास कर्मचारी हैं, न ही धन है। लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है। इसमें बहुत बड़ी समस्या होगी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर नयापन करें। ग्राम पंचायतों को जनता जल आदि स्कीमों को चलाने के लिए राशि उपलब्ध कराएं। नये कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृति दें। गर्मी के मौसम में आम जनता को पानी पिलाने की सुविधा प्राप्त कराएं।

सड़क के बारे में मेरा निवेदन है, अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि सवा साल में किसी जगह कोई सड़क नहीं हुई। सड़कें हुई हैं नहीं हुईं, ऐसा नहीं है। आपने जो स्वीकृतियां जारी की थीं, उसमें बजट के अन्दर प्रावधान नहीं था, उसके उपरान्त भी हमारी सरकार ने, आपने पिछले 6 महीने के काम की समीक्षा करके उसको ड्रोप किया था, ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने जारी रखा और काम किया है। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार नई सड़कों का टेंडर हो गया और काम चालू हो गया।

विकास पथ के नाम पर, एक किलोमीटर सड़क, पांच हजार की

(श्री पदमाराम)

आबादी वाले गांव थे उसके अन्दर दिया, नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। आप भले ही विरोध करो, कोई एतराज नहीं, काम किया है। लेकिन आपका जो बोझ है, उसको कम करने के उपरान्त आगे बढ़े हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम संसाधन होने के उपरांत भी आपने विकास की गति को आगे बढ़ाया। आम आदमी की समस्या का समाधान करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं

मेरा निवेदन है कि उप खण्ड कार्यालय पर एक डाक बंगला होना चाहिए। मेरा सेड़वा है वहां उप खण्ड कार्यालय है। वहां बहुत ज्यादा आबादी है, कई गांवों से जुड़ा हुआ है। वहां डाक बंगले की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी चार सड़कें ऐसी हैं, जो 10-10, 15-15 पंचायतों को जोड़ती हैं, कई सालों से बिलकुल टूटी हुई हैं। वहां बड़े-बडे गड्ढे पड़ गये हैं। कई अप्रिय घटनाएं होती हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी गाड़ियों के एक्सल टूट जाते हैं, टायर फूट जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उन सड़कों का नवीनीकरण करने की कृपा करें। छियानिया से भेरिया, धोरीमन्ना से भेरिया तक नई सड़क है, उसकी माननीय हेमाराम जी ने भी मांग की, मैं भी मांग कर रहा हूं। हेमाराम जी का क्षेत्र है, कुछ मेरा क्षेत्र है। एक सेड़वा उप खण्ड से बीसासर, जो बहुत बड़ा रूट है। एक बोरहार से लगाकर सारला तक, ये बहुत बड़ी सड़कें हैं। इनका नवीनीकरण करने की मैं मांग करता हूं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो मनरेगा के अन्दर पहले मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन योजना के अन्दर काम हुआ, उस काम के अन्दर खड़ीन के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कहीं खड़ीन नाम की चीज नहीं है। वहां लाखों रुपये खर्च हो गये। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि एक कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाए कि उन्होंने जो धन खर्च किया, सरकार की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया, उसकी जांच की जाए।

बाकी, हमारे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मनरेगा को किसानों के कृषि कार्य में जोड़ने का काम करायें। दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां कशीदाकारी का काम होता है। वहां बहुत अच्छी क्वालिटी का कशीदा होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह मनेरगा के अन्दर जोड़ा जाए। इससे कशीदाकारी का जो माल पैदा हो रहा है, जो माल तैयार किया जाता है, वह सरकार द्वारा किसी एजेंसी के मार्फत खरीदा जाए तो आम जनता को रोजगार का साधन

(श्री पदमाराम)

मिल जाएगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और कशीदाकारी एक नये उद्योग के अन्दर आगे बढ़ने की क्षमता रखेगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र ऐसा विधान सभा क्षेत्र है, जो एक समय, आज से 20 वर्ष पूर्व वर्षा के दिनों में टापू बन जाता था। पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी द्वारा 5 हाई लेवल ब्रिज बनाये गये। परवन नदी पर, नेवज नदी पर, काली खाड़, जावर के गांव का हाई लेवल ब्रिज, और बड़ी नदी अकलेरा में हाई लेवल ब्रिज बनाया गया। अब मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि सरडा से जोगमण्डी, मानपुरा रोड पर हाई लेवल ब्रिज बनाया जाए, जिससे वहां की जनता को विशेष लाभ होगा। क्षेत्र में जितनी भी क्षतिग्रस्त पुलियाएं हैं, और जो छोटी पुलियाएं पी.एम.जी.एस.वाई. में बनी हुई हैं, उनको भी हाई लेवल ब्रिज में परिवर्तित किया जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बरसात के दिनों में जो पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनमें इस्लामपुरा से बोरबंद रोड के मध्य, देवली बढ़ से बोरबंद रोड के मध्य, गुराड़ी चौराहे से बामला बेह रोड के मध्य, मानपुरा से जोगमण्डी रोड के मध्य, उमरिया से रांकड़ा रोड के मध्य, उथाईखेड़ा से जूनापाणी रोड के मध्य, ल्हास से लसुड़िया शाह रोड के मध्य और चुरेलिया से घाटोली रोड के मध्य पुलियाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो ऊंचाई वाली पुलियाएं हैं, उनमें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खाताखेड़ी से मनोहरथाना के बीच में हाई लेवल ब्रिज बनाया जाए। यह कई वर्षों से उस क्षेत्र की मांग है, जिससे वहां की जनता को विशेष लाभ होगा। घाटोली से केलखोयरा रोड के मध्य हाई लेवल ब्रिज, एन.एच. 52 से गेडखड़ी रोड के मध्य जो पुलिया नीची बनी हुई है, बरसात के दिनों में, एक-एक, डेढ़-डेढ़ दिन तक रात भर वहां आम रास्ता रुक जाता है। वहां छात्र-छात्राएं जो स्कूल आते हैं और झालावाड़ कालेज जाते हैं, उनको वापस घर पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। चित्तौड़ा से मध्य प्रदेश के बोर्डर रोड के मध्य, सरडा से मानपुरा रोड के मध्य, असनावर से रातादेवी रोड

(श्री गोविन्द प्रसाद)

के मध्य, टांडी सोहनपुरा से सालकी डूंगरी रोड के मध्य, डूंगर गांव से कंवरपुरा रोड के मध्य, और मनोहरथाना से टोटरी जगन्नाथ रोड के मध्य, ये जो पुलियाएं हैं, ये बिलकुल छोटी पुलियाएं हैं। इनको ऊंचा कराया जाए। इनको ऊंचा करने से वहां की आम जनता को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नरेगा द्वारा 51 गांवों को कच्चे रोड्स से जोड़ दिया गया है। माननीय पायलट साहब से भी निवेदन करता हूं कि इन 51 गांवों की लिस्ट विभाग द्वारा आपके डिपार्टमेंट में भिजवा दी गयी है। ये जो कच्चे रोड बनवाये गये, इन पर डामरीकरण किया जाए।

मैं माननीय पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं कि अगले वर्ष के बजट में इन्होंने पहाड़पुरा की पुलिया और चांदपुरा भिलान की पुलिया के लिए बजट दिया। चांदपुरा भिलान पुलिया कमप्लीट कर दी गयी है, जबकि पहाड़पुरा की पुलिया पर अभी काम चल रहा है। वह बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। मैं माननीय पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने यह बजट देकर वहां के ग्रामीणों को राहत दी है। क्योंकि बरसात के दिनों में, वहां गांव का सम्पर्क सड़क से टूट जाता था। कोई बीमार भी होता था, वाकई में उनकी वहीं मृत्यु हो जाती थी। मैं आपसे निवेदन करता हूं पायलट साहब, कि ये जो ग्रामीण सड़कें हैं, इनको भी जोड़ने की कृपा करें।

आपसे एक निवेदन और करता हूं कि बरसात के दिनों में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सबसे ज्यादा खराब रोड, ल्हास से और बोर्डर लसुड़ियाशाह से एम.पी. बोर्डर तक है, वह मेरे स्वयं के गांव रानीपुरा की रोड है, उसको विशेषतया देखा जाए। वह 17 किलोमीटर रोड है। उसको तुरन्त प्रभाव से बनाया जाए। क्योंकि आये दिन, उस रोड पर बहुत ज्यादा बड़े गड्डे हो गये हैं। इस वजह से वहां आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहां मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस रोड पर विशेष ध्यान देकर बनाया जाए, जिससे वहां के आमजन को राहत मिल सके।

पंचायत राज विभाग में जो जिला परिषद् सदस्य होते हैं, और पंचायत समिति सदस्य होते हैं, एम.एल.ए. और एम.पी. फंड की तरह उनका भी फंड निर्धारित करने की कृपा करें, जिससे उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कराने का मौका मिले। पायलट साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी मैंने मांग की है, उनको जल्द से जल्द पूरा करें। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री महेन्द्र बिश्नोई।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि बजट के अन्दर राज मार्ग संख्या 68, सड़क गुढ़ा से धुंधाड़ा तक और आगे बाड़मेर जिले के अन्दर जाएगी, उसके लिए 29.50 करोड़ की स्वीकृति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सड़क आज की आवश्यकता है। हर कोई, हर ढाणी, हर गांव सड़क से जुड़ना चाहता है। इस तरह कुछ जे.डी.ए., जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से भी सड़कें बन रही हैं। विकास प्राधिकरण में एक समस्या आती है, जो पी.डबल्यू.डी. की रोड होती है, उसके अन्दर वे कार्य नहीं कर पाते। उप मुख्य मंत्रीजी से मेरी मांग रहेगी कि 2-3 जो रोड्स हैं, वे पी.डबल्यू.डी. की हैं, इसके अन्दर जे.डी.ए. काम नहीं कर पाता है। ये छोटी-छोटी रोड्स हैं। ये दो-तीन रोड्स हैं, जो मैं आपको बताऊं, एक जैसलमेर हाईवे से केरू गांव तक की सड़क है, इसके आगे की रोड, केरू से आगे बन चुकी है, इसमें दिक्कत आ रही है। एक झालामण से गुढ़ा विश्नोइयां तक नई रोड है, और एक आपने नई पंचायत समिति बनायी है धवा, इसके अन्दर फिच से धवा तक की रोड है, जो बनानी है। इससे सारे गांव नई पंचायत समिति से जुड़ पाएंगे।

जो मिसिंग रोड्स हैं, वे काफी समय से मिली नहीं हैं। इससे पुरानी सड़कें हैं, वहां हमेशा लोगों का आवागमन रहता है, उनको तकलीफ होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग विधायकों की तरफ से भी मिसिंग रोड्स की कुछ घोषणा करें।

आपने मेरी दो पंचायत समितियां बनायीं। पूरे राजस्थान में 41 समितियां बनीं, और मेरे लूणी के अन्दर दो पंचायत समितियां बनायीं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो हमारा लूणी का क्षेत्र है उसमें करीबन छह-सात ग्राम पंचायतें हैं, जो शहरी क्षेत्र के आस-पास हैं। उनके अन्दर आबादी ज्यादा होने की वजह से, जो ग्राम पंचायत में सीवरेज वगैरह लगी हुई है, इसके अन्दर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जोधपुर की लगभग बहुत बड़ी आबादी, जो लाखों की आबादी है, जो इनके अन्दर रह रही है। जब इनके अन्दर सीवरेज की प्रोब्लम आती है, जैसे मजेसर, मंडोर ग्राम पंचायत में नान्दड़ा कलां है, नांदला है, चौखा है और लूणी के अन्दर पाल, बोड़ानाड़ा, सांगरिया, कुड़ी भगतासनी, झालामंड, तो इन गांवों के अन्दर

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

पानी की समस्या इतनी रहती है कि इन गांवों के अन्दर हमेशा सीवरेज लाइन कहीं न कहीं चॉक रहती हैं। कभी इनके पास संसाधन नहीं होते हैं, ये नगर निगम के ऊपर आश्रित होते हैं। ये नगर निगम से मांगते हैं, तो मैं आपसे यह मांग करूंगा कि आप इन ग्राम पंचायतों के लिए, जो भी ये पंचायत समितियां हैं इनके अन्दर आप सीवरेज के लिए, सफाई के लिए, क्योंकि आजकल हर गांव के अन्दर सीवरेज चला गया, पंचायतों के माध्यम से सीवरेज डाली जा रही है उसमें यह दिक्कत आ रही है। मैं आपसे यह मांग करूंगा कि यह सीवरेज लाइन की जो मशीनरी है, सीवरेज के लिए कार्य करना है, आप इनको वह उपलब्ध कराएं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा कि केन्द्र सरकार हमारे को बजट नहीं देती है, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2019-20 के अन्दर हमारी सरकार जब थी तब 86,897.00 लाख रुपये दिये थे और आज का बजट निकाला था, 2020-21 के अन्दर 150, नहीं 15 लाख, 15,692.84 लाख रुपये इस वर्ष में केन्द्र सरकार ने दिये हैं। केन्द्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर हमारा पांच साल का रिकार्ड निकालें तो पांच साल में इतना बजट नहीं दिया होगा जितना बजट अभी दिया है।

(20.22 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो अभी काम चल रहा था सरकार में, जो रोड्स चल रही थीं, वह बंद पड़ी हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूं।

ग्राम पंचायत जाबला से मोर डूंगरी तक, पडूणा से चणावदा तक, करनाली से लामा धावड़ा तक, मनवा का खेड़ा से झामरकोटड़ा रोड लकड़बास तक वाया कलडवास, कानपुर खेडा तक, पोपल्टी से आड तक, अलसीगढ़ से गोराणा तक, आमवा फलां से डेडाकिया तक, अमरपुरा से गराड़ा तक, ये सड़कें चालू थीं और आज की तारीख में ये बंद हैं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

हमारे आदरणीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से मैं यह आग्रह करता हूं कि मेरी ये रोड्स बंद पड़ी हैं। ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है और वे काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ग्रेवल हो गया है, वह बरसात में टूट गया है। अब आप उसको डामर करवा दोगे तो यह आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का सदुपयोग होगा। अगर यह नहीं होगा तो वे दुबारा वापस फिर वैसे ही हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जो रोड्स टूटी हुई हैं जो नोन पेचेबल रोड्स हैं, जिन पर वास्तव में आज आ-जा नहीं सकते हैं, वहां पर धूल उड़ रही है। ये हैं नया गुढा से कालीवास होते हुए बच्छार तक, अलसीगढ़ से कालीबास तक, बारापाल से खजूरी होते हुए कुमारियां खेडा पाई तक, टीडी से अमरपुरा तक, जावर कानपुर से चणावदा नला तक, अमरपुरा से उबेश्वर होते हुए डोडावली बच्छार, गोराणा तक। मंत्री महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उबेश्वर की घाटी पर आर्मी का बहुत बड़ा काम चल रहा है। बड़े हैवी वाहन हमारे वहां पर जा नहीं पाते हैं। आज आर्मी के काम के माल-मैटेरियल ले जाने के लिए भारी वाहन वहां पर नहीं जा पाते हैं। उस घाटी को तोड़कर, जो हमारा उदयपुर से रोड जा रहा है, उसको ठीक करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। परसाद पारई हाईवे से सरू तक, सरू से सरूपाल तक, उमरड़ा से खारवा चांसदा तक, झामरकोटडा से झामेश्वर महादेव तक, मामादेव से साठपुर मीनान होते हुए चांसदा तक, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये रोड्स तो नोन पेचेबल हैं, इनको अगर सही समय पर रिपेयर कर देंगे या नोन पेचेबल को ठीक कर देंगे तो ये पैसे बचेंगे, नहीं तो हमारी ये रोड्स भी बिलकुल कच्ची रोड जैसी हो जाएंगी।

जीनगर साहब, आपने काम कर लिया, मंत्री महोदय का ध्यान मत बंटाओ, हमारे को बोलना है और आप बी.जे.पी. के हो।

मंत्री महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डीएम.एफ.टी. फंड का पैसा उदयपुर में पड़ा हुआ है और जो हमारा काम चल रहा था, वह काम भी बंद पड़ा है। उसको अगर नहीं कराएंगे तो वास्तव में लोगबाग हमारे को और आपको किसी को भी नहीं जाने देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उसका काम बंद पड़ा है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

डी.एम.एफ.टी. फंड का जो पैसा है, उसको भी लगाएं। आप जिला प्रमुख की अध्यक्षता का पद हटा दो और वह कलेक्टर साहब को दो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमारा यह काम चालू कराएं।

मंत्री महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रामपुरा से सिसारमा होते हुए नया खेड़ा, उधर तो हमारा हाईवे हो गया और यहां पर यह सिर्फ डेढ़-दो किलोमीटर का रोड है। वह बहुत ही संकरा रोड है। अगर इसको ठीक करके चौड़ा कर देंगे तो यह रिंग रोड में भी काम आएगा। हमारा झाड़ोल से आने वाला जो मेन रोड है, जो सिटी को जोड़ता है, उसको अगर ठीक कर देंगे तो उदयपुर की बहुत बड़ी रिंग रोड का भी फायदा होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसके बाद में रिंग रोड को कविता तक और हाईवे 76 से जोड़ देंगे तो यह बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कालीवास से बच्छार वाली रोड में इतनी घाटी है कि उसको पहले पी.एम.जी.एस.वाई. से जोड़ा था या मिसिंग लिंक से जोड़ा था, आपकी सरकार ने ही जोड़ा था मगर उस घाटी को नहीं रोका है। उस घाटी की यह स्थिति है कि मान लीजिए अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो 500 फीट नीचे जाकर गिरता है, साथ ही मोड़ पर साइड की दीवार नहीं है इसलिए बरसात में एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। अतः वहां पर रिंग रोड बनाएं। उस घाटी को भी, अगर वह कम हो जाती है तो हमारे 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारा एक शहीद रतनलाल मीणा, जो हमारे इस मेवाड़ सम्भाग का एक आदिवासी शहीद हुआ। वह 2002 में कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था। मैं आपसे यह मांग करता हूं मंत्री महोदय, उसके घर तक लाइट्स नहीं लगी थीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में। उसके लाइट तो हमने लगवा दी, मगर आप उस रोड को करवा दें। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि हमारा एक शहीद रतनलाल मीणा, हमारा एक होनहार आदिवासी, जिसने देश की रक्षा के अन्दर अपनी जान की बाजी दे दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि उस रोड को बनाकर, उसका एक स्टैच्यू बनवाकर आदिवासी एरिया में जरूर लगायें और नये युवाओं को आप हिम्मत बंधाएं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। शहीद रतनलाल मीणा की स्टैच्यू बनवाकर हमारे आदिवासी के सम्मान को आप आगे बढ़ाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19, 21 व 28 पर सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी मांग रखी, आज मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, उस विधान सभा क्षेत्र में उप खण्ड कार्यालय सीमलवाड़ा है। वहां पर जैसे कि वह गुजरात बोर्डर से टच होता है तो कोई भी वहां से उधर आता है या फिर वहां पर जो एस.डी.एम. है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह उम्मीद करूंगा कि वहां पर सर्किट हाउस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है या एस.डी.एम. का ट्रांसफर होता है तो एक तो वह पहले से ही यह सोचता है कि मुझे वहां पर सज़ा मिली है। फिर उसके वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसको डूंगरपुर से आना-जाना करना पड़ता है। अत: वहां पर सर्किट हाउस की व्यवस्था की जाए। आगे की कड़ी में उस इलाके में जो उप स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं, पटवार मण्डल बने हुए हैं। उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र तो मिल चुका है लेकिन कई जगह ऐसा है कि वे अधूरे पड़े हुए हैं और कई जगह बन चुके हैं, लेकिन वे जर्जर अवस्था में हैं।

अब आगे की कड़ी में सड़क की बात होती है तो मैं उस इलाके में एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि एक चक मऊडी, जो डिमिया एक राजस्व गांव है और वहां इस पंचायती राज चुनाव में उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की मांग की थी। मैंने वहां मौके पर जाकर, एस.डी.एम. साहब आये, तहसीलदार साहब आये और हम सबने समझाइश की कि आपको मतदान करना है। वह एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बनी। उनको पंचायत जाने के लिए, बीच में एक नाला पड़ता है और पहाड़ी इलाका 15 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि वहां एक सड़क बनायी जाए, क्योंकि उस इलाके में धरातली दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा पहाड़ी इलाका है। आज उस इलाके

(श्री राजकुमार रोत)

में कडाणा बांध बना हुआ है। वहां से कुछ लोग विस्थापित हुए हैं फिर भी वे लोग वहां कडाणा बांध में रह रहे हैं। बीच में टापू है, वहां से जो बच्चे स्कूल आते हैं तो नावों में बैठकर आते हैं। उसके बीच की जो दूरी है, वह ज्यादा नहीं है, 70 से 80 मीटर की है, तो भविष्य में कोई घटना घटे, इससे पहले माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वहां पर एक पुल की व्यवस्था की जाए। आगे उस इलाके में रिन्युअल है, जो सड़कें बनी हुई हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से वे सड़कें जो पहले बनी हुई हैं, उनका रिन्युअल पहले होना चाहिए, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं, जो 2007 में बनी हुई हैं, लेकिन कई ऐसी सड़कें बनी हुई हैं जो 2013 में बनी थीं। जो सड़कें बाद में बनी थीं उनका रिन्युअल हो चुका है, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जो पुराने समय में बनी थीं। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि सासरपुर जो पंचायत है, वहां से डोलका के लिए सड़क जाती है। वह सड़क 2007 में बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका रिन्युअल नहीं हुआ है। वहां पर डामर नाम की कोई चीज ही नहीं रही है, तो जो रिन्युअल के लिए सड़कें बची हुई हैं, उनका डामरीकरण कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, उस इलाके में स्टॉफ की कमी है। सड़क तो हमारे आठ फीट की बन जाती है, लेकिन बारिश के समय में दोनों तरफ झाड़ियां हो जाती हैं, तो उस कमी की वजह से वे झाड़ियां नहीं कट पाती हैं। कई नई सड़कें जो बन रही हैं, उनमें जो टर्निंग मोड़ हैं, वहां मोड़ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कई अभी निर्माणाधीन हैं, निर्माण से पहले ही वहां पर बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन विभाग की कहीं-न-कहीं कमी की वजह से बोर्ड नहीं लग पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि वहां पर विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको डायरेक्शन दिया जाए कि जो टर्निंग मोड़ है, साइड पट्टी है और झाड़ियों की कटाई है, इनके काम अवश्य किये जाएं। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये कभी-कभी किसी की जान ले लेती हैं।

माननीय सभापति महोदय, उस इलाके में ग्रामीण विकास की बात होती है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमारी सरकार ने बी.पी.एल. आवास बनाये और इन्दिरा आवास की भी घोषणा की, लेकिन ऐसा कई जगह हुआ है कि पात्रधारी तो मैं हूं और मेरे नाम से कोई और पैसा उठा रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): ऐसी कई बार घटनाएं हुई हैं। आज जो शौचालय की बात होती है। हमारा डूंगरपुर जिला पूरा हो चुका है। मतलब सभी

(श्री राजकुमार रोत)

के शौचालय बन चुके हैं, लेकिन वहां पर ऐसा होता है कि एक ठेकेदार होता है, ट्रैक्टर में पत्थर है, टंकी है, सब लेकर घूमेगा। सभी के रख-रखकर फोटो खींचकर लगा देंगे और रिकार्डली हमको लगता है कि हमारे सब जगह शौचालय बन चुके हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर किसी पंचायत में ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और आगे कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि नरेगा के तहत सभी विद्यालयों में बाउंड्रीवाल बनायी जाए। पंचायत स्तर पर या सभी राजस्व गांवों में एक खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। हम कोई बात करते हैं, एक्शन प्लान में कोई चीज लेते हैं तो वही आता है कि नरेगा के तहत यह नहीं होता है। विशेषकर नरेगा के तहत खेल मैदान की व्यवस्था की जाए और सभी विद्यालयों में परकोटे की व्यवस्था की जाए। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक मस्टररोल जो इश्यू होता है, उस मस्टररोल में 40 की लेबर का मस्टररोल इश्यू होता है और जो मैट होते हैं, सचिव होते हैं, वे लोग उस 40 की लेबर में 15 से 20 कारीगर लगा देते हैं। इससे कई बार यह होता है कि वह काम नहीं हो पाता है। जो मैटेरियल का पेमेंट है, उसका मिसयूज हो रहा है। ऐसी घटनाओं को रोका जाए। उस इलाके में अभी हाई कोर्ट का निर्देश था कि जो सचिव हैं, बही का उसी के पास चार्ज रहेगा, पर कई जगह ऐसा है कि एल.डी.सी. चार्ज लेकर बैठे हुए हैं और कई जगह ऐसा है कि एल.डी.सी. को चार्ज नहीं और एक-एक सचिव को तीन-तीन, चार-चार जगह का चार्ज दे रखा है। हमें भी महसूस होता है। हम भी जन-प्रतिनिधि बनकर आये हैं, लेकिन एक सचिव की जो सैलेरी होती है, उनका मकान देखकर उनकी स्थिति देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई रईस हो। एक ऐसा नोर्म्स बना दिया जाए कि एक सचिव के पास कितनी पंचायतें रहनी चाहिए। एक नोर्म्स बना दिया जाए ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोक लगायी जा सके। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28, लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा के श्री विजयनगर शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो कि शहर के मध्य में स्थित है। वहां आने-जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है, आसपास के रास्ते में भीड़-भाड़ रहती है। अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एंबुलेंस को हास्पिटल तक पहुंचाने में कठिनाई आती है, अतः इसे शहर के बाहर सिंचाई विभाग की बहुत सी भूमि खाली पड़ी है। भाज.पा. के शासन काल में आर.सी.पी. कालोनी में पंचायत समिति का नया भवन बना था, जिसमें वर्तमान में पंचायत समिति चल रही है। सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कालोनी में खाली पड़ी जगह पर एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त हास्पिटल बना दिया जाए ताकि इस इलाके को इसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि रायसिंहनगर शहर में सिंचाई विभाग का एक गेस्ट हाउस वर्ष 1935 का बना हुआ है। आज यह भवन जर्जर अवस्था में है और ध्वस्त करने योग्य है। आजादी से पूर्व बना यह भवन कभी भी गिर सकता है। इसी गेस्ट हाउस में वर्तमान में अधिशासी अभियंता, दक्षिण खण्ड, गंगनहर का कार्य चल रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों किसान आते-जाते हैं। सरकार को इस भवन के बारे में भी विचार करना चाहिए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बहुत-सी सड़कें कच्ची हैं, टूटी-फूटी हैं और मरम्मत योग्य हैं। इन कच्ची सड़कों पर पक्की डामर रोड बनायी जाए और टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत की जाए, पैचवर्क कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें कच्ची व टूटी-फूटी हैं, इन्हें तुरन्त पक्का करवाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से आग्रह है कि निम्नलिखित सड़कों को जल्दी ही पक्का करवाया जाए:-

गांव 39 जी.बी. से 13 बी.एल.एम. डामर रोड बनायी जाए, जिसकी दूरी दो किलोमीटर है। गांव 25 जी.बी. केसूवाली ढाणी से 25 जी.बी. गांव की डिग्गी तक, दो किलोमीटर की डामर सड़क बनायी जाए। गांव 16 जी.बी. डामर रोड से 15 जी.बी. डामर रोड तक दो किलोमीटर की डामर रोड बनायी जाए। अनूपगढ़-सूरतगढ़ रोड से 41 जी.बी., 44 जी.बी. 45 जी.बी. से 10 एस तक 6 किलोमीटर की मरम्मत की जाए। गांव 14 जी.बी. डामर रोड से 12 जी.बी.

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

डामर रोड बनायी जाए। गांव 47 जी.बी. से 52 जी.बी. तक मिसिंग लिंक रोड, 3 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। 16 बी.एल.डी. से मण्डी रामसिंहपुर तक 6 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 16 पी.एस. से 17 पी.एस. होकर मुकलाव रोड तक जाने वाली 2 किलोमीटर की डामर सड़क बनायी जाए। गांव 16 पी.एस. से 9 एम.के. तक डामर रोड बनायी जाए, जिसकी दूरी लगभग ढाई किलोमीटर है। गांव 14 बी.एल.डी.ए. रामसिंहपुर रोड से लेकर 14 बी.एल.डी. बी, 14 बी.एल.डी.सी. तक डामर रोड बनायी जाए। नई धान मण्डी रोड से लेकर सिंचाई विभाग के खाले तक डामर रोड बनायी जाए। गांव 22 पी.टी.डी. से 25 पी.टी.डी. तक 3 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 27 एफ से वाया कंवरपुरा थान्देवाला से 18 आर.बी. फाटक तक 8 किलोमीटर सड़क बनायी जाए। हमारे वहां आदरणीय सभापति जी, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़, वहां डाबला गुरुद्वारा साहिब से लेकर 12 एन.आर.डी. तक 6 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए ताकि वहां गुरुद्वारे में आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। गांव 77 आर.बी. से लखाहाकम तक 3 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। एस.ए.डी. माइनर से एन.जे.पी. बाजूवाला तक 5 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव करड़वाली से 3 एम.एस.डी. तक 5 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 7 एन.पी. से 3 एम.एस.डी. तक 5 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 1 टी.के. से, ढाणियों से होते हुए मुकलावा तक 5 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव उड़सर से 9 एम.आर. वाया 4 एम.के., 4 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 41 पी.एस. से 42 पी.एस. तक 2 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 8 ए.पी.डी. से 10 ए.पी.डी. तक 3 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 13 एन.पी. से 28 एन.पी. तक 5 किलोमीटर डामर रोड बनायी जाए। गांव 42 जी.बी. से 43 जी.बी. मल्ला टिब्बा, इसकी सड़क का चौड़ाईकरण कर डामर रोड बनायी जाए। गांव 18 पी.एस. रोड से 18 पी.एस. गुरुद्वारा तक डामर रोड बनायी जाए। श्रीविजय नगर के न्यू होम मॉडल स्कूल से पुराने पोस्ट आफिस तक सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। यह सड़क पिछले दो सालों से पैंडिंग पड़ी है। इसका निर्माण कार्य रोका हुआ है। यह सड़क पूरी नहीं हुई है और इस पर कार्य रुका हुआ है। श्रीविजयनगर में गुरुरामदास कालोनी वार्ड नम्बर 1 पक्की सड़कें, पीने के पानी, गन्दे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कालोनी में इन सुविधाओं की व्यवस्था की

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

जाए। अनूपगढ़-सूरतगढ़ मुख्य रोड पर 13 जी.बी. के गांव 23 एस.ए.डी. जोईयांवाली घग्घर नदी के ऊपर वर्तमान में एक घोड़ा पुलिया बनी हुई है, जो कि 20 वर्ष पहले की बनी हुई है। इस पुलिया से मात्र दुपहिया वाहन ही गुजर सकते हैं। यहां बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता है। कृपया लगभग 200 फीट का बड़ा पुल बनाया जाए, ताकि बीस से ज्यादा गांव वाले लाभान्वित हो सकें, चार पहिया वाहन गुजर सकें, ताकि इलाके के किसानों को आवागमन के लिए एवं अपनी फसल को मण्डी तक ले जाने के लिए सुविधा मिल सके।

अनूपगढ़-रायसिंहनगर रोड गांव 193 जीबी घग्गर नदी के ऊपर सबमर्सिबल ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, यहां से सैकड़ों गांवों के लोग गुजरते हैं यहां पुल बनाने की इस इलाके की महती आवश्यकता है। यह पुल अनूपगढ़ और रायसिंहनगर दो विधान सभा क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ता है, कृपया इस पुल को भी शीघ्र बनाया जाए।

आदरणीय सभापति जी, ग्रामीण विकास के बारे में निवेदन है कि ग्रामीण विकास में मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ी हुआ है। ग्राम पंचायतों में पुराने पंचायतघर बने हुए हैं, जो लगभग टूटे-फूटे हालात में हैं एवं अब उनको भी नाकारा बना दिया गया है, उनकी हालत को सुधारा जाए। प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर किसानों के अनाज संग्रहण करने के लिए बड़े गोदाम बनाये जाएं। बड़े गांवों में सरकारी उपज की खरीद हेतु कामन पैडी धान मण्डी विकसित की जाए, ताकि किसान गांवों में अपनी फसल बेच सकें, इससे गांवों का विकास होगा व मंडियों में भीड़ कम होगी, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गणेश घोघरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सर, एक मिनट।

प्रत्येक पंचायत पर एक लाइब्रेरी खोली जाये, ताकि गांव के किसान को अनेक प्रकार की जानकारी मिल सके। इसी प्रकार गांवों में किसान सेवा केन्द्र बने हुए हैं...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री गणेश घोघरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, मुझे मांग संख्या 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री गणेश घोघरा)

सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डिप्टी सीएम. साहब का और सी.एम. साहब का। टी.एस.पी. एरिया में जो बिखरी हुई आबादी क्षेत्र था, लोग दूर-दराज में रहते थे, आने जाने में समस्या थी, तो ढाई हजार पर इन्होंने नई पंचायत बनायी, इसके लिए डिप्टी सी.एम. साहब को और सी.एम. साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास पथ के लिए भी सड़क दी, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं नरेगा के बारे में बात करूंगा। नरेगा कांग्रेस सरकार ने 2005 में, 2006 में चालू की। यह हमारे टी.एस.पी. के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि वहां पर जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, वहां के लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, मजदूरी करने गुजरात जाना पड़ता है। जब से नरेगा चालू हुई, यह कांग्रेस की देन है, तो वहां पर हमारे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से कई सड़कें भी गांवों तक पहुंची, खेत समतलीकरण भी हुए, कुएं भी गहरे हुए, ये सब कांग्रेस की देन हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने नरेगा योजना लागू की। जब से केन्द्र में भा.ज.पा. सरकार बैठी है नरेगा को बिल्कुल खतम करने पर तुली हुई है। आज भी नरेगा में श्रम का और मैटेरियल का पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्रम का और मैटेरियल का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। आज होली का त्यौहार आ रहा है, अभी तक भी 5-6 मस्टररोल का जनता का पेमेंट नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम और मैटेरियल का पेमेंट जल्दी से जल्दी हो।

इसी के साथ ही टी.एस.पी. क्षेत्र में सिंचाई के लिए डूंगरपुर जिले में कोई तालाब, कोई नहर, कोई सुविधा नहीं है, तो उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से जो पुराने कुएं हैं, वे गहरे कराये जावें तो पानी का स्तर ऊंचा उठेगा और वहां सिंचाई की सुविधा होगी।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): उन कुओं की पक्की मुंडेर बनायी जाए ताकि कोई जानवर नहीं गिरे। हर बार बारिश आने से कुआ वहां पर वापस धराशायी हो जाता है, मेरा निवेदन है कि नरेगा से कुएं का काम लिया जाए। नरेगा में टी.एस.पी. एरिया के लोगों को 100 दिन रोजगार की गारंटी दी है,

(श्री गणेश घोघरा)

बहुत धन्यवाद है, लेकिन वहां कोई उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से मैं सरकार से निवेदन करूंगा, उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वहां पर 200 दिन कार्य दिवस किये जायें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहां पर हमारे पास इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है।

इसी के साथ मैं सड़क की बात करूंगा कि हमारे वहां पर कई गांवों में तो आजादी से आज तक सड़कें नहीं बनी हैं। मालमाथा से कालापाणा तक, वहां से अगर कोई मरीज लाते हैं तो खाट पर ऊंचा करके या झोली में लेकर डूंगरपुर लाते हैं, 45-50 किलोमीटर दूरी पड़ती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, खाली एक मिनट, मैं दो मिनट ही कहूंगा। कई बार तो महिलाओं की डिलीवरी टैम्पो और गाड़ियों में ही हो जाती है, हास्पिटल में पहुंच नहीं पाती हैं, रोड इतनी खराब है, इतने बड़े-बड़े खड्डे हो गये। मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खड्डे भराये जाएं पैचवर्क कराये जाएं और नई सड़कें बनायी जाएं।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मेरी पहुंच सड़क मालमाथा, कालकी माता से कालापाणा गुजरात सीमा तक, पहुंच सड़क कवालियादरा निचला से बलीचा सीमा तक, पहुंच सड़क रामपुर से मझोला तालाब तक...

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री हाकम अली खां।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं हमारे लोकप्रिय उप मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने राजस्थान के ग्रामीणों की पीड़ा को देखते हुए नई पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया। महोदय जी, मंत्री महोदय ने दूसरा गजट जारी किया तो उस पर कोर्ट का स्टे हो गया था। हमारे विपक्ष के साथियों ने हमारा मजाक उड़ाया कि ये ग्राम पंचायतें, ये पंचायत समितियां

(श्री हाकम अली खां)

नहीं बन सकती, लेकिन हमारे लोकप्रिय उप मुख्य मंत्री जी ने कोर्ट में भी संघर्ष किया और कोर्ट में वकीलों को खड़ा करके लागू किया। इसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मात्र एक डाक बंगला है। इसके अलावा कोई अन्य कोई सरकारी गेस्ट हाउस नहीं है। उसका भी हाल बेहाल है। इस डाक बंगले का भवन काफी पुराना होने के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। इसमें न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही किसी प्रकार की कोई सुविधा है, जिसके कारण यहां कोई नहीं ठहरता है। महोदय, फतेहपुर शहर से होकर तीन हाईवे गुजरते हैं जो जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, अम्बाला, पाली आदि के लिए जाते हैं। यह डाक बंगला जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे नम्बर 52 पर है और जयपुर-बीकानेर के सेंटर में भी है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, परन्तु डाक बंगले का हाल बेहाल होने के कारण यह सही उपयोग में नहीं आ रहा है। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि फतेहपुर के डाक बंगले की मरम्मत करवाकर इसमें पर्याप्त स्टाफ लगाया जाए और व्यवस्थाओं को सुधारा जाए ताकि इसका सही उपयोग हो सके।

दूसरा, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर का एस.डी.एम. कार्यालय, तहसील कार्यालय, जे.एम. कार्यालय, ए.सी.जे.एम., ए.डी.जे. कोर्ट सारे के सारे नेशनल हाईवे 52 पर स्थित हैं। इन कोर्ट्स में हमेशा हजारों लोगों का आवागमन रहता है, जिससे आये दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिनमें कई जानें जा चुकी हैं। यहां हाईवे शहर के अन्दर से भी गुजरता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे तो इस हाईवे को बाईपास निकाला जाए या इस हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड बनायी जाए।

महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी मिसिंग लिंक सड़कें हैं, जिनको मैं जोड़ा जाना आवश्यक समझता हूं। नारसरा-हरदयालपुरा-रामगढ़ शेखावाटी, महोदय, इस सड़क के लिए गांव वालों ने लोक सभा और विधान सभा दोनों चुनावों में चुनावों का बहिष्कार किया था, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को प्रायोरिटी में लेकर बनाया जाए। एक सड़क रोलसाहबसर से जालेउ-देवास, एक सड़क चाचीवाद छोटा एन.एच. 58 दांतरू

(श्री हाकम अली खां)

तक, हरसावा छोटा-गारिण्डा-जलालसर, भगासरा-चुड़ी मिया, तिहाय से लावण्डा तक और ढांढण से जांदवा चूरू बोर्डर तक, ये छोटे-छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, यदि इनको जोड़ दिया जाए तो ये गांव जुड़ जाते हैं। इसलिए इन सभी मिसिंग लिंक सड़कों का जोड़ा जाना अति आवश्यक है।

महोदय, मैं पंचायत की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर पंचायत समिति भवन काफी पुराना हो चुका है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत नया भवन स्वीकृत करने की कृपा करें। शेखावाटी शहीदों की धरा है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने वाले शहीदों के लिए नेचर पार्क की तर्ज पर उनकी जन्म भूमि में पार्क विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत निधि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें।

शेखावाटी में भी ग्राम पंचायत धीरे-धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत फतेहपुर में एक क्लस्टर विकास स्वीकृत करने की कृपा करें। पंचायत समिति में योजनाओं का कार्य ऑनलाइन सम्पादित किया जा रहा है। अतः प्रत्येक पंचायत समिति में दो सूचना सहायक के पदों को सृजित किया जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): उप खण्ड मुख्यालय पर सृजित पदों में से सूचना सहायकों का पद स्थापन पंचायत समिति में किया जाए।

श्री सभापति: टेबल कर दो, आप भी टेबल कर दो अपना। लिखा हुआ है आपका, टेबल कर दो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक मिनट और। ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर प्रकाश हेतु व्यवस्था हाईमास्ट लाइट का कार्य किया जाए।

श्री सभापति: माननीय विधायक महोदय, टेबल कर दो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): छगन सिंह जी हैं।

श्री सभापति: आपने लिखकर भेजा है जब्बर सिंह जी सांखला।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मेरा है।

श्री सभापति: कहो इनको। जान-बूझकर के नाम बिगाड़ रहे हैं आपका। छगन सिंह जी सांखला। नाम बताओ अपना। मेरे पास जो लिखा हुआ है, वह बोल रहा हूं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): धर्मेन्द्र जी। धर्मेन्द्र जी। बोलो धर्मेन्द्र जी, चालू करो।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: आप बात सुनिए। 2 मिनट में अपनी बात कहकर जो कुछ लिखा हुआ है। वह आप टेबल कर दीजिए। 9 बजे मुझे मंत्री महोदय का शुरू कराना है। 2 मिनट बोलकर के आप अपना टेबल कर दीजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ सड़क के मध्य अमरपुरा राठान के पास एक फाटक है। रावतसर से पीलीबंगा के बीच में एक फाटक है। दोनों पर बहुत भीड़ हो जाती है। दोनों पर आर.ओ.बी. पुल की मैं सरकार से मांग करता हूं। इसी प्रकार से कन्या कालेज के पास बच्चों को आने-जाने में दिक्कत होती है। वहां पर अंडर पास की मैं मांग करता हूं।

इसके साथ-साथ, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कों की स्थिति है, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पीलीबंगा से खरलिया वाया सुरावाली, पीलीबंगा से हासलिया गोलुवाला, चाईया से कनवारी से कलीतम, नुरपुरा से भाम वाली ढाणी, चक 2 एल.जी.डब्ल्यू., 9-10 एम.ओ.डी., रावतसर से जाखड़ा वाली, बडोपल से सूरतगढ़ क्षतिग्रस्त सड़कें हैं। इनको चौड़ा किया जाए। इनको री-कारपेट किया जाए।

इसी तरह से रावतसर से न्योलावी की सड़क पर आज तक री-कारपेट नहीं हुआ है। उसको री-कारपेट कराया जाए। किशनगढ़ से हनुमानगढ़, मेगा हाईवे मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरता है। लेकिन वह क्षतिग्रस्त हो गया है। डिवाइडर टूट गये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस सड़क से आप टोल वसूलना बंद करो, उस मेगा हाईवे का निर्माण कराओ, उस पर डिवाइडर बनाओ।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गौशाला वार्ड नम्बर 19 से 36 डीडब्ल्यूडी 3 किलोमीटर, चक 14 बीपीएम से

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कनवानी 3 किलोमीटर, जाखड़ा वाली से पेड़िता वाली 5 किलोमीटर, जाखड़ा वाली से पेड़िता वाली, 4 एसटीपी 2 किलोमीटर, जाखड़ा वाली से चौड़ला वाली 2 एस.टी.पी. 3 किलोमीटर और जाखड़ा वाली से सूरतगढ़ रोड से 75 आरडी 3 किलोमीटर, जाखड़ा वाली से सूरतगढ़ रोड़ से 19 एच.पी.ड़ी. डेढ़ किलोमीटर, खेदासरी से ढेढार 3 किलोमीटर, गंधेली से बिरकाली 5 किलोमीटर, हरदासवाली से 2 सी.एल.डी. 3 किलोमीटर, 24 बीपीएम से सूरतगढ़ रोड तक 5 किलोमीटर, सरामसर से अमरापुरा राठान 5 किलोमीटर, लक्खासर से चक 23 एमओडी ढाई किलोमीटर, चक 5 एस.सी.आर. से 16 एल.डब्ल्यु.डी. तक डेढ़ किलोमीटर और हरदयालपुरा से खिलारिया की ढाणी 2 किलोमीटर, चक 4 एल.के. रस से 9 एल.के.एस., 14 एल.डब्ल्यु.डी. से खरलिया 5 किलोमीटर, चक 16 बी.पी.एन. से...

श्री सभापति: श्री छगनसिंह। धर्मेन्द्र जी, आप टेबल कर दीजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, टेबल कर देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, मैं लम्बी मांग नहीं रखूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री बैठे हैं। मेरे यहां वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। मेरे यहां 15 से 20 गांवों के बीच में एक छोटा सा काम है। भूती और रोडला के बीच में पुलिया, ब्रिज बनाना है। वह वास्तव में आवश्यकता है। हमेशा ही थोड़ी सी बारिश में वह रास्ता इतना अवरुद्ध हो जाता है कि कई मौतें रास्ते में हुई हैं। डिलीवरी केसेज में महिलाओं की मौतें हुई हैं। कई बार तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि पति की डैथ इस साइड में हुई और पत्नी उस साइड में रही और वे 5-7 दिन तक नहीं मिल सके।

श्री सभापति: साइन करा लो इनके। साइन हो गए? डिवीजन संख्या लिख दो।

(माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा) के सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से विशेष

(श्री छगनसिंह)

निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पूरे सदन की भावना है कि आप उच्च ओहदे पर पहुंचें। मेरी भी भावना है कि आप उच्च ओहदे पर पहुंचें। लेकिन अगर आप इस समस्या का समाधान करोगे तो वास्तव में पूरे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत महसूस होगी। यह मेरी मुख्य मांग है।

दूसरा, जो मैंने कटमोशन में भी लिखा है सड़कों के बारे में, आहोर विधान सभा क्षेत्र में हरजी-पचानवा के बीच में जवाई नदी है। वहां पर भी अगर ब्रिज बन जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। इसी प्रकार से देबावास, ओडवाड़ा और रायथल के बीच में एक रोड है, जो आर.आई.डी.एफ. 25 में योजनागत है, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हो रहा है। यह 2006 में बना है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

इसी प्रकार से भोरडा से रातड़ी की एक किलोमीटर रोड है। इससे बाड़मेर जिला जुड़ता है। अगर वह रोड सैंक्शन करवा दो तो मुझे विश्वास है कि पूरे बाड़मेर और जालौर जिले का मिलान हो जाएगा। इन दोनों जिलों को बहुत सुविधा मिलेगी।

पंचायती राज मंत्री भी आप ही हो। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से भाद्राजून पंचायत समिति की मांग हुई थी, उसमें 30 ग्राम पंचायतें आहोर में थीं और 30 ग्राम पंचायत भाद्राजून में बन सकती थीं। वह प्लान था, लेकिन आपने घोषणा नहीं की। मैं चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो यह भाद्राजून पंचायत समिति बनाएं, जिससे मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। वहां दूर-दूर तक गांव बसे हुए हैं, आहोर पंचायत समिति बहुत दूर है। वह 60 किलोमीटर की दूरी पर है।

श्री सभापति: अब आप लिखकर दे दीजिए। साइन करके और डिवीजन नम्बर लिखकर टेबल कर दीजिए।

श्री अमर सिंहजी।

(माननीय सदस्य श्री छगनसिंह के सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 और 28 सड़कें एवं पुल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान बजट में हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। आज गांवों की आबादी

(श्री अमर सिंह)

बढ़ गयी है। वाहनों की संख्या बढ़ गयी है। गांवों की सड़कें 3.75 में बनी हुई हैं। आज के जो ड्राइवर हैं, वह गाड़ी में रेस की आजमाइश करने के लिए दौड़ाते हैं, लेकिन गाड़ी भी ड्राइवर से कहती है कि भगा ले कितना ही आसमान से छुआ दूंगी, पल भर भी झपक गया तो मिट्टी में मिला दूंगी।

सभापति महोदय, लम्बे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं। कुछ सड़कों के तो नामो-निशान ही मिट गये। 15 साल के बाद वहां कांग्रेस का खाता खुला, राजस्थान में हमारी सरकार बनी। आज गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके चेहरों पर खुशहाली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब को कि हमारे बयाना में जो लम्बे समय से जर्जर सड़क थी, उसकी शुरूआत की, शुभारम्भ किया। खुशियों के दीपक जलने लगे।

सभापति महोदय, ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि अभी आदेश मिल जाएंगे कि बंद करो, मेरे यहां छोटे-छोटे राजस्व गांवों में, ढाणियों में एक-एक, 2-2 किलोमीटर की सड़कें हैं। जैसे कि खेरीडांग, गोलापुरा, सरवा मोड से नंगला कोली, जरवर पटपड़ी, अर्जुन नंगला, छीपी, बसेड़ी रोड से सामंतगढ़, गुनैनी से पिरोली जिले के बोर्डर तक।

श्री सभापति: अमर सिंह जी, यह लिखा हुआ आप टेबल कर दीजिए।

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मुझे मेरे बयाना विधान सभा क्षेत्र में रोड चौड़ा करने की भी बहुत उम्मीद है, पूर्ण भरोसा है। जय हिन्द। जय भारत।

(माननीय सदस्य श्री अमर सिंह के सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): हो गया, सर।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हो गया।

श्री सभापति: गिरधारीलाल जी। आपके पास लिखा हुआ है? आप टेबल कर दीजिए। श्री गिरधारीलाल, टेबल करिए।

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल के सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री सचिन पायलट।

(21.00 बजे)

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

पिछले 9 घण्टों की इस चर्चा में लगभग 60 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मांग संख्या 28, 21 और 19 पर मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको और सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आपके सुझावों के लिए, आप लोगों ने जो बातें बोलीं, कुछ टीका-टिप्पणी भी हुई, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, लेकिन मुझे लगा कि आज दिन भर की चर्चा बहुत सार्थक रही और आने वाले समय में राजस्थान के लिए, इन विभागों के लिए, जनता के लिए हम लोग अच्छे सुझाव देकर, नई नीति निर्माण कर और लोगों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एक ऐसा मंत्रालय है कि कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि प्रधान ही हमारा राज्य है। इस मंत्रालय के माध्यम से अधिकांश जनता के जीवन को हम छू सकते हैं। पिछले साल-सवा साल में मेरा अनुभव रहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे और इस विभाग से जुड़े हुए लोग सच्ची निष्ठा और मेहनत से लोगों के जीवन को सुधारने का काम करेंगे तो प्रोग्राम्स की, पालिसीज की, योजनाओं की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के लोगों को एक बेहतर जीवन देने का काम हम लोग इस मंत्रालय के माध्यम से कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में बहुत से साथियों ने सुझाव दिये हैं, लेकिन मैं चन्द मिनटों में बताना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के माध्यम से हम किन-किन स्कीम्स को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी महात्मा गांधी नरेगा की है, प्रधान मंत्री आवास योजना की है, चौदहवें वित्त आयोग की है, राज्य वित्त आयोग की है, स्वच्छ भारत मिशन की है, राजीविका की है, एम.पी.लैड, एम.एल.ए.लैड, डांग बोर्ड, मगरा बोर्ड और मेवात बोर्ड की योजनाएं हैं। इसके साथ-साथ हमारे मंत्रालय में एक बायो फ्यूल का प्राधिकरण भी है, जिस पर मैं कुछ समय के बाद बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की और कई ने अच्छे सुझाव भी दिये। मैं समझता हूं कि मनरेगा, यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि इस योजना में कहीं कोई कमी है, नहीं है या इस योजना में हम सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं

(श्री सचिन पायलट)

कि सदन मोटे रूप में इस बात से सहमत रहेगा कि मनरेगा के आविष्कार के बाद गरीबी में जूझ रहे लोगों के उन परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का एक रास्ता खुला है। पहले जब काम दिया करते थे, ड्राउट में काम होते थे, सूखे में काम दिये जाते थे तो काफी कुछ काम मनमर्जी से दिये जाते थे। जो कलेक्टर हैं, एम.पी. हैं, एम.एल.ए. हैं, उनका मन किया तो उस क्षेत्र में काम चालू किया, नहीं किया, किसी को पैसा दिया, नहीं दिया। वह मनमानी करने का, जो डिस्क्रिशन था, मैं सोचता हूं कि इस कानून के लागू होने के बाद वह खतम हो गया। प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सौ दिन के रोजगार का संविधान में जो संशोधन करके लाये, मैं समझता हूं कि आधुनिक भारत में इससे बड़ा काया कल्प करने वाला कोई कानून नहीं बना है।

माननीय सभापति महोदय, जब नई सरकार हमारी बनी, इस मंत्रालय में मुझे काम करने का मौका मिला तो सबसे पहला काम मैंने यही देखने का किया कि मनरेगा में अब तक क्या हुआ है और क्या काम हम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रालय वही है, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही अफसर हैं, वही बी.डी.ओ. हैं, वही सी.ई.ओ. हैं, उन्हीं से हमें काम कराना है। सिर्फ मंत्री बदल जाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो पिछला वर्ष था, उसमें हम लोगों ने मनरेगा में बहुत वृद्धि की। 2019-20 में हमको जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह 23 करोड़ मानव दिवस था। हमने भारत सरकार को लिखा कि अब सरकार बदल गयी है, अब काम करने वाले लोग आ गये हैं, इसलिए इसको बढ़ाकर 23 की जगह 30 करोड़ कर दीजिये। भारत सरकार में लोगों ने आश्चर्य किया, इतनी कम अवधि में 23 करोड़ का टार्गेट बढ़ाकर 30 करोड़ कैसे कर सकते हैं? मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारा टार्गेट जो 30 करोड़ मानव दिवस का था, आज की तारीख में हम 30 करोड़ 3 लाख कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हमने इसको संशोधित करके 33 करोड़ 34 लाख तक का लक्ष्य बना लिया है, जो कि पिछले दस साल में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, राजस्थान में अब तक पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार 2017-18 में 100 दिन पूरे करने वाले जो लोग थे, उनकी संख्या 2 लाख 28 हजार थी, जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि सरकार बनने के बाद जो लोग 100 दिन का काम पूरा कर चुके हैं, उनकी संख्या 5 लाख 88 हजार पहुंच चुकी है। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि अगर इच्छा शक्ति

(श्री सचिन पायलट)

हो, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 'काम मांगो अभियान' चालू किया। यह अभियान मूलत: लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है। सब साथी हैं, जो विधान सभा में हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, उन सबको हमने प्रेरित किया कि आप लोगों को काम मांगने के लिए प्रेरित करें, यह अधिकार है आपका।

माननीय सभापति महोदय, यह ऐसी योजना है, जिसका कोई बजट नहीं है। यह डिमाण्ड बेस्ड है, जितनी ज्यादा डिमाण्ड होगी उतना ज्यादा हम सरकारों को भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जब आज देश भर में आर्थिक मंदी है और कुछ लोग दिल्ली में सोचते हैं कि कारपोरेट टैक्स माफ करने से या कुछ लोगों को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को राहत देने से अर्थव्यवस्था में कुछ इंक्रीमेंट आएगा, मैं ऐसा मानता हूं कि यह देश प्रगतिशील देश है और इस देश में अधिकांश लोग गांव-देहात में रहते हैं। अगर सच में हमें आर्थिक चुनौती का सामना करना है तो जो सबसे गरीब तबका है, उसकी जेब में पैसा डालेंगे तो वह गरीब इंसान क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए खर्च करेगा। अगर कोई खरबपति व्यक्ति है, उसको हम दस करोड़ रुपये फालतू देंगे तो वह दस करोड़ रुपये कहां पर निवेश करेगा, लंदन में करेगा, टोक्यो में करेगा, कहां करेगा, मालूम नहीं है। लेकिन एक गरीब इंसान को अगर हम 500 रुपया एक्स्ट्रा महीने का देते हैं तो उस पैसे से वह क्या खरीदेगा, बच्चों के स्कूल के कपड़े, चप्पल, तेल, साबुन, घर में फल-फूल-सब्जी लेकर आयेगा। उससे अर्थव्यवस्था को एक मोमेंटम मिलता है। हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जेब में अतिरिक्त आय के रूप में पैसा जाएगा तो वे उस पैसे को कंजम्प्शन में इस्तेमाल करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मनरेगा में 9 लाख 75 हजार काम हमने टेकअप किये थे, जिनमें से 8 लाख 31 हजार काम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए किये हैं। हमने रूल्स में जब चेंज किया था तो मनरेगा में कहा गया था कि जो लोग अपनी जमीन में काम करते हैं, उनको भी मनरेगा का फायदा मिलना चाहिये। मुझे बताते हुए खुशी है, यह कट मोशन हमारी माननीय सदस्या, किरण माहेश्वरीजी ने दिया था कि व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिले। मुझे बताते हुए खुशी है कि 83 प्रतिशत जो काम हो रहा है, वह व्यक्तिगत लाभ के हैं जो अपने खेत में काम कर रहा है, मेड़बंदी कर रहा है, वह पैसा उठा रहा है, ताकि उस गरीब आदमी को

(श्री सचिन पायलट)

अपनी जमीन पर काम करने का पैसा मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, 260 काम मनरेगा में, जो अलग-अलग श्रेणी में हैं, जो हम करा सकते हैं। यह प्रावधान माना गया था कि कम से कम 60 प्रतिशत कृषि सम्बन्धित काम होने चाहिये। राजस्थान में मनरेगा में 67 प्रतिशत काम कृषि से सम्बन्धित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मजदूरी भुगतान में 2017-18 में जो भुगतान किया था, वह 5,137 करोड़ का किया था। इस वित्तीय वर्ष में लगभग सात हजार करोड़ रुपये का हम प्रावधान कर रहे हैं, जो पिछले दस सालों में सर्वाधिक है। माननीय सभापति महोदय, 17 फरवरी, 2020 तक सभी श्रमिकों का लेबर पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अनेक साथी विधायकों ने इस बात पर बोला कि मैटेरियल पेमेंट नहीं हो रहा है। मनरेगा कानून में मैटेरियल पेमेंट भारत सरकार के माध्यम से होता है। मुझे इस बात का खेद है कि 19 जुलाई, 2019 से कोई भी मैटेरियल का पेमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है। अनेकों बार मैं मंत्री महोदय को लिख चुका हूं, भारत सरकार को हमने कहा है, 1,377 करोड़ रुपये जो मैटेरियल कम्पोनेंट अभी बकाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सदन के सभी पक्ष के लोग मिलकर कोशिश करें कि जल्दी वह पैसा हम लोगों को मिले, ताकि हम भुगतान को प्रारम्भ कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा में आज हिन्दुस्तान भर में राजस्थान नम्बर एक स्थान प्राप्त किये हुए है। उत्तर प्रदेश, जो हमसे तीन गुना ज्यादा आबादी वाला है, उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ लोग रहते हैं, वह भी हम लोगों से कम है। वहां पर 30 करोड़ से कम मानव दिवस उत्पन्न कर पाये हैं, हम लोग 30 करोड़ से ज्यादा उत्पन्न कर पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमको भारत सरकार ने चार राष्ट्रीय पुरस्कार दिये हैं। कोटा जिले को प्रथम स्थान दिया है ग्राम पंचायत स्तर पर जियो टैगिंग करने के लिए, डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत, सराड़ा को पुरस्कार मिला है और सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत, हरनाव को पुरस्कार दिया गया है। अभूतपूर्व ढांचा निर्माण के लिए, भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन्द के ग्राम, मोतीपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, जिन लोगों ने मेहनत करके काम किया है।

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कई माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे और राय भी दी, लेकिन मैं बहुत जल्दी से आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। 2018-19 तक 6 लाख 87 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, 6 लाख 87 हजार आवास का लक्ष्य हमें दिया गया था। अब तक 6 लाख 62 हजार आवास पूरे कर चुके हैं, जो लगभग 94 परसेंट है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में तीन किश्तें मिलती थीं, पहली किश्त 30 हजार की, दूसरी 60 हजार की और तीसरी 30 हजार रुपये की थी। हमारा अनुभव था कि कई बार लोग पहली या दूसरी किश्त लेने के बाद काम नहीं करते थे। हो सकता है कुछ मजबूरियां हों, लेकिन हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते थे।

हमने, जो इंस्टालमेंट पेमेंट है, उसमें परिवर्तन किया और पहली किश्त सिर्फ 15 हजार दी है, दूसरी किश्त 45 हजार की तथा तीसरी और अंतिम किश्त जब लेंटर पड़ जाता है या छत बन जाती है, उस पर 60 हजार किया है। कुल मिलाकर 1 लाख 30 हजार रुपये प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना में दिये जाते हैं। शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार, 90 दिन का नरेगा का पेमेंट उसमें वे कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल डेढ़ लाख रुपये एक घर बनाने के लिए दिये जाते हैं।

चूंकि हमारा परफार्मेंस इतना अच्छा रहा, जो हमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था अगले साल के लिए, वह था 4 लाख 50 हजार, उसमें अब हमें 87 हजार का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया है। सभापति महोदय, जो-जो स्टेट्स अच्छा परफार्म करती हैं, उन्हें भारत सरकार पुरस्कार के रूप में पैसा भी ज्यादा आबंटित करती है और लक्ष्य बढ़ा देती है, ताकि अधिकांश लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

जो 'सैक' सर्वे हुआ था, Socio Economic Caste Census हुआ था 2011 में, उसके आधार पर 16 लाख 99 हजार ऐसे परिवार थे, जहां पर प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास बन सकते थे, लेकिन बहुत कम्पलेंट्स भी आयीं, कहा गया कि कुछ लोग वंचित रह गये हैं। उसके बाद हमने सैक सर्वे के अतिरिक्त एक और सर्वे किया। उसमें 23 लाख 57 हजार और ऐसे वंचित लोग पाये गये, जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा। हमने सैक सर्वे से अतिरिक्त एक और सूची बनायी है।

सभापति महोदय, 23 लाख 57 हजार लोग हमने ऐसे चिह्नित किये

(श्री सचिन पायलट)

हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं कि उनके मकान बन सकें, क्योंकि हमारा संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के न हो। उसे मकान में रहने का एक प्रावधान हो। यह संविधान में तो नहीं लिखा है, पर यह हमारी इच्छा शक्ति है कि कोई बेघर न हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान चौथा है। मैं समझता हूं, इस पर भी हमारे विभाग ने अच्छा काम किया है।

विकास योजनाओं को लेकर धन आबंटन के बारे में सदन को सूचित किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो योजनाएं बनायी जाती हैं सरकार बदलने के साथ उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी थोड़े समय के बाद हम सड़कों पर चर्चा करेंगे। आपकी सरकार आयी, आपने सड़कें घोषित कर दीं, काम पूरा नहीं हो सका। हमारी सरकार आयी, हम उन सड़कों को खारिज कर दें, नयी सड़कें घोषित कर दें, फिर कोई और सरकार आये, कुछ और हो, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें राजस्थान की भलाई के लिए काम करना है। उसके लिए हम चुनकर आये हैं।

हमारी सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की परिपाटी जो है, उसे मैं एक स्वस्थ परम्परा नहीं मानता हूं। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर, इस सदन का एक-एक सदस्य मिलकर एक नयी शुरुआत करें। अगर हम आपके काम कैंसिल करते रहें, आप हमारे काम कैंसिल करते रहें तो जनता पिसती है इसके अन्दर, इसलिए जैसा एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, हमने किसी भी जनता की भलाई की योजना को बदलने या खारिज करने का काम नहीं किया है।

सभापति महोदय, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि किसने नाम बदला, किसने नहीं बदला। उससे पहले हमारे इस पक्ष के लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दे दिये तो मैं समझता हूं, उस पर जाना उचित नहीं होगा। हमने एक दूरदृष्टि रखी है और हमने कहा कि जैसे शहरों में मास्टर प्लान बनता है तो गांवों का भी मास्टर प्लान बनना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने अगले तीस साल के लिए एक विलेज मास्टर प्लान की योजना बनायी है और वह योजना इसलिए बनायी है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर आज अतिक्रमण हो रहे हैं, लोग सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आबादी के बढ़ने के बाद आज से 10-15 साल के बाद बहुत देर हो चुकी होगी, जब हम लोग, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, पुलिस स्टेशन

(श्री सचिन पायलट)

हैं, उन सबको हम आज अगर चिह्नित करेंगे, मैं समझता हूं यह बहुत लाभदायक रहेगा।

जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, उन्हें हमने कहा कि आप अपनी योजना बनाएं और ग्राम पंचायत उसका अनुमोदन करने के बाद ग्राम सभा से अनुमोदन कराएगी। फिर अगले तीस साल तक एक रोडमैप तैयार रहेगा कि हमें जमीन का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क निर्माण हो, यूटिलिटी निर्माण हो, अगर हम उसे सैट अपार्ट नहीं करेंगे, मैं सोच रहा हूं, अगले कुछ समय में हम जमीन को सैट अपार्ट कर दें, ताकि वह उस पर्टिकुलर यूज के लिए हमेशा अवेलेबल रहे।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से हम स्वयं सेवी संस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज राजस्थान में 1 लाख 66 हजार 530 ऐसे सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, जो विलेज आर्गनाइजेंशंस हैं और ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे यहां 417 क्लस्टर लेवल फैडरेशंस हैं। लगभग 19 लाख 7 हजार ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो इस नैटवर्क से जुड़ चुके हैं।

आसान शर्तों पर ऋण मिले, अधिकांश इसमें महिलाएं काम करती हैं और जहां तक ऋण लेकर उसकी वापसी की बात है, हो सकता है बड़े-बड़े उद्योगपति या बहुत खरबपति लोग एन.पी.एस. बढ़ा देते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं, लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लोग हैं, 96 परसेंट ये जो पैसा उधार लेते हैं, ये लोग वापस कर देते हैं। हम इन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम करना चाहते हैं।

हम मंत्रालय के माध्यम से जयपुर, दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा और कोटा में जो हमारे हाईवे फैसिलिटी सैंटर्स हैं, जमीन जो पंचायती राज के पास है, हम राजीविका उन्हें देना चाहते हैं, ताकि वहां पर उन्हें फ्री में जमीन मिले और अपना जो उत्पादन वे करते हैं, उसे डिस्प्ले कर सकें और वहां पर कुछ न कुछ आय पैदा करने का मौका उन्हें मिले, ताकि ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, शहरों में बड़े-बड़े मॉल बन रहे हैं, शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर वे सुविधा प्राप्त करेंगे तो बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, देश में लोग गांव छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं, वहां शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, उद्योग का अभाव है, अच्छी सुविधाओं का अभाव है। अगर हम वे सुविधाएं, वे सारी फैसिलिटीज अगर सैमी-अरबन

(श्री सचिन पायलट)

या ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे तो मैं समझता हूं, पूरे देश के बड़े-बड़े शहरों में जो लोड है, उसमें भी हम कमी ला सकते हैं।

सभापति महोदय, हमने योजना शुरू की है, 'वन ब्लाक, वन प्रोडक्ट'। हम चिह्नित कर रहे हैं हर ब्लाक में वहां क्या उत्पादन अच्छा हो सकता है। हस्तकला से, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से, हैण्डलूम से, कढ़ाई से क्या उत्पादन कर सकते हैं। उनका जो प्रोडक्ट है, गरीब आदमी गुणवत्ता होते हुए भी उसे मार्केट नहीं कर पाता और हमें लगता है कि हम उसकी अगर मदद करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसकी हैण्ड होल्डिंग करेंगे तो उसे अच्छे दाम सीधे मिलेंगे, बिचौलिए उसमें कहीं नहीं आएंगे। उत्पादन हो, उसकी ब्रैंडिंग हो, पैकेजिंग हो, अच्छे माल पर उसको प्लेस किया जाए, ताकि लोग उसे खरीदकर ग्रामीण लोगों को और आर्थिक मदद देने का काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, अभी कुछ साथी परिसीमन को लेकर चर्चा कर रहे थे। यह सही बात है कि राजस्थान में पहले जब हमारी सरकारें थीं तो हम परिसीमन को उसके अंतिम छोर तक लेकर नहीं जा सकते थे, लेकिन इस बार मैंने मन बना लिया था कि चाहे धरती, पाताल और आसमान मिल जाएं, लेकिन परिसीमन का काम पूरा करेंगे। सभापति महोदय, यह काम मैं किसी साथी या दोस्त को करने के लिए एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यह बहुत टेढ़ा काम है। कई महीनों तक हमने मशक्कत की, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम इस उद्देश्य को लेकर चले थे कि पंचायतों का परिसीमन हो, अधिक पंचायतें बनें, अधिक पंचायत समितियां बनें, ताकि लोगों को सुविधाओं के लिए दूर तक न जाना पड़े।

परिसीमन का काम बहुत जटिल था। बहुत से आवेदन आये। बहुत लोगों ने मांग की। सभापति महोदय, पंचायत समितियों के लिए लगभग 170 आवेदन हमारे पास आये थे। हम सिर्फ 57 पंचायत समितियों को बना पाये हैं। नयी पंचायतों का निर्माण भी हमने किया। कहीं पर रिलैक्सेशन दिया, जो दूरगामी क्षेत्र थे, सीमावर्ती क्षेत्र थे, रेगिस्तान के क्षेत्र थे, 57 नई पंचायत समितियां बनीं और नई पंचायतें बनीं।

सभापति महोदय, कुछ साथियों ने यह जिक्र किया कि प्रशासक लगा दिये हैं, मैं सदन के पटल पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारी सरकार लोकतंत्र के पक्ष में हैं, चुनाव के पक्ष में हैं। धरातल पर चुने जाने वाले सरपंच, प्रधान, प्रमुख के लिए हम चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई

(श्री सचिन पायलट)

कोर्ट-कचहरी के माध्यम से जान-बूझकर रोड़े अड़ाना चाहता है, उन्हें भी हमने सबक सिखा दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट को भी, हमने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील की। हमने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें हैं, चुनाव कराने का काम हमारा नहीं है, चुनाव कराने का काम माननीय चुनाव आयोग करता है, लेकिन परिसीमन करने के बाद, पूरे कानून को फालो करने के बाद जो हमने रूपरेखा तैयार की, उसको हमने हाईकोर्ट में रखा, हमारी बात पूरी तरह मानी नहीं गयी, हम सुप्रीम कोर्ट गये और मुझे सदन को बताते हुए खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि अप्रैल के महीने में सभी चुनाव कराए जाएंगे, पंचायत समिति के भी और जिला परिषद के भी। हमारी सरकार की नीयत हमेशा से साफ थी, पर क्योंकि न्यायपालिका में मामला अड़ गया और उसका निराकरण करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी है, मैं आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गांवों में लोगों को शिक्षित करने का काम, मूलभूत सुविधा देने का काम, असैट क्रियेशन का काम, नरेगा का काम, ये सब हम लोग मिलकर कर रहे हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने की बात है या सड़कों का निर्माण करने की बात है, एक माननीय सदस्य तिजोरी की चाबी की बहुत बात कर रहे थे, तिजोरी की चाबी, सभापति महोदय, चाबी कहीं पर भी हो, विकास में कभी कमी नहीं आने देंगे, यह मैं आपको वादा करता हूं, सड़कों में भी और ग्रामीण विकास में भी। क्योंकि हम लोगों का सामूहिक लक्ष्य है कि जनता ने कुछ उम्मीद के साथ हमको चुनाव जिताकर भेजा था और उम्मीद यह थी कि राजस्थान में चहुंमुखी विकास होगा, लोगों के अरमानों को पूरा करने का काम हम करेंगे। उसमें मैं चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्य मिलकर करें। तेरा-मेरा हम लोग हमेशा करते हैं, चुनाव में, फिर आएंगे पंचायत के चुनाव, उसमें करेंगे, सरपंच के, प्रधान के, प्रमुख के, लेकिन जहां तक राजस्थान के लोगों की बात है, उसमें मैं समझता हूं कि लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, यही उम्मीद हमसे लोग करते हैं।

सभापति महोदय, पिछले साल 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हमने

(श्री सचिन पायलट)

महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर लगाये थे। इन शिविरों में अनेक लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पट्टा जारी करने का काम हमने उसमें अच्छी तरह किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि इन शिविरों के माध्यम से 1 लाख 37 हजार 751 पट्टे हम लोगों ने वितरण किये, जो लोग हमसे पट्टे मांगते थे।

जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे मंत्रालय का एक हिस्सा है, जो बायोफ्यूल से डील करता है। साथियों, बहुत संक्षिप्त में, बायोफ्यूल एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। भारत सरकार ने नियम, कानून बना रखा है, लेकिन राजस्थान देश का पहला स्टेट था, जहां हमने रूल्स को फार्मुलेट किया है। बायोफ्यूल के लिए भारत सरकार ने कहा कि अब डीजल के अन्दर 20 प्रतिशत बायोफ्यूल डाल सकते हैं, हाईस्पीड डीजल के अन्दर 20 प्रतिशत बायोफ्यूल डाल सकते हैं और जो स्टेटिक मशीनरी हैं, इन्वर्टर है, मोटर है, पम्प है, जनरेटर है उसमें हम 100 परसेंट बायोफ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल इस्तेमाल करने के अनेक लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि यह डीजल से 10-12 रुपये सस्ता है और 95 परसेंट प्रदूषण कम होता है। मैं सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जितना प्रदूषण फैल रहा है, जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे देश, दुनिया, राजस्थान में, उससे मुकाबला करने के हर फ्रंट पर हमको आगे आना पड़ेगा। तो कृपा करके, आने वाले कुछ समय में हम लोग पालिसी बना रहे हैं और आने वाले एक साल के अन्दर हम कम से कम 50 ऐसे आउटलेट पूरे प्रदेश में खोलेंगे जहां बायोफ्यूल हमको मिल सके। जेट्रोपा प्लांट की खेती के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं लेकिन बायोफ्यूल के जो रूल्स हमने बनाये हैं, इसके डिस्ट्रिब्यूशन के, इसके रिटैल आउटलेट्स के, यह महत्वपूर्ण है और मैं चाहता था कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं इसको आपके समक्ष रखना चाहता था कि इसमें धुआं, प्रदूषण 95 परसेंट कम होगा, डीजल से सस्ता है और जो स्टेटिक मशीनरी है, उसमें 100 परसेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व हाई स्पीड डीजल के अन्दर 20 परसेंट बायोफ्यूल डालने की केन्द्र सरकार ने राहत दी है।

सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य बैरवा साहब बोल रहे थे और डांग क्षेत्र में, मगरे में, मेवात क्षेत्र में विकास की बात कर रहे थे। हम लोग जो राज्य के एस्पिरेशन जिले हैं, सिरोही, जैसलमेर, बारां, करौली एवं धौलपुर और अन्य पिछड़े क्षेत्र की 13 पंचायत समितियां हैं, जिनको हम लोग चिह्नित कर

(श्री सचिन पायलट)

रहे हैं और आने वाले तीन सालों के अन्दर बेहतर प्लानिंग कर नरेगा से इनका कन्वर्जेंस कराकर टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर इन क्षेत्रों को विकसित करेंगे, ताकि यहां पर बेहतर कृषि उत्पादन हम लोग कर सकें। जो करौली, धौलपुर, चम्बल का इलाका है, जहां बड़ी-बड़ी रेवाइंस बनी हुई हैं उनका समतलीकरण कर, वाटर हार्वेस्टिंग कर उसको उस योग्य बनाएं कि वहां पर खेती हो सके और यह अगले तीन साल का लक्ष्य हमने मंत्रालय के माध्यम से तय किया है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल जब बजट पास हुआ था तो जुलाई का महीना आ गया था। उस समय हमने हर पंचायत के अन्दर चार काम दिये थे, चरागाह विकास का काम, मॉडल जलाशय विकास का काम, श्मशान अथवा कब्रिस्तान विकास का काम और खेल मैदान के विकास का काम। ये चार काम हमने प्रत्येक पंचायत को दिये थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि 94 परसेंट पंचायतों में इन चारों को किया गया है। इस योजना की सफलता को देखते हुए, हर पंचायत में एक गांव में किया गया था। अब हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जितने रेवेन्यू विलेज हैं, 44,500 रेवेन्यू विलेज हैं, आने वाले कुछ समय के अन्दर प्रत्येक रेवेन्यू विलेज के अन्दर इन चार कामों को कराना चाहते हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि सब साथी मिलकर काम करेंगे। चरागाह विकास, जलाशय विकास, श्मशान एवं कब्रिस्तान और खेल मैदान का विकास, ये हर रेवेन्यू विलेज में हम कराना चाहते हैं। इस योजना को हमने 'एक ग्राम चार काम' नाम दिया है। इसकी मोनिटरिंग हम लोग करेंगे।

सभापति महोदय, मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास का मंत्रालय है, इसमें अधिकारी काम करते हैं, लेकिन जो जन-प्रतिनिधि हैं, मैट कौन है, जे.टी.ओ. कौन है, बी.डी.ओ. कौन है, सी.ई.ओ. कौन है, वे अधिकारी हैं, लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायती राज के अन्दर प्रधान, प्रमुख, विधायक और सांसद, मैं ऐसा मानता हूं कि जो पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज हैं, हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों की जो-जो राय होगी और आप लोगों का जो मत होगा उसको प्राथमिकता देकर हम लोग काम करवाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति, कर्मचारी काम कर रहा है उसको वहां जाकर वोट नहीं लेना है, उसकी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पोलिटिकल

(श्री सचिन पायलट)

लीडरशिप है, उसको ताकत दें। सभी विधायक, सांसद, प्रमुख, प्रधान, मैं समझता हूं कि अगर इंटरेस्ट लेंगे तो हम मंत्रालय के माध्यम से उनको तवज्जोह भी देंगे, उनको ताकत भी देंगे, ताकि अधिकारी और प्रशासन के लोग हैं, उन पर आपका दबाव रहे और विकास के लिए आप लोग उनको दिशा -निर्देश दे सकें।

सभापति महोदय, इतने सारे 60-62 लोगों ने भाषण दिया और लगभग सभी सदस्यों ने सड़कों की मांग, पुलिया की मांग, स्टेट हाईवे, आर.ओ.बी., आर.यू.बी. की मांग की। सम्भव नहीं है कि मैं सभी सदस्यों की अलग-अलग चर्चा कर सकूं, लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. जो मंत्रालय है, उसके माध्यम से राजस्थान में 1 लाख 62 हजार किलोमीटर सड़कें हैं। इन 1 लाख 62 हजार किलोमीटर सड़कों का रख-रखाव भी करना है, विस्तार करके इनको हमें आगे भी ले जाना है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बात रखी है और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय सदस्य हेमाराम चौधरी जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि हेमाराम जी को न तो हम वी.आर.एस. लेने देंगे और न वी.आर.पी. लेने देंगे, ये इनकी दोनों मांगें खारिज कर रहे हैं, न वी.आर.पी., न वी.आर.एस.। इन्होंने जो दो ओ.डी.आर. की बात की है, हेमाराम चौधरी साहब, इसको हम एग्जामिन कर आगे कराने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं जो पढ़कर सुना रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सब संयम से सुनेंगे। मैं इसमें कटाक्ष करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या आरोप किसी को नहीं दे रहा हूं। जो वस्तुस्थिति है, उसका प्रदेश व सदन को जानने का अधिकार है, क्योंकि जितनी मांगें आप लोगों ने रखी हैं, मैं चाहता हूं कि हम सब मांगों को पूरा कर सकें, लेकिन जो स्थिति आज है उसके बारे में अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। पिछली सरकार के आखिरी बजट में, आखिरी साल के अन्दर, नई सड़क के कामों का जो बजट प्रोविजन था, वह 240 करोड़ था सभापति महोदय। 240 करोड़ का नये प्रोजेक्ट्स का, नई सड़कों का बजट प्रोविजन था और उसके विरुद्ध 5,644 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी, 5,644 करोड़ की। सवाल यह उठता है कि जब बजट नहीं था तो इतनी सारी स्वीकृति दे दी गयी, फाइनेंशियल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, पत्थर लग गये, नारियल फूट गये, रिबन काट दिये, तालियां बज गयीं। अब सरकार बदल गयी। पिछले 12-14 महीने में मैंने बहुत

(श्री सचिन पायलट)

कोशिश की कि कैसे हम उस कड़वाहट को खतम करें, क्योंकि यह सारी सड़कें कैंसिल करने में क्या जाता है सरकार का, पहले भी हुई हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि ऐसी कौनसी सड़कें हैं जो 240 करोड़ का बजट था, 5 हजार 644 करोड़ सैंक्शन कर दिये। अब दुविधा यह है कि प्राथमिकता कौन बनाये, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा यह मानस है कि काम कैंसिल नहीं करें, लेकिन जो काम आधे से ज्यादा हो चुके हैं, उनको प्राथमिकता दें। जो काम अभी शुरू हुए हैं उनको सैकिण्ड प्रायोरिटी पर ले लें और जो काम शुरू नहीं हो पाए हैं, उनको एक और कैटेगिरी में डाल दें।

मैं यह आपको बड़ी पारदिशता से बता रहा हूं। क्योंकि, इसके अलावा कोई चारा हम लोगों के पास नहीं है। क्योंकि, जो नये सदस्य चुनकर आए हैं, उनकी भी मांगें हैं। उनके भी क्षेत्र के लोग उम्मीद करते हैं तो कहीं न कहीं हमको संतुलन बनाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस राजस्थान में पहली बार 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों ने मानक तय किये और प्रथम चरण में 500 व अधिक आबादी के 342 गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाने के 1,140 किलोमीटर लम्बाई की डामर सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया, इस पर 403 करोड़ रुपये व्यय होंगे। विकास पथ के बारे में कई सदस्यों ने बोला, वर्तमान में जो ग्रामीण कांस्टीट्यूएंसीज हैं, 183 विधान सभा क्षेत्र हैं, वहां पर 174 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का काम चालू किया है, जिस पर 144 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हमारे माननीय सदस्य जगदीश चन्द्र जी बोल रहे थे, रोड सेफ्टी के बारे में, सड़क सुरक्षा, देश में प्रतिदिन कितनी मौतें होती हैं। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि जितनी जागरूकता हमारे अन्दर होनी चाहिए, जितना हमारा पोलिसी ओरियंटेशन, इन फेटेलिटीज को कम करने के लिए होना चाहिए, हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन, दुर्घटना कम करने के लिए, एक छोटी शुरूआत हम लोगों ने की है। अब हमने पांच किलोमीटर से अधिक, जो नई सड़कों का कार्य होगा। उसके डिजाइन के समय ही, हम सुरक्षा आडिट करवा रहे हैं। जो सुरक्षा आडिट होगा, वह सड़क बनने के बाद नहीं हो, जब डिजाइन हो, जब परिकल्पना हो, तब ही हम उसका सिक्योरिटी आडिट करवा दें। ताकि, आने वाले समय में हम लोगों को उसका

(श्री सचिन पायलट)

लाभ मिल सके। स्पीड ब्रेकर का निर्माण, जंक्शन सुधार, आवश्यक चेतावनी सूचना बोर्ड, पुलों की मरम्मत और सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को हम करा रहे हैं।

सभापति महोदय, हम लोगों ने ब्लैक स्पोट चिन्हित किये हैं। राज्य में 1,855 ऐसे ब्लैक स्पोट हैं, जो हमने चिन्हित किये हैं। उनमें से 1,050 को हम लोगों ने ठीक कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बाकी ब्लैक स्पोट को भी हम लोग ठीक कर सकेंगे।

सभापति महोदय, आज ओले पड़े, इस साल बारिश अच्छी पड़ी। इस अच्छी बारिश का हमको फायदा भी होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। क्योंकि सड़कों में टूट-फूट ज्यादा हो जाती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस बार बारिश में काफी सड़कें दुर्घटनागस्त हुईं। उनको हमें ठीक करना पड़ेगा, 52,277 किलोमीटर की सड़कें मरम्मत योग्य थीं। इस पर हम लोगों ने काम किया है। 26 जिलों की 6,127 सड़कों का हमने आपदा राहत से पैसा लिया है, 166 करोड़ और 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये हैं, अधिकांश जगहों पर काम हो गया है। जहां पर काम नहीं हो सका है। उसको हम लोग टेक-अप करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मलिंगा जी ने बाईपास की बात की। उसको हम आने वाले वित्त वर्ष में टेक-अप करेंगे, कैसे उसको करा सकते हैं। बलवान पूनियां साहब ने कहा कि जो आपका आर.ओ.बी. है। उस पर बोर्ड लगा हुआ, उस पर हम काम नहीं करा सकते। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो उसमें रुकावट हुई थी, उसका निराकरण कर लिया गया है। अगले एक महीने के अन्दर-अन्दर वह आर.ओ.बी. पूरी तरह सुचारु रूप से काम करेगा। मैं इस बात का आपको आश्वासन दे रहा हूं।

हमारे वरिष्ठ सदस्य अमीन खां साहब ने कहा कि बहुत चिट्ठियां लिखीं, बहुत बार हमसे मिले, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मैं अमीन खां साहब को बताना चाहता हूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हमने तीन सड़कों को मंजूर किया है, डिटेल मेरे पास हैं। उनमें से दो पी.एम.जी.एस.वाई. की हैं और बाकी जो आपने कहा था, उसको हमने टेक-अप किया है।

नरेन्द्र नागर जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय पर फोकस करते हुए सुझाव दिया था। सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार हम लोग ग्रामीण विकास में काम करते हैं, उसमें 260 काम हम लोग कर सकते

(श्री सचिन पायलट)

हैं। आपने कहा कि सामुदायिक भवन बना सकते हैं, बनाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए हम केन्द्र सरकार से बात करेंगे, यह एक अच्छा सुझाव है। लेकिन सामुदायिक भवन बनाने में कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन मूलतः मुझे लगता है, सुझाव योग्य है, इसको हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे।

कृष्णा पूनियॉ जी ने अपने क्षेत्र में आर.यू.बी. की बात की है। आर.यू.बी. और आर.ओ.बी. के बारे में, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कुल आर.ओ.बी. 58 हैं। उनमें से 28 आर.ओ.बी. रेलवे ओवर ब्रिज पर काम चल रहा है। जो नवीन प्रस्तावित हैं, वे 28 हैं। तो, 28 पर काम चल रहा है और 28 नये आर.ओ.बी. का प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया हुआ है।

आर.यू.बी., जो पूर्व में स्वीकृत हैं। वे 32 हैं। जिनमें से 28 पर काम चल रहा है और हमने ऐसे 26 और आर.यू.बी. चिह्नित किये हैं, जिन पर हम बहुत जल्दी काम चालू कराने वाले हैं। 32 जो पहले स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें से 28 पर काम चल रहा है और 26 आर.यू.बी. और चिहिन्त करने का काम उसमें कराने जा रहे हैं।

सड़कों को लेकर दो-तीन और बातें निकलकर सामने आयी थीं। मैं सदन को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर-नागौर और नागौर-बीकानेर, ये दोनों सड़कें बहुत लम्बे समय से लम्बित थीं। मुझे बताते हुए खुशी है कि अजमेर-नागौर, 148 किलोमीटर 255 करोड़ रुपये, नागौर-बीकानेर, 108 किलोमीटर 370 करोड़ रुपये, इन दोनों को स्वीकृति दे दी गयी है और बहुत जल्द इन पर काम चालू हो जाएगा।

सभापति महोदय, दो एक्सप्रेस-वे भारतमाला के नाम से बन रहे हैं, 1,011 किलोमीटर की लम्बाई है। यह 22 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। अलवर, भरतपुर, दौसा, माधोपुर, टोंक, बूंदी व कोटा से गुजरेगा। जो दूसरा वाला है, अमृतसर-जामनगर, वह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले से गुजरेगा। दो-तीन सदस्यों ने कहा कि जालौर जिले में, कुछ हमारे किसान भाई मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, बड़ा गम्भीर विषय है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जितना प्रदेश सरकार से सहयोग होगा, हम लोग करेंगे और केन्द्र सरकार से बात करके, जितना हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त हम दिलवा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। रूल्स, प्रावधान, कानून के तहत जितनी भी हम वकालत कर सकते हैं, हम करेंगे। मैं समझता हूं कि सड़क निर्माण में केन्द्र

(श्री सचिन पायलट)

सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। योजना में विलम्ब हो, यह कोई नहीं चाहता और न ही हममें से कोई चाहता है कि किसानों को मार्केट रेट से कम या उनको कम धनराशि मिलें। मैं खुद इस बात की हमेशा से वकालत करता हूं कि जमीन किसान की एक पूंजी होती है और उसको अगर हम ले लेते हैं। जीवन में उसको, उसके बच्चों को, पोतों को और कुछ काम करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी सहानुभूतिपूर्वक जितना भी हमसे बन पड़ेगा, और जो किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी हम मदद करने के लिए भारत सरकार से बात करेंगे।

सभापति महोदय, एक और सड़क निकल रही है। जो किशनगढ़ से गुजरात बोर्डर तक जाती है। टीलवाडा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, सिक्स लेन का इस पर काम चल रहा है। आप सभी को मालूम है हिन्दुस्तान में जो पहली सिक्स लेन रोड, बनी थी वह राजस्थान में बनी थी, जयपुर से किशनगढ़। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर सड़कों का जाल जो बना है, यह मैं समझता हूं बहुत अच्छा है लेकिन और विस्तार करने की जरूरत है। जो सड़कों की कोस्ट आफ डिलीवरी है, वह बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि हमारा पश्चिमी राजस्थान का इलाका बहुत बड़ा है। इसीलिए हम लोगो ने संसाधानों को पूरा करने के लिए हर सोच को टेप करने का काम किया है।

सभापति महोदय, एशियन डवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने 6 कामों के लिए 474 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 190 मिलियन डालर का समझौता किया है। इसी प्रकार हमने वर्ल्ड बैंक से 250 मिलियन डालर का समझौता किया है। उसमें 330 किलोमीटर के लिए 3 काम लिये हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें हमारी सरकार ने और प्रदेश ने अच्छा काम किया। इसीलिए, जैसा मैंने पहले कहा केन्द्र सरकार ने हमको अतिरिक्त सड़कें आबंटित की हैं, इस पी.एम.जी.एस.वाई. का जो थर्ड फेज है। उसके अन्तर्गत मार्च, 2025 तक राज्य की 8,663 किलोमीटर सड़कों का हम लोगों ने उत्थान करने के लिए 4,245 करोड़ का अनुमान लगाया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रथम चरण में 2,198 किलोमीटर लम्बाई की सड़क के लिए 1,140 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं।

किशनगढ़ से आने वाले हमारे माननीय सदस्य बार-बार बोल रहे थे कि मेरा किशनगढ़, मेरा किशनगढ़, मेरा किशनगढ़। किशनगढ़ मेरा भी है,

(श्री सचिन पायलट)

टाक साहब, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करो आपने जो मेन सड़क की बात की है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वित्त वर्ष में कहीं न कहीं से संसाधन लाकर उस सड़क का काम हम चालू कराएं, लेकिन वह हमारा किशनगढ़ है वह सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है ...(व्यवधान) वहां से मैं सांसद रह चुका हूं इसलिए मेरा फर्ज ज्यादा बनता है काम करने का। सड़कों की दृष्टि से यह बात सच है कि संसाधन कम थे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि बिना राजनीतिक द्वेषता की भावना रखते हुए, आज सुबह से मेरे पास 9 घंटे में इतना पोथा आ गया सड़कों की आप सब की डिमांड्स का, मैं चाहता हूं कि हम लोग संतुलित तरीके से, लगना नहीं चाहिए कि प्रदेश में कड़वाहट है। आप लोगों की सरकार ने जो सैंक्शन किये थे, हम उनको प्राथमिकता से ले सकते हैं, कौन-कौन से कब कर सकते हैं उनमें से जो नये हैं उसमें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन यह है, हमारी नीयत यह है, सभापति महोदय, कि प्रदेश की जनता को लाभ मिले। यह तेरा-मेरा हम करेंगे, मैंने पत्थर फोड़ दिया, मैंने नारियल फोड़ दिया, मैंने घोषणा करवा दी, मैंने सैंक्शन करवा दिया, अल्टीमेटली उस सड़क पर इंसान चलेगा वह किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वह इस प्रदेश का नागरिक है, उसको पूरा अधिकार है सरकार से डिमांड करने का, सरकार इनकी हो या हमारी हो।

इसलिए मैं समझता हूं कि सड़कों के लिए कम से कम हम सब मिलकर काम करें। आप लोगों ने कहा कि मिसिंग लिंक का प्रावधान होना चाहिए, एम.एल.एज. को अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रवार कोटा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन सभी सुझावों पर हम लोग गौर करके बहुत जल्दी एक सार्थक निर्णय लेंगे। अर्जुन लाल जी यहां बैठे हुए हैं। मुझे बताते हुए आप सबको जानकारी नहीं होगी, लेकिन पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें अगर कहीं अलाट हुई हैं तो कपासन में हुई हैं। इनको मैंने आश्वस्त भी किया है जिन सड़कों का काम चालू नहीं हो पाया है, उनका काम चालू करेंगे। राजस्थान भर में सड़कों का जाल अच्छा है। जो बाहर से लोग, पर्यटक आते हैं, प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, हर व्यक्ति हमको बोलता है कि राजस्थान की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अच्छी होने का मतलब यह नहीं है कि हम लोग इस पर संतुष्ट हो जाएं। हम चाहते हैं इसको और करें जहां फोर लेन है वहां सिक्स लेन करें। जहां कच्ची है, वहां डामर करें और प्रत्येक गांव को, राजस्थान का कोई गांव, ढाणी ऐसा नहीं रहना चाहिए अगले चार-पांच सालों

(श्री सचिन पायलट)

में जहां हम सड़क नहीं पहुंचा सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन.एफ. कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका बहुत अमीर है। अमेरिका अमीर ही इसलिए है कि क्योंकि हमारी सड़कें अच्छी थीं। जिस प्रदेश की सड़कें बन जाती हैं, इकोनोमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, आवागमन बढ़ जाता है, टूरिज्म बढ़ जाता है, उद्योग लगते हैं, डवलपमेंट होता है, इकोनोमिक गतिविधि बढ़ती है। इसलिए सड़कों में हमें लगता है कि दिल खोलकर काम करना चाहिए। तेरा-मेरा छोड़कर, जो क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए जरूरी है, उसको छूना चाहिए। हमारे चाहे रेगिस्तान का क्षेत्र हो, पश्चिमी राजस्थान का हो, ट्राइबल बैल्ट हो या दूरदराज के इलाके हों, उन सब जगह तक सड़कों का जाल पहुंचे, इस मंशा से हम लोग काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कुछ बातें हैं जो पी.डब्ल्यू.डी. के डिपार्टमेंट की हैं, मैं चाहता हूं कि सदन को एक औपचारिक रूप से सूचित कर सकूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज-3 के लिए 2,200 किलोमीटर सैंक्शन हो गयी हैं। प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों पर विकास पथ पूर्ण हो गया है। अगला चरण हम लोग बहुत-जल्दी टेकअप करेंगे। आगामी वर्ष में एक आर.ओ.बी. व 16 आर.ओ.बी. का निर्माण पूरा करना व 19 नवीन आर.ओ.बी. का काम प्रारम्भ करने की घोषणा कर रहा हूं। राज्य में हम लोगों ने आप जानते हैं, सभापति महोदय, हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था बूंदी में, और अनेकों बार हमने देखा है कि पुल के ऊपर कई कमियां रह जाती हैं, उससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि यातायात में, ट्रैफिक में रोड एक्सीडेंट जो बढ़ रहे हैं, उसको गंभीरता से हम लोगों ने लिया है और हमने जितने भी सारे पुल है प्रदेश भर के, उनका हमने आडिट करवाया है। आडिट में हमने पाया हैं कि, 135 हम लोगों ने ऑडिट किए, उनमें से 26 पुल ऐसे ,हैं जिनका हम लोगों को पुनरुद्धार करना पड़ेगा। इन 26 पुलों की दोबारा से रिपेयर, मेंटेनेंस पुख्ता करने की मैं सदन में घोषणा कर रहा हूं कि 26 पुल हैं, उनको पूरा टेकअप करके बढ़िया बना देंगे। आगामी वर्ष में 850 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कों का काम, 600 किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक की सड़कों का काम और 350 किलोमीटर का सीमेंट ब्लाक का निर्माण काम पूरा करने की हम घोषणा कर रहे हैं। आगामी वर्ष में राज्य सड़क नीति के अन्तर्गत, स्टेट रोड फंड के अन्तर्गत 2,000 किलोमीटर लम्बाई

(श्री सचिन पायलट)

की सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का काम पूरे करने की मैं घोषणा करता हूं। सी.आर.एफ., आगामी वर्ष में सेंट्रल रोड फंड के अन्तर्गत राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों की 300 किलोमीटर लम्बाई में विकास काम पूरा करने की मैं घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष में पीपी.पी. योजना में ए.डी.बी. और विश्व बैंक से हमने जो ऋण लिया है, जो समझौता किया है, उसके अन्तर्गत 500 किलोमीटर की लम्बाई की सड़कों को हम लोग चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं। आगामी वर्ष में, सभापति महोदय, नाबार्ड योजना के तहत 1,100 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण कार्य पूरे करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। ये सारी घोषणाएं हम समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहते हैं।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने बिल्डिंग्स के बारे में कहा, डाक बंगले के लिए कहा, रैस्ट हाउस की बात की, तो, सभापति महोदय, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं साफ बोलना चाहता हूं कि फिलहाल इस आने वाले वित्त वर्ष में कोई भी नया हम डाक बंगला या कोई ऐसा निर्माण ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारी जर्जर बिल्डिंग्स हैं, जो बनी हुई हैं, उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वे धरोहर हैं, हमारी कई एंटीक बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है, मैं चाहता हूं कि उसका सदुपयोग किया जाए। एक डाक बंगला अगर नहीं भी बनेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हमारी सड़कों पर अगर हम कम खर्च कर पाएंगे या सेफ्टी के प्रोग्राम्स को हम आगे नहीं लेकर जाएंगे तो हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि मेरे पास कोई चारा नहीं है कि राजस्थान में अगले वित्त वर्ष में डाक बंगले के लिए मैं यहां किसी सदस्य को हां भर दूं, वह सम्भव नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर हम काम करेंगे। विभाग के मेरे सभी साथी यहां बैठे हैं। इस सदन के अन्दर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में मुझे लगा कि सभी साथी चाहते हैं कि राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर हो, सभी हम सदस्य चाहते हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करें, सड़कों के निर्माण की बात करें। सड़कें अच्छी बनेंगी, प्रदेश विकसित होगा, हम सब का मान-सम्मान बढ़ेगा। आज दिन भर लोगों ने रुचि दिखाई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, पंचायती राज के तहत सड़कों के निर्माण को लेकर और हम सब साथी अपने-अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। इसीलिए

(श्री सचिन पायलट)

सड़कों के लिए हम अर्जी देते हैं, भाषण देते हैं और हम चिंतित रहते हैं कि नरेगा को हम कैसे और सुदृढ़ करें, कैसे और पारदर्शी बनाया जाए, हमारी जो ग्रामीण योजनाएं हैं, धरातल तक वह पैसा कैसे पहुंचे, यह मैं समझता हूं कि हमारे हर विधायक के जेहन में चिंता रहती है, इसीलिए हम सब लोगों ने इतनी रुचि लेकर 9 घंटे तक बहस की।

मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बजट पास होने के बाद, क्योंकि ये जुलाई से लेकर मार्च तक का बहुत कम समय रहा, इस बजट के पारित होने के बाद राजस्थान को विकास में हम पीछे नहीं आने देंगे। सबका हम सहयोग लेकर चलेंगे। आप सबको मैं एक बार पुन: आश्वस्त करता हूं कि जिन मंत्रालयों की हम जिम्मेदारी लेकर आज आपके बीच बजट लेकर आये हैं, आपने सुझाव दिये, सवाल पूछे और जिन-जिन विधायकों का, जिन-जिन हमारे माननीय सदस्यों का जिक्र मैं नहीं कर पाया हूं, कृपया करके ऐसा मत समझिये कि मेरे जेहन में नहीं है, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। आपकी सारी स्पीच हमने रिकार्ड की है, एक-एक माननीय सदस्य की, सभापति महोदय, एक-एक माननीय सदस्य की सारी मांगों पर मैं व्यक्तिगत रूप से बैठकर के चर्चा करूंगा। आप सब लोगों को संतुष्ट करूंगा। अगर सौ परसेंट संतुष्ट नहीं कर पाया, तो कम से कम 80 परसेंट संतुष्ट करने का मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं। अंत में कहना चाहता हूं 'सड़कें विकास की कहानी कहती हैं, ये वे नदियां, जिन पर उन्नति बहती हैं। हम यह कहानी कहने का हौसला ले चले हैं, तूफां के बीच तरक्की का कारवां ले चले हैं।' सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं कि आप ये पास करा दें।

श्री सभापति: मांग पास कराने का प्रस्ताव करें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल एवं मांग संख्या 28 -ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम सदन द्वारा पारित किए जाएं।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य

श्री सभापति: प्रश्न यह कि मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,97,72,62,000/- (पन्द्रह अरब सतानवे करोड़ बहत्तर लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,83,70,83,000/- (उनहत्तर अरब तिरासी करोड़ सत्तर लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,59,28,80,000/- (सात अरब उनसठ करोड़ अट्ठाइस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 06 मार्च 2020 के प्रात: 11.00 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.50 बजे शुक्रवार, दिनांक 06 मार्च 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मुण्डावर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

327. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कितने विद्युत उपभोक्ता हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(3) क्या सरकार मुण्डावर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विद्युत के कुल 68,331 उपभोक्ता हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	**उप खण्ड का नाम**	**उपभोक्ताओं की संख्या**
1	मुण्डावर	23023
2	सोडावास	22665
3	नीमराना	22643
	कुल	**68331**

(2) सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 22,000 एवं शहरी क्षेत्र में 28,000 उपभोक्ताओं का होना आवश्यक है तथा अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के लिए 90,000 उपभोक्ता होना आवश्यक है।

(3) जी नहीं। अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के लिए 90,000 उपभोक्ता होना आवश्यक है, जबकि मुण्डावर में 68,331 उपभोक्ता हैं।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित एवं उनके उत्तर

गोगामेड़ी मन्दिर में चढ़ावे व दुकानों से प्राप्त आय

329. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विगत पांच वर्षों में गोगामेड़ी मन्दिर में चढ़ावे एवं मेला क्षेत्र में दी गई दुकानों से सरकार को कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 के मेले पर विभाग का कुल कितना व्यय हुआ तथा उक्त व्यय किस-किस मद में हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मुख्य मन्दिर के सामने बैरिकेटिंग व छाया तथा अहाते को पक्का कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगा जी गोगामेडी मन्दिर में चढ़ावे से कुल आय रुपये 12,17,72,923/- (बारह करोड़ सत्रह लाख बहत्तर हजार नौ सौ तेईस मात्र) एवं मेला क्षेत्र में दुकानों से कुल आय रुपये 17,78,63,355/- (सत्रह करोड़ अठहत्तर लाख तिरेसठ हजार तीन सौ पचपन मात्र) हुई। गत पांच वर्षों का वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2019 के मेले पर विभाग का कुल खर्च 98,81,437/- (राशि अठानवे लाख इक्यासी हजार चार सौ सैंतीस रुपये) राशि हुआ। मदवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में मुख्य मन्दिर के सामने बैरिकेटिंग व छाया, अहाते को पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ब्यौरा व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा सम्भाग की नहरों के जीर्णोद्धार की योजना में अनियमितताओं की शिकायतें

330. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(1) क्या सरकार द्वारा कोटा सम्भाग में नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 1,274 करोड़ रुपये की कोई योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) वर्तमान में उक्त योजना की क्या स्थिति है तथा उक्त योजना में कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है व कितना कार्य अब तक शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को उक्त योजना में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या व उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बारां सहित पूरे कोटा सम्भाग में नहरों में सीपेज होने से नहरी पानी व्यर्थ बह रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा सरकार इसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में चम्बल परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि रु. 1,274.00 करोड़ के कार्य नाबार्ड की सहायता से करवाये जाने की घोषणा की गयी थी।

(2) वर्तमान में उक्त योजना के तहत नाबार्ड से वित्त पोषण उपलब्ध होने के अनुसार चरणबद्ध रूप से कार्य करवाये जा रहे हैं। जिन पर माह जनवरी 2020 तक राशि रु. 709.35 करोड़ के कार्यादेश के विरुद्ध राशि रु. 248.57 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 65 प्रतिशत कार्य अभी शेष है।

(3) जी हां। चम्बल नहरों के प्रथम चरण के जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच बाबत मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। संवेदक को डिफेक्टिव कार्य तोड़कर पुनः किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। संवेदक ने एक पैकेज से सम्बन्धित डिफेक्टिव कार्य को दुरुस्त किया। शेष तीन पैकज में कार्य की गुणवता निर्धारित मापदण्डों अनुसार न होने एवं धीमी प्रगति के कारण अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही करते हुए संवेदक के जोखिम एवं लागत पर गुणवत्ताहीन कार्य के पुनर्निर्माण को सम्मिलित करते हुए दूसरे संवदेक को कार्य आबंटित कर दिये गये थे। कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर एक कनिष्ठ अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

तथा अधिशासी अभियन्ता को सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।

(4) जी हां। चम्बल कमाण्ड की नहरें 60 वर्ष पुरानी होने के कारण उनमें से पानी का रिसाव होता है। नहरों में रिसाव को कम करने के लिए चम्बल रिवेम्पिंग परियोजना के तहत नहरों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है।

बामनवास में राशन कार्डों के दुरुपयोग पर कार्यवाही की कार्ययोजना

331. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कुल कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं? उक्त राशन कार्डों में से जांच में कितने राशन कार्ड फर्जी पाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशन कार्डों का दुरुपयोग करके उपभोक्ताओं द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले लिया गया है अथवा सब्सिडी उठा ली गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2015 से अब तक 98,939 नये राशन कार्ड जारी किये गये। सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 2,602 दोहरे राशन कार्डों की भौतिक सत्यापन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना

332. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत

(श्रीमती मीना कंवर)

विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना लागू है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में वर्तमान में प्रदेश में कितने विद्यार्थियों का बीमा किया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त योजना लागू होने से लेकर अब तक कितने बीमित विद्यार्थियों के दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले दर्ज हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त दर्ज प्रकरणों में विद्यार्थियों के अभिभावकों को सम्पूर्ण दावा राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व किन कारणों से? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योजना में अभिभावकों को बकाया दावा राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उक्त योजना का संचालन वर्ष 1996 से किया जा रहा है तथा वर्ष 2011 में योजना का नवीनीकरण किया गया।

उक्त योजना से सम्बन्धित मानदण्डों की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) **माध्यमिक शिक्षा**

उक्त विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना में वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12वीं तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का बीमा किया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा

उक्त विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना में वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सत्र 2019-20 में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कुल 33,00,398 विद्यार्थियों का बीमा किया गया है, जिलेवार विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(3) **<u>माध्यमिक शिक्षा</u>**

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना वर्तमान स्वयं में पालिसी वर्ष 2011 से लागू है। अतः 2011 से वर्तमान तक जितने विद्यार्थियों के दुर्घटना दावों के मामले दर्ज हुए हैं, उनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है।

<u>प्रारम्भिक शिक्षा</u>

प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अब तक कुल 1,730 विद्यार्थियों की दुर्घटना में मुत्यु होने के मामले दर्ज हुए हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ड़' पर संलग्न है।

(4). **<u>माध्यमिक शिक्षा</u>**

उक्त दर्ज प्रकरणों में से जिन प्रकरणों में दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा जिन प्रकरणों में दावे अस्वीकृत किये जा चुके हैं, का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''च'' पर संलग्न है।

<u>प्रारम्भिक शिक्षा</u>

उक्त दर्ज प्रकरणों में विद्यार्थियों के अभिभावकों को कुल 1,681 प्रकरणों में दावा राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं शेष रहे प्रकरण का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ड'' में सम्मिलित है।

(5) **<u>माध्यमिक शिक्षा</u>**

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा योजना के मानदण्डों के क्रम में ही जारी की गई पालिसी में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अनुसार ही दावे स्वीकृत/खारिज किये जाते हैं। उक्त योजना में प्राकृतिक रूप से मुत्यु होने पर, भुगतान देय नहीं होता है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 26 दावे प्रक्रिया में हैं, जिनमें जांच का कार्य जारी है, जांच उपरान्त सही पाये जाने पर नियमानुसार शीघ्र भुगतान की कार्यवाही बीमा विभाग स्तर से की जानी है।

<u>प्रारम्भिक शिक्षा</u>

यदि किन्हीं कारणो से प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों के दावे लम्बित रहते हैं तो आवश्यक आक्षेपों की पूर्ति करवाकर बकाया प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय के माध्यम से करवाया जाता है।

(मानदण्ड व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

333. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सलूम्बर कारागृह का नवीन भवन निर्माण

362. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सलूम्बर स्थित उप कारागृह मे बैरकों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त कारागृह का भवन जर्जर, व्यस्ततम स्थान पर होने के कारण से इसे अन्यत्र स्थानान्तरित कर सुरक्षात्मक व क्षमता युक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उप कारागृह, सलूम्बर में क्षमता से अधिक कैदियों को नहीं रखा जा रहा है। उप कारागृह, सलूम्बर की बंदी क्षमता 84 बंदियों की है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 38 बंदी निरुद्ध हैं।

(2) वर्तमान में कारागृह भवन जर्जर स्थिति में नहीं है और उप कारागृह भवन के समीप कस्बे में अधिक भीड़-भाड़ नहीं हैं। वर्तमान में कारागृह की 84 बंदी क्षमता के विरुद्ध 38 बंदी ही निरुद्ध हैं, जिससे कारागृह में जनाधिक्य की समस्या नहीं है। उप कारागृह सलूम्बर को अन्यत्र स्थानान्तरण करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

डूंगरपुर में अंग्रेजी शराब पर प्रतिबन्ध की योजना

363. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर में महुआ के फल का रस निकालकर पीते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिए आदिवासियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज नहीं किये जाकर उन्हें विशेष छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर में अंग्रेजी शराब को प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर में महुआ के फल का रस निकाल कर उसे सीधे नहीं पीया जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य में महुआ के फल के रस से निर्मित होने वाली हथकड़ शराब के प्रकरण में आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है एवं वर्तमान में मुकदमे दर्ज नहीं करने की विशेष छूट देने का विचार नहीं है।

(2) सरकार का आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर में अंग्रेजी शराब को प्रतिबंधित करने सहित वर्तमान में शराबबंदी लागू करने का विचार नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्यसंयम नीति घोषित की गयी है, जिसमें मद्यसंयम के प्रावधानों पर अधिक बल दिया गया है।

पेट्रोल-डीजल पर जी.एस.टी. की दरों में कमी करने की योजना

364. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगातार हो रही वृद्धि के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर में कटौती की गयी है? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जी.एस.टी. को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षो में जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त कब-कब पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि हुई तथा इससे राज्य के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह फरवरी, 2020 में क्रूड आयल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य में कमी के कारण पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्य कम हो गये। केन्द्र सरकार ने

(वित्त मंत्री)

पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य को 26 जून, 2010 और 19 अक्टूबर, 2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओ.एम.सी.) पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में उनके अन्तराष्ट्रीय मूल्यों व अन्य बाजार दशाओं के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेती हैं। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर लगाये जाने वाले कर (वैट) में 10 सितम्बर, 2018 को 4 प्रतिशत की कमी की गयी थी। उसके उपरान्त कर में कोई कटौती नहीं की गयी है।

(2) पेट्रोल एवं डीजल पर वर्तमान में जी.एस.टी. लागू नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 279 ए(5) में प्रावधान है कि जी.एस.टी. काउन्सिल उस तारीख की सिफारिश करेगी, जिससे हाई स्पीड डीजल और मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) पर माल और सेवा कर वसूला जायेगा। वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट वसूला जाता है।

(3) केन्द्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों को 26 जून, 2010 और 19 अक्टूबर, 2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओ.एम.सी.) पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में उनके अन्तराष्ट्रीय मूल्यों व अन्य बाजार दशाओं के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने 16 जून, 2017 से देश भर में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में दैनिक संशोधन कार्यान्वित किया है। अन्तरराष्ट्रीय मूल्य के आधार पर ईंधन मूल्यों का संशोधन प्रतिदिन किया जाता है। प्रतिदिन संशोधन होने से पेट्रोल एवं डीजल के दामों में हुई वृद्धि या कमी के कारण राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा रखा जाना सम्भव नहीं है।

जिला मुख्यालयों पर किसान भवनों का निर्माण

365. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसान भवन बने हुए हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन जिला मुख्यालयों पर किसान भवन नहीं बने हुए हैं उक्त में किसान भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसान भवन सभी जिलों में निर्मित हैं, सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला सिरोही का किसान भवन आबू रोड में निर्मित होने के कारण उक्त जिला मुख्यालय पर वर्तमान में किसान भवन बनाया जाना विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कठूमर के सड़कविहीन गांव

366. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में ऐसे कितने ग्राम हैं, जिनकी आबादी 500 या 500 से अधिक है एवं जिन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 500 या 500 से अधिक की आबादी के डामर सड़क से नहीं जुडे तीन गांव हैं। सूची परिशिष्ट ''1'' पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त तीन गांवों में से एक गांव की स्वीकृति जारी की जाकर कार्यादेश जारी किया जा चुका है एवं शेष दो गांवों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

गोगुन्दा में स्वीकृत सड़कें

367. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत दो वर्षों में कितनी सड़कें, कितनी राशि की, किस मद में कहां से कहां तक कितने किलोमीटर की स्वीकृत की गयीं?

(2) उक्त में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कितनी सड़कों का अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत सड़कों को पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत दो वर्षों में 78 सड़कें 4,340.24 लाख रुपये की 191.75 किलोमीटर लम्बाई की स्वीकृत की गयीं। विवरण परिशिष्ट ''1'' पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों में से 36 सडकों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 42 सड़कों का कार्य अपूर्ण है। विवरण परिशिष्ट ''2'' व ''3'' पर प्रस्तुत है।

(3) स्वीकृत सड़कों को वांछित बजट की अनुपलब्धता के कारण समयानुसार पूर्ण नहीं किया जा सका।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन में स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण

368. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में स्वच्छ भारत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 से 31 जनवरी, 2020 तक कुल कितने शौचालय बने? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कितने शौचालयों का निर्माण शेष है, कितने प्रक्रियाधीन हैं? क्या सरकार भविष्य में भी उक्त योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण जारी रखने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में किस-किस को भुगतान करना शेष है तथा उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2015 से अब तक कुल 22,388 शौचालय बने हैं, ग्राम पंचायतवार एवं नामवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न हैं।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत कुल 4,134 लाभार्थियों के शौचालय शेष व निर्माण प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में शौचालय निर्माण प्रक्रियाधीन है।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत कुल 4,134 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना शेष है, सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सूरजगढ़ में निर्मित सड़कों की जांच

369. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच निर्धारित लैब से ही करायी जानी आवश्यक है? यदि हां, तो कौन-कौनसे निर्माण कार्यों की जांच? विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में निर्मित सड़कों की जांच कौन-कौनसी लैब से करवायी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों की जांच निजी लैब से करवायी गयी है? यदि हां, तो निजी लैब की प्रमाणिकता का निर्धारण किस स्तर पर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी लैब के आधार पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजना की राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का उक्त अवधि में समायोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच निर्धारित लैब से ही कराये जाने के निर्देश हैं।

सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2018-19 व 2019-20 में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित 169 सड़कों की जांच, पंचायत समिति सूरजगढ़ कार्यालय एवं पंचायत समिति बुहाना कार्यालय में संचालित विभागीय लैब से करवाई गयी है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सड़क कार्यों की जांच प्राइवेट लैब से नहीं करवाई गयी है।

(3) जी नहीं। उक्त अवधि में प्राइवेट लैब की जांच के आधार पर कोई भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि का समायोजन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में विद्युत दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिवारों का मुआवजा

370. श्री कालूराम (डग): क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के गांवों (ठिकरिया व भीमणा) में 11 K.V. लाइन के ढीले हुए तारों, टूटे पोल को बदलने तथा उक्त गांवों में दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई व्यक्तियों के परिवारों को क्या सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि कनेक्शन कौनसे वर्ष तक के जारी किये गये हैं? शेष कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम ठिकरिया व भीमणा से जुड़े 11 केवी लाइन में कोई भी पोल टूटा हुआ एवं तार ढीले नहीं हैं, समय-समय पर सूचना मिलने पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करके समस्या का निस्तारण कर दिया जाता है। उक्त गांवों में "फीडर इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम" व "लोड रिडक्शन प्रोग्राम" योजना के तहत समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिये गये थे।

विधान सभा क्षेत्र डग के गांवों (ठिकरिया व भीमणा) में दो आमजन की घातक दुर्घटनाए हुई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

सूरज सिंह पुत्र श्री मांगीलाल-प्रकरण न्यायालय के अन्तर्गत प्रकियाधीन है।

लालाराम पुत्र श्री प्रभुलाल-वृत स्तर पर प्रकरण की जांच प्रकियाधीन है। जांच कमेटी के निर्णयानुसार मुआवजा देय होगा।

(2) वर्तमान में सामान्य श्रेणी के दिनांक 31 जनवरी, 2012 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों यथा बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य श्रेणी के आवेदकों के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता से जारी कर मांग पत्र राशि जमा होने पर सामान की उपलब्धता

(ऊर्जा मंत्री)

के अनुसार प्राथमिकतानुसार विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। दिनांक 31 जनवरी, 2012 के बाद आवेदित सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन बजट घोषणा में दिये गये वार्षिक लक्ष्य के आधार पर आवश्यकतानुसार कट-आफ-डेट आगे बढ़ाकर जारी किये जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

माण्डलगढ़ में चम्बल परियोजना से जुड़ने से वंचित ग्राम

371. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में डाली गई चम्बल परियोजना की लाइन से पंचायतों के छोटे-छोटे राजस्व ग्राम वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजस्व ग्रामों को उक्त परियोजना की पेयजल लाइन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के 2 कस्बे क्रमश: माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 359 ग्रामों को चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना के स्वीकृत द्वितीय चरण के पैकेज 6 (कोटड़ी तहसील के 51 ग्राम), पैकेज 7 (कोटडी तहसील के 22 ग्राम) तथा पैकेज-8 (2 कस्बे, माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया तहसील के क्रमश: 179 एवं 107 ग्राम) के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रावधित है।

उक्त वर्णित तीन पैकेजों में से पैकेज 6 का कार्य पूर्ण किया जाकर कोटड़ी तहसील के 51 ग्राम, पैकेज 7 अन्तर्गत कोटड़ी तहसील के 8 ग्राम एवं पैकेज 8 अन्तर्गत 42 ग्राम (तहसील माण्डलगढ़ के 41 ग्राम एवं तहसील बिजौलिया का 1 ग्राम), इस प्रकार कुल 101 ग्रामों में उक्त परियोजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

पैकेज 7 एवं 8 के क्रमश: 82% एवं 64% कार्य अब तक पूर्ण कर लिये गये हैं। पैकेज 7 के अन्तर्गत तहसील कोटड़ी के शेष 14 ग्रामों को माह अप्रैल, 2020 तक तथा पैकेज-8 के अन्तर्गत शेष 244 ग्रामों (तहसील माण्डलगढ़ के 138 ग्राम एवं तहसील बिजौलिया के 106 ग्राम) को चरणबद्ध रूप से माह नवम्बर, 2020 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

वर्ष 2001 की जनगणना के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के 36 नवराजस्व ग्राम एवं 145 ढाणियों सहित भीलवाड़ा जिले के कुल 199 नव-राजस्व ग्राम तथा 1337 ढाणियों की जल मांग परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्व से ही सम्मिलित है।

इन ग्राम एवं ढाणियों को तृतीय चरण के अन्तर्गत क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु सर्वे एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने के कार्य की विभागीय वित्त समिति की 745वीं बैठक दिनांक 18.06.2018 द्वारा राशि रुपये 140.72 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार करने के कार्य की वित्त विभाग से वित्तीय सहमति लेने हेतु प्रकरण पर कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। वित्तीय सहमति उपरान्त तृतीय चरण की प्रस्तावित परियोजना की डी.पी.आर. तैयार कराने की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी।

छबड़ा में डिमाण्ड राशि जमा होने के उपरान्त भी बकाया कृषि कनेक्शन

372. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में डिमाण्ड राशि जमा होने के उपरान्त भी कृषि कनेक्शन बकाया हैं? यदि हां, तो कितने? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर डिस्काम क्षेत्रान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में डिमाण्ड राशि जमा के कुल 290 कृषि कनेक्शन लम्बित हैं, जिन्हें प्राथमिकतानुसार जारी किया जा रहा हैं, जिनका उप खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

क्र. सं.	**उप खण्ड**	**लम्बित कनेक्शन**
1.	छबड़ा	227
2.	छीपाबड़ौद	50
3.	हरनावदा शाहजी	13
कुल		**290**

लम्बित कृषि कनेक्शनों की नामवार सूची का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विद्युत कनेक्शन प्राथमिकतानुसार शीघ्रातिशीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में बूढ़ादीत स्थित सूर्य मन्दिर व ढीपरी कालीसिन्ध स्थित शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण

373. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बूढ़ादीत (कोटा) स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर एवं ढीपरी कालीसिन्ध के दक्षिण-पूर्वी दिशा में स्थित शिव मंदिर के प्राचीन स्वरूप को यथावत बनाये रखने एवं इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त परिसर में उद्यान पहुंच मार्ग तथा सौंदर्यीकरण एवं अन्य कार्य करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूढ़ादीत (कोटा) स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। ढीपरी कालीसिन्ध के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित शिव मन्दिर इस विभाग का संरक्षित स्मारक नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा बूढ़ादीत (कोटा) स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए राज्य निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में 60.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस स्वीकृति अन्तर्गत विभाग द्वारा उक्त स्मारक पर निम्नांकित कार्य करवाये गये हैं:

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

1. मन्दिर एवं मठ का पुनरुद्धार कार्य।
2. बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।
3. छतरियों का पुनर्निर्माण कार्य।
4. पत्थर की रैलिंग कार्य।
5. पत्थर की फर्श निर्माण आदि कार्य।

उक्त कार्य दिनांक 05.05.2019 को पूर्ण हो चुके हैं तथा इन कार्यों पर राशि रुपये 34.89 लाख व्यय हुए हैं।

ढीपरी कालीसिन्ध के दक्षिण-पूर्वी दिशा में स्थित शिव मन्दिर के प्राचीन स्वरूप को यथावत बनाये रखने एवं इसके संरक्षण के लिए वर्तमान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कोई योजना प्रस्तावित एवं विचाराधीन नहीं है।

(2) उक्त परिसर में उद्यान पहुंच मार्ग तथा सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्यों के लिए वर्तमान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कोई योजना प्रस्तावित एवं विचाराधीन नहीं है।

मेड़ता नगरपालिका में बिना निविदा कराये गये कार्यों का भुगतान

374. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किये कोटेशन के आधार पर कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक का कार्य इस आधार पर करवाया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका मेड़ता सिटी में वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में अब तक रुपये एक लाख तक के कितने कार्य कोटेशन से किन-किन संवेदकों से किस-किस दर पर करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 24 (1) के तहत कोई उपापन संस्था, उपापन के लिए कोटेशन के लिए अनुरोध की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी, यदि उपापन की विषय-वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर एक लाख रुपये से कम हो, किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगरपालिका मेड़ता सिटी में वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में अब तक राशि रुपये एक लाख तक के करवाये गये कार्यों का कार्यवार, संवेदकवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बसेड़ी व सरमथुरा पंचायत समितियों में नगरपालिका का गठन

375. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की बसेड़ी व सरमथुरा पंचायत समितियों में नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत बसेड़ी व सरमथुरा को नगरपालिका बनाये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर, धौलपुर से राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 101 के अन्तर्गत जन आपत्तियों का निराकरण किया जाकर अभिशंषायुक्त प्रस्ताव व स्पष्ट राय चाही गयी है।

जयपुर की को-आपरेटिव कालोनी, अजमेर रोड में आम रास्ते पर अतिक्रमण

376. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर रोड, जयपुर में को-आपरेटिव कालोनी, 1-12, जमुना नगर एवं उसके पास पवनपुरी किन-किन खसरा नं. पर कितने-कितने रकबे की भूमि पर बसी हुई है? खसरा नं., रकबा, नामान्तरण की प्रति एवं कालोनियों के ले-आउट प्लान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनियों में आम रास्ते, मुख्य सड़क मार्ग पर कहीं-कहीं अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आवासीय कालोनी में मुख्य सड़क मार्ग, आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर रोड, जयपुर में को-आपरेटिव कालोनी, 1-12, जमुना नगर एवं पवनपुरी ग्राम मदरामपुरा के खसरा नं. 82/390, रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 82/393, रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 82/394, रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 82/395, रकबा 05 बिस्वा पर बसी हुई है। पवनपुरी योजना की भूमि से सम्बन्धित जमाबंदी परिशिष्ट "अ" एवं ले-आउट प्लान की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) नगर निगम, जयपुर द्वारा अजमेर रोड, जयपुर में को-आपरेटिव कालोनी, 1-12, जमुना नगर व अन्य कालोनियों को जोड़ने वाले मार्ग पर सिविल लाइन जोन, नगर निगम, जयपुर के क्षेत्राधिकार में उक्त मार्ग पर भूखण्ड संख्या 2, 5, 8 के भूखण्डधारियों द्वारा 3 फीट 6 इंच चौड़ी भू-पट्टी सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किये हुए थे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पवनपुरी योजना का आज दिनांक तक अनुमोदन नहीं किये जाने से आम रास्ता, सड़क मार्ग पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जानी है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

(3) जी हां। नगर निगम, जयपुर द्वारा अजमेर रोड, जयपुर में को-आपरेटिव कालोनी, 1-12, जमुना नगर व अन्य कालोनियों को जोड़ने वाले मार्ग पर सिविल लाइन जोन नगर निगम द्वारा भूखण्ड संख्या 2, 5, 8 के भूखण्डधारियों द्वारा 3 फीट 6 इंच चौडी भू-पट्टी सड़क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 18.09.2019 को हटवा दिया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित पवनपुरी योजना के अनुमोदन पश्चात् योजना सड़कों की चौड़ाई निर्धारित होने पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण की स्थिति में निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध जविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

(जमाबंदी व ले आउट प्लान की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजमार्गों पर बन्द पड़े मिडवे का पुनर्संचालन

377. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में राजमार्गों पर कितने मिडवे कहां-कहां पर सरकार द्वारा

(श्री धर्मनारायण जोशी)

संचालित हैं? पूर्व में विभाग द्वारा संचालित कितने मिडवे वर्तमान में बंद हैं? उक्त के बंद होने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बंद पड़े उक्त मिडवे को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में राजमार्गों पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा मिडवे महुआ (जिला दौसा), मिडवे बर (जिला पाली) एवं मिडवे बालोतरा (जिला बाड़मेर) संचालित हैं।

निगम द्वारा प्रदेश में राजमार्गों पर पूर्व में संचालित 19 मिडवे लगातार हानि में संचालित होने के कारण वर्तमान में बंद हैं। बंद मिडवे की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने का सैद्धान्तिक अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 17.06.2015 के द्वारा किया गया। तदनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जायल के पर्यटन स्थलों का विकास

378. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जायल में पर्यटन विकास से सम्बन्धित क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर करवाये गये तथा उक्त कार्यों में कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों के विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पर्यटक स्थल का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षो में विधान सभा क्षेत्र जायल में विभाग द्वारा पर्यटन विकास से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

मारवाड़ जंक्शन में पटवारियों के रिक्त पद

379. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कितने पटवार हलके हैं व उनमें कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पटवार भवन बने हुए हैं? कितने पटवार हलकों में भवन नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 03 तहसीलें, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी एवं रानी आती हैं। उक्त 03 तहसीलों में 79 पटवार हलके हैं, जिनमें से 48 पटवार हलकें रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

तहसील मारवाड जंक्शन में 51 पटवार हलके है तथा इनमें से 31 पटवार हलके वर्ष 2018 से रिक्त हैं। तहसील देसूरी के 06 पटवार हलके है इनमें से 05 पटवार हल्के करीब 01 वर्ष से रिक्त हैं, जबकि तहसील रानी में 22 पटवार हलके हैं, जिनमें से 12 पटवार हलके रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं- पटवार हलका रानी खुर्द, दिनांक 03.10.2019 ईटन्दडा मेडतियान, दिनांक 04.10.2013; जवाली, दिनांक 10.10.2016; वणदार, दिनांक 18.07.2013; धेनडी, दिनांक 15.10.2013; पिलोवनी, दिनांक 19.09.2012; केरली, दिनांक 14.09.2018; देवली, दिनांक 01.10.2019; सांवलता, दिनांक 05.11.2014; ढारिया, दिनांक 06.07.2013; वरकाणा, दिनांक 17.09.2018 एवं किशनपुरा, दिनांक 02.06.2017 से रिक्त हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 79 पटवार हलकों में से 58 पटवार हलकों में भवन बने हुए हैं तथा 21 पटवार हलकों में पटवार भवन बने हुए नहीं हैं।

सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में पटवारियों के रिक्त पद

380. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला श्रीगंगानगर की सादुलशहर तहसील में राजस्व पटवारियों के

(श्री जगदीश चन्द्र)

कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला श्रीगंगानगर की सादुलशहर तहसील में राजस्व पटवारियों के 12 पद रिक्त हैं।

जी हां। पटवारियों के 4,421 पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही सीधी भर्ती का आयोजन कर पटवारी के रिक्त पदों को भरा जायेगा।

दूदू में गिरदावर व पटवारियों के रिक्त पद

381. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू, मोजमाबाद और फागी के कार्यक्षेत्र में कितने गिरदावर एवं पटवार सर्किल कहां-कहां स्वीकृत हैं?

(2) उक्त स्वीकृत पदों पर कब से पटवारी, गिरदावर कार्यरत हैं और कौन-कौन से सर्किल में पद रिक्त चल रहें हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू, मोजमाबाद और फागी के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार गिरदावर एवं पटवार सर्किल स्वीकृत हैं:-

तहसील का नाम	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**पटवार सर्किल**
दूदू	7	28
मोजमाबाद	8	30
फागी	13	52
योग	**28**	**110**

विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत पदों पर कार्यरत पटवारी, गिरदावर एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 4,421 पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते ही चयनित अभ्यर्थियों

(राजस्व मंत्री)

का पदस्थापन किया जाकर रिक्त पदों को भरा जायेगा। भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) का पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है। भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2019-20 की डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होते ही पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन किया जाकर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

शिशोट ग्राम पंचायत (चौरासी) में काश्तकारों की भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा

382. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ब्लाक चिखली, ग्राम पंचायत शिशोट के 9-10 काश्तकारों की जमीन को शिशोट वन विभाग द्वारा परकोटा बनाकर अधीन कर ली गयी है? क्या सरकार उक्त काश्तकारों को पुन: कब्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौरासी, ब्लाक चिखली, ग्राम पंचायत शिशोट के अन्तर्गत वन खण्ड, शिशोट की वन भूमि राज्यादेश संख्या एफ1(1)(8)रेवेन्यु/बी/74 दिनांक 09.04.1975 द्वारा कडाना विस्थापितों को पुनर्वास हेतु रिलीज की गयी। राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के निर्णय दिनांक 28.09.1976 में निर्णय लिया गया कि कडाना विस्थापितों को आवश्यकता से अधिक जो भूमि रिलीज हुई है उसे वन विभाग को वापस लौटायी जाए। इस पालना में जिला कलेक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक एफ40/18(5)फोरेस्ट/85/राजस्व/विविध 81/4640-45 दिनांक 26.06.1985 द्वरा वनखण्ड शिशोट की बचत भूमि को राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या एफ1(857)राज/76 दिनांक 01.05.1988 की अनुपालना में वन विभाग को स्थानान्तरित की जाकर वन विभाग के नाम अमलदरामद करने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय इस भूमि पर किसी भी काश्तकार का कब्जा नहीं होने से वन विभाग द्वारा परकोटा बनाकर अधीन कर ली गयी। वर्तमान में शिशोट ब्लाक की उक्त भूमि वन भूमि होने से इस पर वन संरक्षण

(राजस्व मंत्री)

अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू हैं। भारत सरकार की स्वीकृति के बिना इस भूमि का प्रत्यावर्तन गैर वानिकी उपयोग हेतु नहीं किया जा सकता है।

डीडवाना में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लम्बित आवेदन

383. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में कितने नये नाम जोड़े गये? ग्रामवार, वार्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डीडवाना में ऐसे कितने खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रताधारी हैं, जिन्होंने अपना नाम उक्त योजना में जुड़ाने हेतु आवेदन किया हुआ है? विगत छह माह के लम्बित आवेदनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के पात्र आवेदकों के नाम कब तक जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में 8,940 नाम जोड़े गये। ग्रामवार, वार्डवार जोड़े गये नामों की संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है

(2) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में विगत 6 माह में खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने हेतु 2,684 परिवारों द्वारा आवेदन किया गया। वर्तमान में विगत 6 माह का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015 में निर्देशित अपीलीय प्रक्रिया द्वारा पात्र व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे

384. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली में वर्तमान में कितने परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोराराम कुमावत)

(2) उक्त जिले में बी.पी.एल. श्रेणी से वंचित परिवारों के नाम जुड़वाने व अपात्र परिवारों के नाम हटाने हेतु अन्तिम सर्वे कब हुआ? क्या सरकार पुन: सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्तमान में कुल 71,661 परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल हैं। तहसीलवार सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) अन्तिम बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002 में किया गया था।

जी हां सरकार के जनघोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज) के बिन्दु संख्या 24.15 में सरकार द्वारा बेस लाइन सर्वे/बी.पी.एल. सूची से वंचित रहे परिवारों के नाम पुन: सर्वे कर जोड़ने का निर्णय लिया गया है। प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है, परन्तु बी.पी.एल. सर्वे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करवाया जाता है। भारत सरकार द्वारा नवीन सर्वे कराये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर नवीन सर्वे करवाया जायेगा।

(सूचना व निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मृतक राशन डीलर की दुकान को परिजनों को आबंटन

385. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार मृतक राशन डीलर की राशन की दुकान उनके परिवार के सदस्य को देने का विचार रखती है?

(2) जिला बाड़मेर में ऐसी कितनी राशन की दुकानें हैं, जो मृतक डीलर के परिजनों को आबंटित की गई हैं? कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उनको राशन की दुकानें कब तक आबंटित कर दी जायेंगी?

उत्तर

(1) जी हां। अनुकम्पात्मक नियुक्ति आदेश दिनांक 29.07.2019 एवं 29.11.2019 की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में मृतक डीलर के परिजनों को 6 राशन की दुकानें आबंटित की गयी हैं। अनुकम्पात्मक श्रेणी में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका निस्तारण कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रूदड़ी (कपासन) के रा.उ.प्रा. विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण

386. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रूदड़ी तहसील कपासन के खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खेल मैदान पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मैदान के चारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1992 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रूदड़ी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित की गयी थी। इस सम्बन्ध में जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त खेल मैदान पर अतिक्रमण से मुक्त करवाने हेतु सम्बन्धित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा समय-समय पर विकास अधिकारी, पं.स. कपासन, उप खण्ड अधिकारी, कपासन, थानाधिकारी कपासन, तहसीलदार, कपासन के साथ ही सरपंच, ग्राम पंचायत हथियाना तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति द्वारा भी उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ख 1" से "ख-9" पर संलग्न है।

अतिक्रमणकर्ता द्वारा प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., रूदड़ी के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वाद दायर किया हुआ है। वर्तमान में शिक्षा विभाग उक्त खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने हेतु सतत प्रयासरत है।

(3) अतिक्रमण से मुक्त होने पर उक्त विद्यालय की चारदीवारी के निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री जनसहभागिता/महात्मा गांधी नरेगा योजना/सांसद क्षेत्रीय विकास योजना/विधायक स्थानीय क्षेत्रीय योजना/सी.एस.आर. योजनान्तर्गत करवाया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर में अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत दूध आपूर्ति करने वाली फर्मों के बकाया का भुगतान

387. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारम्भ की गयी तथा कितना दूध किस स्तर के विद्यार्थियों को वितरित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनान्तर्गत बीकानेर जिले में दूध का वितरण तथा सम्बन्धित फर्मों को भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में माहवार किये गये भुगतान एवं बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में दूध आपूर्ति करने वाली कई फर्मों का भुगतान बकाया होने से विद्यालयों में दूध की आपूर्ति बंद कर दी गयी है? यदि हां, तो सरकार उक्त फर्मों को कब तक बकाया का भुगतान कर दूध उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में अन्नपूर्णा दूध योजना 2.7.2018 से प्रारम्भ की गयी। इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक 150 मिली. तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिली. दूध वितरित किया जाता है।

(2) जी हां। अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा राशि माहवार जारी नहीं की जाती है। वित्त विभाग द्वारा राशि जारी करने पर मिड-डे मील, आयुक्तालय द्वारा अविलम्ब जिलों को राशि जारी कर दी जाती है। दूध आपूर्ति करने वाली फर्मों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत वर्ष बीकानेर जिले में किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बीकानेर जिले का गत वर्ष 2018-19 का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(3) जी नहीं। जनवरी, 2020 तक राशि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी को जारी कर दी गई है। शेष 222 लाख रुपये की राशि मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को आबंटन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार

388. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है, उनमें मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से चारदीवारी, कमरे, बरामदा बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समग्र शिक्षा अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में जीर्ण-शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार तथा कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 58 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 10 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है, जिनका विवरण परिशिष्ट "क-1" व "क-2" पर संलग्न है।

उक्त विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्बन्धित विद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षणोपरान्त निर्माण कार्य मनरेगा योजना में प्रेषित किये जायेंगे। मनरेगा योजना में चारदीवारी निर्माण करवाये जाने का प्रावधान है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में समस्त राजकीय विद्यालयों में स्थायी पेयजल स्रोत उपलब्ध हैं। केवल 64 विद्यालयों में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पेयजल स्रोत निष्क्रिय हो गये हैं। इन 64 विद्यालयों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

जी हां। 14वें वित्त आयोग व 5वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पी.एच.ई.डी. द्वारा भी राजकीय विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु नि:शुल्क लैपटाप वितरण

389. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु नि:शुल्क लैपटाप वितरित किये जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2019 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को कब तक नि:शुल्क लैपटाप का वितरण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजकीय विद्यालयों के समस्त वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों, जिन्होंने कक्षा 08, 10 (व्यावसायिक शिक्षा सहित) कक्षा 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षा सहित) प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परिणामों के आधार पर 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर एवं 70 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को जिला स्तर पर निर्धारित की गयी संख्या के आधार पर लैपटाप का वितरण किया जाता है।

वर्ष 2019 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटाप वितरण हेतु वित्त वर्ष 2019-20 में अनुमोदित 27,900 लैपटाप क्रय की ई-निविदा जारी की जा चुकी है। क्रय प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

आहोर (जालौर) के राजकीय महाविद्यालय का स्नातकोत्तर में क्रमोन्नयन

390. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार आहोर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय आहोर को अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधा हेतु स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

(2) उक्त महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं व शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय महाविद्यालय, आहोर को संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) उक्त महाविद्यालय में कुल 525 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 07 पद सह/सहायक आचार्य के स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**विषय**	**विद्यार्थियों की संख्या**			**सहायक/सह आचार्य के स्वीकृत पद**
		प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	
1	हिन्दी साहित्य	176	171	128	01
2	संस्कृत	13	10	02	01
3	समाजशास्त्र	33	24	45	01
4	राजनीति विज्ञान	124	117	109	01
5	भूगोल	77	37	33	01
6	इतिहास	166	165	121	01
7	अंग्रेजी साहित्य	11	07	06	01

रानीवाड़ा (जालौर) के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

391. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में शैक्षणिक व गैर संवर्ग के अधिकांश पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बानसूर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

महोदय,

निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में बानसूर, हरसोर, नारायणपुर एवं ततारपुर थाने में भी बानसूर से अनेक गांव लगते हैं। अतः आये दिन बढ़ते हुए अपराधों की अधिकता को देखते हुए बानसूर में पुलिस उप अधीक्षक बैठाने की कृपा करें, क्योंकि बहरोड़ में सी.ओ. की व्यस्तता रहती है, इस कारण वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिये बानसूर में (सी.ओ. पुलिस) पुलिस उप अधीक्षक बैठाने की कृपा करें।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

पीलीबंगा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

महोदय,

मैं आपका ध्यान पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के 26PBN-24PBN,-ABC चकरामपुरा-रंगमहल, भमरपुरा ढाणी, पीलीबंगा गांव– 4.5TB, RD 51000 हजार, चक जहाना, भाम्भुवाली ढाणी, 12 PBN, निहालपुरा 14 J.R.K., 35 M.O.D., गोलुवाला, बुधवालिया, सरदारपुरा, चक 9 AM, 10 KWD भाखरा वाला, 122 R.D. खोडा पीलीबंगा, रावतसर देहात में गांवों/ढाणियों का समूह ढाणिया में आज भी जमीन का पानी या नहरों का दूषित पानी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग पीने में उपयोग ले रहे हैं। हमारे यहां जो जमीन (टयूबवैल) का पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा पांच P.P. से अधिक है, जिससे काफी लोगों के घुटनों में दर्द, आंखें कमजोर होना, खुजली, पेट की भयानक बीमारियां अधिक मात्रा में हैं। जहां सीधा नहर का (रा-वाटर) दूषित पानी से केन्सर जैसी भयंकर बीमारियां अधिक फैल रही हैं। क्षेत्र में वाटर वर्क्स द्वारा काफी रा-वाटर सीधा दिया जाता है क्योंकि वहां पर फिल्टर खराब है। ऐसे वाटर वर्क्सों का सर्वे करवाकर वहां पर फिल्टर प्लांट या अन्य कोई कमी है, उसे दूर किया जाए।

जहां जमीन का फ्लोराइड पानी दिया जाता है या पेयजल के लिये उपयोग

किया जाता है, इस पानी की सप्लाई को बन्द कर नहर का शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाए।

रावतसर-शहर में K.W.D. नहर से खालों द्वारा खुला पानी रावतसर वाटर वर्क्स में आता है। यह खाला आबादी क्षेत्र एवं खाले एक क्षोर की तरफ कॉटन फैक्ट्रियां, जिसके कारण लोग शौचालय जाकर हाथ धोते हैं, कपड़ा धोना, नहाना वगैरह करते है। यह गन्दा पानी शहर के वाटर वर्क्स में पेयजल के लिए आता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो K.W.D. नहर से खाला (नाला) रावतसर शहर के वाटर वर्क्स में आता है। उसे पाइपों द्वारा या खाले को ढंक कर पानी शहर के वाटर वर्क्स में लाया जाए, ताकि शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

धर्मेन्द्र कुमार

(पीलीबंगा)

बगरू में बीसलपुर के पानी द्वारा पेयजल समस्या का निराकरण

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में पीने के पानी की भयंकर समस्या है और आगे गर्मी का मौसम आने वाला है। यहां लोगों को पीने के पानी, जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिये भी जूझना पड़ रहा है। बगरू विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण, पंचायतों व नगरपालिका क्षेत्र में पानी की काफी समस्या है।

बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगतपुरा में उदयगिरी अपार्टमेन्ट, सेक्टर-12, इन्दिरा गांधी नगर, राजस्थान आवासन मण्डल के फ्लैट्स में केवल 10 मिनट ही पानी के नल आते हैं और इतने से समय में लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहां के लोगों को पानी के टैंकर मंगवा कर जीवनयापन करना पड़ रहा है। अगर उक्त क्षेत्रों को बीसलपुर का पानी उपलब्ध करवा दिया जाये तो वहां के आमजन को राहत मिलेगी। यहां लोग पानी की समस्या के कारण ही अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स लोगों ने आबंटित तो करवा लिये, परन्तु अभी तक पानी की समस्या के कारण खाली पड़े हुए है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से निवेदन है जगतपुरा में उदयगिरी अपार्टमेन्ट, सेक्टर-12, इन्दिरा गांधी नगर, राजस्थान आवासन मण्डल के फ्लैट्स तथा ग्रामीण, पंचायतों व

नगरपालिका क्षेत्र में बीसलपुर का पानी उपलब्ध करवाकर आम जन जीवन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

गंगा देवी

(बगरू)

सूरजगढ़ के गांवों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम चुडीणा, रायपुर अहिरान, निहालोठ, भालोठ, ढाणी खटोटी, घरडाना खुर्द, इूमोली कलां, रायपुर की ढाणी एवं जैतपुर गांव के कुओं का पानी 1,100 मीटर तक जा चुका है। भू-जल विभाग ने इन गांवों को अति दोहन की श्रेणी में डाला हुआ है। अब तो 1,100 मीटर कुओं की खुदाई पर भी इन गांवों में जल नहीं है। पीने का पानी भी टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है। पानी के टैंकरों के लिए प्रतिदिन गांवों में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने का डर बना रहता है। जनता जल योजना के ट्यूबवैल भी सूख चुके हैं। विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए बजट भी आबंटित नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में आगामी गर्मी के दिनों में पेयजल के कारण गांवों में आपसी सद्भाव भी खराब होगा और पानी के कारण भाईचारा, आपसी वैमनस्यता पैदा करेगा। मेरा सदन के मार्फत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से आग्रह है कि इन गांवों की विकट परिस्थिति को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करवायें या जनता जल योजना में नये कुएं खुदवाकर पानी की व्यवस्था करें।

सुभाष पूनिया

(सूरजगढ़)

सूरतगढ़ के नहरी क्षेत्रों में पक्के खालों का निर्माण

महोदय,

मैं आपके माध्यम से इ.गां.न.प., भाखरा नहर, गंग नहर कैनाल में पक्के खालों के निर्माण करवाने की इच्छा रखता हूं। उक्त नहरों से जहां कच्चे खालों में पानी दिया जा रहा है, उससे काश्तकारों द्वारा कच्चे खाले से सिंचाई

करने पर काफी पानी मिट्टी सोख लेती है और सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न होती है। खाला टूटने से रात्रि के समय में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंचाई सुविधा में रकबे की बिजाई भी कम मात्रा से होती है। अतः जिस क्षेत्र में कच्चे खाले बने हुए हैं वहां पक्का खाला बनाने से बिजाई में बढ़ोतरी होगी। खाद्य जिन्स में बढ़ोतरी होगी एवं किसानों को राहत मिल सकेगी।

इसी तरह जहां 30 वर्ष पहले खाले बनाये गये थे, वे जर्जर हालत में हैं, उनको भी पुन: पक्का करवाया जाये, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सिंचाई के पानी का सदुपयोग होगा। इन सारी समस्याओं के समाधान से किसानों एवं जिन्सों की पैदावार उत्तम दर्जे की होगी। जर्जर खालों का निर्माण करवाने हेतु लगातार सदन में पिछले वर्षों से मांग की जा रही है।

अतः मैं एक बार फिर किसानों की इस समस्या को सदन में रखकर, किसानों को राहत प्रदान करने की आशा से विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

रामप्रताप कासनियां

(सूरतगढ़)

सधन्यवाद।

सांगानेर में टैंकरों से पेयजल की उपलब्धता

महोदय,

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र जो कि राजधानी जयपुर का क्षेत्र है, जिसमें स्थित सैकड़ों कालोनियां पेयजल जैसी गम्भीर समस्या से ग्रस्त हैं, यह पेयजल संकट नहीं अपितु मानवीय संकट है। सांगानेर क्षेत्र में गर्मी के तीखे तेवर शुरू होने के साथ ही गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने लगा है। वर्तमान में कुछ कालोनियों में तो टैंकरों से आपूर्ति चल रही है, परन्तु सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां हैं, जिनमें पानी किल्लत शुरू हो गयी है। ऐसी कालोनियों में पानी की मांग के साथ ही टैंकरों को तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता है। सांगानेर क्षेत्र के रामपुरा रोड़, मदरामपुरा, शिकारपुरा, डिग्गी रोड, कल्याणपुरा, गोरधननगर, कृषि नगर, मुहाना मण्डी रोड़, टीब्बा टोल, सुखपुरिया सहित सांगानेर कस्बा, प्रताप नगर, मानसरोवर व भांकरोटा क्षेत्र की ऐसी सैकड़ों कालोनियां हैं, जिनमें पूरे वर्ष भर ही पेयजल संकट व्याप्त रहता है और गर्मी आने से पूर्व ही पानी की भयंकर किल्लत शुरू हो जाती है। सांगानेर क्षेत्र की ऐसी सैकड़ों कालोनियां जो जे.डी.ए. से अनुमोदित हो चुकी हैं और कई कालोनियां, जिनमें 30-40 सालों से लोग निवास कर रहे हैं, जो अनुमोदित

नहीं हुईं उन कालोनियों में आज दिन तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

सांगानेर क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर पेयजल की समस्या के समाधान/निजात को लेकर आपके माध्यम से जलदाय विभाग को आदेशित/ निर्देशित किया जाकर तुरन्त समाधान कर लाखों लोगों को राहत प्रदान करें और जिन कालोनियों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति नहीं है, टैंकरों को तुरन्त चलाने का आदेश प्रदान करें।

अतः मैं जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं।

अशोक लाहोटी

(सांगानेर)

डूंगरगढ़ में ए.डी.जे कोर्ट की स्थापना

महोदय,

श्रीडूंगरगढ़ में वर्तमान में ए.डी.जे. का साप्ताहिक कैम्प कोर्ट चलता है, जिसमें सप्ताह में एक दिन मुकदमों की सुनवाई होती है। श्रीडूंगरगढ़ में बड़ी संख्या में सेशन ट्रायल मुकदमे पेंडिंग हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर ने भी सरकार को श्रीडूंगरगढ़ में स्थाई ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की अनुशंसा भेजी है।

अतः श्रीडूंगरगढ़ के आमजन की महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान देते हुए सरकार श्रीडूंगरगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट की शीघ्र स्थापना करने की घोषणा करे।

गिरधारीलाल

(डूंगरगढ़)

बालोतरा में ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का विस्तार

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि बालोतरा में वर्तमान में 375 इकाइयां संचालित हैं, जिनमें कपड़े की रंगाई, धुलाई एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है। इनको ट्रीटमेंट प्लाट की क्षमता 18 एम.एल.डी. में से 13.749 एम.एल.डी. की सदस्यता प्रदान कर रखी है, जो कि वर्तमान में 40 प्रतिशत की क्षमता से संचालित हो रही है। यहां वर्तमान 06 एम.एल.डी. का ही आर.ओ., प्लांट है। इस हिसाब से वर्तमान में 18 एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लाट के एवज में 4.251 एम.एल.डी. क्षमता शेष है। यदि इस शेष क्षमता के दृष्टिगत 106 इकाई

इन्डस्ट्रियल ऐरिया की, 57 इकाइयां जेरला रोड की और 21 इकाइयां भैरजी की बाड़ी की, कुल 174 इकाइयों, जो वर्तमान में बालोतरा में, जो पूर्व में संचालित थीं और उनके द्वारा लगातार ट्रीटमेन्ट प्लाट से जोड़ने की मांग लगातार की जा रही है। इस हेतु कई बार आन्दोलन भी हुए हैं। सरकार ने संघर्ष समिति को 23.05.2008 को कर इकाइओं को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने का लिखित आश्वासन दिया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त इकाइयों को रिक्त (शेष) क्षमता की सीमा में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो लम्बित प्रकरणों का निस्तारण होने के साथ ही उद्योग को बढ़ावा एवं उद्यमियों को रोजगार मिलेगा।

प्लाट की 6 एम.एल.डी. क्षमता अतिरिक्त आवश्यकता होगी। एम.एल.डी. प्लांट, जिस पर वर्तमान में इकाइयां चल रही हैं। वो 18 एम.एल.डी. बनने के बाद अतिरिक्त हो जाएगा। उक्त 139 इकाइयों को इस अतिरिक्त क्षमता से जोड़ दिया जाता है तो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा, आम गरीब एवं मजदूर को रोजगार मिलेगा। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री से विशेष आग्रह है कि उक्त सुझावों अनुसार शीघ्र निर्णय लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करवाकर बालोतरा की जनता के साथ न्याय करें।

मदन प्रजापत

(पचपदरा)

बामनवास में राजस्व विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति व राजस्व शिविरों का संचालन

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक/गिरदावर तथा पटवारियों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। बड़े दुःख की बात है कि ये पद पिछले पांच साल से रिक्त चल रहे हैं। इससे आज अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों के काम कैसे हो रहे होंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पटवारियों एवं गिरदावरों के पद रिक्त होने की वजह से क्षेत्र की जनता के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं होने से राजस्व के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते राजस्व मामलों की संख्या को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्व शिविर भी आयोजित किये जाएं, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

अतः इस सम्बन्ध में मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करती हूं कि जन हित में मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में उक्त खाली पड़े पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने एवं लम्बित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व शिविर लगाने के आदेश प्रदान करें।

श्रीमती इन्द्रा

(बामनवास)

महवा में महिला कालेज की स्थापना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महुवा की तहसील मण्डावर में महिला कालेज खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र महुवा जनजाति बहुल क्षेत्र है। तहसील मण्डावर के अन्तर्गत 21 ग्राम पंचायतें आती हैं तथा इनमें ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति की हैं। इन ग्राम पंचायतों में गुणात्मक शिक्षण संस्थाओं का अभाव एवं आवासीय शिक्षण संस्थाओं का अभाव होने के कारण छात्राओं में ड्राप आउट अधिक पाया जाता है। इस वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मण्डावर में छात्राओं में गुणात्मक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए एक महिला कालेज की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए महिला कालेज खोला जाना उचित होगा, ताकि विधान सभा क्षेत्र महुवा के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षण संस्थान की स्थापना हो सके।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जन हित के मुद्दे पर मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा की तहसील मण्डावर में महिला कालेज खोलने की कृपा करें।

ओमप्रकाश हुड़ला

(महुवा)

हनुमान सर्किल (अलवर)-नोगावा हरियाणा बोर्डर के सड़क कार्य की जांच व दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

महोदय,

निवेदन है कि हनुमान सर्किल (अलवर) से नोगावा हरियाणा बार्डर किमी. 92/700 से 127/600 तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य की गुणवत्ता के लिए लोगों से जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त कार्य को व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों के साथ देखा गया है, जिसमें निम्न कमियां पाई गयीं:—

1. जी.एस.बी. व डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है।
2. सीमेंट-कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य बिना डामर हटाये उसी के ऊपर किया जा रहा है।
3. सीमेंट-कंक्रीट सड़क में काफी जगह ब्रेक आ रहे हैं एवं सी.सी. की ऊपरी सरफेस खराब हो रही है।
4. सी.सी. सड़क के साथ पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है।

यहां पर पहले भी दुर्घटनाओं की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान में यहां घटिया सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जो भारी लापरवाही का द्योतक है, जिससे आगामी समय में पुन: सड़क दुर्घटनाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। अतः उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उक्त सड़क निर्माण की जांच करवायी जाये।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी से निवेदन है कि हनुमान सर्किल (अलवर) से नोगावा हरियाणा बार्डर किमी. 92/700 से 127/600 तक सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवायी जाये तथा दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिससे उक्त सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से आमजन को निजात मिल सके।

श्रीमती सफिया जुबेर

(रामगढ़)

सिरोही के बसन्तगढ़ से खीला फली तक ग्रेवल सड़क निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला परिषद् समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक दिनांक 24.02.2018 को श्री देवजी पटेल माननीय सांसद, जालोर-सिरोही की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय, सिरोही में बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या (4) में मेरे द्वारा बसन्तगढ़ से खीला फली तक ग्रेवल सड़क बनवाने हेतु विकास अधिकारी पं.स. पिण्डवाड़ा को निर्देशित किया गया। बसन्तगढ़ से खीला फली जाने वाले रास्ते में एक कि.मी. वन विभाग की भूमि है। ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ से खीला फली जाने वाली सड़क का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार दावा कुलक उप खण्ड स्तरीय समिति बैठक से 25.05.2018 को स्वीकृत करके जिला स्तर पर प्रेषित किया गया। बसन्तगढ़ से खीला फली जाने का रास्ता नहीं होने से रास्ते में एक बार गर्भवती महिला की प्रसूति हुई जिसका समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस सामुदायिक वन अधिकार दावा कुलक को स्वीकृत नहीं किया गया।

इसी प्रकार उप खण्ड स्तरीय बैठक से तीन सामुदायिक वन अधिकार दावा कुलक उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक 13.02.2019 से (1) सामुदायिक दावा बसन्तगढ़ (हनुमानजी मंदिर) (2) सामुदायिक दावा ग्राम पंचायत सनवाड़ा और (सेमली से ग्राम पंचायत वालोरिया सीमा तक) (3) सामुदायिक दावा ग्राम पंचायत वालोरिया (वालोरिया से उदयपुर जिला सीमा तक)। ये सभी सामुदायिक दावे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार दावा कुलक हैं। ये रास्ते वन सीमा में होने से आदिवासी समुदाय मूलभूत सुविधा बिजली पानी से वंचित हैं। देश आजाद होने के 70 वर्षों बाद भी जनजाति समुदाय के लोग गुलामी में जीवन जी रहे हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय वन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन सिरोही के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें कि सामुदायिक कुलक स्वीकृत क्यों नहीं किए जा रहे हैं एवं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि आप जनजाति परिवार को

राहत प्रदान करके सामुदायिक वन अधिकार दावा कुलक को स्वीकृत करवाने हेतु सिरोही जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश प्रदान करके राहत दिलायें।

समाराम गरासिया

पिंण्डवाड़ा-आबू

गोवंश से प्राप्त पंचगव्यों से धनोपार्जन हेतु विशेष योजना व अनुदान

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि गाय एवं गोवंश के माध्यम से भी प्रतिदिन आठ से दस हजार रुपये कमाया जा सकता है। गोवंश से प्राप्त गोबर, गोमूत्र और दूध/दही से 100 से अधिक उत्पाद पलक झपकते ही बनाने की विधा विकसित करने वाले पं. विष्णुदत्त शर्मा द्वारा नोखा, जिला बीकानेर में जनहित में अद्भुत ''गाय बनाए करोड़पति'' मल्टी चैम्बर संयंत्र का विकास किया है। पांच चैम्बर से बना यह संयंत्र गाय के समस्त गव्यों का सदुपयोग कर उन्हें सुंदर उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित करता है। इसके कतिपय उदाहरण ये हैं कि इस संयंत्र से 15 मिनट में कच्चे गोबर से उसका उपयोगी पानी कंडे बनाने, गोबर का पाउडर 100 किलो गोबर में यह खेती तथा औषधीय उपयोग हेतु 70 किलो पानी, प्रतिदिन 400 ली. जीवामृत 2,000 टिकिया घन जीवामृत, 100 लीटर दूध का बिलोना 12 से 13 मिनट, जिसमें उसकी क्रीम सेपरेट हो जाती है साथ ही दही का बिलोना होकर इसी समय में छाछ भी बन जाता है। इस संयंत्र से गोमूत्र का शरबत बन जाता है जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट होने से पीने में भी आनंद आता है। इसी संयंत्र से प्रतिदिन हजार से अधिक गोमय ईंटों, हजारों कंडे, एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र, विभिन्न प्रकार की देव प्रतिमाएं, गो कास्ट, धूपबत्ती आदि-आदि अनेक उत्पाद बनाए जा सकते हैं, वह भी प्रति मिनट ढेर सारी संख्या में, जिससे गोपालक किसान की आय बढ़ाने में सहयोग प्राप्त होगा और धर्म के प्रतीक भगवान नंदी को वापस अपना गौरवपूर्ण घर प्राप्त होगा तथा सड़क पर चलते हुए मनुष्यों को दुर्घटना से मुक्ति मिलेगी।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पं. शर्मा के इस अनुसंधान का वैज्ञानिक परीक्षण व सदुपयोग कर प्रदेश में गाय एवं गोवंश

को संरक्षण प्रदान करें व इनसे प्राप्त पंचगव्यों से किसानों एवं गोपालकों को धनोपार्जन हेतु विशेष योजना बनाकर अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान करें।

चन्द्रभान सिंह आक्या

(चित्तौड़गढ़)

फलौदी में सिंचाई योजनाओं से कृषकों को पानी की उपलब्धता

महोदय,

निवेदन है कि फलौदी विधान सभा क्षेत्र में तीन लिफ्ट नहर सिंचाई योजनाओं में कृषकों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, श्री जम्भेश्वर लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट व पोकरण लिफ्ट। इनका निर्माण लगभग 25 वर्ष पूर्व कर लिया गया था, परन्तु हमारे हिस्से का पानी पूर्व की भा.ज.पा. सरकार के प्रयासों से दिया जाने लगा। जिस क्षेत्र में पांच वर्षों में चार वर्ष अकाल पड़ता है। ये नहरें किसानों के लिए संजीवनी साबित होती हैं। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली को निर्मित नहरों, जिन पर राज्य सरकार ने करोड़ रुपये खर्च कर नहरों, पुलियाओं व संरचनाओं का निर्माण करवाया था, विभाग द्वारा उक्त कमाण्ड क्षेत्र का कुल सी.सी.ए. वेप्कॉस लिमिटेड से करवाये गये माइको सर्वे के अनुसार 50,045.89 हैक्टेयर है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय वर्ष 2005 द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कुल सी.सी.ए. 16.17 लाख हैक्टयेर निर्धारित किये जाने के समय जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का सी.सी.ए. 35,604 हैक्टेयर ही शामिल किया गया, जिससे जम्भेश्वर लिफ्ट निर्मित नहरों, नेता वितरिका, ढालेरी माइनर, अनाम माइनर का क्षेत्र लगभग पूर्णतया एवं बाप वितरिका, खीरवा वितरिका आदि का 19,441.89 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा से वचिंत रह गया एवं राज्य सरकार के करोड़ रुपये के उक्त निर्माण कार्य व्यर्थ पड़े रहे। इन नहरों पर काश्तकारों की खातेदारी भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित है। जम्भेश्वर लिफ्ट नहर की नेता वितरिका प्रणाली का कुल 7,833.55 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से वचिंत है। इसी प्रकार पोकरण लिफ्ट में पिछले पांच वर्ष सिल्ट निकालते रहने का बहाना बनाते हुए इस नहर हेतु सुरक्षित 140 क्यूसेक पानी नही दिया जा रहा है व हमारा पानी अन्य प्रभावशाली क्षेत्र के लोगों को दिया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि पोकरण लिफ्ट में पूरा पानी छोड़कर किसानों को राहत प्रदान करायें।

पब्बाराम

(फलौदी)

किशनगढ़ कस्बे के नाले को पक्का कर ढंकना

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान किशनगढ़ शहर की एक गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, किशनगढ़ शहर के मध्य स्थित सघन कालोनियों के बीच में से बरसाती नाला गुजर रहा है, जो खुला हुआ है। बरसात के दिनों में इस नाले से जनहानि एवं अन्य नुकसान प्रतिवर्ष होता है। विगत वर्षों में दो बच्चों की इसमें डूबने से मृत्यु हो गई थी, जिनकी लाश बड़ी मुश्किल से मिली थी। इसके अलावा बारिश के बाद भी नाले में गन्दगी भरी रहने से पूरे क्षेत्र में बदबू फैली रहती हैं, मच्छर पनपने से बीमारियां फैलती हैं तथा जानवर उसमें फंस जाते हैं। इसके कारण से नाले के आस-पास रहने वालों का जीना दूभर हो गया है।

मेरा इसमें निवेदन है कि अगर इस नाले को पक्का कर कवर कर देंगे तो क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा व साथ ही उक्त नाले का दोहरा उपयोग हो सकेगा। इस नाले को पक्का करके इसको ऊपर से RCC से कवर कर दिया जाए, जिससे शहरवासियों को इस बड़ी समस्या से निजात मिलने के साथ-साथ इस नाले का शहर हित में और भी उपयोग हो सकता है। किशनगढ़ शहर के मुख्य बाजार में ठेले वाले, वेंडर्स, फुटपाथ पर बैठकर सामाने बेचने वालों से मुख्य सड़क अमूमन जाम रहती है। यह नाला शहर के मध्य में है। अतः इस नाले को कवर करने पर इस पर इन वेंडर्स को, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को बिठाया जा सकता है, जिससे शहर भी अतिक्रमण व जाम मुक्त होगा तथा इन वेंडर्स को फुटपाथ पर बैठकर व्यापार करने वालों को भी उचित जगह मिल जाएगी, जिससे ये अपना व्यवसाय अच्छे से कर सकेंगे। इसके साथ ही उपरोक्त व्यवस्था होने से शहर की सुन्दरता भी बढ़ेगी।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि अगर एक चरण में उक्त कार्य नहीं हो सकता है तो दो चरणों में करायें, परन्तु यह कार्य जन हित में करवाना अत्यंत आवश्यक है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसी वित्तीय वर्ष में उक्त नाले को कवर कराकर जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

सुरेश टाक

(किशनगढ़)

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये। इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

1. अलवर के सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के पुराने सरकारी निवासों की मरम्मत एवं नए निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

2. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में एस.डी.एम. व तहसील भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

4. विधान सभा क्षेत्र भादरा में सरकारी गेस्ट हाउस बनाकर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र भादरा में पूर्व निर्मित रेस्ट हाउस की मरम्म्त कर उच्च सुविधायुक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

6. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पी.डब्ल्यू.डी. का एक भी रेस्ट हाउस नहीं होने के कारण अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों को हो रही परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

7. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में सार्वजनिक भवन के रख-रखाव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

8. जिला बूंदी की ग्राम पंचायत डावी पंचायत समिति तालेड़ा में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

9. सादुलशहर में राजकीय अतिथि गृह बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

10. राज्य मार्ग संख्या 2 दौसा से चाकसू, फागी, दूदू, नरेना, सांभर, नावां सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा राज्य मार्ग संख्या 12 सांगानेर-फागी, मालपुरा-भीलवाड़ा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर चार लेन में स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र दूदू के पचेवर से नगर, ईटाखोई, धान्धोली, ररलाना, गागरडू, हरसोली, पडासोली, साखून, साली, गहलोता, बुहारू सड़क कुल लम्बाई 73 कि.मी. है इसमें टोंक, जयपुर, अजमेर-नागौर जिला आता है, को मुख्य जिला सड़क घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

12. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जर्जर हालत में पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नव सृजित पटवार मंडल एवं सीनियर विद्यालयों में भवन निर्माण, पशु उप केन्द्र के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के स्वीकृत कार्यों को शीघ्र चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. सूरजगढ़ कस्बे में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

16. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी तहसील मुख्यालय पर डाक बंगलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर उप खण्ड पर डाक बंगलों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

18. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों के मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. उपखण्ड मुख्यालयों राशमी, भोपालसागर, भदेसर में नये डाक बंगले बनाने व उप खण्ड मुख्यालय कपासन के डाक बंगले का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

20. सार्वजनिक निर्माण के पूर्व के जो गैगहट थे उनकी पहचान कर इन्हें फिर से तैयार करे तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. बाल विकास परियोजना का भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. एकलव्य मॉडल जनजाति आवासीय विद्यालय गोगुन्दा के अधूरी बाउण्ड्रीवाल पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. गोगुन्दा एन.एच. 27 पर ट्रोमा सेंटर भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सायरा में विभाग के डाक बंगलों में अतिरिक्त कमरे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

25. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर, उप खण्ड सराड़ा तहसील सेमारी, उप तहसील जयसमंद उप तहसील गीगला में आधुनिक डाक बंगला बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप तहसील गिगला में तहसील कार्यालय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गिगला, सराड़ा, सेमारी, परसाद, जयसमंद, झल्लारा में सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सार्वजनिक निर्माण कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता, मिस्त्री, सुपरवाइजर, फोरमेन, गेगमेंट एवं बेलदार के पदों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अधिशासी अभियंता कार्यालय सलूम्बर, सेमारी व चावण्ड में डाक बंगला निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

30. विधान सभा क्षेत्र चौहटन खेऊआ की तहसील में सार्वजनिक डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

31. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी मुख्यालय पर स्थित सभी सरकारी भवनों का रख-रखाव व मरम्मत आदि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में चिकित्सालय की बिल्डिंग की मरम्मत तथा और चिकित्सा भवन बनाने के लिये बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के बारापाल में वर्षों से बन्द पड़े डाक बंगले की मरम्मत कर उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

34. चित्तौड़गढ़ शहर में संचालित डाक बंगले का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर):

35. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के डाक बंगले की व्यवस्था एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

36. जैतारण एवं बर के डाक बंगले की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी राजकीय भवन जो क्षतिग्रस्त हैं, चूने के बने हैं, उन्हें मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के मुख्य बस स्टेशन पर वातानुकूलित विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बस स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. जैतारण क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से टीन शैड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

41. डाक बंगला बालोतरा के भवन की मरम्मत सुविधायुक्त एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में सर्किट हाउस के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

43. मावली में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय भवन लोक निर्माण विभाग से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राजकीय महाविद्यालय मावली का भवन निर्माण करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. मावली डाक बंगले में अतिरिक्त कमरों का निर्माण व वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

46. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के क्षतिग्रस्त भवनों वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में नव सृजित पंचायत समितियों के भवन निर्माण की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में ग्राम पंचायतों के भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

49. झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय आवास गृहों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

50. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी मुख्यालय पर डाक बंगला (रैस्ट हाउस) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. सिणधरी मुख्यालय पर उप कोष कार्यालय भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी मुख्यालय पर पी.डब्ल्यू.डी. सहायक अभियंता कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. सिवाना उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन बस स्टैण्ड निर्माण एवं सिणधरी उप खण्ड मुख्यालय पर बस स्टैण्ड निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. क्षेत्र में सीनियर विद्यालयों में भवनों की कमी जिसमें सिणेट उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 20 वर्षों से भवन नहीं है। अत: भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

55. अजमेर शहर में संचालित शहरी चिकित्सालय गुलाब बाड़ी के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. अजमेर शहर में स्थित डांक बंगले की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाये गये नये आपातकालीन इकाई का आज दिनांक तक भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. अजमेर स्थित नये न्यायालय भवन के निर्माण को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. अजमेर शहर में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों एवं चार दीवारी की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

60. विधान सभा क्षेत्र आहोर का एकमात्र उप खण्ड आहोर में बस स्टैण्ड का नहीं होना एवं नये बस स्टैण्ड के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिय।

61. कृषि मण्डी का विकास प्लेटफार्म एवं शैड लोक निर्माण विभाग से करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. सराणा में विद्यालय भवन बनाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. आलाना में (भील समाज के लिए) सामुदायिक भवन बनवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

64. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में एक्स.ई.एन. कार्यालय खोलने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के डाक बंगले में अतिरिक्त कमरे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

66. मनोहरथाना में नया डाक बंगला बनाने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

67. विधान सभा क्षेत्र नागौर के ग्राम मूण्डवा में डाक बंगलों का निर्माण कार्य करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

68. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. उपखण्ड स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय विश्राम गृह निर्मित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

70. अधीशासी अभियंता कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मालपुरा के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन के क्रम में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में उप खण्ड कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन करने के क्रम में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. मालपुरा व टोडारायसिंह में तहसील कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन करने के क्रम में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. पंचायत समिति मालपुरा व टोडारायसिंह के पंचायत समिति कार्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन के क्रम में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

74. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सामुदायिक भवनों के निर्माण के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

75. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सरकारी भवनों के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. अजमेर से पुष्कर के यातायात को सुगम बनाने के लिए टनल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

77. विभाग के स्वीकृत कार्यों को पुन: चालू करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

78. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत डाक बंगलों में सुदृढ़ीकरण एवं स्टाफ कर्मचारियों के रिक्त पदों के संबंध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत नवीन पटवार भवनों के निर्माण के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पटवार भवनों के जीर्णोद्धार हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

81. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित नगरपालिका लाखेरी, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़ व ग्राम करवर में सभी सुविधायुक्त सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित राजकीय चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण व मरम्मत के कार्यों पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नगरपालिका क्षेत्रों, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, लाखेरी, कापरेन व करवर में सार्वजनिक पार्क विकसित करने पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

84. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय भवन के जीर्णोद्धार व नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्रामों खारडा, रामबाग, कपूरीसर, घोरेरा तथा मोलानीया में पशु उप केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांव खारडा, मिठडीया तथा मालासर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर, लूणकरणसर, कालू व महाजन में स्टेडियम व गार्डन का निर्माण कराने पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान का निर्माण करवाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

89. अनूपगढ़ डाक बंगला की जर्जर अवस्था की मरम्मत एवं नवीन कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. रावलामण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की मरम्मत एवं नवीन कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत सभी निर्माण कार्य शीघ्र ही चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला मंडियों, घड़साना में डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ के भवन के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

94. नोखा तहसील मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने पर चर्चा के लिये।

95. नोखा तहसील मुख्यालय पर स्थित बस स्टैण्ड पर वातानुकूलित

विश्राम गृह एवं सुलभ काम्प्लेक्स की आवश्यकता पर विभागीय पहल हेतु चर्चा के लिये।

96. नोखा में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बस स्टेशन बनाये जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर बस स्टैण्ड पर विश्राम गृह एवं सुलभ काम्प्लेक्स निर्माण पर विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. नोखा क्षेत्र की सभी सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर टीन-शैड निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

99. उप खण्ड मुख्यालय कोटड़ी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित डाक बंगला के मरम्मत कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

100. विधान सभा क्षेत्र मकराना में सहायक अभियंता कार्यालय भवन में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

101. जिला मुख्यालय से दूरस्थ उपखण्ड मुख्यालय इटावा (कोटा) में डाक बंगला नहीं होने से प्रशासनिक अधिकारियों को होने वाली समस्या एवं डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कार्यालय इटावा (कोटा) में कम्प्यूटरीकरण एवं आवश्यक तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

103. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित भगवान महावीर टाउन हॉल के नवीनीकरण, रख-रखाव लोक निर्माण विभाग से बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित डाक बंगला एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास के मरम्मत कार्य के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

105. जालूपुरा स्थित एम.एल.ए. क्वार्टर्स की नीलामी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

106. सरकार ने नये भवन निर्माण के लिये करोड़ रुपयों की स्वीकृति निकाली है। पूर्व में बने भवनों की मरम्मत हेतु किसी भी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया है, के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विभाग द्वारा पिछले बजट में कई भवन निर्माण की जारी स्वीकृतियों के पश्चात् भी कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. पी.डब्ल्यू.डी. या आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा निर्मित कई नये भवन गुणवत्तायुक्त नहीं होने से छतों से पानी का रिसाव होने, दीवारों से प्लास्टर गिरने, सैनेट्री तथा बिजली का कार्य घटिया होने के कारण हो रही क्षति के लिए विभाग के जे.ईएन. व ए.ईएन. का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विभाग के कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

110. उदयपुर सामान्य चिकित्सालय में पिछले 5 वर्षों में निर्माण हेतु करोड़ रुपयों की स्वीकृतियां जारी होने के पश्चात् भी समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने से लागत बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

111. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में लोक निर्माण विभाग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल के भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में आने वाले राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं रंगरोगन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के रेलमगरा तहसील पर अधूरे बने हुए डाक बंगले को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जिला मुख्यालय पर निर्मित सर्किट हाउस की मरम्मत नहीं होना, रंग रोगन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

116. सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आहोर कॉलोनी स्थित आवासों के स्थान पर नए बहुमंजिला आवासों का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. विभाग द्वारा पुराने जालौर के जिला कलेक्टर कार्यालय के स्थान पर आधुनिक सुविधायुक्त मिनी सचिवालय बनाये जाने एवं भूमिगत पार्किंग बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. जालौर के ऐतिहासिक सुन्देला व तालाब पर खुला रंगमंच निर्मित किये जाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. जालौर शहर में स्थित पुरातात्विक महत्व के द्वारों एवं छतरियों के रख-रखाव एवं सौन्दर्यकरण के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

120. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के उपखण्ड मुख्यालय पीसांगन पर डाक बंगला स्वीकृत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

121. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर विश्रांति गृह एवं सामुदायिक भवनों के नवीन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

122. मिनी सचिवालय व अधिकारियों के आवासों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

123. सांगानेर तहसील कार्यालय के नवीन भवन निर्माण के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

124. ग्राम पंचायत सुरायल, सुपलोव, घीनावास, धाकडी, बिलावास, बासना, मण्डला, सोजत रोड में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. ग्राम पंचायत अरबडा, बोयल, खोखरा, कुशालपुरा, रूपावास, खारीयानींव, मेव, चोपडा में मुख्यालय पर सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. खोडिया, रेन्दडी, भैसाना, खारिया, सोडा, सियार, बगड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. सोजत पंचायत समिति मुख्यालय पर एक टाउन हॉल निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. रायपुर पंचायत समिति मुख्यालय पर विश्राम स्थल व टाउन हॉल निर्माण पर विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

129. बाड़ी में मिनी सचिवालय एवं अफसरों के लिए सरकारी आवास बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

130. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन विभिन्न भवनों के समयबद्ध संधारण/मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के अधीन विभिन्न विभागों की अनुपयोगी पड़े भवनों को कार्यों में लेने एवं संधारित करने पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

132. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के लोक निर्माण कार्यों की ऑडिट पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के लोक निर्माण कार्यों के लिये समुचित व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

135. विधान सभा क्षेत्र निवाई की नवसृजित पंचायत समिति में भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

136. खींवसर उप खण्ड स्तर पर डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. गोगलाव से करण स्टेट हाईवे 19 पर प्रत्येक गांव में यात्रियों हेतु स्टैण्ड का निर्माण पर विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. खींवसर कस्बे में सड़क किनारे फुटपाथ के निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. खींवसर उपखण्ड स्तर पर ऑडिटोरियम निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

140. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले डाक बंगलों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को सुधारने, रंगरोगन कराने व शाहपुरा नगर के डाक बंगले में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा नगर के चिकित्सालय में विकास कार्यों के लिये शाहपुरा के पूर्व नरेश द्वारा दान में दी गई जमीन नजूल सम्पत्ति की नीलामी से प्राप्त धनराशि की बकाया को शाहपुरा नगर के अस्पताल के निर्माण एवं विकास में खर्च करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों एवं नायब तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के रहने हेतु स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

143. अजमेर शहर स्थित राजकीय आवासों में निवास करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा मनमर्जी से स्वयं के स्तर पर

आवासों में परिवर्तन/अनधिकृत निर्माण कराये जाने पर रोक लगाये जाने में विभागीय असफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

144. जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर के भवन की मरम्मत व ड्रेनेज सिस्टम में सुधार एवं नवीन भवनों का निर्माण कराये जाने की आवयश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. अजमेर शहर में निर्मित राजकीय आवासों की मरम्मत एवं कर्मचारियों के लिये नये आवास/फ्लैट का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. अजमेर जिले के विद्यालयों में क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत एवं नवीन कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. अजमेर स्थित डाक बंगले का रिनोवेशन करवाकर आवश्यक सुविधाओं में सुधार कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

148. विधान सभा क्षेत्र नगर के उपखण्ड सीकरी में विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का भवन निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र नगर में पी.डब्ल्यू.डी. के सहायक अभियंता कार्यालय के लिये भवन निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

150. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई में नये स्थापित उपखण्ड कार्यालय के नये भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित डाक बंगले का जीर्णोद्धार तथा सुसज्जित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न सरकारी भवनों के जीर्ण-शीर्ण होने से उनका पुन: निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगले का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

154. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में बस स्टैण्ड का निर्माण कराने पर विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में ऑडिटोरियम का सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के मोमनपुर ग्राम पंचायत जागुवास के विद्यालय में तीन कमरे मय बरामदा निर्माण कराये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

157. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा में स्थित डाक बंगले को आधुनिक बनाकर सुसज्जित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा थाना के नये भवन का निर्माण हेतु विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना एवं किशनगढ़-रेनवाल में डाक बंगला बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभन्न जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुन: निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

161. डाक बंगले, फतेहपुर की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

162. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में डाक बंगला निर्माण करवाने व ढोला से लापोद सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में निर्माणाधीन कालेज भवन को शीघ्र पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

164. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में राजकीय भवनों के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21-**सड़कें एवं पुल** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. बाड़मेर जिले की तहसील गडरारोड-रामसर की सड़क देतानी से गागरिया की चौड़ाई बढ़ाने एवं मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की गागरिया देतानी की सड़क को ग्रीफ में दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. जिला बाड़मेर की तहसील गडरारोड की सड़क खानीयानी से लालासर की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शिव जिला बाड़मेर की चालू वित्तीय वर्ष की नई सड़कों का प्रस्ताव नहीं भिजवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. बाड़मेर जिले की बुटिया से कैलनोर सड़क को ग्रीफ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

6. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की कुम्भाराज सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करने व बालाजी घटा पुलिया का निर्माण कार्य चालू नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

7. जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाये जाने एवं ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराने एवं मेगा हाईवे सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

9. अलवर शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने एवं एन.सी.आर. द्वारा

स्वीकृत फेज प्रथम के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने व द्वितीय फेज के स्वीकृत निर्माण कार्य को शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

10. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की बबेरा से बिजेड़ा नागललाखा से कोटपूतली बुटेरी बगीची से टापरी तक बबेडी से मोहम्मदपुर तक की सड़कों को तहसील से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम कुशलगढ़ से नारायणपुर तक एवं नारायणपुर बाईपास तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में चांदपुरी पुल का नवनिर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

13. विधान सभा क्षेत्र भादरा से सिद्धमुख के बीच भाडी मोड़ पर ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र भादरा से साहवा सड़क पर रेलवे क्रोसिंग एवं भादरा में RUB व ROB C-65 निर्माण कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र भादरा से साहवा सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र भादरा से सिरसा रोड एवं भादरा से राजगढ़ की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. जिलाधीश कार्यालय चूरू से रतनगढ़ रेलवे लाइन पर क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

18. ग्रामीण सड़कों का उपयोग मल्टी एक्सल व भारी वाहनों द्वारा नहीं करने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. सड़क नीति के तहत प्रदेश की समस्त सड़कें जो कृषि उपज मण्डी व अन्य विभाग द्वारा बनाई गई हैं, उनको PWD के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश की समस्त प्रमुख सड़कों व टोल सड़कों पर वृक्ष लगाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के नदी एवं नालों पर उच्च स्तर की पुलिया का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सड़कों के मरम्मतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य आरम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

23. विधान सभा क्षेत्र चूरू में स्वीकृत अग्रसेन नगर के ROB का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र चूरू में मंगला कालोनी ROB के निर्माण कार्य शुरू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र चूरू में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

26. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेरली कस्बे में रेलवे फाटक पर ROB बनाने एवं लिंक रोड चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

27. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नई सड़कें एवं टूटी सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

28. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के डेगाना शहर में दो रेलवे ब्रिज (I- नागौर फाटक, II- चान्दारूण फाटक पर) बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

29. ग्राम पंचायत बरून्धन पंचायत समिति तालेड़ा के बैरवा बस्ती के रास्ते में घोड़ा पछाड़ नदी पर पुल बनाने पर चर्चा के लिये।

30. ग्राम पंचायत लालपुरा पंचायत समिति बून्दी के ग्राम लालपुरा एवं ग्राम वागदा के मध्य में पड़ने वाली मांगली नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. ग्राम पंचायत खियावदा पंचायत समिति बून्दी के ग्राम हनोत्या और

जैथल के बीच करेल नदी पर पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

32. श्रीगंगानगर सार्दुल शहर सड़क (राज्य राजमार्ग नं. 7बी) पर स्थित आर.यू.बी. को कवर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

33. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की सावरडा से भरवा, बिबोलाव से दातडा, पडा सोली से साली, बोरडावास से हठ्ठपुरा दांतरी से साली की सड़कों पर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण बिना तकनीकी मापदण्डों के करने से अण्डरपासों में पानी भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

34. विधान सभा क्षेत्र करौली में मांढई से सिलपुरा-पालनपुर तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

35. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में रावतसर से गन्धेली चाईया से पोलखी पीलीबंगा से गोलुवाला, पीलीबंगा से सुरावाली, सूरतगढ़ से वाया जाखड़ा वाली, रावतसर तक की जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ा करने हेतु बजट आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. मेगा हाईवे किशनगढ़ से हनुमानगढ़ के मध्य कस्बा रावतसर में क्षतिग्रस्त डिवाइडर एवं सड़क की मरम्मत करवाने एवं दुर्घटना की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

37. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मेन कैनाल में वर्ष 1965 के बाद बने नहर पर जर्जर पुलों यथा डबली (टिब्बी), R.D. 84 मोधुनगर R.D. 99 खेतावाली ढाणी, R.D. 108 खोडा-रावतसर, लखुवाली पर स्थित पुलों का पुन: निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

38. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के मिसिंग लिंक सड़कें नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. ग्रामीण गौरव पथ में नालियों के निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के जाखोदा से कालू की ढाणी, लाखू से बामनवास, नरात से बुहाना सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

42. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की चार पंचायतें चौकड़ी, भाटौली के गौरव पथ स्वीकृत होने के पश्चात् भी उनका निर्माण रोक देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में चार पंचायतें चौकड़ी, भाटौली में गौरव पथ स्वीकृत नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में P.W.D. के ठेकेदारों द्वारा सड़कों का कार्य पूर्ण करने के बाद भी उनको भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में स्थित 450 वर्ष पुराने श्रीद्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता है, वह बहुत ही संकड़ा होने के कारण एक और वैकल्पिक बनवाया जाय तथा उसके लिये एक नई Elevated Road बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

46. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में निर्मित सड़कों पर जहां वर्षा का पानी निकलता है, वहां पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

47. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी (धौलपुर) में खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

48. गरवाड़ा ग्राम पंचायत समिति बकानी में क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत एवं पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बाधेर से पनवाड़ व पनवाड़ से सांगोद रोड का समय पर पूरा किया जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. पुरानी सरकार द्वारा विधायक अनुशंषा पर स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़कें व गौरव पथ के कार्यों को समय पर पूर्ण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सारोला उप तहसील मुख्यालय पर पुराने स्वीकृत बाईपास की वित्तीय राशि उपलब्ध करवाकर कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

52. विधान सभा क्षेत्र कपासन की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के लिए बजट दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. उप खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क भोपालसागर से आकोला सड़क, कपासन से जाश्मा सड़क व कपासन से सूरजपुरा वाया धमाना सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र कपासन में पूर्व सरकार द्वारा विभिन्न योजना में स्वीकृत सड़कों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. बनास नदी पर बने सांखली के पुलिया को ऊंचा कराने व सुरपुर से सूरपुरी के बीच संगम पुलिया को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

56. ग्राम पंचायत डांग में बिडलीया नदी पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत 72 सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. चारभुजा से भटेवर तक स्टेट हाईवे का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. गोगुन्दा से मजावद तक सड़क की चौड़ाई बढ़ायी जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

60. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गुडेल से ढीमड़ी वाया लालावतों गुडा झाभरी नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, खैरवाड़ा, वल्लभनगर एवं उदयपुर ग्रामीण में सड़क स्टेट हाईवे 32ए ऋषभदेव से बलुआ, सराड़ा, चावण्ड, केजक, डीगरी, झाड़ोल, जयसमन्द जावद, अदवास, जगत, झामेश्वर 106 कि.मी. निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सगतड़ा से ढाकरड़ा गरगल नदी पर केजड़ से बण्डोली एवं कोटा से काट गोमती नदी पर एवं ईडाणा से रतनपुरा गोमती नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उथरवा से सेभाल नईझर से कराकली, आडावेला, खैराड से वाजुआ एवं बुज भागल टोल, नाका से सलूम्बर तक सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों में नहारा बड़ा चौराहा से गोटा पानी, सड़क मण्डास से कलात, सड़क मण्डास से राता खेत, सड़क बलुआ से हरघाटा, सड़क तालाब फूला में सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

65. झाडोल में सड़कों की मरम्मत करवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पुलियाओं के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

67. समेर का पूरा गांव पंचायत बरैठा में RUB बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

68. 250 की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

69. पिण्डवाड़ा तहसील में मिसिंग लिंक रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. पिण्डवाड़ा तहसील के जनजाति क्षेत्र में पेसुआ, कोजरा फुलाबाईखेड़ा व गंभीरा नालों पर पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

71. सहाड़ा नेगडीया खेड़ा RIDF में स्वीकृत टेण्डर होकर वर्क आर्डर जारी होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. गाडामाला, हमीरगढ़ रोड पर जवासीया पुलिया टूटी हुई है, को ठीक करने पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व):

73. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के इन्दिरा कालोनी, सुभाषपुरा, रामपुरा, चौधरी कालोनी, तिलकनगर, गंगा शहर आदि क्षेत्रों में जगह-जगह टूटी सड़कों की अतिशीघ्र मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में P.W.D., U.I.T. तथा नगर निगम की जगह-जगह टूटी हुई सड़कों का पुनः निर्माण अथवा मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

75. विधान सभा क्षेत्र महुवा में महुवा थाने से मण्डावर तक सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र महुवा में बाणगंगा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

77. प्रतापगढ़ शहर में भारी ट्रैफिक होने के कारण बाईपास बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

78. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में जनजाति बहुल क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सभी सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण/चौड़ाईकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

79. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ग्राम पंचायत कालियास से परड़ोदास सड़क जो एन.एच. 79 सिक्सलेन को जोड़ती है, का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत कटार में कटार चौराहा एन.एच. 148डी से कटार गांव की टूटी सड़क की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत आंकड़सादा से विजयनगर चौराहा (बदनौर) की कच्ची सड़क का डामरीकरण करने की अति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ग्राम पंचायत लाछूड़ा से मारवों का खेड़ा सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

83. विधान सभा क्षेत्र पाली की गारंटी अवधि वाली क्षतिग्रस्त सड़कों की संबंधित ठेकेदार से मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र पाली की रोहट तहसील में नरेगा से अधूरी बनी रपट को पूर्ण बनाने एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई रपटों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र पाली के गांव सुकरलाई से चाटेलाव के मध्य अधूरी बनी रपट को पूर्ण बनाने एवं करीब एक कि.मी. कच्ची सड़क को डामर की पक्की सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र पाली की घुमटी-गढवाडा सड़क को जवडिया से गडवाडा तक साढ़े पांच मीटर की चौड़ाई की नई सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र पाली के गांव चोरीला से बिदू तक की अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़क को उस पर गुजरने वाले भारी वाहनों को देखते हुए उच्च गुणवत्ता की सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

88. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में निर्माणाधीन बन्द पड़ी सड़क का कार्य पुन: तुरन्त चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में टूटी सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नयाखेड़ा से कविता तक रिंग रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में टूटी पुलियाओं की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

92. चित्तौड़गढ़ में भदेसर चौराहे से वाया नाहरगढ़-कन्नौज-सावा-गिलुण्ड-घटियावाली-एन.एच.-76 तक जोड़ने वाले सड़क मार्ग के रूके हुए कार्य को पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कपासन चौराहे से मानपुरा जाने वाली सड़क पर गंभीरी नदी पर पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

94. पंचायत समिति भदेसर से लसड़ावन तक जाने वाले सड़क मार्ग का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. चित्तौड़ से मेडीखेड़ा फाटक तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर):

96. सादुलपुर की टूटी सड़कों की मरम्मत व रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज व अण्डरपास बनाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

97. गंगापुर सिटी में सड़क व पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

98. मिसिंग लिंक सड़क देवपुरा से गुढ़ा तक दूरी 3.5 कि.मी. एवं चारणा का सरसिया से भरणी कला तक लिंक रोड 3 कि.मी. का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. नाला का झुपड़ा धान्धोला से लुहारीकलां 4 कि.मी. एवं समेलका भाटा से बिलाठा तक 4 कि.मी. तक मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. सरसिया से मैडिया सड़क 7 मीटर विस्तारीकरण एवं रावतखेड़ा से घाटाराजी सड़क 7 मीटर विस्तारीकरण (रामगढ़ गांव) की सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. M.D.R. 56 रोंपा से कोठाज लम्बाई 14 कि.मी. की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं विस्तारीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. ग्राम बिरधोल से ग्राम समवपुरिया में मध्य स्थित पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़-जंक्शन):

103. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के ग्राम हिंगोला, धामली, देवली-अऊवा में पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में सभी पक्की (डामरी सड़कों) के दोनों तरफ अंग्रेजी बबूल की झाड़ी हटाकर पटरियों का कार्य कराने व टूटी हुई डामर की सड़कों का मरम्म्त कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में मिसिंग लिंक सड़कें बांता से वाडीयां 5 कि.मी., हमीर से माण्डा 4 कि.मी., चौकड़ीया से गुडारूघनाथ सिंह 4 कि.मी., मामावास से पांचेरीया 10 कि.मी., जोजावर से गुंगलीया 4 कि.मी., जोड़कीया से बांसौर 4 कि.मी., गुड़ा गोपीनाथ से कोट सौंलकियान 5 कि.मी., केरली से टोकरला 4 कि.मी., गुडा जैतावता से खिवाडा 3 कि.मी., जोजावर-आशापुरा, नवागुड़ा से गुड़ा प्रेमसिंह तक का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राज्य राजमार्ग संख्या 62 को स्वीकृत करने, राज्य राजमार्ग संख्या 61 को जोजावर से कामली घाट N.H. 8 तक 20 कि.मी. को पूर्ण करने एवं राज्य राजमार्ग 61 को जैतपुरा से देवली धनला जोजावर तक 27 कि.मी. पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में नये राज्य राजमार्ग घोषित करने पर S.H. 61 को मामावास से खिंवाडा-घेनडी-सिवाज-बोलागुडा-सावलता से उदयपुर पाली मेगा हाईवे घोषित करने पर पाली से गुडा छतरा-वाया खैरवा-धामली-जैतपुरा-गुडा मौकम सिंह से गुड़ा छतरा S.H. 61 व 62 तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

108. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की जैतारण से निम्बोल तक लाम्बिया से कुड़की, बर-गिरी-बूटीवास से रास और झाला चौकी से जस्साखेड़ा (भीम) तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं दोहरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. जैतारण क्षेत्र में अधूरी पड़ी N.H. 458 की सड़क रायपुर से जस्साखेड़ा (भीम) तक की सड़क को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 कि.मी. मिसिंग लिंक सड़क व 25 कि.मी. सुदृढ़ीकरण सड़कों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सभी स्वीकृत सड़कों को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. जैतारण क्षेत्र में पानी के बहाव में बनी रपटों पर सभी जगह पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

113. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मालमाया से कालावाणा तक सड़क निर्माण करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

114. ब्यावर शहर में आने वाली मुख्य सड़कों के चौड़ाईकरण पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जस्साखेड़ा से दूधलेश्वर तक सड़क चौड़ाईकरण पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कोटड़ा से देवाता चौराहा तक सड़क चौड़ाईकरण के अधूरे कार्यों को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

117. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा कस्बे में छतरियों का मोर्चा से सिवाना फांटा अति क्षतिग्रस्त सड़क के मय डिवाइडर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुडी से नेवाई तक 6 कि.मी. सड़क के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विख्यात बिठूजाधाम सड़क पर लूणी नदी भाग में रपट के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

121. विधान सभा क्षेत्र मावली में स्वीकृत अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र मावली की टूटी हुई क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये पेचवर्क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

123. वाजविया (मावली) से वाजविया (वल्लभनगर) तक सड़क व पुल निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

124. मावली में नांगरोदा की बावड़ी से नया तालाब सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

125. मावली तहसील में विशनपुरा-खेमपुर सम्पर्क सड़क का निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

126. भूती-रोडला के बीच नदी पर पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी पचानवा में जवाई नदी पर पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

128. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा से भीनमाल सड़क का दोहरीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय जसवन्तपुरा से भीनमाल सड़क का दोहरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में उप खण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा स्थित रेलवे फाटक संख्या एल.सी.-114 पर आर.ओ.बी. निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्रामीण सड़कों पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

133. पड़ोला गोरधन, पड़ोली राठौड़ के बीच नदी पर पुल निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

134. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में मिसिंग लिंक एवं धार्मिक स्थलों के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. झुंझुनूं शहर में गुढा रोड रेलवे समपार पर (आर.ओ.बी.) पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में निर्मित सड़कों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

137. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

138. मजल एवं ढींढस के बीच चलने वाली नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. देवस्थान जोड़ने को लेकर बालिपाना पीपलिया महादेव इन्द्राणा सरहद तक डामर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की क्षतिग्रस्त डामर सड़कों के नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. खरन्टिया महादेव मंदिर से गोदो का वाड़ा गांव के बीच नदी पर रपट/पुल सहित डामर सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. सिवाना क्षेत्र के नये राजस्व गांवों को PMGSY सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

143. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कैथून से धाकड़खेड़ी की सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम ढाणी मवासा में तिलीया खाल पर पुलिया के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

145. नोटाना से चन्द्रेसल लिंक रोड पर पुलिया के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मांदलिया से पचपहाड़ सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

147. ग्राम ताथेड़ डिपो से मानसगांव तक 5.50 कि.मी. स्वीकृत सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

148. देबावास-ओडवाडा-रायथल सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

149. जोडा से पादरली सड़क (नवीन सड़क) बनाने से पादरली एवं ऊपर के गांवों के लिए सहूलियत होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

150. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के खाताखेड़ी नदी पर हाईलेवल ब्रिज बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. NH 52 से गेहुखेड़ी के मध्य पुलिया का निर्माण करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

152. प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण, मिसिंग सड़कों के निर्माण एवं पुराने पुलों के पुन: निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

153. श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास श्रीडूंगरगढ़ बीदासर मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के विभिन्न गांवों में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के विभिन्न गांव की सड़कों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के समस्त कस्बों/गांवों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

157. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव भूरीया लेवा (देवगढ़) जिला प्रतापगढ़ में दो पुलिया निर्माण पर चर्चा के लिये।

158. बस स्टैण्ड डूंगला से रेलवे स्टेशन कानोड़, पुंगा तालाब से प्रतापगढ़ तक मेगा हाईवे बनाने पर चर्चा के लिये।

159. पालखेड़ी नंगपुरा, गुमानपुरा चौराहा, बिलोट-ईडरा गांव-लक्ष्मीपुरा पंचायत समिति डूंगला तक डामर सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के परबती अमीरामा, लक्ष्मीपुरा, पन्हेडा, आलाखेडी कचुमरा पंचायत समिति बड़ी सादड़ी तक डामर सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

161. टांडा से ढलमु, टीला से नेशनल हाईवे 113 तक सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

162. विधान सभा क्षेत्र लूणी में सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

163. विधान सभा क्षेत्र नागौर के 250 से अधिक आबादी वाले सभी ढाणियों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र नागौर के नागौर शहर में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. को शीघ्र पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. विकास पथ योजना में 5 कि.मी. से अधिक लम्बी सड़कें बनाकर जनता को राहत पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र नागौर की क्षतिग्रस्त व नई सड़कों के शीघ्र निर्माण करवाए जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

167. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. बामनवास में नवीन सड़कों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

169. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की सभी पुल एवं अण्डरपास, ओवर ब्रिज की मरम्मत और रख-रखाव के लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. मुहामी से गगवाना, लाडपुरा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

171. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ढूंढ नदी पर ग्राम बराला तथा सांभरिया की क्षतिग्रस्त पुलियाओं के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राज्य राजमार्गो तथा एम.डी.आर. (मुख्य जिला सड़कों) पर निर्मित पुलियाओं को चौड़ा किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 2 के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण तथा चौड़ाईकरण पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

175. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायतों को पंचायत से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के बोटून्दा से राजमहल रोड पर बनास नदी पर पुलिया निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

177. पंवालिया से सांवरिया रोड के मरम्मत कार्य करवाने पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पचेवर से स्याह रोड के नवीनीकरण कार्य पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायतों को पंचायत से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

180. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में बेड़ावल से सलूम्बर सड़क की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

181. अनूपगढ़-रायसिंहनगर रोड गांव 91 G.B. पर घग्घर नदी के ऊपर सबमर्सिबल ब्रिज दूरी लगभग 80 फीट बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. अनूपगढ़-सूरतगढ़ मुख्य रोड से गांव 23 SAD 11 जोईयांवाली घग्घर नदी (फ्लड) के ऊपर तक बड़ा पुल दूरी लगभग 210 फीट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. गांव 7 APD भातीवाला से गांव 14 APD कमरानियां तक डामर रोड बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. गुरुद्वारा बुढ्ढाजोहड़ डाबला से गांव बिशनपुरा तक डामर रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. गांव 42 G.B. मोड़ से गांव 41 G.B. तक डामर रोड बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

186. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित ग्राम जेंथल से ख्यादा के बीच स्थित मेज नदी पर बड़ी दो लेन पुलिया निर्माण पर चर्चा के लिये।

187. केशोरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत रेलवे लाइन पर फोर लेन ओवरब्रिज बनाने हेतु स्वीकृत डिजाइन में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सड़कें बनाने पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में पापड़ी, लाखेरी के बीच स्थित मेज नदी पर फोर लेन, डिवाइडर युक्त रोड लाइट सहित पुल निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्वीकृत सड़कों के बन्द पड़े कार्यों को पुन: चालू कराने पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

191. विधान सभा क्षेत्र बाली की मिसिंग लिंक व विकास पथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनवाने पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र बाली के सादड़ी से नाडोल रोड के जीर्णोद्धार एवं चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. बाली, फालना, सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बाईपास निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

194. सांडेराव से देसूरी स्टेट हाईवे का विस्तार एवं चौड़ाई के कार्य का विस्तार वाया सादड़ी से होते हुए देसूरी तक करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

195. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के हल्दीराम प्याऊ (सागर) से नापासर से जसरासर तक मेगा हाईवे का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर, कालू, महाजन, जैतपुर, सहजरासर, शेरपुरा, मूडसर रामसर, गुसाईसर एवं बम्बलू ग्राम पंचायतों पर विकास पथ का कार्य जल्दी कराने पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की 5 कि.मी. से कम की सड़कों का नवीनीकरण कार्य करने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की 5 कि.मी. से अधिक की सड़कों का नवीनीकरण कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

200. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की पुरानी मण्डी घड़साना से रावला मण्डी सड़क मार्ग की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ से नहरों वाली सड़क मार्ग को डबल लाइन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण एवं सड़कों की टूट-फूट की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रावला मण्डी से खानूवाली सड़क मार्ग की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

205. नेशनल हाईवे 62 बीकानेर से नागौर खण्ड व इसमें स्वीकृत चार आरओबी व नोखा, श्रीबालाजी बाईपास का निर्माण कार्य शुरू करवाने पर चर्चा के लिये।

206. पंचायत समिति मुख्यालय पांचू से सैंगाल धोरा तक 10 कि.मी. व नाथूसर से बगराला धोरा तक 4 कि.मी., हिंयादेसर, किशनासर सड़क से विश्वत माता मंदिर किशनासर 3.5 कि.मी., कुल 17.5 कि.मी. पक्की सड़क धार्मिक महत्व को देखते हुए बनवाने पर चर्चा के लिये।

207. स्टेट हाईवे 20बी बीकानेर से जसरासर तक नवीनीकरण व चौड़ाईकरण पर चर्चा के लिये।

208. नोखा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़क देसलसर से जेगला 6 कि.मी., सूरपूरा से सलूण्डिया 8 कि.मी., बंधाला से मूंजासर 6 कि.मी., कक्कू से हंसासर 6 कि.मी., बगसेउ से मुंदड़ 6 कि.मी. स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

209. स्टेट हाईवे 20 से नेशनल हाईवे 62 को आपस में जोड़ने के लिए गट्टाणी बालिका विद्यालय के सामने की रोड से रेलवे पटरियों के ऊपर से पीपली चौक रोड तक ओवर ब्रिज बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

210. मकराना शहर में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा कराये गये आर.ओ.बी निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

211. सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड इटावा (कोटा) में पूर्व में स्वीकृतशुदा मिसिंग लिंक सड़कों आदि के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. दिसम्बर, 2019 तक मय तकमीने स्वीकृति हेतु प्रेषित सड़क एवं पुल निर्माण कार्यो की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के खातौली से गुड़ला चम्बल नदी तक के 25-30 किलोमीटर हिस्से में सड़क निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं होने से हो रही समस्या एवं विलम्बकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में जनहित में अपेक्षित सड़क निर्माण कार्यों की प्राथमिकता से स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. इटावा (कोटा) नगर को वर्षाकाल में सूकरनी नदी की बाढ़ से बचाने एवं निर्बाध आवागमन हेतु प्रोटेक्शन वाल एवं पर्याप्त ऊंचाई की पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा:

216. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में हो रही सड़कों की दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

217. राजसमन्द जिले में निर्मित सड़कों पर घटिया सामग्री लगाने से 6 माह में ही सड़कें टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

218. कोटा शहर के पुराने वार्ड 24 में सी.सी. रोड रंगबाड़ी योजना के पीछे वाले क्षेत्र में बनाने हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व):

219. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज लाइनें डालने का कार्य किया जा रहा है लेकिन सड़कों का पुन: निर्माण नहीं किया जा रहा है। टूटी हुई सड़कों का पुन: निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

220. सिलावट रोड जो कि राजाखेड़ा को U.P. से जोड़ती है, के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण उसको चौड़ा कराने एवं ठीक कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

221. भगतोड़ से भेराबावजी 3 कि.मी. सड़क निर्माण बाबत (पंचायत समिति पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़) कनपुरा से बामनपाड़ा 2 कि.मी. सड़क निर्माण (पं.स. घाटोल), बुढ़ा से बस्सी रोड खडनकाड स्कूल तक डामरीकरण निर्माण, बस्सीवाडा से बामनपाडा तक सड़क निर्माण, गोपालपुरा से लाम्बाघाटा डामरीकरण सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

222. मादाभाखरी रोड से मण्डला तक नवीन सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

223. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी गांवों की सड़कों का मास्टर प्लान बनाकर सी.सी. रोड व नाली के साथ रोड लाइटों का कार्य किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

224. मकराना नगर परिषद् द्वारा सड़कें गुणवत्ता पूर्ण नहीं बनाई जा रही हैं तथा सीवरेज व पीएचईडी द्वारा पानी की लाइनें डालने से पूरे शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं जिससे शहर में मिट्टी के धुएं जैसे गुब्बार उड़ते रहते हैं। इससे हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. मकराना में दिलढाणी से कालवा छोरा तक स्वीकृत बाईपास सड़क निर्माण कार्य बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

226. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नई सड़कें बनाने व पुरानी सड़कों में मरम्मत एवं नये पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर):

227. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ढाणी तेतरवास से मेहरी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के खण्ड व उप खण्ड कार्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम भाणूदा से सिकराली सड़क स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में जहां-जहां मिसिंग लिंक सड़कों की आवश्यकता है, उनकी स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

232. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में चबा से भीलों की ढाणी, रावतसर से चवोणी मेघवालों की ढाणी, डूडियों की ढाणी से खेमा बाबा मंदिर, पिण्डियों का तला से बालेरा, मंगला टर्मिनल से मानाजी कुमावतों की ढाणी, गुड़ीसर से लूणू, सेजुओं की बस्ती से सुरा तक सड़क के डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के रेलवे फाटक एलसी 327 शास्त्रीनगर बाड़मेर व अण्डरब्रिज की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

234. बाड़मेर शहर से गुजर रहे एन.एच. 68 को बाईपास हाईवे स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

236. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के समस्त ग्राम जो सड़कों से वंचित हैं या P.M.G.S.Y. से अभी तक वंचित हैं, वहां सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अतिवृष्टि से बहे (टूटे) पुल व सड़कों का नवीनीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

238. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी (बाड़मेर) के ग्रामों में सड़कों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. PMGSY सड़कों की भूमि अवाप्ति का भुगतान किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. बाड़मेर जिले में जनगणना 2011 के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को डामर सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. PMGSY के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

242. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में जेरण-भीनमाल मार्ग पर पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर):

243. विधान सभा क्षेत्र करणपुर (श्रीगंगानगर) के अन्तर्गत 2018-19 के कार्य जिन पर पुलिया/मिट्टी कुटाई व चौड़ाई का कार्य हो चुका है, उन पर डामरीकरण का कार्य शीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में 02-ओ.B से लिंक रोड सड़क का डामरीकरण बाबत चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में केसरीसिंहपुर सड़क की हैड से 2बी सड़क क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में वर्षा के मौसम में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

247. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित विज्ञान नगर लेवल क्रोसिंग पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण से बहने वाले एस्कैप चैनल पर नारीशाला एवं विज्ञान नगर को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. वर्ष 2013 से 2018 के मध्य बनाई गई मिसिंग लिंक सड़कों का प्रतिभूति समय में रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. अजमेर शहर में रेलवे स्टेशन मार्ग पर भारी यातायात दबाव को कम करने हेतु पाल बिछला से एक नया वैकल्पिक सड़क मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. अजमेर शहर में सुभाषनगर लेवल क्रोसिंग पर स्वीकृत पुल का निर्माण 3 वर्षों से प्रारम्भ नहीं होने से नागरिकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

252. विधान सभा क्षेत्र संगरिया (हनुमानगढ़) के ग्रामों में गौरव पथ निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र संगरिया (हनुमानगढ़) के शाहपीनी से किशनपुरा उतरादा हरीपुरा से ढाबा, तहसील संगरिया में नई सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र संगरिया (हनुमानगढ़) के नाथवाणा से बोलावाली मिसिंग रोड, अमरपुरा जालू से झण्डवाला शिश्वान संगरिया अधूरी रोड को पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में RUB भटिण्डा सूरतगढ़ रेलवे सैक्शन (संगरिया-मानकसर)-71/7-8 कि.मी., भटिण्डा सूरतगढ़ रेलवे सैक्शन (संगरिया-मानकसर)-77/1-2 कि.मी. एवं रेलवे सैक्शन सूरतगढ़-हनुमानगढ़ (बुगलावाली हाल्ट-धोलीपाल)-183/8-9 कि.मी के सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

256. प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत हनुमानगढ़-सरेवाला, हनुमानगढ़-तलवाड़ा झील, संगरिया-अबोहर वाया मालारामपुरा, ग्राम ढाबा से ढाबा स्टेशन संगरिया तक मरम्मत कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

257. कृषि उपज मंडी के माध्यम से निर्मित सड़कों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें जो प्रथम फेज में बनी उनमें से कई आज भी क्षतिग्रस्त हैं, उनका समय पर रिन्युअल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

259. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में सन् 2018-19 की बजट घोषणा की पालना में 15 कि.मी. की सड़कों के डामरीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले शाहपुरा नगर के बाईपास निर्माण में शीघ्रता से कार्य करने पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

261. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में मोलीसर छोटा में अण्डरपास के नव निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में भावनदेसर से भरपालसर पुल के नव निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के सड़कों से वंचित ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत नवीन मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

265. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

266. नोहर से फेफाना हरियाणा बोर्डर (सिरसा) जमाल सड़क का निर्माण एवं चौड़ी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र नोहर के वंचित राजस्व गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

268. नोहर से धनसिया सरदारशहर की सड़क का निर्माण व चौड़ी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

269. नोहर से तारानगर वाया साहवा क्षतिग्रस्त सड़क के पुन: निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

270. सांगानेर में स्थित रामपुरा सेक्टर सड़क को मुहाना मोड़ तक अधूरे सड़क कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

271. टोंक रोड से चौरडिया पेट्रोल पम्प होते हुए सवाईमाधोपुर रेलवे पुलिया से मुहाना मोड़ तक एलीवेटेड रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

272. ग्रामीण विकास पथों की स्थिति व शीघ्र निर्माण पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

273. प्रदेशभर में क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

274. सांगानेर से भीलवाड़ा स्टेट हाईवे सड़क मार्ग को फोरलेन सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

275. रायराकल्ला, करनावास पट्टा चण्डावल ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. जाडन से सुरायता के मध्य डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. आजादी के बाद भी जिन राजस्व गांवों को डामरीकरण सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, उनको जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र सोजत के मगरा क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों खोडिया, गुडाबीजा, गुडारामसिंह, गुडाकल्ला, हरियामाली एवं केलवाद व उससे जुड़े राजस्व गांवों में सड़कें व पुलिया नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सड़कों की दयनीय स्थिति व खराब पड़ी सड़कों व पुलिया नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

280. बाड़ी सैपऊ मार्ग में आने वाली पार्वती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

281. साने का गुर्ना में चम्बल नदी पर अधूरे पड़े पुल के निर्माण को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये।

282. बाड़ी से सैपऊ, बसई नवाब होते हुए आगरा तक के मार्ग को नेशनल हाईवे बनाये जाने बाबत विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

283. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में ग्राम ढाणियों के बीच इंटिया अधिक होने के फलस्वरूप मिसिंग लिंक हेतु पर्याप्त सड़कों के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

284. उदयपुर जिले में सड़कों पर कई Black Spot चिन्हित किये हुए हैं, इन चिन्हित स्थानों के कारण हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

285. उदयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कई सड़कों की लम्बे समय से PWD विभाग द्वारा मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में वलीचा से नयागांव तथा उदयपुर से रामपुरा चौराहा होकर सीसारमा, नई पुरानी रोड क्षतिग्रस्त है, की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

287. स्टेट हाईवे-2, दौसा-लवाण-चाकसू के कि.मी. 16/0 से कि.मी. 35/0 की सड़क की खराब हालत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

288. एम.डी.आर.-48 कि.मी. 0/0 से 07/0 तक की सड़क चौड़ाईकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

289. राष्ट्रीय राजमार्ग-21, कृष्णा धर्मकांटा, बाईपास से कलैक्ट्रेट सर्किल दौसा वाया दुर्गा मंदिर, छतरी वाली ढाणी सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र दौसा में मिसिंग लिंक सड़कें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

291. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के चिखली ब्लाक बड़गम (राज.) से माणासिमस (गुजरात) तक बड़ा पुल निर्माण, कडाणा बांध के बैक वाटर के टापुओं में कई गांव आज भी सड़क व पुलिया से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के गोविन्द गुरु की घूणी छाणी मगरी से कावटा के बीच नया सड़क मार्ग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत रेटा जूडा से रामसागड़ा की तरफ जाने वाली सड़क लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है, इसकी मरम्मत शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजस्व गांव चक महूडी-II नजदीकी पंचायत काकरादरा जो पहाड़ी इलाका है, सड़क का अभाव है पर चर्चा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम पंचायत खरवर खुणिया से ग्राम पंचायत लौलकपुर में मध्य सड़क व पुलिया निर्माण का सर्वे करवा कर सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

296. भारतमाला परियोजना में अवाप्त कृषि भूमि का मुआवजा डीएलसी दर की बजाय बाजार भाव के आधार पर दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र जालौर में रोहट से जालौर एवं जालौर से रेवदर के बीच स्थित टोल रोड (BOT) का उचित रखरखाव नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

298. जालौर शहर में स्थित रेलवे फाटक सं. सी-48 पर ROB का निर्माण किए जाने हेतु तथा ROB के निर्माण के दौरान यातायात के निर्बाध एवं सुगम आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का यथा समय निर्माण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र जालौर के ऐतिहासिक दुर्ग पर आवागमन हेतु सड़क निर्माण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

300. विधान सभा क्षेत्र जालौर के नारणावास से बागरा सड़क बुरी तरह से क्षतिगस्त हो गई है, उसका पुनर्निर्माण तुरन्त करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

301. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम तिलाना टंकी से ग्राम चांदसेन तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में अजमेर से श्रीनगर सड़क की पटरी सुधारने एवं सड़क का नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

303. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम पंचायत नान्दला में धोलाडोता से देवाजी का बाडिया वाया बूबानिया सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम समर्थपुरा से ग्राम सेठन तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

305. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के नसीराबाद शहर स्थित रेलवे फाटक पर स्वीकृत ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

306. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में नालों पर छोटी-छोटी पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

307. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के उप खण्ड फूलिया कलां के अन्तर्गत आने वाले पंचायत मुख्यालय सांगरिया में बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

309. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के 500 की आबादी से अधिक आबादी वाले गांवों को अभी तक सड़कों से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

310. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पशुधन अधिक होने के फलस्वरूप सेवण घास क्षेत्र में आवागमन हेतु सड़कें पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

311. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु वन विभाग (DNP) द्वारा NOC जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

312. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर का क्षेत्रफल अधिक होने के उपरान्त भी क्षेत्रफल के आधार पर सड़कों की स्वीकृति पर्याप्त जारी नहीं होने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

313. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में राष्ट्रीय राजमार्ग अथोरिटी द्वारा जैसलमेर से म्याज्लार 101 कि.मी. स्वीकृत रोड की डीएनपी द्वारा NOC नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

314. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की चर्चा के लिये।

315. प्रेमनगर पुलिया/आगरा रोड जामडोली को चौड़ा करने एवं रख-रखाव पर चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में सड़क निर्माण की स्वीकृति आदि पर चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

317. विधान सभा क्षेत्र बयाना के सड़कों से वंचित रहे गांवों में नवीन रोड बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

318. विधान सभा क्षेत्र बयाना के विभिन्न पुलियाओं की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. विधान सभा क्षेत्र बयाना के उपखण्ड बयाना में ओवरब्रिज के अधूरे कार्य को पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

321. विधान सभा क्षेत्र निवाई से गुजर रहे फागी-रानोली-नाथड़ी-पीपलू होकर टोंक के सड़क मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

322. नागौर-बीकानेर रोड से डीडवाना बाईपास पर अधिक यातायात से लगने वाले जाम से निजात दिलाने हेतु आर.ओ.बी. (ROB) निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

323. जोधपुर-खींवसर-नागौर-फतेहपुर NH65 पर निर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना में मापदण्ड व गुणवत्ता की अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

324. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न गांवों में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के स्टेट हाईवे 39 का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

326. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की कुल्पडास फांटे से शिव, ईश्वर नावड़ा चौराहा से खबाणियां, करण से रामसर सेखवास से मोड़ी, खींवसर से भावन्डा तक बनी सड़कों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

327. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के प्रमुख मार्गों पर स्थित पुलियाओं की लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ाकर उनका पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में विभिन्न स्थानों पर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में फायसागर रोड, गौरवपथ, पुष्कर रोड के विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण इनका पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

330. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में 288 लाख की राशि से स्वीकृत ग्रामीण क्षेत्र की 6 सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

331. अजमेर शहर की प्रमुख सड़कों पर पेचवर्क/मरम्मत का कार्य नियमित रूप से कराये जाने की स्थाई व्यवस्था कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

332. विधान सभा क्षेत्र नगर में टूटी व जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव जटटबाख से डीग तक की सड़क को बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

334. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर से सेमला कलां की सड़क को बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

335. विधान सभा क्षेत्र नगर में पान्होरी से जनूथर सड़क को बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र नगर में अधूरे सड़क कार्यों को पुन: चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

337. किशनगढ़ (अजमेर) शहर की मुख्य सड़क परासिया फाटक से चिड़िया बावड़ी तक की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के कारण सी.सी. सड़क मय डिवाइडर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ से सरवाड़ तक स्टेट हाईवे 7E पर 68 किलोमीटर मेगा हाईवे (टोल रोड) का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

339. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनपुरा तक 42 किलोमीटर मेगा हाईवे (टोल रोड) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

340. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बान्दर सिंदरी से मुण्डोती (4 कि.मी.) भामोलाव से डांग मोड प्याऊ तक (4.5 कि.मी.), दादिया से खेड़ा गोपालपुरा (6 कि.मी.) तथा कुचील से घासी बाबा की ढाणी (3 कि.मी.) तक की सड़कों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

341. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में त्योद से छोटा नरेना (8 कि.मी.) दादिया से मण्डावरिया (2 कि.मी.) भोगादीत से गागुन्दा (3 कि.मी.) तथा हरमाड़ा से छोटा नरेना (2 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

342. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बूपसेड़ा से बूढवाल तक सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

343. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कानावास से बसई भोपाल जाने वाली रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के चांडीचाणा से एन.एच. 8 तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

345. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कोराना (वाया महाराजावास) से नारनौल रोड तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

346. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरियासर मोड़ से जावली तक जीर्ण-शीर्ण सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

347. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा-जोबनेर सड़क का नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

348. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र से ग्राम मातेडा तक डामर सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

349. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़-रेनवाल से मूण्डली-रणजीतपुरा सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

350. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विभिन्न गांवों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 किलोमीटर नई सड़कों का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

351. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मिसिंग लिंक सड़क निर्माण करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

352. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पाला से भाचुन्दा तक नवीन सड़क निर्माण व पाना नदी पर पुल निर्माण, वाणियावास से पडासला लाम्बीया सड़क तक नवीन सड़क निर्माण व तीन पुल निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

353. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के गुन्दोज गांव में सम्पर्क सड़क पर नरेगा में स्वीकृत पुल का कार्य करवाने व तालाब के किनारे सोनाईमांजी रास्ते पर क्षतिग्रस्त पुल निर्माण व गुन्दोज से NH 62 तक एक कि.मी. बाईपास नवीन सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

354. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू गांव में सिन्दरू बांध ओवरफ्लो के पास से NH 62 तक नवीन सड़क निर्माण व बांध के पास नदी पर आम रास्ते पर पुल या सी.सी. रपट पर निर्माण तथा सिन्दरू से मेगा हाईवे नं. 16 भैरूलाल कलाल के कुएं तक नवीन सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

355. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बिशमी में बिशमी रानी रोड से सरीयादेवी मंदिर तक आम रास्ते पर पुल निर्माण व एक कि.मी. नवीन सड़क निर्माण, आईचिया से बुधवाड़ा तक 3 कि.मी. नवीन सड़क, सापुनी टेवाली रोड से भीमाजी की ढाणी तक 1.5 कि.मी. नवीन सड़क निर्माण, नोवी से महादेवा 1.5 कि.मी. नोवी से पलासिया, बिढीया के रसीयावास तक नवीन सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

356. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 28 सड़कों का नवीनीकरण कराने, 15 अधूरी पड़ी सड़कों के कार्य पूर्ण करवाने व नवीन बनी सभी गारंटी पीरियड की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से इनकी मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

357. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में सड़कों से वंचित ग्रामों में नवीन सड़कें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

358. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रेण गांव के पास रेलवे फाटक मेड़ता सिटी से नागौर जाने वाले NH-89 पर अधूरे पड़े पुल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

359. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सड़कों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

360. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता रोड गांव से बुटाटी धाम जाने वाली सड़क पर मेड़ता रोड के पास मात्र 250 मीटर दूरी पर तीन रेलवे क्रोसिंग के कारण हो रही असुविधा के निदान हेतु वैकल्पिक मार्ग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

361. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांव इन्दावड़ से मोकलपुर तक अधूरी पड़ी डामर सड़कों को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

362. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांव मेड़ता रोड रेलवे फाटक सं. 100 से छापरी फांटा तक कच्ची सड़क से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

363. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में सम्पर्क गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है। टूट-फूट होने से आवागमन की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

364. गढ़ी में बोरी से बिलोदा जर्जर सड़क निर्माण केसरपुरा से गुसाई का पारडा जर्जर सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

365. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में पुरानी बनी सड़कों के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

366. बसई नवाब में बाईपास बनाये जाने के लिए चर्चा के लिये।

367. सैपऊ में बाईपास बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

368. विधान सभा क्षेत्र कामां में अधूरे पड़े डीग-कामां घिलावटी बोर्डर ठेकेदार से पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

369. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की सभी सड़कों की चौड़ाई व नवीन डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-04

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

1. सरमथुरा पंचायत समिति का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

2. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गडरा रोड की पंचायत रतेउरी कलां का पंचायत भवन न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गडरा रोड की ग्राम पंचायत बान्डासर का पंचायत भवन अपूर्ण रहने व गबन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

4. मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण के कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

5. मनरेगा को प्रत्येक किसान के खेत से जोड़कर किसानों की खेतों पर व्यापक सुधार कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. ग्रामीण विकास द्वारा संचालित मनरेगा में पक्के कार्य रोक देने से विकास पर पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. राजसमंद एवं रेलमगरा क्षेत्र में आवारा जानवरों एवं रोजड़ों द्वारा फसल के बर्बाद होने पर दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिए।
8. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बिजली की दर बढ़ाने से विकास कार्यों में आई बाधा के संबंध में चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों

को दूसरी एवं तीसरी किश्त का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

10. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

11. ग्राम पंचायत बालासर पंचायत समिति चूरू के मनरेगा के सामग्री मद से भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
12. चूरू पंचायत समिति में विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

13. हर गांव में युवाओं के लिए खेल मैदान के निर्माण की कार्ययोजना अमल में लाने के संबंध में चर्चा के लिए।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों की सारी गलियों को पक्का करने की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा के लिए।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गली में सौर ऊर्जा/विद्युत कनेक्शन से रात में रोशनी का कार्यक्रम की कार्ययोजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

16. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में ग्रामीण विकास से संबंधित चलायी जाने वाली योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

17. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामवार चिकित्सा भवन निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

18. स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. द्वारा किये गये कार्यों को ग्राम पंचायतों में पुन: सर्वे कराकर शौचालयों से वंचित घरों में शौचालय स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. ग्राम पंचायतों की आबादी क्षेत्रों में बस स्टैण्ड, बाजार, अस्पताल आदि स्थानों पर सुलभ काम्प्लेक्स बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

20. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के रघुनाथपुरा व बुहाना में खेल मैदान को विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकानों का आबंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनाकर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ में गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये गये पक्के निर्माण की सामग्री मद का भुगतान बकाया होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

25. सभी ग्रामों में नियमित रूप से सफाई की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष पांच गांवों को सभी आदर्श सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

27. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीणों को घरेलू उद्योगों के साथ जोड़कर के विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. गांवों में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत गांवों के सभी गली मोहल्लों में सी.सी. सड़कें व नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा, जयसमंद में मनरेगा कार्यों की सामग्री के रूके हुए भुगतान के संबंध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा, जयसमंद में मेट मिस्त्री श्रमिकों और चौकीदारों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा, जयसमंद से स्कूलों में खेल मैदान, श्मशान घाट, स्नान घाटों का निर्माण, स्कूलों में सांस्कृतिक स्टेज व पानी की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

34. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम त्वरित गति से कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

35. पंचायती राज ग्रामीण विकास की BSR को PWD के समान करके वर्क बैच पर टेण्डर कराकर ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

36. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए नरेगा में पक्का निर्माण को जोड़कर विकास को बढ़ावा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

37. पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की घाटा क्षेत्र के 82 गांवों को मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से जोड़कर विकास कार्य स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना (GGJY) में स्वीकृत कार्यों की राशि जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

39. ग्रामीण विकास के मनरेगा कार्य में नियम में परिवर्तन कर वृक्षारोपण

हेतु चरागाह विकास में नियमों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

40. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों को पक्के निर्माण कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संबंधित कार्मिकों की प्रतिदिन अनिवार्य बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. ग्रामीण क्षेत्रों में करवाये जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. ग्राम पंचायतों एवं ग्राम के प्रमुख चौराहों पर हाईमास्ट लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने के कार्यों को भी ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. गांवों के सभी श्मशानों में चारदीवारी, फुटपाथ, पौधारोपण, टांके, प्याऊ, टीनशैड सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं के कार्य ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

45. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की दोनों पंचायत समितियों एवं सभी ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों को नहीं भरने से ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही बाधा के संबंध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खण्ड टोडारायसिंह में पंचायत समिति कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की सभी पंचायत मुख्यालयों के मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाने हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी गांवों के पेयजल आपूर्ति हेतु बोरवेल (ट्यूबवैल) लगाकर जी.एल.आर. टैंक निर्माण हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की घनी आबादी वाले गांवों में पंचायत मुख्यालय पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

50. टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर जिले में नरेगा के मजदूरों को 200 दिन कार्यदिवस दिये जाने और नरेगा के माध्यम से टीएसपी क्षेत्र के एसटी के लोगों के कुओं को पक्की मुण्डेर बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

51. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अनुपयोगी सरकारी भूमि एवं ओरण व गोचर भूमि क्षेत्र में बरसाती पानी का संरक्षण कर पेयजल हेतु तालाब, एनीकट निर्माण एवं वनस्पति उत्पन्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु बहाव क्षेत्रों, ओरण एवं गौचर भूमि पर स्ट्रक्चर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लूणी नदी में बाढ़ आने से कृषि योग्य भूमि के कटाव के रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में घनी आबादी के गांवों में पानी निकासी एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सार्वजनिक पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष (लाइब्रेरी) खोलने एवं कम्पीटिशन की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

56. गांवों में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की व्यवस्था, अनुदान व इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. गांवों में वर्षा जल संरक्षण के लिए अनुदान व जन जागरण अभियान के संबंध में चर्चा के लिए।

58. ग्रामीण क्षेत्रों में नशा निवारण के लिए जन जागरण अभियान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. मावली तहसील के गांवों में खेल मैदान विकसित करने हेतु ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

60. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत जालेरा खुर्द में वर्ष 2016-17 में स्वीकृत मनरेगा के पूर्ण कार्यों को प्रगतिरत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों द्वारा ग्राम पंचायत के खातों में जमा राशि को मनमर्जी से खर्च करने पर अविलम्ब रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. कृषि कार्यों को मनरेगा से जोड़ने और मनरेगा से पक्के निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत सेडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदकों को वरीयतानुसार आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

65. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत समिति भवन का निर्माण (घाटोल) एवं नवगठित समस्त ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण तथा पंचायती राज में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महुवा):

66. विधान सभा क्षेत्र महुवा के मण्डावर कस्बे में पंचायत समिति कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

67. ग्रामीण विकास विभाग से वर्ष 2019-20 की SFC, TFC की राशि अभी तक ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में ग्राम पंचायतों में नियुक्त सहायकों को मानदेय समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में चरागाह, ओरण, गोचर, वन भूमि, सिवायचक, लाटा भूमि एवं राजकीय भूमि में निवास कर रहे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राष्ट्रीय आजीविका मिशन में केन्द्रीय मद से वर्ष 2019-20 में प्राप्त हो चुकी राशि का इस योजना में किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. समदड़ी पंचायत समिति के भवन निर्माण की स्वीकृत राशि जारी होने के उपरान्त भी अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

72. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में करवाये गये नरेगा कार्यों में लाभार्थियों को लम्बे समय तक राशि का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. जिला परिषद् पाली में विधायक कोष एवं सांसद कोष द्वारा करवाये गये कार्यों की कार्य पूर्णता एवं राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अन्तिम किश्त जारी नहीं करने के अनेकों लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में करीब पिछले डेढ़ वर्ष से नरेगा में किये गये कार्यों में सामग्री व्यय का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. जिला पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा विकास कार्यों हेतु मिलने वाली राशि एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली राशि ग्राम पंचायतों को समान रूप से वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में मनरेगा अन्तर्गत गंवाई

तालाबों को विकसित करने, उनके आवक वाले मार्गों की समुचित तरीके से दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

77. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में मनरेगा में सामग्री मद की राशि का शीघ्र भुगतान कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रियान्विति से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को 02.25 करोड़ प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 05 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

79. गांवों के विकास के लिए सड़क, नाली, सफाई, रोड लाइट, पेयजल व्यवस्था तथा सभी विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

80. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण हाट विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. ग्रामीण विकास हेतु राजकीय विद्यालयों में जागृति हेतु पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर छात्र/छात्रों को विशेष कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों हेतु राज्य सरकार से ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण विकास हेतु रात्रि चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों के विकास हेतु नये कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. केशोरायपाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

85. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय

निर्माण प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, नरेगा सहित सभी सरकारी योजनाओं के लम्बित प्रकरणों/आवेदनों की स्वीकृति व भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आवश्यक रूप से खडबंजा (ईंटों) सड़कों के स्थान पर इन्टरलाकिंग सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. बीकानेर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

88. राजीव गांधी जल संचय योजना में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन की भांति ही चयनित ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत जैतपुर, कालू, महाजन, मालासर को पूर्ण रूप से सीवरेज से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

90. नवसृजित ग्राम पंचायतों हेतु भवन बनाने व कर्मचारियों को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु सीमांत काश्तकारों को मनरेगा के व्यक्तिगत लाभ के कार्य दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र बाली में मनरेगा के तहत मेटों को सामग्री मद में भुगतान नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. क्षेत्रीय विधायक विकास योजना के तहत प्रस्ताव व तकमीना स्वीकृति भेजने के बावजूद भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र बाली में मनरेगा के तहत श्रमिकों के कार्यानुपात एवं आय के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

95. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में बी.पी.एल. में चिन्हित अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कई आवासों में बकाया शौचालयों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में मनरेगा के तहत हुए निर्माण कार्यों के भुगतान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गौरव पथ, सी.सी. रोड एवं उनके साथ बनाई गई नालियों के संधारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के अन्तर्गत चयनित आदर्श गांवों के विकास के लिए विशेष सर्वे करवाकर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

100. ग्रामीण खेलों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश स्तर पर कैलेण्डर बनाकर ग्रामीण खेलों के सरकारी आयोजन के संबंध में चर्चा के लिए।

101. मनरेगा को प्रत्येक किसान के खेत से जोड़ा जाकर व्यापक सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. गांवों में आबादी विस्तार होने से ग्रामीण विकास के कार्यों का लाभ आनुपातिक रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र नोखा के गांवों में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य चौराहों पर हाई मास्ट लाइट एवं सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. प्रधानमंत्री आवास योजना में बकाया किश्तों का भुगतान करने एवं वंचित पात्र लोगों को योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

105. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भवन विहीन ग्राम पंचायत घोड़, पीपलून्द एवं रीठ तथा पंचायत समिति कोटड़ी के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

106. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम पंचायत लोरोली गांव के बीच में

भर रहे गन्दे पानी के निकासी हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र मकराना में मनेरगा योजनान्तर्गत किये गये पक्के निर्माण कार्य की सामग्री मद का भुगतान लम्बे समय से बकाया होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्रामीण विकास कार्यों में विधायक कोष से कार्यों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम बोरावड़ में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सड़कों में घटिया सामग्री उपयोग में लेने से क्षतिग्रस्त सड़क के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

110. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शैड कंपोनेण्ट के तहत कार्य चिन्हित करने एवं विकाय कार्य में हो रही उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

111. पंचायत समिति इटावा एवं जिला परिषद् कोटा द्वारा सरपंचों के विरुद्ध घटिया निर्माण कार्य करवाकर भुगतान आदि अनियमितताओं की शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही नहीं करने से राजकोष को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विकास अधिकारी पंचायत सुल्तानपुर (कोटा) द्वारा बूढादीत की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने से विधायक कार्यालय के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 04.03.2019 से प्रेषित परिवाद पर कार्यवाही में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास इकाइयों द्वारा श्मशान स्थल विकास कार्य कराने में बरती जा रही उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिए।

114. कोटा जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत विधायक द्वारा सुझाए गए जन हित के कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं करवाये जाने में बरती जा रही उपेक्षा एवं उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

115. मनरेगा योजना में श्रमिक मद की बकाया राशि का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

117. ग्राम पंचायत को मिलने वाली TFC, SFC की राशि में बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

118. मनरेगा में 250 दिन कार्य देने व 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में विकास पथ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर):

120. विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में मनरेगा कार्यक्रम में मेट प्रति पखवाड़े शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुमत कार्यों की सीमा क्षेत्र का दायरा विस्तृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. राज्य वित्त आयोग पंचम की गाइड लाइन में संशोधन कर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

123. ग्राम पंचायत खिनाणिया को पंचायत समिति टिब्बी में यथावत रखने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

124. झेलमपुरा ग्राम पंचायत खानवास (दौसा) के पास मोरेल नदी पर नरेगा योजना में सब सरफेस बेरियर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. जिला दौसा की पंचायत समिति लवाण व नवगठित पंचायत समिति नांगल राजावतान, बैजूपाडा, बसवा, रामगढ़ व सिकन्दरा को ब्लाक घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

126. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत मालाखोड़ा, अम्बाड़ा बावड़ी, सालैडा, कोचरी में मनरेगा के तहत कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मनरेगा के तहत सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान व चारदीवारी बनवाएं और कृषि की दृष्टि से चेक डैम बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नव निर्वाचित सरपंचों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. चिखली ब्लाक में APL व BPL आवास योजना में लाभार्थी के स्थान पर अन्य के खाते में पैसा जमा कराने से हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में आवश्यकतानुसार मनरेगा के तहत कुआं गहरीकरण एवं नये छोटे-छोटे तालाब का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

131. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल जगत में सुअवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त खेल मैदान उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संचालन हेतु बजरी एवं अन्य खनिजों के दोहन से प्राप्त रायल्टी में से संबंधित ग्राम पंचायतों को भी हिस्सा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के आवास हेतु बहुमंजिला आवास बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों को अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु मनरेगा मद से श्रमिक उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. प्रदेश के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर कम से कम एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

136. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में नवगठित ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की पंचायत समिति पीसांगन में पंचायत पुनर्गठन कार्य गलत तरीके से किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

138. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतों के द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 में करोड़ के कार्य पूर्ण करवाकर भुगतान नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी पंचायत समिति अरथूना ग्राम पंचायत बिलोदा के अन्तर्गत माही कडाणा बैक वाटर में 200 बीघा जमीन पर सौन्दर्यकरण बागवानी पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

140. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा में ग्राम पंचायतों की विभिन्न तत्वों से वसूल धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में विकास कार्य के लिए जमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा की ग्राम पंचायत को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों की धनराशि का पंचायती राज द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा की ग्राम पंचायतों के अधीन तालाबों से मछली के ठेकों से प्राप्त आय का उपयोग संबंधित तालाबों पर सुधार व मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने पर चरागाह जमीन पर निर्माण करवाने की अनुमति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पुराने व जर्जर हुए भवनों के स्थान पर नवीन पंचायत भवनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

145. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत जनता जल योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवासों में वरीयता क्रम को नजर अंदाज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

147. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में मनरेगा योजना में श्रमिक मद की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

148. राज्य व केन्द्र सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना प्रत्येक घर तक पहुंचाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

149. सांगानेर पंचायत समिति के नवीन भवन हेतु बजट स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

150. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत परम्परागत नाड़ी की खुदाई के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं जनता की बसावट को देखते हुए नये कार्यों को स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अन्तर्गत गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना में 10%, 30% व 50% अंशदान जन सहयोग से प्राप्त होने पर भी सीमित कार्यों की स्वीकृति का प्रावधान मार्गदर्शिका में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग-पंचम के अन्तर्गत मरुस्थलीय जिलों में ग्रेवल रोड के निर्माण का प्रावधान मार्गदर्शिका में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग पंचम एवं 14वां वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में भूमि सुधार के कार्यों में खालों का निर्माण एवं कवरिंग इत्यादि का प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

154. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) की सुमेल बगराना व विजयपुरा की पंचायतों में निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की सुमेल बगराना व विजयपुरा पंचायतों को बजट आबंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

156 विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की सुमेल बगराना व विजयपुरा पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

157. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु विशेष कार्य योजना की घोषणा बजट आबंटन कर कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

158. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में मनरेगा के तहत पक्के कार्यों के लिए सभी ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में बराबर-बराबर बजट जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. जिला परिषदों द्वारा गैर सरकारी संस्थानों (NGO) को दिये जाने वाले कार्यों पर मोनिटरिंग के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के मनरेगा के तहत वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल संग्रहण के कार्यों की स्वीकृतियों में कम रूचि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. नागौर जिले के गांवों में सी.सी. सड़क व इन्टर लाकिंग ब्लाक निर्माण में भूमि लेवल तय नहीं कर कार्य नहीं किये जाने के बाद वहां फैल रहे कीचड़ व गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. नागौर जिले के गांवों में मनरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की

खानापूर्ति से योजना में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

163. सांसद/विधायक कोटे से स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूर्ण कराने एवं कार्य की गुणवत्ता जांच एवं भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. मनरेगा योजनान्तर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए वृक्षारोपण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. प्रदेश में ग्रामीण विकास की संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावी मानिटरिंग की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. प्रदेश के गांवों में नियमित सफाई एवं सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

168. मेवात विकास बोर्ड के द्वारा स्कूल और कालेज संचालन की जरूरत के विषय के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र नगर में मेवात विकास बोर्ड के द्वारा स्वीकृत राशि को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

170. प्रदेश में नरेगा के अन्तर्गत श्मशान घाट के निर्माण, स्कूलों के खेल मैदान, स्कूल की चारदीवारी के निर्माण की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. प्रदेश में दो मीटर से ऊंचे एनीकट निर्माण व मरम्मत नरेगा के माध्यम से कराने की अनुमति के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के गांवों में स्वच्छता/सफाई संबंधी कार्य नरेगा के माध्यम से कराने की अनुमति के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न गांवों को स्मार्ट विलेज योजना के तहत विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

174. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गंडाला, मांढन, कायसा तथा बूढवाल को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

175. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम काचरोदा, बरडोरी, नांदरी, बागावास को स्मार्ट विलेज योजना के माध्यम से विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

176. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में शौचालय निर्माण करने के बाद बेस लाइन में नाम नहीं जोड़ने से भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

177. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम बिढीया, धनापुरा, टेवाली, मणिहारी में श्मशान घाटों में चारदीवारी, टीन शैड व अन्य विकास के कार्य व धनापुरा पंचायत समिति सुमेरपुर में खंगाराराम के मकान से महादेव मन्दिर तक व थानसिंह के मकान से पक्काराम मीणा के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में टेवाली ग्राम में मदन लाल जेढानी के घर से कालुराम देवाजी के घर से मेगा हाईवे तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण व खैरवा, जेतपुरा, कानेलाव, शिवपुरा लाम्बीया में कई गलियों में सी.सी. सड़क व नाली निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू ग्राम में गौरव पथ के दोनों ओर बायोशा मन्दिर से ग्राम पंचायत पुराने भवन की ओर सी.सी. सड़क व नाली निर्माण व किरवा ग्राम आखिरया चौक में सी.सी. रोड करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के बिरामी ढाणी ग्राम में अचला राम लालाजी सुन्दवेशा के घर उमाराम व नाजी मेडतीया के घर तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण व ग्राम दुजाना में खिणान्दी रोड नारायण लाल के घर से भूराराम के घर की ओर सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के खीमाडा ग्राम में देवासीवास तेजाराम मनरूप जी कुमावत के घर से हनुमान चौक तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण व खीमाडा की भोपालपुरा ढाणी में वनाराम देवासी के घर से भवानी सिंह राणावत के घर की ओर सी.सी. सड़क व नाली निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

182. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

183. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में मनरेगा के तहत कार्यों के लिए सभी ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में बराबर-बराबर बजट जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में गेनलियावास से खाखडकी तक पक्की सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-05

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल व मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्रीमती जाहिदा खान (कामां)

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन/आग्रह करना चाहती हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में बल्कि, मैं तो कहना चाहूंगी कि हर ब्लाक में Rest House बनने चाहिए। चौधरी तैय्यब हुसैन ने जब राजस्थान से Election लड़ा तो उन्होंने इसकी कमी महसूस की, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जहां से उन्होंने पहले Election लड़ा था, वहां पर जगह-जगह Rest House बने हुए थे, जिससे District level और State level के Officer को वहां आकर रुकने में आसानी रहती थी क्योंकि उच्च अधिकारी वहां Frequent visit कर सकते थे।

चौधरी तैय्यब हुसैन जी कहते थे कि जब तक अच्छी facility नहीं देंगे, तब तक Officer frequent visit नहीं करेंगे। उस Time उसी सोच के तहत उन्होंने पहाड़ी-जुरहरा में Rest House बनाये और जब 14 फरवरी, 2001 को C.M. साहब पहाड़ी में गुड़गांव कैनाल का शिलान्यास करने आये, Rest House की काफी प्रशंसा की थी, लिहाजा अध्यक्ष/सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे Rest House बनाने पर विशेष ध्यान दें।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र कामां में पहाड़ी उप खण्ड में बड़ी संख्या में खनन कार्य होता है। खनन कार्य से राज्य सरकार को करोड़ रुपये का Revenue मिलता है जो DMFT के नाम से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस फंड में से खनन क्षेत्र में सड़कों की हो रही दुर्दशा को सही करने के लिए कोई राशि खर्च नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रवासियों का पैदल चलना भी मुश्किल है। भारी वाहनों की वजह से सड़कें पूर्ण रूप से खतम हो चुकी हैं, जिनको जल्द से जल्द Load Bearing Capacity के साथ बनाने की आवश्यकता है, जिससे वे सड़कें भारी Vehicle के Load को bear कर सकें और लम्बे समय तक चलें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि विधान सभा क्षेत्र कामां की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों को खनन कार्य से प्राप्त रायल्टी के पैसों से Load Bearing Capacity के मापदंड के अनुसार बनवाया जाए, जिससे वे लम्बे समय तक चलें और आम जन को राहत मिले।

महोदय, आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि DMFT का जो भी Collection हो, वह उसी इलाके में Use होना चाहिए। मेरे यहां पर निम्नलिखित ग्रामीण सड़कें हैं जो Mining क्षेत्र में आती हैं उनका Load Bearing के अनुसार तकमीना बनना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में माइनिंग सड़कें हैं-

गोपालगढ़ से कटि घाटी वाया पापड़ा चिनावड़ा, लिवासना से बिजासना, गंगौरा से बिजासना, पहाड़ी से छापरा, डीग-सीकरी रोड, धौलेट से हरियाणा बोर्डर वाया नांगल, भौंरी मानोता अप टू हरियाणा बोर्डर, घाटमीका चौराहा से धौलेट, पापड़ा से लिवासना, लिवासना से खण्डेवला, लिवासना से लावना।

1. डीग-कामां-नन्दगांव स्टेट हाईवे नं. 44 सड़क के बन्द पड़े अधूरे काम को शुरू करवायें तथा कांट्रैक्टर काम शुरू न करे तो उसका Tender Cancel कर उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

2. पहाड़ी बाईपास-स्टेट हाईवे नं 22-हमारी खेड़ली-कठूमर-नगर-सीकरी-पहाड़ी होते हुए हरियाणा बार्डर पर कस्बा पहाड़ी में भारी वाहनों की वजह से जाम लगता है। इसलिए कस्बा पहाड़ी में बाईपास बनाया जाएं।

3. गुलपाड़ा-अमरूका-जुरहरा सड़क CRF योजना में बनवाना।

4. भरतपुर - कुम्हेर - डीग - कामां- जुरहरा-पलवल सड़क को नेशनल हाईवे घोषित करना चाहिए क्योंकि भरतपुर एनसीआर में आता है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र के तीन तरफ से बॉर्डर लगते है। चौधरी तैय्यब हुसैन जी ने जब वे राजस्थान सरकार में मंत्री थे तब गांवों को बॉर्डर से जोड़ने का काम किया था, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्न सड़कें स्वीकृति करें।

धौलेट से बढेड़ हरियाणा बोर्डर बाकी Road Non- पैचेबल हैं।

विधान सभा क्षेत्र कामां में नोन पैचेबल सड़कें

1	कुकरपुरी से हरियाणा बार्डर बांधोली तक	7	पिपरोली मालिकी सड़क 1.650 किमी.
2	घोसिंगा से बहादुरपुर जैमत हरियाणा बार्डर तक	8	गोपालगढ़ से पीपलखेड़ा 3.00 किमी.
3	घोसिंगा से हरियाणा बार्डर 2.00 किमी.	9	कामां-पहाड़ी सड़क से गोपालगढ़ वाया पथराली किमी. 4/0 से 9/300
4	धीमरी से कठौल 3.50 किमी.	10	सम्पर्क सड़क से गाधानेर 3.00 किमी.
5	धर्मशाला से नीमला 1.70 किमी	11	पहाड़ी-फिरोजपुर सड़क से छपरा 6.400 किमी.
6	भौंरी-मानौता अप टू हरियाणा बार्डर 2.400 किमी.	12	सोनोखर से नौनेरा 5.00 किमी.
		13	डीग-सीकरी सड़क 9.00 किमी.

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ PWD की सड़कें इतनी खराब हैं कि गाड़ी भी फंस जाती है।

सी.सी. रोड निर्माण:-

1. ग्राम खल्लूका सीसी रोड
2. नौगांवा सीसी रोड
3. रांफ सीसी रोड
4. लाडलाका सीसी रोड निर्माण

इसलिए तुरन्त प्रभाव से इनको अर्जेण्ट बेस पर स्वीकृत करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में ये सड़कें मिसिंग लिंक सड़कें हैं -

कठौल से चानियां कलां, सहसन से थलचाना, सतवाड़ी से बोडोली, खेड़लीनानू से जैमत सीमा तक, खेड़लीनानू से कंचननेर, जीराहेडा से ईदगाह होते हुए जुरहरा, सहसन से हुलताना, खेड़ली काजी से कलतरिया, सबलगढ़ से कलतरिया, कलतरिया से हुलताना, टायरा से ऊदाका, ऊदाका से नगला खेड़ा अकाता तक, लालपुर से सादन का बास, साहलपुर से फतेहपुर, साहलपुर से

हरियाणा बोर्डर, भोजपुर से गढ़ी खानपुर रोड, बोडोली से पथराली, लावना से जारला, हैवतका से जोतकादर, सतपुड़ा से अहलवाड़ी, जुरहरी से हरियाणा बोर्डर, नौगांवा से नौनेरा, खैंचातान से गांवडी, सहसन भण्डारा रोड से चानियां खुर्द, खेड़ली गुमानी से परेही, मिसिंग पार्ट नन्देरा से गुण्डगांव, मुल्लाका से नगला हरसुख, घौघोर से डीग-सीकरी रोड, ईकलहरा से लुहेसर-कैथवाड़ा रोड, ईन्द्रौली से छिछरवाड़ी, मूंगसका से ईंखनका, नांगल से हरियाणा बोर्डर, गंगौरा से खण्डेवला।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उपमुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होने 48 पंचायत समिति और 1264 पंचायतों का पुनः गठन किया है, वह ऐतिहासिक कदम है। उसके लिए आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।

माननीय अध्यक्ष / सभापति जी, आपके माध्यम से मैं उप मुख्य मंत्री जी से Request करना चाहूंगी कि आप हर पंचायत समिति Headquarter पर फायर ब्रिगेड दें, जिससे गर्मियों में जो आगजनी होती है उससे किसान को काफी नुकसान होता है, उससे राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेवात विकास योजना का गठन मेवात क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए सन् 1988 में किया गया था। सन् 2008 में जब मैं विधायक बनी थी तब मेवात विकास योजना का बजट 4 करोड़ था जिसको 2008 से 2013 तक पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि करते हुए इसका बजट 60 करोड़ कर दिया था। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इसमें लगातार कटौती कर बजट कम कर दिया गया। इस वर्ष 2019-20 में भरतपुर जिले में कुल 218.47 लाख रुपये ही आबंटित किये हैं, जो कि पूर्व में मेरे क्षेत्र के बजट से भी काफी कम हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं उपमुख्य मंत्री जी से Request करना चाहूंगी कि मेवात क्षेत्र का विकास करने के लिए मेवात विकास योजना की वार्षिक बजट राशि बढ़ाकर 80 करोड़ की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि मेवात विकास योजना की राशि उन्हीं गांवों में खर्च की जाती थी जिन गांवों में 10 प्रतिशत मेव आबादी है, लेकिन भा.ज.पा. सरकार ने इसको खतम कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं उपमुख्य मंत्री जी से Request करना चाहूंगी कि मेवात विकास योजना की राशि उन्हीं गांवों में खर्च हो, जिनमें कम से कम 10 प्रतिशत मेव आबादी हो।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन में मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ऐतिहासिक फैसले लिए 1. महिलाओं को आरक्षण, 2. 18 साल पर वोट डालने का अधिकार/युवाओं को राज में भागीदारी दी, 3. मनरेगा आदि योजना।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास

मैं धन्यवाद दूंगा स्व. अटल बिहारी जी वाजपेयी को जिन्होंने गांवों के विकास की बात सोची। प्रथम एन.डी.ए. सरकार बनी थी तब उन्होंने ग्राम विकास के लिए एक नीति बनायी। उन्होंने 1000 की आबादी, 500 की आबादी, 250 की आबादी के ग्रामीण अंचलों को सड़क से जोड़ने की योजना बनायी और आज वह साकार हो चुकी है। उनकी सोच थी कि गांव का व्यक्ति शहर से जुड़े, गांव के बच्चे शहर में साइकिल या अन्य संसाधन से पढ़ने के लिए जायें, और आज गांव का व्यक्ति सम्पन्नता की ओर अग्रसर है। गांव के बच्चे खेल में, नौकरियों व व्यापार अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं व कामयाब हो रहे हैं। यह माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी, सपना था, जो साकार हो रहा है।

कांग्रेस ने देश में बहुत राज किया, गांवों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा, क्योंकि कांग्रेस की सोच थी कि गांव का व्यक्ति पढ़ लिख न जाये, शहर से न जुड़े, यदि वह पढ़-लिख गया, शहर से जुड़ गया तो हमारे दिन लद जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज देश की स्थिति साफ है। जहां कांग्रेस पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों में राज करती थी, आज मात्र 7-8 राज्यों तक सीमित रह गयी। यदि कोई निर्वाचित सरकार मूलभूत सुविधा गांवों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छ पानी, बिजली, सड़क की ओर ध्यान देती रहेगी तो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे।

मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल

प्रदेश में सफर खतरनाक:-

क्योंकि 60 हजार किलोमीटर सड़कें प्रदेश मे छलनी हैं।

अध्यक्ष महोदय,

ऐसा कोई भी जिला या गांव नहीं है, जिसकी सड़कों पर खड्डे की भरमार नहीं है।

मानसून गुजरने के बाद प्रदेश में 20 प्रतिशत सड़कें ठीक नहीं हुई हैं।

करीब 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं, जिनकी मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदारों की है, जिसके बावजूद ये काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

हनुमानगढ़ जिले में लगभग 934 km. सड़कें छलनी की हालात में हैं।

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सड़कों के हालात ठीक नहीं हैं।

1. पीलीबंगा से खालिया, लिखमीसर सुरावाली दयनीय

2. पीलीबंगा से वाया हासलिया-गोलुवाला

3. चाईपपा से कनबानी से गन्धेली क्षति चौड़ाई बढ़ायी जाए।

4. नुरपुरा- भाभुंवाली ढाणी चक LGW चक 9-10 M.O.D.

5. रावतसर-जाखडा वाली-18 S.P.D. बड़ोपल से सूरतगढ़ क्षतिग्रस्त सड़क को चौड़ाई बढ़ाई जाए। यह सड़क महत्वपूर्ण है।

6. रावतसर से न्यौलखी चोड़ी की जावे।

7. किशनगढ़ से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे मेरी विधान सभा क्षेत्र के मध्य से गुजर रही है। जगह-जगह गढ्ढे से क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटनाएं आम बात हो चुकी है।

8. ऐसी महत्वपूर्ण सड़क की शीघ्र ही मरम्मत करवायी जाए।

कस्बा रावतसर के मध्य इस मेगा हाईवे पर डिवाइडर स्थापित था। वह पूर्णतया नष्ट हो चुका है, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस डिवाइडर का पुनः निर्माण करवाया जाए। इस मेगा हाईवे पर टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है।

9. वाहन चालकों के लिए जानलेवा बन रहे हैं बड़े गडढे।

पीलीबंगा-हनुमानगढ़-सूरतगढ़-फोरलेन नगरपालिका क्षेत्र में जगह-जगह जान लेवा गड्ढे विद्यमान हैं।

राजस्थान स्टेट रोड कारपोरेशन एण्ड कंस्ट्रक्शन द्वारा हाल ही में 40 करोड़ रुपये खर्च की मरम्मत कार्यों की पोल खोल दी है।

नियम विरुद्ध जगह-जगह कट छोडे जाकर दुर्घटनाओं को और बढ़ावा दिया गया है। ऐसे मे कार्यों की जांच करवायी जाएं।

हनुमानगढ़-पीलीबंगा रोड RSRDC कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया।

रोड पर टोल वसूली की जा रही है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार काटे गये पेड़ों के स्थान पर तीन गुणा अधिक पेड़ लगाये जाते थे।

9 साल पहले बनी थी सड़क, लेकिन एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। कम्पनी को पाबन्द किया जाये। इसकी जांच करवायी जाए।

मेगा हाईवे रोड-पर टोल हटाया जाए, क्योंकि सड़क क्षतिग्रस्त, कोई सुविधा नहीं है।

पक्की सड़कों से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनाने हेतु :-

1. गऊ शाला वार्ड नं. 19 से 36 DWD 3 K.M.
2. चक 14 BPM से कनवानी 3 Km.
3. जाखडावाली से पडितावाली सड़के से 54,000 R.D तक 3 km.
4. जाखडावाली से पडितावाली सड़के से 4 S.T. B. तक 2 K.M..
5. जाखड़ावाली से चोहिलावाली सड़के से 2 S.T.B. तक 3 km.
6. जाखड़ावाली से सूरतगढ़ रोड से R.D. 7,500 तक 3 Km.
7. जाखड़ावाली से सूरतगढ़ से 19 S.P.D. तेला वाला चक 1.5 km.
8. खेदासनी से ठेठार तक 3km.
9. गन्धेली से बिरकाली 5 Km.
10. हरदासवाली से 2 सीएलडी तक 3 Km.
11. 24 PBN से सूरतगढ़ रोड तक 5 Km.
12. सररामसर से अमरपुरा राठान 5 Km.
13. लखासर से चक 23 एम.ओ.डी. तक 2.5 Km.
14. चक 5 एस.जी.आर. से 16 एल.डब्ल्यू.डी. तक 1.5 Km.
15. हरदयालपुरा से खिलोरियों की ढाणी तक 2 Km.
16. चक 4 एल.के.एस. से 9 एल.के.एस. 14 LGW से खरलिया तक 5 Km.
17. चक 16 PBN से सरावावाला तक 3.5 Km.

18. नोहर रोड से चक 4 Km रावतसर

19. 5 KWD रोड से 10 KWD रावतसर 3 K.M.

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में बड़ा भू-भाग ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है। आवागमन के साधन बहु त कम हैं। अत मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए।

क्षतिग्रस्त पुलों का पुनः निर्माण -

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण करवाया जाए।

1- रावतसर नामा-जावझाली-बड़ोपल-मानक थेड़ी से सूरतगढ़ सड़कें मध्य स्थित- जाखंडावाली पर विद्यमान पुल क्षतिग्रस्त अवस्था में मेरी मांग है कि इतना निर्माण करवाया जाए।

क्षतिग्रस्त पुल से कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। ऐसी गम्भीर स्थिति होने से मार्ग पूर्णतया बंद हो जायेगा। जनहित में निर्माण किया जाना आवश्यक है।

2- किशनगढ़ से हनुमानगढ मेगा हाईवे के मध्य-

1. लखुवाली के पास क्षतिग्रस्त पुल।

2. इन्दिरा गांधी मेन कैनाल पर 1965 में निर्मित पुलों की वर्तमान में अच्छी स्थिति में नहीं है।

(1) डबली (टिब्बी) (2) मोधुनगर आर.डी. 84 (3) खेतावाली ढाणी 99 आर.डी. (4) खोंडा आर.डी. 108

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य (पुलों का निर्माण)

महोदय,

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत

(1) सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ फोर लेन सड़क विद्यमान है। वाहनों का दबाव बहु त भारी मात्रा में हो गया है। घंटों-घंटों तक वाहनों को रोकना पड़ता है।

अमरपुरा (पीलीबंगा) के पास रेलवे लाइन पर अपर ब्रिज आवर पुल बनाने से वाहनों के आवागमन मे काफी सुधार होगा। आमजन को राहत मिलेगी।

(2) रावतसर से पीलीबंगा-सूरतगढ़-हनुमानगढ़ मार्ग पर पीलीबंगा

कस्बे में रेलवे लाइन का क्रोसिंग है, जिससे फाटक बार-बार बन्द होने से चारों तरफ घंटों-घंटों बार-बार फाटक बन्द होने से भारी मात्रा में वाहनों की कतारें लग जाती हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे कोई बीमार होने पर भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में पीलीबंगा रेलवे फाटक के पास अवरपुल बनाया जाना अति-आवश्यक है।

(3) पीलीबंगा कस्बा में श्रीमती कन्या महाविद्यालय के पास अन्डर पास (रेलवे के नीचे से) बनाया जाना नितान्त-आवश्यक है। कस्बा रेलवे दोनों तरफ आबादी निवास करती है, लेकिन अन्डर पास नहीं होने से काफी परेशानियां एवं ट्रेफिक जाम होने से व्यवस्था में भारी बाधा आ रही है। अत: इसे बनाया जाना अति आवश्यक है।

मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

महोदय,

गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

(I) 70 वर्षों बाद भी पंचायत मुख्यालय पर सीनियर माध्यमिक में विज्ञान, वाणिज्य, गणित, कृषि, रसायन भौतिक, विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी वंचित हैं। विद्यालयों में स्टाफ की भारी मात्रा में कमी है। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के पद रिक्त है।

(II) प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदानों की कमी है। खेल मैदान होना चाहिए।

(III) गांवों में सफाई व्यवस्था/पंचायतों के सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। गांवों में सड़कें, नालियां होने पर भी सफाई व्यवस्था नहीं है।

(IV) गांवों को जोड़ने वाली सड़कें टूटी-फूटी हैं। जहां-जहां ग्रामीण क्षेत्र/चकों/ढाणियों मे सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। उनकी मरम्मत करवायी जाए। जो गांव-ढाणियां समूह में हैं, उन्हें भी सड़कों को जोड़ा जाए।

(V) ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्य गलियां हैं। वहां पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी जाएं।

(VI) ग्रामीण क्षेत्र में सरकार को गांवों में सड़कों नालियां की सफाई, स्ट्रीट लाइटों के लिए अलग से बजट दिया जाण। ताकि गांवों में मूलभूत सुविधा का अभाव नहीं रहे। सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाए।

(VIII) ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 15 दिनों में या एक माह में एक

बार सम्बन्धित तहसीलदार, बी.डी.ओ. सरपंच, पटवारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय के संस्था प्रधान, डाक्टर, पशु चिकित्सक' ग्रामीण बैंक अधिकारी इत्यादि राजकीय विभागों द्वारा एक छत के नीचे बैठकर सम्बन्धित विभाग द्वारा समस्याओं का निपटारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही एक साथ हो सके। जैसे इन्तकाल दर्ज करना, रास्तों के विवादित प्रकरण, विवाह पंजीकृत, पेंशन पीपीओ, नामान्तरण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण-पत्र एवं पंचायत में ग्रामीण (गांववासियों के साथ मिल-बैठकर) मौके पर समाधान किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत संबंधी अनेकों समस्या रहती हैं।

I. विद्युत विभाग के JEN, AEN एवं तकनीकी कर्मचारी माह में एक बार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करवाया जाए।

II. ग्रामीण क्षेत्रों में बीज वितरण की व्यवस्था ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाए।

प्रत्येक ग्राम मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोला जाए।

III. मनरेगा के तहत प्रत्येक मजदूर को निश्चित मजदूरी का भुगतान किया जाए।

IV. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ाये जाने की योजना बनायी जाए।

V. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, शौचालय (बालक/बालिकाओं) विज्ञान प्रयोगशालाएं, हाल, चारदीवारी का निर्माण करवाया जाए।

VI. सेमग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय भवनों, जो जर्जर हैं, उनका प्राथमिकता से निर्माण किया जाए।

VII - ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ITI (आई.टी.आई.) विद्यालय खोले जाए।

VIII- ग्रामीण क्षेत्रों में वचित गांवों/ढाणियों में शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए।

IX. प्रत्येक गांवों को परिहवन सुविधा से जोड़ा जाए।

X. बी.पी.एल. में चयनित परिवारों को गेहूं-चावल के अतिरिक्त दालें, साबुन, कपड़ा, नमक, सोयाबीन, चीनी एवं अन्य खाद्य सामग्री दी जाए।

XI - ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक सिपाही का पद सृजित करवाया जाए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

1. भूती-रोडला के बीच नदी पर पुल बनाने से वहां के आठ गांव के रहवासियों को फायदा होगा।

2. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी-पचानवा में जवाई नदी पर पुल बनाने से हरजी, थांवला, डोडीयाली चवरछा, बुडतरा, छीपरवाड़ा आदि गांवों के शहरवासियों का रास्ता बंद नहीं होने से फायदा होगा।

3. देबावास-ओडवाडा-रायथल सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। वहां दुर्दशा है। उसका नवीनीकरण किया जाए।

4. जोडा से पादरली सड़क (नवीन सडक) बनाने से पादरली एवं ऊपर के गांवों के लिए सहूलियत होने के सम्बन्ध में, वास्तव में यह मिसिंग रोड हे, जो अति आवश्यक है।

5. मादा भालरी-मडला रोड जिससे यह गांव वास्तव में आहोर तहसील के लिए जुड़ा हुआ नहीं है जो जोड़ा जाए।

6. रायथल से बालवाड़ा ग्रामीण सड़क बनाने से कुछ क्षेत्र हाईवे से जुड़ जाएंगे जो काफी क्षतिग्रस्त है।

7. सुमेरगढ़ खेड़ा से देवाड़ा कच्चा मार्ग है, जो मात्र 3 किमी. है उसको स्वीकृत कराएं।

8. मायलावास से मेड़ा नीवला रोड अति आवश्यक है।

9. कंवला से पेणावा मात्र 4.50 किमी. रोड, यह अति आवश्यक रोड है, कृपया इस रोड को स्वीकृत कराएं।

10. भोरडा से रातड़ी मात्र 1 किमी. रोड है, जो बाड़मेर जिले को जोड़ेगा। कृपया इस रोड की स्वीकृति दिलाएं।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

1. विधान सभा क्षेत्र आहोर का एकमात्र उप खण्ड कार्यालय आहोर, जिसमें बस स्टैण्ड नहीं होना शर्मनाक बात है, नए बस स्टैण्ड के लिए विभागीय पहल करने की जरूरत है।

2. कृषि मण्डी का विकास-आहोर में कृषि मण्डी है लेकिन उसके सिर्फ

चारदीवारी बनी हुई है। उस मण्डी का विकास नहीं हुआ है। उसके प्लेटफार्म एवं शैड नहीं बना, जिससे किसानों का जिन्स खराब होता है। कृपया मण्डी का विकास कराएं।

3. अलावा 'सी' सामुदायिक भवन बनाएं। वहां के रहवासी गरीब तब के के लोगों के लिए वह भवन आवश्यक है।

4. आहोर कालेज स्वीकृत

मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

हरजी, रायपुरिया, नोखा, कवराडा गांव को स्मार्ट विलेज में लेना।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत भवन तुरन्त कार्य शुरू कराएं।

पंचायत समिति स्तर पर अग्निशमन वाहन दिलाने बाबत।

आहोर विधान सभा में एक भी नगरपालिका नहीं है। आए दिन आगजनी घटना से नुकसान होता है। कृपया अग्निशमन वाहन की व्यवस्था कराएं।

श्री अमर सिंह (बयाना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 21 व 28 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने भी वर्तमान बजट में हर वर्ग को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के अधिकांश गांव आज भी रोडों से वंचित हैं।

मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि आज जब हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है, तब एक ओर हमारा अन्नदाता किसान रोडों के अभाव में दयनीय जीवन जी रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास में सड़कों से वंचित निम्नांकित गांवों को सड़कों से जोड़ने की कृपा करें:-

खेरी डांग, भोलापुरा- छउआ मोड़ तिघरा से नगला कोली तक

जुरूअर, पटपरी पुरा

नगला अर्जुन, नगला छीपी

बंशी पहाड़पुर से नगला खार

बसेडी रोड से सामन्तगढ़

नगला खिन्नी, नगला तीर,

घुनैनी से करौली जिले के बोर्डर तक

करनपुर से खोपट नगला तक

रूपवास से चक सामरी

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ रोड ऐसे हैं कि अगर आपको 10 किलोमीटर जाना हो तो दो घण्टे का समय लगता है। उनकी भी अतिशीघ्र मरम्मत करवाने की कृपा करें।

पूर्ववती सरकार के समय में एक भी सड़क नहीं बनी है। जैसे रूदावल से कंजौली वाया माडापुरा, रूदावल हनुमान मंदिर से बरौदा, बयाना-हिण्डौन सड़क से गणेश मोड से गाजीपुर, बसेड़ी रोड से वाजना चौक तक, रूपवास-धौलपुर रोड से चेकोरा शक्करपुर यू.पी. बोर्डर तक। इन सड़कों का जल्द से जल्द डामरीकरण करवाने की कृपा करें।

मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र खेरिया मोड़ से उच्चैन वाली सड़क और बीच में आने वाली सेवला हैड की पुलिया बिलकुल ही जर्जर अवस्था में होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि इस पुलिया की चौड़ाई बढ़ाकर नवीनीकरण करवाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महेदय, मेरे क्षेत्र में रूपवास से मठबदलेश्वर वाया जटमासी और बिनऊआ मोड़ से बसई वाया बंशी पहाड़पुर तक के रोड का नवीनीकरण कर चौड़ाई बढ़ाई जाये।

भरतपुर से जयपुर एन.एच. 21 के मध्य में डिवाइडर लगाई जाये जिससे कि आवारा पशुओं से होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महेदय, बयाना में लगभग तीन साल पूर्व शुरू हु ए रेलवे ओवर ब्रिज के कार्य को लम्बा समय बीत जने के बाद भी पूर्ण नहीं होने से आमजन को बहु त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर नहीं होने से आये दिन जाम लगा रहता है। इस रोड से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पदयात्री, श्रद्धालु कैला देवी के लिए निकलते हैं, जिससे यहां दुर्घटना की आंशका बनी रहती है, इसलिए इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कृपा करें।

मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि इस आर.ओ.बी. का निर्माण करने

वाले ठेकेदार को मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में ही हिण्डौन रोड पर डुमरिया रेलवे लाइन पर भी आर.ओ.बी. का ठेका दिया जा रहा है। इस ठेकेदार की कार्य प्रणाली को देखते हुए उक्त कार्य उसको नहीं देने की कृपा करें।

श्री गिरधारी लाल (डूंगरगढ़)

अध्यक्ष महोदय,

आपने मुझे लोक निर्माण, सड़क पुल और ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की कि हम विधायकों को बहुमंजिला और बेहतरीन आवास उपलब्ध कराने के लिए जालूपुरा स्थित आवासों को नीलाम करके बेचेंगे और विधायक नगर पूर्व और पश्चिम में बहुमंजिला विधायक आवासों का निर्माण करेंगे। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अगर सरकार के खजाने में विधायक आवास बनाने तक का ही पैसा नहीं है तो क्यों नहीं सरकार इस प्रस्ताव को त्याग दे, क्योंकि एक तरफ हम केन्द्र की सरकार के नवरत्नों के बेचने की फैसलों की खिलाफत करते हैं, हम केन्द्र सरकार के इंडियन एयरलाइंस के बेचने की खिलाफत करते हैं, हम केन्द्र सरकार के बी.एच., सी.एल. के बेचने की खिलाफत करते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के अन्दर हमारी सरकार कहीं बाड़मेर में बिजली बनाने का कारखाना औने-पौने दामों पर बेच रही है, तो कहीं केन्द्र सरकार ने जो हमारे एयरपोर्ट को बेचने का फैसला लिया है उसके खिलाफ हम चुप बैठे हैं। अब तो हद ही हो गई कि जो सरकार की परिसम्पत्ति है, वह बेच करके हम विधायक आवास बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो बेहतर होगा कि हम इस विधान सभा परिसर में टैंट लगाकर रह जाएंगे, परन्तु मेरा आग्रह है कि आप सरकारी परिसम्पित्तयों को न बेचें। अगर हमारी सरकार सरकारी परिसम्पत्तियों को भी औने-पौने दामों पर बेचेगी तो केन्द्र सरकार के ऐसे निर्णय की आलोचना हम किस मुंह से करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में डूंगरगढ़ से बीदासर जाने वाले रास्ते पर रेलवे फाटक के पास हमेशा लम्बा जाम लगा रहता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ बीदासर मार्ग पर रेलवे लाइन पर और ओवरब्रिज का शीघ्र निर्माण किया जाए, ताकि श्रीडूंगरगढ़ और सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके।

पिछले बजट में राजकीय कालेज की बिल्डिंग निर्माण करने की घोपणा की, निर्माण करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित गांवों को सड़क निर्माण करके सड़क से जोड़ने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

नई सड़कें

1- सोनियासर मिठीया (पंचायत मुख्यालय) से सोनियासर गोदारान तक डामर सड़क बनवाने,

2- सोनियासर गोदारान से रानासर तक पक्की सड़क बनवाने,

3- इयारा कैंप से सोनियासर शिवदानसिंह होते हुए सोनियासर गोदारान तक पक्की सड़क बनवाने बाबत,

4- सेरुना से हेमेरा की सड़क स्वीकृत करवाने,

5- सेरुना से नारसीसर तक की सड़क की मरम्मत करवाने,

6- नारसीसर से देराजसर तक सड़क का निर्माण करवाने,

7- लाधड़ीया से डेलवा 9 किलोमीटर सड़क निर्माण करवाने,

8- डेलवा से गुसाईसर बड़ा के सड़क मार्ग से रेत हटवाने बाबत (नोखा),

9- गांव उतमामदेसर से मेउसर 6 किलोमीटर सड़क पक्की निर्माण करवाने बाबत (नोखा),

10- ग्रामीण सड़क समस्या हेतु (सिंधु से सिंजगुरु) 6 किलोमीटर व (सिंधु से बनिया) 5 किलोमीटर (नोखा),

11- मेउसर से साजनवासी के रास्ते में डामर सड़क निर्माण बाबत (नोखा),

12- सिंजगुरु से मोरखाना तक सड़क निर्माण बाबत (नोखा),

13- बेरासर से अणखीसर डामर रोड स्वीकृत करवाने बाबत (नोखा),

14- सेरुना से,

15- जालबसर से नकोदेसर डामर सड़क बनवाने बाबत 12 किलोमीटर

16- ग्राम बिंझासर से लोढ़ेरा तक पक्की डामर सड़क बनवाने बाबत,

17- आडसर से सुरजनसर पक्की सड़क निर्माण करवाने बाबत,

18- जैसलमेर से ग्राम अभयसिंहपुरा तक पक्की सड़क बनवाने बाबत

19- कितासर मुख्य गांव से करनी माता रोहिडा धाम तक की पक्की सड़क निर्माण करवाने बाबत,

20- ग्राम समंदसर पुराना बास आंवला जाटों के मोहल्ले में सड़क निर्माण करवाने बाबत,

21- मसूरी से गिवसर तक डामर सड़क निर्माण या मसूरी से राजेडु तक डामर सड़क निर्माण करवाने बाबत,

22- बाधनु से तेजरासर तक डामर सड़क बनवाने बाबत (लगभग 18 किलोमीटर),

23- बाधनु से लालदेसर बाईपास डामर सड़क बनवाने बाबत (सूडसर बाईपास सड़क माताजी मंदिर से लालदेसर छोटा मार्ग तक 3 किलोमीटर) (नोखा),

24- सोवा से सुरपुरा तक सड़क निर्माण करवाने बाबत (नोखा),

25- बनिया से गजरूपदेसर पक्की रोड निर्माण करवाने बाबत 10 किलोमीटर (नोखा)

26- बनिया से सिंधु तक डामर सड़क निर्माण करवाने बाबत (8 किलोमीटर) (नोखा)

27- ग्राम बिदासरिया से लालमदेसर बड़ा तक व बिदासरिया से बाधनु तक डामर सड़क का निर्माण करवाने बाबत (नोखा)

28- ग्राम पंचायत बादनु से लालमदेसर छोटा होते हुए ग्राम पंचायत लालम देसर बड़ा तक 11 किलोमीटर सड़क डामरीकरण करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के निम्नांकित गांवों में सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई हैं। अतः इन सड़कों का शीघ्र नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता है।

5. विकास पथ:- उप खण्ड अधिकारी द्वारा अधिग्रहण सड़क बनाने के भूमि की अनदेखी की गयी है।

6. भारतमाला 500 दिनों से किसान धरना व महापड़ाव दे रखा है।

7. मनरेगा में 250 दिन काम व 600 रु. प्रतिदिन दिहाडी देने के लिए निवेदन है।

मरम्मत

1. सेरूणा से नारसीसर तक की सड़क मरम्मत,

2. बादनूं से सूडसर डामर सड़क की मरम्म्त करवाने,

3. बापेऊ से कल्याणसर नया मरम्मत 12 किलोमीटर,
4. लिखमीसर उतरादा से राजेड़ू मरम्मत 9 किलोमीटर,
5. बापेऊ से सोनियासर गोदारान तक मरम्मत 12 किलोमीटर,
6. बरजांगसर से बाडेला तक 6 किलोमीटर